सप्तम माला, खंड 17, अंक 51, गुरुवार, 30 अप्रैल, 1981/10 वैशाख 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(पांचवां सत्र)

सत्यमेव जयते

(खंड 17 में अंक 51 से 56 तक है)

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली ।

मूल्य : चार रुपए ।

विषय-सूची

अंक 54, बुधवार, 6 मई, 1981/16 वैशाख, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों का मौखिक उत्तर :	1—23
*तारांकित प्रश्न संख्या 1072, 1073 और 1075 से 1079	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	23—184
*तारांकित प्रश्न संख्या 1074 और 1081 से 1091	23—28
अतारांकित प्रश्न संख्या 9880, 9881, 9883 से 10013, 10015 से 10079, 1079-क और 10079-ख	29—184
स्थगन प्रस्तावों आदि के बारे में	184—194
सभापटल पर रखे गये पत्र	194—197
राज्य सभा से संदेश	197—198
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति 24वां प्रतिवेदन	199
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	199—211
बम्बई-हावड़ा जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी में डाकुओं द्वारा डकैती, अपहरण और बलात्कार की कथित घटनायें	199
श्री हरिकेश बहादुर	199
श्री मल्लिकार्जुन	200
श्री सी० के० जाफर शरीफ	202
श्री चन्द्रजीत यादव	203
श्री अजित कुमार साहा	204
श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर	209

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
अन्दमान द्वीपसमूह के निकट एक नए द्वीप के निकल आने के बारे में 6 अगस्त 1980 अन्तरांकित प्रश्न संख्या 870 के उत्तर में शुद्ध करने और विलम्ब के कारण बताने के सम्बन्ध में वक्तव्य	211—212
नियम 377 के अधीन मामले	212—218
(एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में व्याप्त स्थिति श्री मनीराम बागड़ी	212
(दो) लोको रनिंग कर्मचारियों का कथित दमन और उनकी मांगों को मानने की कार्यवाही श्री ए० के० बालन	213
(तीन) विद्युत सेवाओं में सुधार करने के लिए भारतीय विद्युत (पूर्ति अधिनियम 1948 में संशोधन करने की आवश्यकता श्री सत्यनारायण जटिया	214
(चार) संगम एक्सप्रेस रेलगाड़ी को मेरठ की बजाय सहारनपुर से इलाहाबाद तक चलाने की आवश्यकता श्री रशीद ससूद	214
(पांच) जमा हो गए माल को उठाने के लिए परादीप पत्तन को माल डिब्बे उपलब्ध कराने के उपाय श्री चिन्तामणि जेना	215
(छः) कारीगरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर परंपरागत और कलात्मक कोटा डोरिया साड़ियों को बचाने की आवश्यकता प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	216
(सात) उत्तर प्रदेश के किसानों को गेहूं का लाभ मूल्य सुनिश्चित कराने के उपाय श्री हरीश कुमार गंगवार	216
(आठ) तमिलनाडु में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए काबेरी घाटी प्राधिकरण की स्थापना तथा अन्य उपाय श्री के० टी० कोसलराम	217

विषय	पृष्ठ
(नो) छिपे हुए लोगों द्वारा पैदा की गयी कथित कानून और व्यवस्था की समस्या को ध्यान में रखते हुए नागालैंड में जानमाल की सुरक्षा	218
श्री चिंगवांग कोनयक	
(दस) तमिलनाडु में उच्चतम न्यायालय की पीठ स्थापित करने की आवश्यकता	218
श्री ईरा मोहन	
विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) संशोधन विधेयक	219—244
खण्ड 2 से 4 और पास करने का प्रस्ताव	219
श्री पी० वेंकटसुब्बय्या	224
श्री नीरेन घोष	224
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	227
श्री जार्ज फर्नान्डीस	228
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	232
श्री चन्द्रजीत यादव	235
श्री रामावतार शास्त्री	237
श्री ए० के० राय	239
संसद सदस्यों का वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक	245—255
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री वी० वेंकटसुब्बय्या	245
श्री बापूसाहिब परुलेकर	246
श्री पी० नामग्याल	248
श्री हरीश कुमार गंगवार	249
श्री गिरधारी लाल व्यास	252
श्री रामावतार शास्त्री	254

विषय	पृष्ठ
नर्मदा जल योजना सम्बन्धी अधिसूचना में रूप भेद करने के बारे में प्रस्ताव	255—262
श्री आर० के० महालगी	255
श्री मोतीभाई आर० चौधरी	258
श्री नरसिंह मकवाना	258
राव वीरेन्द्र सिंह	260
उत्तर प्रदेश के एटा जिले में डाकुओं द्वारा हरिजनों की हत्या के बारे में वक्तव्य	262—263
श्री जैल सिंह	
आधे घण्टे की चर्चा—	
"ए क्युरेबल डिजीज मेड इन्क्युरेबल बाई पावर्टी" (साध्य रोग गरीबी के कारण असाध्य बन गया) शीर्षक सम्बन्धी समाचार	263—272
श्री बापूसाहिब बरुलेकर	263
श्री निहार रंजन लास्कर	266
श्री रामावतार शास्त्री	269
श्री राम विलास पासवान	269
श्री हरिकेश बहादुर	270

लोक-सभा

बुधवार 6 मई, 1981/16 वैशाख, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपकी वापसी पर हम आपका स्वागत करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत धन्यवाद । सभा तथा मेरे मित्रों की सद्भावनाओं के कारण यह दौरा बहुत सफल रहा है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, बी०पी० मंडल आयोग की रिपोर्ट अभी तक सरकार प्रस्तुत नहीं कर सकी है । गृह मंत्री ने उसे इसी सत्र में प्रस्तुत करने का वादा किया था । आप उनसे कहें । यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त नहीं हो सकता है । बाद में बात करियेगा । आप इस वक्त क्यों यह कह रहे हैं ? अनुमति नहीं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने नियम 388 के अधीन नोटिस दिया है···(व्यवधान)···ताकि सभा आयरलैंड में बाबी सैंडज की मृत्यु सम्बन्धी विषय पर विचार कर सके । यह एक महत्वपूर्ण मामला है । प्रधान मंत्री···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि प्रधान मंत्री इससे चिंतित थी । समूची सभा चिंतित थी लेकिन इस तरह से नहीं । (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने तो मेरे कागज देखे भी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : देखे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 388 तथा 342 के अधीन मैं चाहता हूं कि सभा एक ऐसा प्रस्ताव पारित करने का विचार करे कि सभा इस मामले में और दुख प्रकट करती है···

अध्यक्ष महोदय : हम कार्य को निलम्बित नहीं कर सकते । (व्यवधान)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आदिवासी क्षेत्रों के लिए नया काडर ढांचा

1072. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी क्षेत्रों में कार्मिक सम्बन्धी नीतियों पर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के नीति तथा आयोजन विंग के निष्कर्ष तथा टिप्पणियां क्या हैं;

(ख) इस विंग द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन में सुधार के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं तथा मंत्रालयों/विभागों और राज्यों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या काडर पुनरीक्षा समिति ने अन्य अखिल भारतीय सेवा काडरों के साथ-साथ आदिवासी क्षेत्रों के लिए भी नये काडर ढांचे की सम्भावनाओं का अध्ययन किया है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या उनका मंत्रालय आदिवासी क्षेत्रों में काडर ढांचे की भूमिका की पुनरीक्षा करेगा तथा केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर, विशेषकर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए नया पृथक काडर अथवा उप-काडर बनाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा;

(ङ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(च) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों के अच्छे आदिवासी क्षेत्र प्रशासन के लिए एक आदर्श विधेयक तैयार कर लिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के नीति तथा योजना स्कन्ध के निष्कर्ष तथा टिप्पणियां गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त आदिवासी क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं तथा कार्मिक नीतियों से सम्बन्धित दल की सिफारिशों के अनुसार हैं। इस दल की सिफारिशों का सारांश सदन के पटल पर रखा जाता है। दल की रिपोर्ट राज्य सरकारों को आवश्यक कार्यवाई के लिए भेज दी गई है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) तथा (ङ) जहां तक एक नए पृथक संवर्गों अथवा उप-संवर्गों के बनाए जाने का सम्बन्ध है, दल की सिफारिशें राज्य सरकारों की आवश्यक कार्यवाई के लिए पहले ही भेजी जा चुकी हैं। चूंकि आदिवासी विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का सम्बन्ध मुख्य रूप से राज्य सरकारों का विषय है, इसलिये, केन्द्रीय उप-संवर्गों के बनाए जाने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

(च) जी नहीं, श्रीमान।

विवरण

आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक प्रबन्धों तथा कार्मिक नीतियों सम्बन्धी दल की सिफारिशों का सारांश

एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना (आई०टी०डी०पी०) के क्षेत्र में प्रशासनिक एककों का एकीकरण होना चाहिए और राज्य स्तर पर जनजाति आयुक्त से लेकर डिवीजन आयुक्त,

जिला कलक्टर, आई०टी०डी०पी० के परियोजना प्रशासक, वी०डी०ओ० से ब्लाक स्तर विस्तार अधिकारी/ग्राम सेवक तक कमांड की तर्कसंगत प्रणाली होनी चाहिए।

(2) आई०टी०डी०पी० योजना और पर्यवेक्षण के निर्माण के एक इकाई होने के कारण तथा विकास ब्लाक कार्यान्वयन की निम्नतम इकाई होने के कारण, ब्लाक स्तर पर प्रशासनिक ढांचा उक्त श्रृंखला का अभिन्न भाग होना चाहिए। वी०डी०ओ० को आई०टी०डी०पी० के परियोजना प्रशासक के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन लाया जाना चाहिए।

(3) वैकल्पिक विकास अभिकरण के अभाव में, विकास ब्लाक को अपनी विकास अधिकारियों तथा ग्राम सेवकों की टीम सहित सुदृढ़ किया जाना चाहिए और उप प्लान कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का मुख्य साधन बनाया जाना चाहिए।

(4) राज्यों में विद्यमान विकास खण्डों के संरूपण पर विचार करने के लिए एक समीक्षा आरम्भ की जा सकती है ताकि जन संख्यिकी भूगोल तथा प्रशासन की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनका पंक्तिकरण किया जा सके।

(5) आई०टी०डी०पी० क्षेत्र में, एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो एस०एफ०डी०ए०, सी०ए०डी०ए०, डी०पी०ए०पी० आदि जैसे, अभिकरणों की विविधता को बदलकर विकास कार्यकलापों के निष्पादन तैयार कर सके।

(6) आदिवासी क्षेत्रों में विशिष्टकृत वी०ए०डब्ल्यू० की अपेक्षा बहुधंधी ग्राम सेवकों (वी०एल०डब्ल्यू०) की सेवाओं की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त किसी विकास ब्लाक में दो प्रकार के कर्मचारियों को पर्याप्त संख्या में तैनात किया जाए।

(7) योजना तथा कार्यान्वयन के मंचों में पर्याप्त संख्या में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व सुरक्षित किया जाना चाहिए जिससे कि वे अपने दृष्किोण को व्यक्त कर सके।

(8) एक ओर आई०टी०डी०पी० के परियोजना प्रशासक और दूसरी ओर तकनीकी अधिकारियों के बीच सुपरिभाषित सम्बन्धों का विकास होना चाहिए।

(9) आई०टी०डी०पी० के परियोजना प्रशासक को पर्याप्त प्रशासनिक तथा वित्तीय प्रत्यायोजन दिया जाना चाहिए। कलक्टर, कमिश्नर तथा साथ ही उनके तकनीकी प्रतिपक्षों को तकनीकी मंजूरी की तदनुरूपी शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। संगत कार्यक्रमों की शीघ्रता से मंजूरी को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के आदिवासी विकास विभाग तथा योजना, वित्त, जैसे अन्य विभागों के बीच सीधा सम्बन्ध होना चाहिए। आदिवासी उप योजना क्षेत्र के लिए बजट बनाने, मंजूरियों, विषयान्तरों आदि में पर्याप्त भूमिका राज्य सरकार के आदिवासी विकास विभाग में निहित होनी चाहिए।

(10) आदिवासी क्षेत्रों में शारीरिक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य संस्थाओं, संचार के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्थायें की जानी चाहिए। कार्य अवधियों के लिए कठिन आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने के लिये प्रतिवद्ध व्यक्तियों के उपयुक्त संवर्गों का निर्माण किया जाना चाहिए। जिन राज्यों में विस्तृत आदिवासी क्षेत्र हों वहां चुने हुए राज्य संवर्गों के

भीतर उप-संवर्गों का बनाया जाना सम्भव होना चाहिए जिसके सदस्य आदिवासी क्षेत्रों में एक निश्चित अवधि तक अर्थात् 5 वर्ष या 10 वर्ष या 15 वर्ष की अवधि तक कार्य कर सकें। उप-संवर्गों के सदस्य बाद में मुख्य संवर्गों में शामिल हो सकते हैं।

(11) दुर्लभ कार्मिकों के वर्गों के लिए विशेष भर्ती इस शर्त के साथ की जानी चाहिए कि भर्ती किए गए व्यक्तियों को निर्धारित समय की अवधि तक आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करना होगा। उप-संवर्गों के सदस्यों को निर्धारित सेवा की अवधि को पूरा करने पर मुख्य संवर्ग में सम्मिलित होने दिया जाए। वैकल्पिक रूप में यह निर्धारित किया जा सकता है कि भर्ती किए गए व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से कुछ निश्चित वर्षों तक प्रारम्भ में आदिवासी क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा।

(12) जिन राज्यों में प्राइवेट प्रेक्टिस करने की इजाजत है, उनके आदिवासी क्षेत्रों में ठहरने के लिए चिकित्सकों को आकर्षित करने के लिए गैर-प्रैक्टिस भत्ते की धनराशि के बराबर भत्ता इन पदों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

(13) फील्ड स्तरों पर अधिकारियों की भर्ती करने में जिनके संवर्ग सामान्यतः क्षेत्रीय अथवा जिला-आधारित होते हैं, स्थानीय व्यक्तियों को जहां कहीं आवश्यक हो न्यूनतम अर्हताओं में छूट देकर भी वरीयता दी जानी चाहिए।

(14) आदिवासी क्षेत्रों में कार्मिकों के लिए कुछ सामान्य शर्तों को लागू करने में छूट दी जा सकती है। अधिकारियों को जहां कहीं आवश्यक हो उनके पदों पर पदोन्नत किया जाना चाहिए और इस आधार पर तबादले नहीं किए जाने चाहिए कि आदिवासी क्षेत्रों में वरिष्ठ पद उपलब्ध नहीं हैं।

(15) क्षेत्र-अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में यह शर्त बनाई जानी चाहिए कि वे निर्धारित अवधि के भीतर एक आदिवासी बोली का अच्छा ज्ञान प्राप्त करें।

(16) आदिवासी क्षेत्रों में तैनात किये जाने वाले व्यक्तियों का चयन करने के लिए राज्य स्तर, खण्ड स्तर तथा जिला स्तर पर जांच समितियों का गठन किया जाए।

(17) आदिवासी क्षेत्रों में की गई सेवा को मान्यता गैर-आर्थिक प्रोत्साहनों के अंश के रूप में अधिकारी के रिकार्ड में प्रति वर्ष समुचित प्रविष्ट करके दी जा सकती है।

(18) राज्य सरकारें पदोन्नत के लिए गिने जाने योग्य आदिवासी क्षेत्रों में प्रति वर्ष की गई सेवा के महत्व पर विचार कर सकती हैं।

(19) आदिवासी क्षेत्रों में सेवा की मान्यता उपयुक्त पंचाटों की स्वीकृति द्वारा दी जानी चाहिए।

(20) आदिवासी क्षेत्र आर्थिक प्रोत्साहनों की मंजूरी के लिए श्रेणीबद्ध किए जाने चाहिए तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में तैनात किए गए व्यक्तियों को कम कठिन क्षेत्रों में तैनात व्यक्तियों से अधिक मात्रा में प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इस पैकेज का तत्व स्वतः परिसमापन

स्वरूप का होना चाहिए तथा सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था के साथ उत्तरोत्तर दूर हो जाना चाहिए।

(21) आदिवासी क्षेत्रों में आवासीय भवनों के निर्माण के लिए सातवें वित्त आयोग के अनुदान का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। जहां आवासीय स्थान अपर्याप्त हो वहां समुचित मकान किराये भत्ते की अनुमति होनी चाहिए।

(22) आदिवासी क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के लिए प्रतिपूर्ति भत्ते के सम्बन्ध में आयोग के पंचाट का इसी प्रकार मूल वेतन के 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की दर से भुगतान करने के लिए पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए।

(23) सन्तान शिक्षा भत्ता केन्द्रीय योजना के आधार पर दिया जाना जाहिए। अन्य राज्य सरकारें आदिवासी बच्चों को उपलब्ध वे रियायतें आधारिक कार्यकर्त्ताओं जैसे अध्यापकों, ग्राम सेवकों के बच्चों को मंजूर करने के मध्य प्रदेश के प्रस्ताव पर विचार कर सकती हैं।

(24) आकस्मिक छुट्टी की हकदारी के मामले में, आदिवासी क्षेत्रों में प्रत्येक दो महीने की सेवा के लिए सामान्य आकस्मिक छुट्टी के अतिरिक्त एक दिन की और छुट्टी दी जाए। इसके अतिरिक्त, छुट्टी पर जाने वाले किसी कर्मचारी को अपनी ड्यूटी के स्थान से निकटतम रेलवे स्टेशन पहुंचने तथा वापसी यात्रा के लिये एक वर्ष में यथा आवश्यक एक अथवा दो अतिरिक्त दिन दिये जाने चाहिए।

(25) उदारीकृत छुट्टी यात्रा रियायत दी जानी चाहिये तथा यदि प्रारम्भिक 400 किलोमीटर की दूरी के कारण हकदारी में प्रतिबन्ध विद्यमान हों तो, उन्हें दूर किया जाना चाहिये।

(26) आदिवासी क्षेत्रों में कार्य कर रहे सभी कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिये व्यापक कार्यक्रम होना चाहिये। दूसरे चुने हुये कार्मिकों के प्रशिक्षण में गहन अनुस्थापन किया जाना जाहिये।

(27) आदिवासी विकास में प्रशिक्षण को विभिन्न सेवाओं में प्रविष्ट के समय सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का भाग बनाया जाना चाहिये।

(28) उचित मूल्यांकन तथा अनुश्रवण के उपकरण राज्यों तथा केन्द्र में विकसित किये जाने चाहिये तथा उनका पूर्ण रूप से उपयोग किया जाना चाहिए।

(29) राज्य योजनाओं की उन योजनाओं का लाभ उठाया जाना चाहिये जिनमें आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए स्थापना का तत्व शामिल है। राज्य गैर-योजना की ओर से आदिवासी क्षेत्रों में लोगों के समतुल्य आबंटन पर विचार कर सकते हैं। आवासीय भवनों के निर्माण तथा प्रतिपूर्ति भत्ते के भुगतान के लिए आदिवासी क्षेत्रों के लिए सातवें वित्त आयोग द्वारा किए गए हस्तान्तरणों का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आयोग द्वारा गैर-विकास

सेवाओं के लिये दिये गये अनुदानों से आदिवासी क्षेत्रों में समतुल्य संभूतियां हों। चौथे, जहां धनराशि का अन्य स्रोत न हो वहां गृह मंत्रालय की विशेष केन्द्रीय सहायता का अन्तराल पूरक के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। अंतिम बात यह है कि संविधान के अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन पर्याप्त रूप से धनराशि के समुचित आबंटन पर विचार किया जा सकता है।

श्री गिरिधर गोमांगो : एक पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार केन्द्रीय सरकार को आदिवासी क्षेत्र के प्रशासन के बारे में कानून बनाने की कोई भी शक्ति नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 275 (1) के अधीन आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन का विकास सम्बन्धी कानून बनाने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है। इस बात को ध्यान में रखते हुये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु एक विस्तृत केन्द्रीय कानून बनायेगी? विभिन्न राज्यों ने विभिन्न प्रशासनिक ढांचों को लागू रखा है। यदि एक केन्द्रीय कानून बना दिया जाता है तो आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासनिक ढांचे में एकरूपता आ जाएगी।

श्री० पी० वेंकटसुब्बय्या : जहां तक संविधान का सम्बन्ध है, जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने किया है, राज्य सरकारें आदिवासी क्षेत्रों के विकास का ध्यान रखना राज्य सरकारों का काम रहा है। वास्तव में जनजातीय लोगों को आदिवासी कहा जाता है, वे इस भूमि के मूल निवासी हैं। सरकार का प्रयत्न जहां तक सम्भव हो विभिन्न विकास योजनाओं को कार्यान्वित करना रहता है। कानून बनाने के बारे में मैं माननीय सदस्य से केवल इतना कह सकता हूं कि इस सुझाव पर उचित समय पर विचार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रकट की गयी रुचि की ओर दिलाना चाहता हूं। प्रधान मंत्री ने 25 मार्च, 1980 को एक पत्र भेजा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए एक अच्छे और समर्पित प्रशासनिक ढांचे का बनाया जाना परमावश्यक है। गृह मंत्री ने 18 अप्रैल, 1980 को राज्यों को एक पत्र भेजा जिसमें प्रधान मंत्री के पत्र की ओर ध्यान दिलाया गया और आदिवासी विकास को बढ़ावा देने के लिये प्रशासनिक तथा अन्य उपायों को शीघ्र कार्यान्वित करने का सुझाव दिया गया। जनवरी, 1981 में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने राज्य सरकारों को पत्र लिखा जिसमें विभिन्न अध्ययन दलों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कहा गया। मेरे माननीय मित्र का मुख्य प्रश्न आदिवासी क्षेत्रों के विसास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु एक पृथक काडर की व्यवस्था करने के बारे में था। मैं अपने उत्तर में पहले की कह चुका हूं कि केन्द्रीय सरकार इस समय इस पर विचार नहीं कर रही है।

श्री गिरिधर गोमांगो : पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के एक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुये कहा था :—

"एक अनपढ़ व्यक्ति, जिसने कोई परीक्षा पास न की हो का इन लोगों के पास मैत्रीपूर्ण तथा प्यार की भावना के समय भेजना कहीं अधिक अच्छा होगा। इस प्रकार का व्यक्ति, समस्या की मानवीय जानकारी से अनभिज्ञ एक बुद्धिजीवी की अपेक्षा अच्छे परिणाम दिखायेगा।"

इस सम्बन्ध में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोई ऐसी योजना बनायी गयी है जो पंडित नेहरू द्वारा व्यक्त विचारों के अनुरूप हों।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : सरकार नीतियों तथा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये अच्छे लोगों की भांति सम्बन्धी नीति पर लगातार निगाह रखती आयी है। सरकार इस बात को भी जानती है कि ग्रामीण आदिवासी तथा अन्य उपेक्षित क्षेत्रों सम्बन्धी योजना परिव्यय साधारणत: अनुपयुक्त रहे हैं जिसका मुख्य कारण अपर्याप्त प्रशासनिक ढांचा है। पर्याप्त प्रशासनिक ढांचे को बनाने की सबसे बड़ी कठिनाई सरकारी कर्मचारियों द्वारा इन क्षेत्रों में नौकरी करने में संकोच करना है। संकोच का मुख्य कारण इन क्षेत्रों में आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार सुविधाओं का अभाव है। ये लोग कभी-कभी सुरक्षित भी अनुभव नहीं करते। ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण कर्मचारी इस प्रकार की नौकरियों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। नियुक्ति होने के तुरन्त बाद ही वे सबसे पहले तबादले के लिए प्रयत्न करते हैं। आमतौर वे अपने परिवारों को शहरी क्षेत्रों में छोड़ देते हैं जहां सुविधायें उपलब्ध होती हैं और नौकरी के स्थान पर अकेले रहते हैं। अत: वे अपनी नौकरी की ओर पूरा ध्यान नहीं दे पाते और उन्हें जल्दी-जल्दी अपने परिवार की समस्याओं की ओर ध्यान देने के लिए जाना पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह स्थान या तो काफी समय तक रिक्त रहता है या उस स्थान पर ऐसे लोग काम करते हैं जो उस कार्य में विशेष रुचि नहीं रखते। अत: काफी समय पहले गृह मंत्रालय ने कार्मिक विभाग के सचिव की अध्यक्षता में उन समस्याओं का अध्ययन करने तथा उचित व्यक्तियों की नियुक्ति करने सम्बन्धी सिफारिशें करने के लिए एक समिति का गठन किया। इस बारे में कई सिफारिशें हैं। इन बातों पर प्रकाश डालने के लिये मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता। इन पर काफी समय पहले केबिनेट सचिव तथा अन्य लोग विचार कर चुके हैं। हल्दीपुर समिति की सिफ़ारिशों पर कार्मिक विभाग के सचिव ने अनुवर्ती कार्यवाही कर ली है। अभी हाल में योजना आयोग ने हमें आदिवासी क्षेत्रों, उपेक्षित क्षेत्रों तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने सम्बन्धी लागू की जाने वाली सरकारी नीति के बारे लिखा है। गृह मंत्रालय के कार्मिक विभाग के प्रतिवेदन को योजना आयोग को भेज दिया गया है। इस बारे में कई सिफ़ारिशें की गयी हैं। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि सरकार तथा गृह मंत्रालय उन उपेक्षित लोगों की समस्याओं के बारे में सचेत है और इस बात का ध्यान रखने के लिऐ यथासम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं कि उचित व्यक्तियों की नियुक्ति की जाये ताकि योजना परिव्यय का यथासम्भव उपयोग हो सके।

प्रो० एन० जी० रंगा : वास्तव में अब तक क्या किया गया है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि मैं उचित व्यक्ति की खोज में हूं। 33 सालों से ये उचित व्यक्ति की खोज में हैं और अभी तक कोई उचित व्यक्ति मिला नहीं है। मंत्री महोदय ने यह आशंका भी व्यक्त की है कि आदिवासी क्षेत्र में कोई अफसर जाना नहीं चाहता है। आदिवासी क्षेत्र का विकास भी करना है और इसके लिए सरकार प्रयत्न-शील भी है। अभी तक आदिवासियों की संख्या सरकारी नौकरियों में जीरो प्वाइन्ट कुछ परसेंट ही है। इसलिए क्या सरकार कोई स्पेशल सेल बनाएगी जिसके तहत पांच साल की योजना बना करके, स्कूल

कालेजों से विद्यार्थियों को निकाल कर, उनको ट्रेनिंग दे करके, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में—चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी —तमाम पदों पर समय रहते नियुक्त किया जाये—क्या इस उद्देश्य के लिए सरकार कोई स्पेशल सेल बनाएगी ?

श्री पी० बेंकटसुब्बय्या : श्रीमान, मैं पहले ही इस सभा को बता चुका हूं कि राज्य सरकारों को इस मामले में लिखा गया है तथा उन्हें प्रशासन को चुस्त बनाने के लिए कहा गया है। मैं आपको राज्यों में उपलब्ध व्यवस्था के बारे में बता दूं। एक पृथक आदिम जातीय आयुक्त है और एक अन्य आयुक्त है जो कि आदिम-जातियां क्षेत्रों के प्रभारी आयुक्त का कार्य करते हैं। उनके अधीन परियोजना प्रशासन अधिकारी होते हैं जो आदिम-जातियों के कल्याण कार्यों को देखते हैं तथा गांवों के स्तर पर भी प्रशिक्षित अधिकारी होते हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के मामले में भी यह ध्यान रखा जाता है कि आदिम-जातियों के व्यक्तियों को रिक्त स्थानों में लिया जाये। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उनके लिए 7.5 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। पिछले 3 वर्ष से हमें भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में भी पर्याप्त सदस्य मिल रहे हैं। यह स्थिति उत्साहजनक है। ग्रामीण योजनाओं की क्रियान्वित के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि गांव के स्तर के कार्यकर्ता तथा तकनीकी अधिकारी···

श्री राम विलास पासवान : मेरा सवाल ही दूसरा है। मैंने स्पेशल सेल के बारे में पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कोई स्पेशल सेल बना रहे हैं ?

श्री पी० बेंकटसुब्बय्या : इस कार्य के चलाने तथा समन्वित करने के लिए···

श्री राम विलास पासवान : आप पहले पुन लीजिए। स्पेशल सेल बनाने का फर्ज यह रहेगा कि स्कूल कालेजों से विद्यार्थियों को ला करके ट्रेनिंग दे करके, जो आप कहते हैं कि वे अनसूटेबल हैं तो उनको सूटेबल बना करके रखा जाए।

श्री पी० बेंकट सुब्बय्या : श्रीमान हमारी पहले से ही यह योजना है। आदिम जातीय क्षेत्रों के लड़कों के लिए प्रशिक्षण कक्षाएं चल रही हैं। राज्यों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के लोगों के राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के पदों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। विभिन्न राज्यों में जन-जातीय क्षेत्रों के व्यक्तियों की भर्ती के प्रयत्न किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 1073 —श्री मुकुन्द मंडल।

प्रो० एन० जी० रंगा : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इस पर ठीक रूप में चर्चा नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : आधे घण्टे की चर्चा का नोटिस दें इस पर अधिक समय चाहिए। इस पर सभा के 15 मिनट पहले ही लग चुके हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : आप इस पर आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

प्रो० एन० जी० रंगा : तब तो ठीक है।

पश्चिम बंगाल के पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना

1073. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को उदारतापूर्वक औद्योगिक लाइसेंस देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) पश्चिम बंगाल के कौन-कौन से जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा माना गया है;

(घ) क्या सरकार ने इनमें से प्रत्येक जिले के औद्योगिकी-करण वांछनीयता अथवा सम्भाव्यता का अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) औद्योगिक लाइसेंसिंग का एक मार्गदर्शी सिद्धान्त परियोजना के स्थापना स्थल की मूलभूत आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें फैलना है।

(ग) 13 जिलों अर्थात बांकुरा, वीरभूम, वर्दवान, कूंच बिहार, दार्जिलिंग, हुगली, जलपाइगुड़ी, मालदा, सिदनापुर, मुर्शीदाबाद, नादिया, पुरुलिया, तथा पश्चिमी दीनाजपुर को रियायती वित्त सुविधाएं पाने के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना गया है। उनमें से पुरुलिया, मिदनापुर तथा नादिया को केन्द्रीय निवेश राजसहायता के लिए भी पात्र स्वीकार किया गया है।

(घ) तथा (ङ) इस प्रकार के अध्ययन राज्य स्तर के संगठनों द्वारा किए गए हैं। परियोजना के संबंध में विशिष्ट योजनाओं के लिए संबंधित सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों द्वारा उद्योगों पर आधारित निवेश पूर्व शीर्षस्थ अध्ययन किए जाते हैं।

श्री मुकुन्द मंडल : क्या सरकार ने नामिक तथा सहायक संयंत्रों की स्थापना द्वारा पुरुलिया, मिदनापुर और नादिया के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कोई योजना बनायी है। यदि हां; तो वर्तमान हालात में इस बारे में क्या योजना तथा प्रस्ताव हैं तथा पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों के औद्योगिक तथा आर्थिक पिछड़ापन कितना है ? पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने मंत्री महोदय को यह सुझाव देते हुए लिखा है, कि उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी और दक्षिण बंगाल के बांकुरा जिले में कुछ नामिक संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : सरकार की प्रतिक्रिया निश्चयात्मक है। मेरे निवेदन पर पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने मुझे उत्तर भेजा था। इसने मुख्य मंत्रियों को लिखा है कि कम से कम दो जिलों अथवा क्षेत्रों को चुना जाये जिनमें कि नामिक

संयंत्रों की स्थापना की जा सके । उसके उत्तर में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने दो क्षेत्रों का चयन किया है—बांकुरा और जलपाईगुड़ी को चुना है । क्योंकि ये दो क्षेत्र केन्द्रीय सहायता एवं पूंजी नियोजन के लिए निर्धारित नीति को पूरा नहीं करते, मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से पूछा है कि क्या वह केवल उन्हीं दो क्षेत्रों को चाहते हैं । वे क्षेत्र तथा जिले को केन्द्रीय पूंजी नियोजन और राज सहायता को आकृष्ट करते हैं बहुत आकर्षक है । हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं । माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न के उत्तर में मेरा निवेदन है कि हम मुख्य मंत्री से उत्तर प्राप्त होने के पश्चात ही कार्यवाही कर पायेंगे । हम जिले के लिए एक दल बना रहे हैं जिसे अंतिम रूप मुख्य मंत्री पश्चिम बंगाल के द्वारा दिया जायेगा । औद्योगिक दृष्टि से इन पिछड़े क्षेत्रों में परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता का अध्ययन किया जायेगा ।

श्री मुकुन्द मंडल : यह आम प्रथा है कि निजी क्षेत्र के एवं सरकारी क्षेत्र के उद्योगपति ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करते हैं जहां पर कि उनके लिए आधारभूत ढांचा पहले से उपलब्ध होता है । क्या सरकार उद्योग लगाने के लिए पूर्वी क्षेत्र में परम्परागत औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में उनके लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध करेगी ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ? मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि सरकार द्वारा पूर्वी क्षेत्र के औद्योगिकरण एवं विकास पर कितना धन व्यय किया जायेगा । पिछले पंद्रह अथवा बीस वर्ष से इस उद्देश्य के लिए कितनी पूंजी लगाई गई है ?

मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीरण की संभाव्यत: का अध्ययन किया गया था । क्या मंत्री महोदय उस अध्ययन के प्रतिवेदन की जानकारी हमें देंगे ? उत्तर के (घ) एवं (ङ) भाग में मंत्री महोदय ने बताया है कि ऐसे अध्ययन किये जाते हैं ।

श्री चरणजीत चानना : मैं माननीय सदस्य को पहले ही बता चुका हूं कि कार्यदल द्वारा अध्ययन राज्य के मुख्य मंत्री महोदय द्वारा विचाराधीन क्षेत्रों के बारे में अंतिम निर्णय कर लिए जाने के बाद किया जायेगा । जहां तक माननीय सदस्य की सामान्य टिप्पणियों का प्रश्न है वे प्रश्न से संबद्ध नहीं हैं । क्षेत्रों के तय होने पर हम संयंत्रों के बारे में निर्णय लेंगे । उसके पश्चात संयत्रों के आकार के विषय में भी निर्णय लिया जायेगा ।

श्री जेवियर अराकल : इस प्रश्न का संबन्ध पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक लाइसेंस देने की 1980 की अन्तर राज्यीय नीति से है । 'विखराव संगतता' के बारे में मैं कुछ नहीं जानता । "चल रहे उद्योगों पर पहले से लगी पूंजी" पर दो पाठय पुस्तकीय परिभाषाएं हैं । मुझे भय है कि इस आवरण के अंतर्गत बहुत से परम्परगत उद्योगों, उदाहरणार्थ हथकरघा, माचिस, नारियल-जटा तथा अन्य उद्योगों को इससे हानि होगी । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार अन्य उद्योगों की लाइसेंसिंग प्रणाली को उदार बनाते समय परम्परागत उद्योगों के संरक्षण के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ।

श्री चरणजीत चानना : उत्तर में उद्योग के लाइसेंस दिये जाने की नीति को उदार बनाने की चर्चा नहीं की गई है । जहां तक माननीय सदस्य द्वारा लघु उद्योगों के बारे में किए गए उल्लेख

का प्रश्न है, उन मामलों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी लाइसेंस जारी नहीं किये जाते हैं, जिनमें लघु उद्योगों के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ता हो । जहां तक माननीय सदस्य द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के लिए लाइसेंस जारी किये जाने का प्रश्न है । अप्रैल, 1980 से मार्च 1981 तक कुल जारी किये गये 1058 आशय-पत्रों में से 459 आशय-पत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को जारी किये गये, जोकि लाइसेंसों का 43.4% बैठता है ।

श्री मती सीता मुखर्जी : इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि पश्चिम बंगाल का मिदानपुर जिला केन्द्रीय सरकार की राजसहायता योजना के अंतर्गत आता है तथा इस बात को देखते हुए कि यह पिछड़ा जिला है, जहां हल्दिया पत्तन, राज्य सरकार का नया थर्मल संयंत्र भी स्थित है जिससे कई सहायक उद्योगों को अवसर मिलता है, क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि वह एक कार्य दल का निर्माण करेंगे, जिसमें केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अधिकारी होंगे, जोकि इस जिले के बारे में जहां से मैं आई हूं, एक पूर्ण संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करेंगे ।

श्री चरणजीत चानना : केन्द्रीय सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, माननीय सदस्य इस बात पर ध्यान दें कि राज्य सरकार इसका समर्थन करे तथा उसे अपने हाथ में ले । हमारा राज्य सरकार से केवल यही निवेदन है, कि कम से कम दो स्थलों का चयन किया जाये । हम चाहते हैं, कि राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार तथा अन्य संस्थाएं मिल कर अधिक से अधिक क्षेत्रों का औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के संदर्भ में औद्योगीकरण के प्रयत्न करें ।

श्री के० माल्लन्ना : किसी क्षेत्र को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने के लिए केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार ने भिन्न-भिन्न कसौटियां अपनायी हैं । मेरे अपने जिले में भी दो ताल्लुक हैं जहां पर कि किरलोसकर उद्योग है, बिड़ला के उद्योग हैं तथा चीनी की मिलें हैं, उसे पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है जबकि ऐसे क्षेत्र जहां पर कि कोई भी उद्योग नहीं हैं उन्हें पिछड़ा क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है । क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि किसी क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किये जाने के लिये कौन से मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं तथा क्या उन्हें इस मामले में ताल्लुक को अथवा जिले को इकाई माना है ?

श्री चरणजीत चानना : मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि योजना आयोग ने वर्ष 1968-69 और 1969-70 के दौरान दो अध्ययन दलों की नियुक्ति की थी । इन अध्ययन दलों ने दो बातों को महत्व दिया उन्होंने किसी जिले अथवा ताल्लुक को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किए जाने की कसौटी का निर्धारण किया और दूसरे उन्होंने राज्य सरकारों के साथ मिलकर औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण की प्रक्रिया तैयार की । यह प्रयोग उस इतिहास का एक भाग है । सरकार का अंतिम उपाय एक समिति अर्थात श्रीवास्तव समिति की नियुक्ति इस उद्देश्य से की कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण की फिर से जांच की जा सके तथा उन औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण शुरू हो सके ।

माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न के बारे में कि क्या औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र की इकाई जिला है । अथवा ताल्लुक, वास्तव में यह मामला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया था कि वे इकाई के मामले में स्वयं निर्णय लें ।

कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुये माना गया है। कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां कि कुछ ब्लाकों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुये माना गया है तथा इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुये क्षेत्रों का पता लगाया गया है।

श्री सुनील मैत्रा : मुझे बताया गया है कि 13 जिले ऐसे हैं जिन्हें पिछड़े जिले माना गया गया है और उनमें से 3 ऐसे हैं जो केन्द्रीय राज-सहायता योजना के अधिकारी हैं। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि इन 13 पिछड़े जिलों में नये उद्योग आरम्भ करने के लिए उनके मंत्रालय में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं और उनमें से कितने आवेदन-पत्रों को मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है ?

श्री चरणजीत चानना : मैं नहीं समझता।

अध्यक्ष महोदय : यह इसमें नहीं आता है। इस सवाल का जवाब तो नहीं मिलेगा।

प्रयोग के आधार पर केन्द्रीय स्टोर्स डिपार्टमेंट को मंत्रालय के अधीन करना

*1075. **श्री पी० नामग्याल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्टोर्स डिपार्टमेंट (इण्डिया) को सरकारी विभाग के रूप में विलय करने हेतु 1 अप्रैल, 1977 से तीन वर्ष के लिये प्रयोग के आधार पर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय करने में कितना समय लगेगा;

(ग) क्या सरकार सी० एस० डी० कर्मचारियों को बोनस की अदायगी करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज़ वी० पाटिल) : (क) जी नहीं। यह 1-4-1977 से नियमित सरकारी विभाग है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस बारे में प्राप्त एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

श्री पी० नामग्याल : कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों में मन में जो गलतफहमी थी, वह दूर हो गई है। वह अब नियमित सरकारी कर्मचारी हैं।

1977 से पूर्व, कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को बोनस के लिए तदर्भ-भुगतान की सुविधा उपलब्ध थी।

1 अप्रैल, 1977 से कैन्टीन स्टोर्स डिपर्टमेंट (इण्डिया) को कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट में बदल दिया गया और वर्ष 1977 में 1976-77 के लिये दिये जाने वाले बोनस का तदर्थ भुगतान

पूर्णतया इस तर्क के आधार पर रोक दिया गया कि यह सरकारी विभाग नहीं है।

परन्तु अभी तक इन कर्मचारियों को उनका वेतन भारत की संचित निधि से ही दिया जा रहा है और रक्षा प्राक्कलनों से नहीं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वर्ष 1976-77 से इन्हें बोनस का भुगतान करने पर विचार करेगी ? उन्हें उनके वेतन का भुगतान रक्षा मंत्रालय के प्राक्कलनों से क्यों नहीं किया जाता ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैंने बताया है कि कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को बोनस देने के मामले की जांच की जा रही है। हमें ऐसे तरीके की खोज करनी होगी जिसके माध्यम से उन्हें बोनस दिया जा सके। इसके लिये पहले उत्पादन से सम्बद्ध भोजनाओं का पता लगाना होगा और उसके बाद ही उन्हें बोनस दिया जा सकेगा। उस मामले के सम्बन्ध में अभी तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाये हैं। इसलिए अभी तक बोनस नहीं दिया गया है। जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच जायेंगे, तो उसके बाद ही उन्हें बोनस देने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

श्री पी० नामग्याल : इस प्रश्न पर विचार करने में कितना समय लगेगा ? क्या मंत्री महोदय सदन को यह आश्वासन देगें कि इस मामले का निपटारा जल्दी ही कर दिया जायेगा ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्रीमानजी, यह विचाराधीन है कुछ अन्य संघ भी हैं जो यह चाहते हैं इसके बारे में भी निर्णय साथ ही तथा हमेशा के लिए ले लिया जाना चाहिए। यद्यपि कर्मचारियों के कुछ वर्गों के बारे में सरकार द्वारा निर्णय किया जा चुका है, फिर भी कर्मचारियों द्वारा यह मांग की जा रही है कि सभी कर्मचारियों के सम्बन्ध में निर्णय एक साथ ही किया जाना चाहिए। इसीलिए विलम्ब हो रहा है। हम जल्द से जल्द इसका समाधान करने का प्रयास करेगें।

श्री ई० बालानन्दन : मंत्री महोदय ने बताया कि बोनस देने का प्रश्न विचाराधीन है। क्या मंत्री महोदय इस बात का संकेत देंगे कि इसके बारे में कितने समय में निर्णय कर लिया जायेगा। क्या बोनस की अदायगी भूतलक्षी प्रभाव अर्थात 1977 से की जायेगी ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह मामला विचाराधीन है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद ही मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकूंगा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसके बारे में अन्तिम निर्णय जितना शीघ्र हो सका, ले लिया जायेगा।

तमिलनाडु में सरकारी उपक्रमों की स्थापना

*1076. **श्री एन० डेनिस** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रम खोलने के लिए तमिलनाडु सरकार और केन्द्रीय सरकार के पास योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) केन्द्रीय निवेश राज-सहायता के अंतर्गत आने वाले दोनों क्षेत्रों अर्थात् पुड्डूकोटई तथा डिगुल को राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने के आधार पर अनुषंगी संस्थों सहित परियोजना की सम्भाव्यताओं का पता चगाने के लिए जिनको इन क्षेत्रों में केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास किया जा सके, एक कृतिक बल का गठन किया गया है।

श्री एन० डेनिस : अनेक जिले जिनका वर्गीकरण पिछड़े जिलों के रूप में किया गया था, वह बिना किसी परिवर्तन या सुधार के वर्षों तक पहले की तरह ही पिछड़े रहे आते हैं क्योंकि उनमें औद्योगिक संस्थानों की स्थापना करने के लिए कोई विशेष या ठोस या निश्चित कदम नहीं उठाये जाते। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य के पिछड़े जिलों में उद्योगों की सम्भाव्यता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; क्या सामान्य रवैये के अतिरिक्त इस संबंध में प्रत्येक मामले में कुछ विशिष्ट रवैया भी अपनायेगी जिससे कि क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुरूप विकास कार्य किया जा सके और सन्ध इस प्रकार के पिछड़े जिलों में स्थानीय समितियों का गठन किया जाएगा ? पिछड़े क्षेत्र में एक या अधिक उद्योग स्थापित करने के लिए आधारभूत सुविधायें, सम्भाव्यतायें तथा सम्भावनायें हैं; क्या सरकार उन पिछड़े क्षेत्रों में इस प्रकार के उद्योग स्थापित करने के लिए स्वंय आगे आयेगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए भी कार्य करेगी जिनको राज्य ने पिछड़े क्षेत्र नहीं माना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार पहली बात हम यह कर रहे हैं कि हम पहले उन क्षेत्रों को ले रहे हैं, जिन्हें औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र माना गया है। वास्तविकता तो यह है कि ऐसा हम कृतिक-बल नियुक्त करके कर रहे हैं। यह किसी भी प्रकार से सामान्य कार्य नहीं है; कृतिक-बल का मुख्य कार्य ऐसी परियोजनाओं का पता लगाना होगा जो कि इन जिलों का सम्बद्ध क्षेत्रों में स्थापित की जा सकती है और ऐसा उस क्षेत्र के औद्योगिक सम्भाव्यता तथा वहां की तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता को दृष्टिगत रखते हुए ही किया जाएगा।

श्री एन० डेनिस : तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले का वर्गीकरण आर्थिक-दृष्टि से पिछड़े हुये जिले के रूप में किया गया है, परन्तु वहां सरकारी या निजी क्षेत्र में एक भी उद्योग स्थापित नहीं किया गया है, यद्यपि वहां रबड़ पर आधारित उद्योग तथा टाईटेनियम उद्योग स्थापित करने सम्बन्धी आधारभूत सुविधायें तथा उसकी सम्भावनायें पूर्णतया उपलब्ध हैं। वहां पर रबड़ का प्रति एकड़ उत्पादन देश में सबसे अधिक है। गुणों की दृष्टि से भी इसका स्थान सर्वोपरि है। इसी प्रकार से लगभग 50,000 टन काला इलमिनाईट भी वहां से निर्यात किया जाता है जिसे विदेशों में मूल्यवान टाईटेनियम डायोक्साइड में बदला जाता है। अत: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुये जिलों में रबड़ पर आधारित उद्योग तथा टाईटेनियम उद्योग स्थापित करने के लिए आगे आयेगी ? मैंने अनेक बार सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। है ऐसा लगता है कि इसे क्रियान्वित करने का इनका जोश जिले के बाद जिले की यात्रा करने के साथ-साथ ठंडा हो जाता है और जब तक यह

कन्याकुमारी जैसे दूर-दराज क्षेत्र में पहुंचता है, वहां जाकर यह इतना ठंडा हो जाता है कि क्रियान्वित करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अवहेलना के इस पहलू की ओर भी ध्यान देगी और इस प्रकार से दूर-दराज के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए कदम उठाएगी जिससे कि सरकार के विकेन्द्रीकरण के इरादे को अमली जामा पहनाया जा सके ?

श्री चरणजीत चानना : जहां तक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों के औद्योगीकरण की प्रक्रिया का सवाल है, राज्य सरकार द्वारा जिन दो क्षेत्रों का पता लगाया गया है, उन्हें पहले लिया जाये। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कन्याकुमारी की अवहेलना की जायेगी, सदस्य महोदय के पत्र के उत्तर में मैंने पहले ही उन्हें लिख दिया है कि हम स्थानीय-कच्चे-माल की उपलब्धा पर आधारित उद्योगों को जैसे कि रबड़ आदि, प्रोत्साहन देने के लिए हर अपेक्षित कार्यवाही करेंगे।

बाल श्रमिक

*1077. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है जिन्हें रोजगार करने के लिए विवश किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के क्या परिणाम हैं; और

(ग) बाल श्रमिकों के रोजगार को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आधार पर मार्च, 1978 में कामकाजी बालकों की अनुमानित संख्या 162.5 लाख थी। श्रम ब्यूरों ने भी कारखाना अधिनियम, 1948 और बागान श्रम अधिनियम, 1951 के अधीन चुने हुए संगठित उद्योगों और असंगठित उद्योग में बाल श्रमिकों के बारे में द्रुत सर्वेक्षण किया। यह मालूम हुआ कि अधिकांश काम-काजी बच्चे बहुत गरीब परिवार से आते हैं और वे परिवार की आय को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। उन्हें सामान्यता अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए विवश होना पड़ता है।

(ग) सरकार ने बालकों के नियोजन से उत्पादन होने वाली समस्याओं की जांच करने के लिए फरवरी, 1979 में बाल श्रम समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने दिसम्बर, 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त समिति की सिफारियों पर सरकार के निर्णय के अनुसरण में, योजना और श्रम मंत्री की अध्यक्षता में बाल श्रम सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड गठित किया गया है जो उन उद्योगों और क्षेत्रों की सिफारिश करेगा, जहां बाल श्रम पद्धति को प्रगामी रूप से समाप्त किया जाना चाहिए।

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदया से जानना

चाहती हूं कि क्या सरकार को पूरी जानकारी है कि किस-किस उद्योग में बच्चों को काम पर लगाया जाता है और उन बच्चों को कितने घण्टे काम करना पड़ता है और उनके वेतन के लिए कानून में क्या व्यवस्था है ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : लेबर के सर्वे के अनुसार चाय-बागान, कैश्यू प्रोसेसिंग, बीड़ी उद्योग, फिशिंग, मैच बाक्स, हैण्ड-लूम, होटल, रेस्टोरेंट, रिपेयर शाप्स आदि जगहों पर बालक मजदूरों को लगाया जाता है और खेती कार्य में भी लगाया जाता है। इनकी अधिक संख्या शहरों से ज्यादा देहातों की तरफ है। जहां तक वर्किंग आवर्स का सवाल है, फैक्ट्रीज एक्ट के मुताबिक साढ़े चार घंटे बालक मजदूरों से काम लिया जा सकता है और प्लांटेशन एक्ट के अनुसार 40 घन्टे एक सप्ताह में काम लिया जा सकता है। लेकिन लेबर ब्यूरो ने जो सर्वे किया है, उसके अनुसार बालक मजदूरों को प्लांटेशन में 40 घन्टे प्रति सप्ताह से ज्यादा काम करते हुए देखा गया है और कारखानों में भी उन्हें 6-8 घन्टे तक काम करते हुए देखा गया है।

जहां तक उनकी मजदूरी का सवाल है, बालक मजदूरों को चाय बागान में 99 पैसे से लेकर 3.05 रुपए तक प्रतिदिन मजदूरी मिलती है। गुड मेकिंग फैक्ट्रीज में तमिलनाडु में बालक मजदूरों को 1.22 रुपये से लेकर 5-7 रुपये प्रतिदिन तक मजदूरी दी जाती है। केरल में बीडिंग, प्लकिंग, मेन्युरिंग आदि में जो बच्चे काम करते हैं उनको 4·80 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है। तमिलनाडु में 4.86 रुपये की दर से प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है और आसाम तथा वेस्ट-बंगाल में उनको 2.95 रुपये से लेकर 3.34 रुपये तक प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है।

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : आपने सब स्टेट्स का और सब विभागों का ब्यौरा दे दिया है। इसके अलावा मैं जानना चाहती हूं कि इन श्रमिक बच्चों का शोषण होते हुए हम देखते हैं, जो उद्योगपति, शोषक लोग इन बच्चों पर अन्याय करते हैं, उनके लिए आपने कुछ करने के बारे में सोचा है या नहीं ? खास तौर पर मिलों में और खदानों में काम करने वाले और होटलों में काम करने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए आपने कुछ तय किया है या नहीं ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : जहां तक हमारे संविधान के आर्टिकल 24 का सम्बन्ध हैं, उसमें लिखा है :—

"14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को किसी कारखाने अथवा खान में नौकर न रखा जायेगा और न किसी दूसरी संकटमयी नौकरी में लगाया जायेगा।"

आर्टिकल 39 के मुताबिक "श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों का स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों;" उनके प्रोटेक्शन के लिऐ विभिन्न एक्ट बने हुए है, जैसे :—

(1) बाल श्रम गिरवीकरण; अधिनियम, 1933 (2) बाल नियोजन अधिनियम, 1938 (3) न्यूनतम मंजूरी अधिनियम, 1948 (4) कारखाना अधिनियम, 1948 (5) बागान

श्रम अधिनियम, 1951 (6) खान अधिनियम, 1952 (7) वाणिज्यिक नौपरिवहन अधिनियम, 1958 (8) मोटर परिवहन कर्मकार अनिनियम, 1962 (9) शिशु अधिनियम, 1961 (10) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (11) बीड़ी तथा सिगार कर्मगार। नियोजन सेवा शर्त। अधिनियम, 1966 (12) तथा विभिन्न राज्यों में बनाये गये दुकान तथा वाणिज्य स्थापन अधिनियम। यह विभिन्न तमाम नियम उनके हितों के लिये हैं और उनकी वेजेज को देखा जाता है।

"रोजगार प्राप्त करने की न्यूनतन आयु 12 से 15 वर्ष, (ख) काम करने के घन्टों की सीमा (ग) रात को कार्य करने पर प्रतिबन्ध (घ) संकटमयी व्यवसायों में बालकों को रोजगार देने पर प्रतिबन्ध"।

अध्यक्ष महोदय : इनका अर्थ क्या है ? यह लागू भी होते हैं कि नहीं।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, जो एक्ट बने हैं वह लागू होते हैं कि नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अलाऊ नहीं किया है, बल्कि सत्यनारायण जटिया को अलाऊ किया है।

श्री सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, बावजूद संवैधानिक निषेध के बालक श्रमिक काम करते हैं और अपनी पारिवारिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण उनको काम करने के लिये मजबूर होना पड़ता है। बालक श्रमिक से पूरा काम भी लिया जाता है, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जब उनसे पूरा काम लिया जाता है तो पूरा वेतन और संरक्षण देने के बारे में कोई नियम या कानून बनाया जायगा जिससे पूरा वेतन उनको मिल सके ?

अध्यक्ष महोदय : प्रावधान तो है, उसको लागू किया जायगा कि नहीं यह पूछिये।

श्री सत्यनारायण जटिया : हाँ, यही पूछना चाहता हूं कि कानून को लागू किया जायगा कि नहीं, उनको पूरा वेतन दिया जायगा कि नहीं।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : अध्यक्ष जी, इन तमाम प्रावधानों के बावजूद भी यह देखा गया है कि उससे उनको अधिक फ़ायदा नहीं हो सका है, उनकी सुरक्षा नहीं हो सकी है, उनके वेतन में बढ़ोतरी नहीं हो सकी। इसलिये एक सैन्ट्रल लेवर ऐडवाइजरी बोर्ड का गठन हुआ है जिसकी 31 मार्च, 1981 को पहली मीटिंग हुई और वह ऐडवाइजरी बोर्ड 3 ग्रुप्स में बांट दिया गया है जो जगह-जगह जा कर के इन तमाम आस्पेक्ट्स को देखेगा और उसके बाद शीघ्रता से अपनी रिपोर्ट देगा। उसके बाद सरकार द्वारा विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय : टारगेट कोई मुकर्रर है कि नहीं ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : मैंने कहा कि शीघ्रता से रिपोर्ट देगा।

शिमला स्थित सेना मुख्यालय में आग

श्री बी० वी० देसाई :

*1078. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिमला स्थित सेना मुख्यालय में तोड़-फोड़ करने वालों द्वारा 11 अप्रैल, 1981 को आग लगा दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी कारण का पता लगा है;

(ग) उसमें कुल कितनी क्षति हुई; और

(घ) इन स्थानों पर सुरक्षा प्रबन्ध कड़े करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) 11 अप्रैल, 1981 को शिमला स्थित पश्चिम कमान के सेना मुख्यालय के भवन में आग लग गई थी। आग लगने के कारण और उससे हुए नुक्सान का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच अदालत जांच कर रही है। इस जांच अदालत की जांच समाप्त होने के बाद ही आग लगने के कारण और नुक्सान की कुल मात्रा का पता लग सकता है।

(घ) वहां पर पहले से ही समुचित सुरक्षा उपाय किए हुए हैं।

श्री वी० बी० देसाई : महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा है उसके उत्तर में मन्त्री महोदय का कहना है कि वहां पर समुचित उपाय किए गये हैं। इन सब सुरक्षा उपायों के होते हुए मुख्यालय भवन में आग लग गई। अतः वहां पर कोई समुचित उपाय किए ही नहीं गये हैं। उन्हें कुछ और उपाय करने होंगे।

दूसरे प्रश्न के इस अंश के बारे में उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया हैं कि क्या यह कोई तोड़-फोड़ की कार्यवाही है। क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि यह तोड़-फोड़ कार्यवाही है ? यदि हां तो, क्या इसमें किसी विदेशी तत्व का हाथ है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, उनके प्रश्न का भाग (घ) बड़ा ही प्रसंगोचित है जिसमें यह कहा गया है :

"(घ) इन स्थानों पर सुरक्षा को कड़ा करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?"

प्रश्न तो सुरक्षा का है और मैंने बताया है कि हमने वहां पर सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए हुए हैं। वहां चार द्वार हैं जिनसे होकर बाहर के लोग मुख्यालय में जाते हैं। चारों ही द्वारा पर सेना के अधिकारियों और जवानों का पहरा रहता है। अतः बाहरी लोगों से भवन को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं। अभियोग अन्वेषक न्यायालय द्वारा जांच हो रही है और विदेशी हाथ होने या न होने के बारे में कुछ कहना इस समय सही नहीं होगा। हम चुप नहीं बैठ गए हैं, परन्तु सुरक्षा उपायों और अन्य बातों के कारण हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। हो सकता है इसमें कोई विदेशी हाथ न रहा हो।

श्री बी० वी० देसाई : मैं जानना चाहूंगा कि इसमें कितनी हानि हुई। मेरा प्रश्न केवल हानि की मात्रा के ही बारे में नहीं था, परन्तु गुणवत्ता के आधार पर भी हुई हानि के बारे में मैं जानना चाहता था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई महत्वपूर्ण फाइलें या दस्तावेज भी नष्ट हुए थे और यदि हां तो वे कौन से हैं ? जब मामले की अभियोग अन्वेषक न्यायालय जांच कर रहा है तो क्या मन्त्री सहोदय के लिए ये बातें बताना सम्भव है ? इस विषय में वे क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय यह बड़ा ही प्रसंगोचित प्रश्न है। मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि इस अग्निकांड में कोई महत्वपूर्ण कागज-पत्र नहीं नष्ट हुआ है। वहां रखे हुए कुछ गैर-महत्वपूर्ण दस्तावेज जल गये हैं, परन्तु उनमें महत्वपूर्ण कोई नहीं है।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रति सप्ताह अग्नि शमन ड्रिल के लिये कुछ स्थायी आदेश और प्रक्रिया हैं और क्या इस अभ्यास का अनुपालन किया गया था या नहीं ? दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अग्निशमक उपस्कर उपयोग करने योग्य था और क्या यह सच नहीं है कि आग का पता किसी असैनिक व्यक्ति ने लगाया ? उसके कितनी देर बाद अग्निशमक उपस्कर वहाँ पहुंचा ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय उस स्थान पर आग बुझाने वाला कुछ समान हमारे पास अवश्य था और कुछ नगर में भी उपलब्ध था। उस समय आग को बुझाने के लिए उस तमाम उपस्कार को प्रयोग में लाया गया था। आधे घण्टे में ही सभी असैनिक और अन्य अधिकारी वहाँ जमा हो गए। वहां उपलब्ध साज-सामान तो प्रयोग में लाया गया और अन्य स्थानों से लाकर भी उपस्कार प्रयोग में लाया गया।

महोदय, हम हर समय अभ्यास या ड्रिल नहीं करते परन्तु सामान/उपस्कर तो तैयार रखा जाता है। हमारे पास उपस्कर तो है ही। जल के पाइप और अन्य बहुत सी चीजें हमारे पास है। वहां पर निम्नलिखित अग्निशमक उपस्कर उपलब्ध हैं :—

(1) टी० एफ० पी०	
(2) अग्निशामक	207
(3) आग्नि पर्यवेक्षक	1
(4) लीडिंग हैन्ड फायर	4
(5) फायर इंजिन ड्राइवर	4
(6) फायर मैन	7
(7) फायर हाइड्रेन्टस पिल्लर टाइप	13
(8) फायर हाइड्रेन्टस वाल टाइप	22

यह सभी उपस्कर वहाँ है। यह एक लकड़ी के फट्टों का बना हुआ भवन ऐसे क्षेत्र में था जहां काफी तेज हवा चलती और एक जब यह आग पकड़ ले तो इसे बुझाना कठिन हो जाता है और आग भी ऊपर से आरम्भ हुई। अतः इसे बुझाना कठिन हो गया।

बिहार में मधुबनी और पालामऊ जिलों में उद्योगों की स्थापना

1079. **श्री भोमेन्द्र झा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहन समेकित औद्योगीकरण के लिए बिहार के मधुबनी और पालामऊ जिलों का चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं अथवा किए जो रहे हैं और इनके विकास के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना करने के लिए उद्योग विभाग के अधिकारियों तथा स्वतः रोजगार चाहने वाले युवकों की एक बैठक 19-20 अप्रैल, 1981 को हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) मधुबनी तथा पालामऊ जिलों में जिन्हें राज्य सरकार ने एक केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के लिए चुना है, सभी प्रकार की परियोजनाओं के संबंध में जिनका कि सहायक एवं लघु उद्योग विकास के अधिकतम संबध हो, अपनी रिपोर्ट दो महीनों के अंदर ही दे देने हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के एक कृतिक बल (टास्क फोर्स) की स्थापना की है।

(ग) और (घ) 20 अप्रैल, 1981 को राज्य उद्योग विभाग तथा लघु उद्योग विकास निगम के अधिकारियों द्वारा लघु उद्योगों की स्थापना करने में बेरोजगार स्थानीय युवावर्ग के लोगों का मार्गदर्शन करने के लिये मधुबनी में एक गहन अभियान आयोजित किया गया था। इस अभियान में 400 से अधिक लोग शामिल हुए थे। स्थानीय जिला उद्योग केन्द्र द्वारा अनन्तिम रूप से 154 पंजीकरण किये गये।

श्री भोगेन्द्र झा : प्रश्न के भाग (क) और (ख) के बारे में मैं यह जानना चाहूंगा : इस पूर्ण-गहन केन्द्रस्थ संयन्त्र कार्यक्रम को स्थापित करने के लिए सरकार ने कौन से विशिष्ट प्रावधान अपनाने का निर्णय लिया है। सरकार कौन से विशिष्ट कदम उठाने जा रही है और वह कौनसी भूमिका निभायेगी ? क्या यह सरकारी क्षेत्र को, या निजी क्षेत्र को सौंपा जायेगा अथवा वहां पर कुटीर उद्योगों या लघु उद्योगों की स्थापना की जायेगी। मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं तथा यह भी जानना चाहता हूं कि किस प्रकार से उस क्षेत्र के लोग इसमें सहयोग दे सकते हैं तथा इन योजनाओं से लाभ उठा सकते हैं। मेरे ये प्रश्न हैं।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : यह पता लगाना तो कृतिक बल का मुख्य-कार्य है कि इन क्षेत्रों की तकनीकी आर्थिक क्षमता के अनुसार, उन क्षेत्रों में कौन सी परियोजनाएं लागू की जा सकती हैं। जैसा कि मैं अपने मुख्य उत्तर में पहले ही कह चुका हूं, मेरे विचार से दो मास में, औद्योगिकरूप से पिछड़े रूप में, पहचाने गये और इस उद्देश्यार्थ राज्य सरकार द्वारा भी खोजे गये इन दोनों क्षेत्रों में हम विशिष्ट परियोजनाओं को अन्तिम रूप देने में सफल रहेंगे।

श्री भोगेन्द्र झा : प्रश्न यह था कि क्या यह सरकारी क्षेत्र में होगा या निजी क्षेत्र में। मैं यही जानना चाहता था। प्रश्न तो यह था।

श्री चरणजीत चानना : सच तो यह है कि परियोजनाओं के पहचाने के बाद ही प्रवर्तक के अंश (क्या यह सरकारी क्षेत्र होगा या नीजी क्षेत्र में आदि) का निर्णय लिया जायेगा। बिहार में तो सरकारी क्षेत्र पहले से ही क्षमता से इतना कम कार्य कर रहा है कि हम इन दोनों एककों

को इन दोनों क्षेत्रों में सहायक सामान बनाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। कृतिम-बल रिपोर्ट पर ही यह निर्भर करेगा कि बकाया इसमें सरकारी क्षेत्र भाग लेगा या निजी क्षेत्र।

श्री भोगेन्द्र झा : वह क्षेत्र देश के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। दूसरी ओर आपके पास मधुबनी है जो कि देश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में से एक है। यह तो मन्त्री महोदय को भी पता होगा ! बिजली की उपलब्धता और उपभोग उस क्षेत्र में सबसे कम है। यह बिहार के और देश के अन्य क्षेत्रों की औसत का 1/10 है। अत: अपने प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के बारे में यह सूचना चाहता हूं। विचार गोष्ठी में लगभग 400 युवा उद्यमियों ने भाग लिया था और उन्होंने इन स्वयं-रोजगार योजनाओं में काम करने और वहां उद्योग लगाने के लिए अपनी सेवाएं अर्पित की, वे चाहे सरकारी क्षेत्र में हो या निजी अथवा लघु-उद्योग हों। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे क्या विशिष्ट सहायता या प्रोत्साहन देने जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि उस क्षेत्र के लोगों के पास अधिक तकनीकी ज्ञान नहीं है। वहां पर विद्युत का महा अकाल है। उस क्षेत्र में विद्युत उपलब्ध ही नहीं होती है। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि उस क्षेत्र को सहायता पहुंचाने के लिए, उन लोगों को सहायता देने के लिए जो इन स्वयं रोजगार योजनाओं में कार्य करने को उत्सुक हैं, सरकार कौन से विशिष्ट कदम उठाने जा रही है। उनका कहना है कि वे खेती से बेकार बची वस्तुओं, खाद्य उत्पादों, चमड़े आदि को उपयोग में ला सकते हैं। ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनका वहां बाहुल्य है। इस सम्बन्ध में सरकार कौन से विशिष्ट कदम उठाने जा रही है ?

श्री चरणजीत चानना : जन-शक्ति, कच्चे-माल की उपलब्धता, विद्युत का न मिलना आदि को मिलाकर उन सभी बातों पर जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, और जो कि उस क्षेत्र में नये उद्योगों की स्थापना से सम्बंद्ध हैं, उस क्षेत्र में लग सकने वाली परियोजनाओं की किस्म की पहचान करते समय विचार किया जायेगा। माननीय सदस्य स्वयं भी बड़े जोर-शोर से उस विचार-गोष्ठी में सम्मिलित हुए थे। हम उस तरह के औद्योगिक नेतृत्व का स्वागत करते हैं। उन छोटे उद्यमियों ने जिन्होंने विचार-गोष्ठी में भाग लिया था जिन उद्योगों को अपनाने के लिये कहा था वे मुख्यत: पांच वर्गों के हैं :—

यान्त्रिक अभियान्त्रिकी	50 मदें
रसायनिक अभियान्त्रिकी	62 मदें
शीशे और चीनी मिट्टी के काम	25 मदें
धातुकर्मीय	21 मदें
चमड़ा	18 मदें
कुल	184 मदें

ये वे 184 मदें हैं जिनको चुना गया था। इस सम्बन्ध में जो अनुसरणात्मक कार्यक्रम तैयार किया गया था हम उसके अनुसार कार्यवाही कर रहे हैं। माननीय सदस्यों को भी यह ज्ञात होगा। 25 मई, 1981 को वे स्वयं अपनी एक बैठक बुला रहे हैं जब वे अगली कार्यवाही पर निर्णय लेंगे। उसके बाद ही अगली कार्यवाही होगी।

प्रो० के० के० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, बिहार पिछड़ेपन और गरीबी का समानार्थक बन गया है और बिहार में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनमें आज भी पीसकर रख देने वाली तथा दीन-हीन गरीबी है। उदाहरणस्वरूप एक जिला है जिसे भोजपुर कहा जाता है, वह सभी प्रकार की उग्रवादी गतिविधियों का आश्रयस्थल बन गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इन दोनों जिलों को ही गहन औद्योगिकीकरण के लिए चुनाव करने का क्या मापदण्ड था और भोजपुर जो कि बिहार का सबसे अधिक पिछड़ा जिला है उसका चुनाव क्यों नहीं किया गया, विशेषकर इस बात को ध्यान में रखकर कि यह उग्रवादी गतिविधियों का आश्रय स्थल बन गया है तथा वहां एक ऐसी खतरनाक स्थिति है जो किसी दिन भी हिंसा के रूप में विस्फोट कर सकती है।

श्री चरणजीत चानना : जहां तक औद्योगिकीकरण की योजनाओं का सम्बन्ध है, हम देश में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ना चाहते हैं जो औद्योगिक रूप में पिछड़ा हुआ हो। परन्तु जहां तक इन दो जिलों के चुने जाने और भोजपुर को छोड़ देने का सम्बन्ध था, यह काम तो बिहार के मुख्यमंत्री से हमारे निवेदन के उत्तर में बिहार की राज्य सरकार ने किया था। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मेरा उनको सुझाव है कि इस विशिष्ट मुद्दे पर उन्हें बिहार के मुख्य-मंत्री से बात-चीत करनी चाहिये।

श्री धनिक लाल मंडल : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या मधुबनी जिले के पंडौल क्षेत्र में स्पिनिंग मिल खोलने की योजना है ? यह मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि देश के सभी लोग जानते हैं मधुबनी खादी का बहुत बड़ा केन्द्र है। अभी नहीं, स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में भी खादी का बहुत बड़ा केन्द्र है था···(**व्यवधान**)···

प्रो० के०के० तिवारी : मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था। उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है। कृपया बैठ जाइये। अब मैं श्री मंडल को अपना प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहा हूं। आप कृपया बैठ जाइये।

श्री धनिक लाल मंडल : मैंने यह पूछा कि क्या मधुबनी जिले के पंडौल में मंत्री महोदय स्पिनिंग मिल खोलने जा रहे हैं क्यों कि पंडौल और मधुबनी ये चरखा और खादी के देश में सब से बड़े केन्द्र रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से वहां 2 लाख कत्तिन और कत्तिनें हैं और वैसे ही हथकरघा का वह बहुत बड़ा केन्द्र है, यदि आप वहां स्पिनिंग मिल खोलेंगे तो उस पर बड़ा गहरा आघात होगा और वह सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई योजना उनकी है ? अगर ऐसी योजना है तो क्या सर्व सेवा संघ और सर्वोदय वालों ने उसका विरोध किया है ?

श्री चरणजीत चानना : महोदय, कृतिक-व्रत द्वारा कार्यवाही करते समय माननीय सदस्य के मूल्यवान सुझावों पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रो० तिवारी को भी उत्तर दें।

श्री चरणजीत चानना : माननीय सदस्य का कहना है कि मैंने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। मैं तो उनके प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को चुनने के मापदण्ड का निर्णय 1969-70 में योजना आयोग द्वारा नियुक्त किए गये दो कार्यकारी दलों ने लिया था मेरा विचार था। कि माननीय ने वह क्षेत्र उद्धृत किया था। परन्तु औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए कुल क्षेत्रों की संख्या में से यह चुनाव करने का काम मुख्यमंत्री महोदय और राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया था कि प्रथम चरण में कम से कम दो औद्योगिक रूप में पिछड़े हुए क्षेत्र ऐसे चुने जहां पर औद्योगिकीकरण की योजनाओं को इस प्रकार हाथ में लिया जा सके कि यह केन्द्रस्थ योजनाओं को भी यथाशीघ्र चालू करके कार्य को समाप्त कर सके।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

स्टेनलैस स्टील के सामान का मूल्य

*1074. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेनलैस स्टील के सामान निर्माता बार-बार इनका मूल्य बढ़ा देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या भूमिका है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) चूंकि स्टेनलैस स्टील की वस्तुओं पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है, अतः इनके मूल्यों में समय-समय पर घटा-बढ़ी हो सकती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

वैज्ञानिकों के लिए संशोधित पदोन्नति नीति

*1081. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा अनुसंधान संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिकों के लिए, इस वैज्ञानिक संवर्ग में कथित नैराश्य की भावना को समाप्त करने के उद्देश्य से हाल ही में पदोन्नति की नीति में संशोधन किया है;

(ग) अब तक इस योजना के परिणामस्वरूप कितने वैज्ञानिकों को लाभ प्राप्त हुआ है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) (1) संशोधित कार्मिक नीति के अनुसार, 5, 4, और 3 वर्ष की सेवा वाले समूह 'क' अधिकारियों और वर्तमान समूह 'ख' अधिकारियों को अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नत करने के मामले में उनके कार्य-निष्पादन के आधार पर विचार करना होता है।

(2) वैज्ञानिक 'बी' से वैज्ञानिक 'ई' स्तर में पदोन्नतियां रिक्त स्थानों की संख्या के साथ

सम्बद्ध नहीं होती हैं। ये पदोन्नतियां पदों का दर्जा बढ़ाकर की जाती हैं। निदेशक II (वैज्ञानिक 'एफ') और निदेशक-I (वैज्ञानिक 'जी') पदोन्नतियां रिक्त स्थानों पर निर्भर करती हैं।

(ग) मूल्यांकन बोर्ड की 1980 में हुई बैठक में विभिन्न ग्रेडों में 961 अधिकारियों की पदोन्नति की अनुमति दी गई।

समुद्र तल में खनन के लिए विदेशी सहायता

*1082 **श्री जनदंन पुजारी :**

श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र विज्ञान के वैज्ञानिकों ने समुद्र तल में खनन हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के सरकार के निर्णय पर अप्रसन्नता जाहिर की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) सरकार समुद्र तल खनन के लिए न तो सहायता ले रही है और न ही सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। बहरहाल, सरकार संघीय जर्मन गणराज्य से प्राप्त वित्तीय सहायता से निर्जीव संसाधनों समुद्र तल से प्राप्त खनिज पिंडों पर अध्ययन सहित) से संबंधित अनुसंधान और विकास के लिए एक (समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान प्राप्त कर रही है।

नौसेना में बी-ग्रेड लिपिक

*1083. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रक्षा मंत्री नौसेना में बी-ग्रेड लिपिकों के बारे में 25 मार्च, 1981 के अतरांकित प्रश्न संख्या 4923 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरूप नौसेना के बी-ग्रेड के भूतपूर्व लिपिकों का उच्च श्रेणी लिपिकों के रूप में वर्गीकरण करने का निर्णय करने में गत छः महीनों की अवधि में क्या विशेष प्रयास किये गये हैं;

(ख) यदि बार-बार मांग किये जाने के बावजूद कोई विशेष प्रयास नहीं किये गये हैं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है; और

(ग) क्या अब कोई निर्णय ले लिया गया है और यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय के निहितार्थ पर अब विचार कर लिया गया है और नौसेना के भूतपूर्व 'बी' ग्रेड लिपिकों को उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में पुन वर्गीकृत करने का निर्णय किया गया है। इस बारे में सरकारी आदेश शीघ्र ही जारी कर दिए जाएंगे।

दिल्ली में उड़ीसा से आये आदिवासी श्रमिक

*1084. **श्री मनमोहन टुडू** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा के क्योंझर और मयूरभंज जिलों और बिहार के चाईबासा, चक्रधरपुर, जमशेदपुर छोटा नागपुर और मनोहरपुर क्षेत्रों से हजारों आदिवासी श्रमिक रोजगार दिलाने वाले गिरोहों और ठेकेदारों के शोषण के शिकार हुए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में उनके साथ बंधुआ श्रमिकों का सा व्यवहार किया गया है और उन्हें कोई मजूरी नहीं दी जाती;

(ग) क्या यह भी सच है कि हाल में जमशेदपुर से लाऐ गऐ और दिल्ली में अशोक होटल व अन्य स्थानों पर भवन निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को नियमित रूप से मजूरी का भुगतान नहीं किया जाता;

(घ) यदि हां, तो देश के विभिन्न स्थानों पर प्रवासी श्रमिकों और बंधुआ श्रमिकों के रूप में कार्य करने वाले उन आदिवासियों की रक्षा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां। सरकार ने इस आशय की प्रैस रिपोर्टें देखी हैं और संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे इस मामले की जाँच करें। उड़ीसा सरकार ने इस आरोप से इन्कार किया है जबकि बिहार सरकार से रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि यह सच नहीं है। प्रायः ऐसे श्रमिक प्रवासी श्रमिक होते हैं।

(ग) जी, नहीं, जैसा कि सूचना संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त हुई है।

(घ) और (ङ) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 को लागू करके बन्धुआ श्रम पद्धति पूरे देश में समाप्त कर दी गई है, सभी बन्धुआ श्रमिकों को मुक्त किया गया है और उनके ऋणों को समाप्त कर दिया गया है। मुक्त कराये गए बन्धुआ श्रमिकों को राज्यों द्वारा अपनी योजनाओं और केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत पुनर्वासित किया जाता है। इस उद्देश्य हेतु केन्द्र द्वारा संचालित विशिष्ट योजना भी है।

अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियम और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 को लाभ करके प्रवासी श्रमिको के लिए आवश्यक एहतियाती उपाय किए गए हैं।

हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार संवाददाता

*1085. **श्री सतोश अग्रवाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के एक साप्ताहिक के दिल्ली संवाददाता श्री वी० एम०

भंडारी को हाल ही में हरियाणा पुलिस द्वारा पहाड़गंज में उनके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि पत्रकार पड़ौसी राज्य की पुलिस द्वारा गिरफ़्तार किया गया था;

(ग) यदि हां, तो गिरफ़्तारी दिल्ली पुलिस द्वारा क्यों नहीं की जा सकी और क्या हरियाणा पूलिस दिल्ली पुलिस को मामले की इत्तला दिये बिना दिल्ली में कोई गिरफ्तारी कर सकती है; और

(घ) क्या दिल्ली पुलिस की पूर्वानुमति इस मामले में प्राप्त की गई थी और यदि हां, तो किस आधार पर ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) बम्बई से प्रकाशित एक साप्ताहिक के सम्पादक श्री वी० एम० भंडारी को सरकारी रहस्य अधिनियम की धारा3/7 के अधीन थाना एन० आई० टी० फरीदाबाद मामला एफ आई आर संख्या 191 दिनांक 10-4-81 को जांच पड़ताल में शामिल करने के लिए हरियाणा पुलिस ने बुलाया था और उसी दिन फरीदाबाद में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 11-4-1981 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरीदाबाद के सामने पेश किया गया। उन्हें दिल्ली से बुलाया गया था और फरीदाबाद में गिरफ्तार किया गया था।

(ग) और (घ) दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार पुलिस अधिकारी जांच पड़ताल के लिए व्यक्तियों को बुला सकते हैं और देश में कहीं भी संज्ञेय मामलों में वांछित व्यक्तियों को गिरफ्तारियां भी कर सकते हैं। चूंकि यह मामला हरियाणा में दर्ज किया गया था, इसलिए गिरफ्तारी हरियाणा पुलिस ने की थी और इस प्रयोजन के लिए दिल्ली पुलिस की पूर्वानुमति लेना जरूरी नहीं था।

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि को वसूल करने के लिए कानून में संशोधन

*1086. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नियोजकों से 24 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वसूल करने में अत्यन्त कठिनाई महसूस कर रहा है क्योंकि वर्तमान कानून बहुत धीमी गति से चलता है और इसे बहुत ज्यादा समय लगने वाली प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बकाया राशियों की वसूली के सम्बन्ध में इस कानून के उपबन्धों में किसी संशोधन पर विचार किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस प्रकार का कानून कब तक पुरःस्थापित किया जायेगा।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) यह सच है कि कुछ नियोजकों ने कर्मचारी भविष्य निधि, परिवार पेंशन निधि और कर्मचारी जमा सम्बद्ध (लिंक्ड) बीमा निधि में अंशदान, प्रशासनिक प्रभारों, निरीक्षण प्रभारों और कुछ अन्य बकाया देय राशि मुख्यत: औद्योगिक यूनिटों की रुग्णता, प्रतिष्ठानों के बन्द होने, कम्पनियों के दिवालिया हो जाने के कारण जमा हुई है। कानून की अपर्याप्तता और बहुत ज्यादा समय लगने वाली प्रक्रियाओं के कारण भी देरी हुई है और बकाया राशि को वसूल करने में कठिनाई आई है।

(ख) और (ग) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण अधिनियम, 1952 में उचित रूप से संशोधन करने के प्रस्तावों पर सक्रिय विचार किया जा रहा है ताकि बकाया राशि की वसूली और दांडिक उपबन्धों को अधिक कारगर बनाया जा सके। आशा है कि संशोधी विधेयक को शीघ्र संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

अन्तर-राज्यीय विकास परियोजनाओं सम्बन्धी स्थायी समितियों का गठन

*1087. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने अन्तर-राज्यीय विकास परियोजनाओं संबंधी स्थायी समितियों का गठन करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो पूर्वी राज्यों से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है और उन समितियों के कृत्यों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 11 अप्रैल, 1981 को मंगटोक में हुई पूर्वी क्षेत्र परिषद की पिछली बैठक में अन्तर-राज्य विकास परियोजनाओं के लिए एक स्थायी समिति गठित करने का सुझाव दिया गया है। इस समिति के गठन से सम्बन्धित ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

पालघाट को पिछड़ा हुआ जिला घोषित करना

*1088. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केरल में पालघाट को एक पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया जायेगा ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्रीनारायण दत्त तिवारी) : पिछड़े क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित राष्ट्रीय समिति ने औद्योगिक प्रकीर्णन के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी इस समय राज्य सरकारों, सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों और वित्तीय संस्थाओं के परामर्श से जांच की जा रही है। इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा राय कायम किये जाने के बाद केरल में पालघाट जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने के लिए निर्णय किया जाएगा।

जिला उद्योग केन्द्र

*1089. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे उद्देश्य जिनके लिये जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गई थी, प्राप्त कर लिये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो जिला उद्योग केन्द्रों की असफलता के क्या कारण हैं और उनको दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि जिला उद्योग केन्द्रों की सिफारिशों का राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) आंशिक रूप में।

(ख) कमजोर क्षेत्रों को सबल बनाने अर्थात् परियोजनाएं तैयार करने तथा मार्ग-दर्शन के लिये सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रानीखेत छावनी में पेय जल की सुविधाओं में सुधार करना

*1090. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीखेत (उत्तर प्रदेश) के छावनी क्षेत्र में पेय जल प्राप्त करने में कठिनाई को देखते हुए वहां पेय जल की स्थिति में सुधार करने की कोई योजना उनके मंत्रालय के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कब से विचार हो रहा है; और

(ग) इसकी क्रियान्विति कब तक आरम्भ कर दी जायेगी ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) रानीखेत छावनी को पानी की पूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव सितम्बर 1980 से विचाराधीन है।

(ग) इस योजना में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा एम० ई० एस० को पानी की पूर्ति करने के लिए अतिरिक्त पावर जेनरेटर लगाने भी शामिल हैं। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जल निगम से प्राप्त एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। ऐसी सम्भावना है इस योजना के लिए सरकार की मंजूरी मिलने के बाद,पूरे होने में 2 वर्ष का समय लगेगा।

देश में ट्रक चेसिस की कालाबाजारी

*1091. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में देश में ट्रक चेसिस की कुल मांग कितनी रही है;

(ख) गत दो वर्षों से भारत में निर्माताओं द्वारा मांग की तुलना में कितने ट्रक चेसिस सप्लाई किये गये और कितने चेसिसों का निर्यात किया गया है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस समय एक ट्रक चेसिस लेने के लिए काला बाजार में तीस हजार रुपये से अधिक देने पड़ते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) मुख्य रूप से टाटा और अशोक लेलैंड ट्रकें चेसिसों की माँग है जिसे ग्राहक अधिक पसन्द करते हैं। निर्माताओं ने अपने पास बुक की गई ट्रक चेसिसों के बारे में निम्नलिखित ब्यौरा बताया है :—

	निर्माता	1979-80	1980-81
1.	अशोक लेलैंड लि०	15,171	20,135
2.	टेल्को	49,496	53,945
			(31.12. 1980 तक)

(ख) निर्माताओं द्वारा बताया गया ब्यौरा निम्नलिखित है :—

	निर्माता का नाम	1979-80 की गई सप्लाई		1980-81 की गई सप्लाई	
		देशी	निर्यात	देशी	निर्यात
1.	अशोक लेलैंड लि०	5,651	257	5,427	152
2.	टेल्को	20,469	2,075	25,564	1,842

(ग) तथा (घ) निर्माताओं ने बताया है कि किसी ग्राहक को उनके विक्रेताओं को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार के ध्यान में लाई गई अनियमितता के विशिष्ट मामले जाँच के लिये निर्माताओं को भेजे जाते हैं। हेराफेरी रोकने के लिए 9 अप्रैल, 1981 से वाणिज्यिक गाड़ियों की प्रारम्भिक खरीद की तारीख से दो वर्ष की अवधि से पूर्व इन को पुनः बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

रेलवे द्वारा बन्डी बन्दर में सेना को पट्टे पर दी गई अतिरिक्त भूमि की बिक्री

9880. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में वन्डी बन्दर में रेलवे भूमि को जिसे रेलवे अपने विस्तृत विस्तार के लिए उपयोग में लाना चाहती थी, रेलवे द्वारा वार्षिक पट्टे के आधार पर सेना को दिया था और इस भूमि पर सेना के कोल्ड स्टोरेज संयन्त्र का निर्माण किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि दो वर्ष पूर्व सेना ने इस भूमि को अतिरिक्त घोषित कर दिया था और एक फर्म ने इसे खरीदने का प्रस्ताव किया था;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस भूमि का मूल्य 20 लाख रु० था; और

(घ) क्या यह सच है कि एक सैनिक सम्पदा अधिकारी ने इस भूमि का न्यूनतम नीलामी मूल्य 9 लाख रु० निर्धारित किया था और इसे किसी फर्म को वास्तव में 1.68 लाख रु० के मामूली मूल्य पर बेच दिया ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) सितम्बर, 1944 में रेल मंत्रालय में 10,157 वर्गगज भूमि रक्षा मंत्रालय को किराए पर दी थी, जिस पर रक्षा मंत्रालय ने एक कोल्ड स्टोरेज प्लांट सहित कुछ भवन का निर्माण कर दिया था। 9 मार्च, 1978 को डिपो के बन्द हो जाने के बाद वह भूमि और उस पर निर्मित रक्षा संगठन के भवनों की उनकी जरूरत नहीं रही। रेल मंत्रालय अपनी भूमि वापिस करने पर जोर दे रहा था। इसलिए रक्षा भवनों सहित भूमि रेल मन्त्रालय को देने का निर्णय किया गया। परन्तु रेल मंत्रालय ने सूचित किया कि वे रक्षा संगठन के भवनों को लेने का इच्छुक नहीं। इस बीच रेल मंत्रालय ने अपनी भूमि को 1979 में बम्बई की एक फर्म मैसर्स फिरीत इन्टरप्राइज को लाइसेंस पर दे दी।

2. यह समझते हुये कि रेल मंत्रालय भवनों को लेना नहीं चाहता और यदि उनको नष्ट करके और स्थान साफ करने का काम उनकी नीलामी से किया जाये तो इस कार्य में कई मास लग जायेंगे और रक्षा मंत्रालय को इसके लिये रेल मंत्रालय को लाइसेंस फीस देना होगी जो 1.4.1977 से बढ़ा दी गई थी। अतः वित्त मंत्रालय के परामर्श से उन भवनों को मैसर्स फिरीत इन्टरप्राइज बम्बई को 1,67,954 रुपये के हस्तान्तरण मूल्य पर हस्तांतरित करने का निर्णय किया गया।

3. जैसा कि पहले बताया गया है कि क्योंकि भूमि रेल मंत्रालय की थी इसलिए भूमि की कीमत का मूल्यांकन करना अथवा सेना सम्पदा अधिकारी द्वारा उसका न्यूनतम नीलामी मूल्य निश्चित करने का प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारियों के भविष्य निधि बकाया की वसूली

9881. **श्री चिन्ता मणि जेना** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार कर्मचारियों की भविष्य निधि की बकाया राशि की वसूली के लिए एक योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस समय बकाया राशि सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में किन सुझावों को क्रियान्वित किया जा रहा है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) रामानुजम समिति के सुझाव पर समिति की अन्य सिफारिशों के साथ विचार किया जा रहा है कि भविष्य निधि संगठन के पास अपना स्वयं का वसूली तन्त्र होना चाहिए।

(ख) 31-12-1980 को कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि निम्नलिखित है :—

छूट न प्राप्त प्रतिष्ठान

अंशदान	2541.34 लाख रुपये
प्रशासनिक व भार	76.16 लाख रुपये
हर्जाने	1397.38 लाख रुपये
जोड़	4014.88 लाख रुपये

छूट प्राप्त प्रतिष्ठान

न्यासी बोर्ड को स्थानान्तरित न की गई अंशदान की राशि	1645.23 लाख रुपये
जोड़ :	5660.11 लाख रुपये

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 में उचित रूप से संशोधन करने के कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ताकि बकाया राशि की वसूली और दांडिक व्यवस्था के उपबन्धों को अधिक कारगर बनाया जा सके।

कलाकार एवं फोटोग्राफरों के लिए पदोन्नति के अवसर

9883. **श्री मुन्दर शर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा प्रतिष्ठानों में कार्यरत कलाकार एवं फोटोग्राफरों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, क्योंकि उनके पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) रक्षा मंत्रालय के अधीन कलाकार एवं फोटोग्राफरों के पद के लिए चयन ग्रेड शुरू करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

साइकिल रिक्शा मोटरों के निर्माण के लिए लाइसेंस

9884. **श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास शहर में शीघ्र ही साइकिल रिक्शाओं में मीटर लगाये जाने हैं;

(ख) क्या इन मोटरों के निर्माण के लिए मद्रास स्थित किसी फर्म को लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तमिलनाडु सरकार से विशिष्ट जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

न्यूनतम मजूरी सम्बन्धी करार

9885. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम मजूरी आदि के बारे में (बी०ई०एल०) के प्रबन्धकों तथा बेल मजदूर संघ के बीच 3 सितम्बर 1978 को एक करार हुआ था;

(ख) क्या उक्त करार के खण्ड 1:1 के अनुसार अन्य सरकारी उपक्रमों में दी जा रही न्यूनतम मजूरी बी० ई० एल० बंगलौर के श्रमिकों को भी मिलेगी; और

(ग) यदि हां, तो न्यूनतम मजूरी भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में दी जा रही है वही मजूरी 'बेल' हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट्स लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के श्रमिकों को को न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां। बी०ई०एल० मजदूर संघ भी उन यूनियनों में से थी जिन्होंने 3.9.78 को प्रबन्धकों के साथ करार किया था।

(ख) उक्त करार का खण्ड 1.1 नीचे फिर से उद्धत किया जाता है :—

"किसी अन्य केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इंजीनियरी उपक्रम जैसे बी एच ई एल, एच एम टी, आदि में यदि वेतन तथा मंहगाई भत्ते को मिला कर न्यूनतम मजदूरी, या यदि मंहगाई भत्ते के प्रतिसंतुलन की दर को परिवर्तित करके इस करार में सहमत हुई दर से अधिक किया जाता है तो यूनियन के परामर्श से सम्बन्ध खण्डों में आवश्यक संशोधन और उसके परिणामस्वरूप समंजन करने के लिए प्रबंधक सहमत हैं"।

(ग) केन्द्रीय योजना तथा श्रम मंत्री द्वारा विषय पर 17 फरवरी, 1981 को राज्य सभा में दिया गया वक्तव्य विवरण के रूप में संलग्न है। हड़ताल जो 26.12.78 को शुरू हुई थी 12.3.1981 को समाप्त हो गई थी।

विवरण

बंगलौर, हैदराबाद, कानपुर और देश के अन्य स्थानों पर स्थित सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के कर्मचारियों की चली आ रही हड़ताल, जिससे उत्पादन में भारी हानि हो रही है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किए गये उपायों के बारे में श्री शिव चन्द्र झा और अन्य सदस्यों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में 17 फरवरी, 1981 को राज्य सभा में केन्द्रीय योजना और श्रम मंत्री का वक्तव्य।

महोदय,

(1) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, जिनमें एच ए एल, बी ई एल, बी ई एम एल, आई टी आई, ई सी आई एल, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड शामिल हैं, के एक लाख

से अधिक कर्मचारी जो विभिन्न एककों में कार्य कर रहे हैं, 26.12.80 से 21.1.81 तक की विभिन्न तारीखों से बी०एच०ई० एल के कर्मचारियों के साथ वेतन मानों और सेवा शर्तों की बराबरी के लिए जिन्हें प्रबन्धकों द्वारा उनकी मजदूरी और मंहगाई भत्ते में वृद्धि प्रदान की गई हैं, के लिए मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। हड़ताल के उपरांत ई०सी०आई०एल०, हैदराबाद के प्रबन्धकों ने 8 जनवरी, 1981 से तालाबन्दी की घोषणा की थी क्योंकि उस उपक्रम में हड़ताली कर्मचारियों ने हिंसक कार्यों में भाग लिया था।

2. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के सम्बन्ध में उपयुक्त सरकार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारें हैं। इनमें से चार राज्य सरकारों की औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी ने मामले में अलग से हस्तक्षेप किया और हड़ताल रोकने की कोशिश की थी। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, के श्रम मन्त्रियों तथा कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने समझौता करने के प्रयास भी किए थे, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका।

3. केन्द्रीय संचार मंत्री द्वारा केन्द्रीय स्तर पर भी बातचीत की गई थी। हाल ही में 7 फरवरी, 1981 को मैंने भी पार्टियों को बुलाया था और केन्द्रीय संगठनों अर्थात इन्टक, एटक, सीटू, और एच एम एस के प्रतिनिधियों को भी बुलाया था ताकि इस समस्या का हल निकाला जा सके। इस बैठक में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के श्रम मंत्रियों और केन्द्रीय संचार मंत्री ने भी भाग लिया था।

4. श्रमिकों की मांग थी कि उन्हें 1.1.77 से मूल वेतन में 30 रु० मंहगाई भत्ते में 5 रु० की वृद्धि और कम से कम 7 रु० और अधिक से अधिक 22 रु० की वेतन वृद्धि प्रदान की जाय। प्रबन्धकों की ओर से यह कहा गया था कि श्रमिकों द्वारा प्रबन्धकों के साथ किए गए करार पहले ही विद्यमान हैं जो जून, 1981 तक वैध हैं और इन करारों के अनुसार श्रमिकों को कुछ भी देय नहीं है। किन्तु, यदि श्रमिक और अठारह महीनों की अवधि के लिए करार को बढ़ाने पर सहमत हो जायेंगे तो प्रबन्ध भी 1.1.1981 से मूल मजदूरी में प्रति माह 25 रु० की वृद्धि करने और श्रमिक को 600 रु० का भुगतान करने के लिए राजी हो जायेंगे।

5. लम्बी अवधि तक विचार-विमर्श के बाद श्रमिकों ने अपनी मांगे कम करके 1.9.1978 से मूल मजदूरी में 30 रु० की वृद्धि तथा साथ में एक वेतन वृद्धि की मांग की और छः महीने तक वर्तमान करार में वृद्धि के लिए भी राजी हो गए। किन्तु यह पेशकश प्रबन्धकों को स्वीकार नहीं थी जिन्होंने बदले में यह पेशकश की कि करार जिसके अधीन श्रमिकों ने मजूरी में वृद्धि के लिए मांगें उठाई हैं, को किसी मध्यस्थ या मध्यस्थ-बोर्ड जिसका अध्यक्ष हाई कोर्ट का जज होगा, को भेजा जाय; इस बीच श्रमिकों को प्रबंधक 700-700 रु० अग्रिम राशि देंगे जो बारह किश्तों में वसूल की जायेगी। मध्यस्थ या मध्यस्थ-बोर्ड के निर्णय को प्रबन्धकों द्वारा पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाएगा और अग्रिम राशि को अवार्ड के अधीन देय राशि के साथ समंजित नहीं किया जाएगा। विकल्प के रूप में, यदि श्रमिक तत्काल समझौता चाहते हैं, तो उन्हें प्रतिमास 25 रु० की वृद्धि और साथ में प्रति श्रमिक 700 रु० की एकमुश्त राशि स्वीकार करनी चाहिए, पर शर्त

यह थी कि वर्तमान करार को कम से कम एक साल के लिए बढ़ाया जाय। पार्टियों को ये प्रस्ताव और प्रति-प्रस्ताव स्वीकार्य न होने के कारण वार्ता भंग हो गई और बैठकों में बातचीत के दौरान की गई पेशकशों को दोनों पार्टियों ने वापस ले लिया।

देश में भर्ती कार्यालय

9886. **श्री निहाल सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां थल-सेना, वायु-सेना और नौ-सेना के लिए भरती की जाती है तथा कार्यालयों में उन भर्ती अधिकारियों की संख्या क्या है जो वहां दो वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि भर्ती अधिकारी योग्य तथा स्वस्थ व्यक्तियों को भर्ती नहीं करते क्योंकि उन्हें उनसे कुछ नहीं मिलता और ऐसे व्यक्तियों को भर्ती कर लेते हैं जो उन्हें कुछ देते हैं; और

(ग) यदि हां, क्या सरकार ने इन अनियमितताओं को दूर करने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरों के माध्यम से इन अनियमितताओं की जांच कराने की व्यवस्था की है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) थलसेना और नौ सेना में भर्ती करने के लिए सारे देश में 60 भर्ती कार्यालय स्थित हैं। जहां ये भर्ती कार्यालय हैं उन स्थानों के नामों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

भारतीय वायुसेना में उम्मीदवारों की भर्ती करने के लिए 13 वायुसैनिक चयन केन्द्र हैं जो अम्बाला, बंगलौर, बम्बई, भुवनेश्वर, कलकत्ता, गोहाटी, जोधपुर, कानपुर, नई दिल्ली, पटना, बेगमट मद्रास और कोचीन में स्थित हैं।

थलसेना और नौसेना के लिए भर्ती कार्यालयों के लगभग 21 अफसर और वायुसेनिक चयन केन्द्र का एक अफसर दो वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) उम्मीदवारों का चयन निर्धारित पात्रता की शर्तों और चयन तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर आधारित होता है। जिन मामलों में निर्धारित स्तर से कम स्तर के उम्मीदवार भर्ती किए गए हो, वहां भर्ती करने वाले अवसर के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक/प्रशासनिक कार्यवाई की जाती है। जहां आवश्यक होता है अनियमित भर्ती और कथित समाचार के मामलों को आगे जांच-पड़ताल करने के लिए केन्द्रीय अन्वेशण ब्यूरो को सौंप दिया जाता है और जो दोषी पाए जाते हैं उन्हें सजा दी जाती है।

विवरण

भर्ती कार्यालयों और उनके स्थानों की सूची

1. मुख्यालय क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय, जालन्धर
2. शाखा भर्ती कार्यालय, फिरोजपुर,
3. शाखा भर्ती कार्यालय, अमृतसर

4. शाखा भर्ती कार्यालय, पटियाला
5. शाखा भर्ती कार्यालय, जम्मू
6. शाखा भर्ती कार्यालय, लुधियाना
7. शाखा भर्ती कार्यालय, श्रीनगर
8. मुख्यालय क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय, अम्बाला
9. शाखा भर्ती कार्यालय, रोहतक
10. शाखा भर्ती कार्यालय, पालमपुर
11. शाखा भर्ती कार्यालय, हिसार
12. शाखा भर्ती कार्यालय, हमीरपुर
13. शाखा भर्ती कार्यालय, चर्खी दादरी
14. शाखा भर्ती कार्यालय, शिमला
15. मुख्यालय क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय लखनऊ
16. शाखा भर्ती कार्यालय, मेरठ
17. शाखा भर्ती कार्यालय, वाराणसी
18. शाखा भर्ती कार्यालय, अल्मोड़ा
19. शाखा भर्ती कार्यालय, लैन्सडाऊन
20. शाखा भर्ती कार्यालय, आगरा
21. शाखा भर्ती कार्यालय, बरेली
22. मुख्यालय क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय, कलकत्ता
23. शाखा भर्ती कार्यालय, रांची
24. शाखा भर्ती कार्यालय, दीनापुर
25. शाखा भर्ती कार्यालय, कटक
26. शाखा भर्ती कार्यालय, मुजफ्फरपुर
27. शाखा भर्ती कार्यालय, सिलीगुड़ी
28. शाखा भर्ती कार्यालय, बेहरामपुर
29. शाखा भर्ती कार्यालय, सम्बलपुर
30. मुख्यालय क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय, शिलांग
31. शाखा भर्ती कार्यालय, गौहाटी
32. शाखा भर्ती कार्यालय, सिल्चर
33. शाखा भर्ती कार्यालय, जोरहाट

34. मुख्यालय क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय, अजमेर
35. शाखा भर्ती कार्यालय, जबलपुर
36. शाखा भर्ती कार्यालय, इन्दौर
37. शाखा भर्ती कार्यालय, ग्वालियर
38. शाखा भर्ती कार्यालय, भोपाल
39. शाखा भर्ती कार्यालय, जोधपुर
40. शाखा भर्ती कार्यालय, कोटा
41. शाखा भर्ती कार्यालय, झुंझनू
42. शाखा भर्ती कार्यालय, अलवर
43. मुख्यालय क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय, पुणे
44. शाखा भर्ती कार्यालय, बम्बई
45. शाखा भर्ती कार्यालय, नागपुर
46. शाखा भर्ती कार्यालय, अहमदाबाद
47. शाखा भर्ती कार्यालय, कोल्हापुर
48. शाखा भर्ती कार्यालय, राजकोट
49. शाखा भर्ती कार्यालय, औरंगाबाद
50. मुख्यालय क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय, बंगलौर
51. शाखा भर्ती कार्यालय, गुन्टूर
52. शाखा भर्ती कार्यालय, मद्रास
53. शाखा भर्ती कार्यालय, त्रिवेन्द्रम
54. शाखा भर्ती कार्यालय, सिकन्दराबाद
55. शाखा भर्ती कार्यालय, बेलगांव
56. शाखा भर्ती कार्यालय, त्रिरूचिरापल्ली
57. शाखा भर्ती कार्यालय, कालीकट
58. मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय, कुंग्राघाट
59. शाखा भर्ती कार्यालय, लेबोंग
60. इन्डिपेन्डेन्ट भर्ती कार्यालय, दिल्ली

भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित नया सोनार साइडिंग सिस्टम

9887. **श्री एन० ई० होरो** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इलैक्ट्रानिक्स और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा पन्डुब्बियों का अधिक अच्छी तरह से पता लगाने हेतु हाल में एक नये सोनार साइडिंग सिस्टम का विकास किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में उन्नत पैनारोमिक हल

माउन्टेड सोनार का डिजाइन बनाया है और विकसित किया है। इस समय यह सिस्टम इन्जीनियरी की प्रक्रिया में है।

राजस्थान के रावतभाटा केन्द्र में सी० आई० ए० का अन्तर्ग्रस्त होना

9888. **श्री चतुर्भुज** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 मार्च, 1981 के "राष्ट्रदूत" में प्रभावित रावतभाटा परमाणु केन्द्र (राजस्थान) में सी आई ए के अन्तर्ग्रस्त होने से सम्बन्धित समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि डिप्लोमा इन्जीनियर्स एसोसिएशन ने इस सम्बन्ध में जांच की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार का जांच कराने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) सरकार को इस सम्बन्ध में राजस्थान राज्य विद्युत मंडल डिप्लोमा अभियंता संघ, राजस्थान से एक पत्र प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार से तथ्यों का पता लगाया जा रहा है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सहायक आयुक्त को मुकदमा चलाने और उसे वापस लेने की स्वीकृति देने का अधिकार

9889. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सहायक आयुक्तों को यह शक्ति प्राप्त नहीं है कि वे भविष्य निधि की बकाया राशि का भुगतान न करने वालों पर मुकदमा चलाये जाने या ऐसा मुकदमा वापस लिये जाने के लिए आदेश कर सकें;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि कर्नाटक में तैनात सहायक भविष्य निधि आयुक्त ने जो इस समय कर्नाटक स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के रूप में काम कर रहा है, अनेक दोषी कम्पनियों पर से मुकदमें, जिन में के० एन०/224 और आर० एन०/214 भी सम्मिलित हैं; वापस ले लिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस गम्भीर गलती के लिए दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि कोड संख्या के०एन०/214 वाले प्रतिष्ठान के मामले में, प्रतिष्ठान ने अभियोजन दायर करने से पहले बकाया राशि विवरण प्रस्तुत किया। अतः वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता। कोड नं० के०एन०/224 वाले प्रतिष्ठान के मामले में प्रतिष्ठान के विरूद्ध दायर किए गए अभियोजन मामले को केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अनुमति से और प्रतिष्ठान द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने तथा अद्यतन अनुपालन रिटर्न देने पर दिसम्बर, 1977 में वापस ले लिया गया।

बीड़ी मजदूरों के लिए आवास कालोनियां

9890. **श्री पासाला पेंचालैया** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी मजदूरों के लिए आवास कालोनियां बनाने का कोई प्रस्ताव अथवा योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) और (ख) बीड़ी कर्मकारों के लिए आवास कालोनियों के निर्माण का कोई प्रस्ताव या योजना नहीं है।

तथापि, बीड़ी कर्मकारों के लिए आवास सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु, दो योजनाएं प्रारम्भ की गई है, नामत :—

(1) अपना मकान बनाओ योजना

इस योजना के अन्तर्गत, प्रत्येक श्रमिक को आर्थिक सहायता के रूप में 600 रुपये और 900 रुपये बिना ब्याज के ऋण का भुगतान किया जाता है। वित्तीय सहायता ऐसे श्रमिकों कोदी जाती है, जिनके पास अपनी भूमि होती है।

(2) बीड़ी श्रमिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास योजना

इस योजना में बीड़ी श्रमिकों के लिए प्रति मकान 1500 रुपये की दर से राज्य सरकार को आर्थिक सहायता देने की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकार को भूमि की व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक मकान की लागत 8000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। शेष राशि की व्यवस्था राज्य सरकारों या आवास बोर्डों द्वारा ऋण देकर की जाएगी। ऋण की सम्पूर्ण राशि का भुगतान करने के पश्चात कर्मकार मकान का मालिक बन जाएगा।

बीड़ी श्रमिक कल्याण आयोग, इलाहाबाद में छात्रवृति के आवेदन पत्रों का नवीकरण

9891. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष बीड़ी श्रमिक कल्याण आयोग, इलाहाबाद के कार्यालय में बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में से छात्रवृतियों के लिए कितने नये आवेदन पत्र भरे गये थे, और कितने नवीकरण के लिए थे;

(ख) जिलावार कितने आवेदन पत्र नामंजूर किये गये और इन्हें नामंजूर करने के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का विचार छात्रवृति के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को अधिकतम संख्या में लेने के लिए कल्याण विधि की राशि में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) और (ख) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। छात्र वृतियां योग्यता के आधार पर दी जाती हैं। छात्रवृतियों की स्वीकृति उपलब्ध निधियों तक सीमित रखी जाती है। अत: योग्यता के आधार पर चयन करना होता है।

(ग) और (घ) इलाहाबाद क्षेत्र में, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल हैं, छात्रवृतियों के भुगतान के लिए निर्धारण राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है। 1981-82 के बजट अनुमान में, इस लेखे में 5.20 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

विवरण

जिले का नाम	प्राप्त आवेदन-पत्र			दी गई नई छात्रवृत्तियां	नवीकृत छात्र वृत्तियां	कुल	रद्द किए गए आवेदन-पत्र		
	नए	नवीकरण के लिए	कुल				नए	नवीकरण के लिए	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. नालन्द	444	139	583	178	136	314	266	3	269
2. सिंहभूमि	430	65	495	148	60	208	282	5	287
3. मुंगेर	79	42	121	31	39	70	48	3	51
4. समस्तीपुर	15	3	18	3	3	6	12	शून्य	12
5. ईस्ट चम्पारन	47	15	62	8	13	21	39	2	41
6. वेस्ट चम्पारन	1	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	1
7. संथाल परगना	16	5	21	6	4	10	10	1	11
8. मधुबनी	6	शून्य	6	शून्य	शून्य	शून्य	6	शून्य	6
9. दरभंगा	3	शून्य	3	1	शून्य	1	2	शून्य	2
10. भोजपुर	8	4	12	शून्य	3	3	8	1	9
11. सिवान	2	शून्य	2	1	शून्य	1	1	शून्य	1
12. पालामाऊ	1	शून्य	1	1	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य
13. बेगुसराय	1	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	1
14. गया	12	14	26	2	14	16	10	शून्य	10
कुल	1065	287	1352	379	272	651	686	15	701

अंडमान और निकोबार प्रशासन के कर्मचारियों से अभ्यावेदन

9892. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन को ए० एण्ड एन० गवर्नमेंट एम्पलाईज एसोसिएशन, दिगलीपुर शाखा और अराजपत्रित अधिकारी संगठन दिगलीपुर ब्रांच से कितने पत्र, अभ्यावेदन और ज्ञापन कब-कब मिले हैं और प्रशासन ने उसमें से कितनों का उत्तर दिया है;

(ख) यदि उक्त एसोसिएशन को जो, ग्रुप "सी" और ग्रुप "डी" के कर्मचारियों की शिकायतों को व्यक्त करता है, कोई उत्तर या प्राप्ति की स्वीकृति नहीं भेजी गई है तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ये सेवा संगठन अपनी शिकायतों को संसद सदस्यों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं और क्या ऐसे संगठनों के पदधारियों जो सरकारी कर्मचारी हैं पर सी-सी एस (कंडक्ट) रूल्स 1964 का नियम 20 लागू होता है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) अंडमान तथा निकोबार प्रशासन को अंडमान तथा निकोबार सरकारी कर्मचारी एसोसिएशन दिगलीपुर शाखा से जनवरी 1980 से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जबकि अराजपत्रित अधिकारी एसोसिएशन दिगलीपुर शाखा से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ। इनमें से एक अभ्यावेदन जो फरवरी, 1980 में प्राप्त हुआ था का उत्तर भेज दिया गया है। शेष तीन अभ्यावेदन जिनमें विभिन्न विभागों से संबंधित बहुत से मुद्दे/मांगे हैं को अंडमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है और इनका यथा शीघ्र उत्तर भेजा जाएगा। जिन अभ्यावेदनों के उत्तर दिये जाने शेष हैं, वे क्रमशः अक्तूबर 1980, फरवरी 1981 और मार्च, 1981 में प्राप्त हुए थे।

(ग) के० सि० से० (आचरण) नियम, 1964 के नियम 20 में यह व्यवस्था है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार के अधीन अपनी सेवाओं के मामलों के संबंध में अपने हित को बढ़ावा देने के लिए किसी वरिष्ठ प्राधिकारी पर कोई राजनैतिक अन्यथा बाहरी प्रभाव नहीं डालेगा और ऐसा प्रभाव डालने का प्रयास नहीं करेगा। किसी ऐसी एसोसिएशन का कोई पदाधिकारी भी सरकार के अधीन अपनी सेवाओं के मामलों से संबंधित अपने हितों को बढ़ावा देने के लिये कोई राजनैतिक अथवा अन्य बाहरी प्रभाव नहीं डाल सकता। जहां किसी की व्यक्तिगत सेवा हितों को बढ़ाने का संबंध है के० सि० से० (आचरण) नियमों 1964 का नियम 20 सभी सरकारी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होता है।

यद्यपि इस प्रकार की सेवा एसोसिएशनें के० सि० से० (आचरण) नियम 1964 द्वारा नियमित नहीं होती तथापि पदाधिकारियों सहित सेवा एसोसिएशन के व्यक्तिगत सदस्य जो सरकारी कर्मचारी हैं, आचरण नियमों द्वारा शामिल होते हैं। सेवा एसोसिएशन समस्या के स्वरूप के अनुसार कर्मचारियों की समस्याओं को सरकार के उपयुक्त प्राधिकारियों, कर्मचारी परिषद अथवा विभागीय परिषद अथवा जे० सी० एम० को राष्ट्रीय परिषद में उठा सकती हैं परन्तु उनसे यह आशा नहीं की जाती कि वे बाहर के प्राधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन करें।

पश्चिमी घाट विकास योजना

9893. **श्री बापू साहेब पारूलेकर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी घाट विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पोलादपुर और माहद तालुकों का सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) उस सर्वेक्षण की रिपोर्ट क्या है और यदि कोई सुझाव दिए गए हैं तो वे क्या हैं; और

(ग) इन दो तालुकों में इस योजना को कार्यान्वित करने में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है और कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) महाराष्ट्र के माहद तालुके के भूमि के उपयोग के सर्वेक्षण का काम भू-इंजीनियरी और संसाधन विकास विभाग, आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम को प्रायोगिक अध्ययन के एक भाग के रूप में सौंपा गया है। माहद तालुके के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण और आंकड़े एकत्र किए गए हैं। पोलादपुर तालुके के लिए अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया।

(ख) आन्ध्र विश्वविद्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आंकड़े और सामग्री की जांच की जा रही है। नक्शे के साथ सर्वेक्षण की रिपोर्ट जल्दी प्राप्त होने की आशा है।

(ग) इन मूल सर्वेक्षणों के पूरे हो जाने के बाद माहद तालुके के लिए विस्तृत विकास योजना को तैयार करने का काम आद्यरूप अध्ययन के रूप में किया जाएगा।

स्विच गीयर के निर्माण के लिए साइमन (इण्डिया) लिमिटेड को लाइसेंस

9894. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'स्विच गीयर' के निर्माण के लिए साइमन इण्डिया लिमिटेड को 30 जुलाई, 1980 को औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था और कितनी उत्पादन क्षमता के लिए लाइसेंस दिया गया;

(ख) इस कम्पनी ने लाइसेंस के लिए कब आवेदन पत्र दिया था;

(ग) इसी अवधि में इसी किस्म के लाइसेंस के लिए और किस-किस कम्पनी ने आवेदन किया था और उनके आवेदन पर क्या कार्यवाही और किस आधार पर की गई; और

(घ) इस कम्पनी ने इस लाइसेंस के अनुसार उत्पादन कब शुरू किया था ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) जी, हां। मैसर्स सीमेन्स इण्डिया लिमिटेड, बंबई ने मई, 1928 में आवेदन दिया था और स्विचगियर की निम्नलिखित वस्तुओं के निर्माण के लिए उन्हें 30 जुलाई, 1980 को एक औद्योगिक लाइसेंस

दिया गया था :—

निर्मित की जाने वाली वस्तु	विस्तार के बाद वार्षिक क्षमता (नगों में)
1. एल० टी० (एयर) सर्किट ब्रेकर (100 ए० एम० पी० अधिक) से	1000
2, एच० टी० सर्किट ब्रेकर (11 के० वी० तक)	1200
3. एच० टी० लीड ब्रेक स्विच	600
4. एयर ब्रेक कान्टेक्टर (200ए तक)	800,000
5. बाइमेटल ओवरलोड यूनिट्स	500,000
6. पेनल पायलट लैम्प	100,000
7. प्रोग्राम स्विच	100,000
8. मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर	10,000

(ग) मद्रास के श्री जी० वी० भाश्यम ने भी 10,000 नग की वार्षिक क्षमता से मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकरों के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु मई, 1978 में आवेदन किया था यद्यपि आवेदन के आधार पर इस पार्टी को 31.8.78 को एक आशय पत्र जारी किया था लेकिन उसे 31.8.1981 को समाप्त समझा गया था क्योंकि यह पार्टी इस आशय पत्र को कार्यरूप देने में असफल रही।

(घ) मेसर्स सीमेन्स इण्डिया लिमिटेड, बम्बई को 30 जुलाई, 1980 को दिया गया औद्योगिक लाइसेंस प्रारम्भ में दो वर्षों की अवधि अर्थात 29-7-1982 तक वैध है, जिस अवधि के अन्दर यह आशा है कि कम्पनी उपर्युक्त लाइसेंस के अनुसार वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करेगी।

पूर्वी राज्यों को आवंटित की गई चेसिसों (ट्रक और मिनी बस) की संख्या

9895. **डा० आर० रोयूआमा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1981-82 से मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड को आवंटित की गई चेसिसों (ट्रक और मिनी बस) की संख्या क्या है;

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मिजोरम में इस समय सार्वजनिक परिवहन की सुविधायें अत्यन्त पर्याप्त हैं जिसके परिणामस्वरूप दूर दराज के क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई पर बहुत गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उनका विचार मिजोरम को आवंटित की गई चेसियों के कोटे में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) किसी राज्य को बस या ट्रक चेसिसों की सप्लाई के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। किसी एक विशिष्ट क्षेत्र की मांग तथा उत्पादन सहित वाणिज्यिक महत्व के आधार पर निर्माता कम्पनियों

द्वारा सप्लाई की जाती हैं। फिर भी, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की विशेष समस्याओं को देखते हुए सरकार ने अधिक पसन्द की जाने वाली मेकों के निर्माताओं, मे० अशोक लेलैंड तथा मे० टेल्को को इस क्षेत्र को ट्रक तथा बस चेसिसों की सप्लाई में वृद्धि करने की सलाह दी है।

पश्चिम बंगाल में उद्योगों पर पूंजी निवेश

9896. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में उद्योगों और इन के विस्तार पर केन्द्रीय सरकार ने वर्षवार कितनी धनराशि का निवेश किया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : पश्चिम बंगाल राज्य में गत पांच वर्षों में किए गए कुल सकल निवेशों की राशि निम्न प्रकार है :—

को	(करोड़ रुपये में किए गए कुल सकल निवेशों की राशि)
31-3-1976	566.00
31-3-1977	768.30
31-3-1978	1058.83
31-3-1979	1082.88
31-3-1980	1540.39

भारतीयों को अन्तरिक्ष में भेजना

9897. **श्री सनत कुमार मंडल**

श्री एस० एस० कृष्ण :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तरिक्ष यात्रियों के रूप में भारतीयों को प्रशिक्षण के लिए सोवियत संघ भेजने के लिए उनका चयन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह मामला इस समय किस स्थिति में है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) सोवियत संघ की सरकार ने अपनी भावी अन्तरिक्ष उड़ानों में एक भारतीय अन्तरिक्ष यात्री के भाग लेने का प्रस्ताव किया है। भरात सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में अपनी सहमति दे दी है। इस संबंध में अभी तक कोई ब्यौरा नहीं किया गया है।

भारतीय अर्थ सेवा तथा भारतीय सांख्यिकीय सेवा में असन्तुलन

9898. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अर्थ सेवा और भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ढ़ाचे में गंभीर असंतुलन उत्पन्न हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन असन्तुलनों को दूर करने और तदर्थ रूप में नियुक्त सैकड़ों लोगों की पदोन्नति एवं उनको स्थायी करने के जो इन सेवाओं के ग्रेड चार में रुके पड़े हैं, अवसर सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्यविभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (ग) भारतीय अर्थसेवा तथा भारतीय सांख्यिकी सेवा की संवर्ग पद संख्याएं आर्थिक/सांख्यिकी कार्यों वाले ऐसे पदों की कुल संख्या को दर्शाती है, जिनका प्रस्ताव भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा इन सेवाओं के प्रारम्भिक गठन तथा उसके बाद इन सेवाओं के संवर्ग में शामिल करने के लिए किया गया था। इस प्रकार प्रस्तावित ग्रेड–4 स्तर के पदों की संख्या तथा उच्चतर स्तरों के पदों की संख्या में विषमता है। उच्चतर स्तर के पदों में और वृद्धि करके भाग लेने वाले मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से इन सेवाओं का ढांचा बदलने के प्रयास किये जा रहे हैं।

इन सेवाओं के ग्रेड-4 में फीडर पद धारण करने वालों की पदोन्नति के लिए प्रवर सूचियां तैयार करने के लिए पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं। ऐसे अधिकारी जो इस समय भारतीय अर्थ सेवा तथा भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड-4 स्तर के पदों पर तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं तथा जिनका नियमित पदोन्नति के लिए अनुमोदन कर दिया गया है उन्हें संबंधित सेवाओं में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाएगा तथा उसके बाद स्थायीकरण के लिए उन पर विचार किया जाएगा।

1950-1972 के बीच सेवा निवृत्त रिजविस्टों को पेंशन

9899. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1950 और 1972 के बीच सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक रिजविस्टों को सशस्त्र सेना में सेवा के लिए 10 रुपये, 12 रूपये और 15 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है और इस पेंशन में कोई अस्थायी वृद्धि स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चपरासी, दफ्तरी आदि जैसे कम वेतन वाले पदों पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या 1 जनवरी, 1973 को या इसके बाद पेंशन पर गए ऐसे रिजविस्टो को 50 रुपये या अधिक प्रतिमाह पेंशन मंजूर की गई है; और

(ग) यदि हां, इन दो मामलों में इस अंतर के क्या कारण हैं और किस तारीख तक यह अंतर समाप्त करके सभी रिजविस्टों को 50 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिए जाने की संभावना है, ताकि 1 जनवरी, 1973 से पहले वाले सेवा-निवृत्त रिजविस्टों में व्याप्त रोष को समाप्त किया जा सके ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 1950 और 1972 के बीच पेंशन पर गए रिजर्विस्टों को मंजूर की गई पेंशन 3.00 रुपये से 15.00 रुपये प्रतिमाह के बीच होती है जो उनकी सेवानिवृत्त की तारीख पर निर्भर करती है। पेंशन के अलावा पेंशन पर अस्थायी/तदर्थ वृद्धि, तदर्थ राहत और आवधिक राहत भी मिलती है और रिजर्विस्ट पेंशनरों को इस समय राहतों सहित मिलने वाली कुल पेंशन इस प्रकार है :—

सेवानिवृत्त हुए रिजर्विस्टों की कुल पेंशन और राहत

(आंकड़े रुपयों में)

	1-6-53 से पहले	1-6-53 से लेकिन 1-4-68 से पहले	1-4-68 लेकिन 1-1-73 से पहले	1-1-73 को या उसके बाद
	1	2	3	4
मूल पेंशन	3	10 से 12	15	50
अस्थायी वृद्धि	7 से 9	—	—	—
तदर्थ वृद्धि	15	15	15	—
तदर्थ राहत	15	15	15	—
आवधिक राहत	57.50	57.50	57.50	57.50
	97.50 से 99.50	97.50 से 99.50	102.50	107.50

यदि रिजर्विस्ट 29-12-76 से पहले कहीं पुनर्नियोजित हो जाते हैं तो इनको पेंशन पर मिलने वाली राहतें नहीं मिलेंगी। यदि ये लोग इस तारीख को या इस तारीख के बाद पुनर्नियोजित हो जाते हैं तो इनको पेंशन के अलावा राहतें भी मिलती रहेंगी लेकिन इनके पुनर्नियोजित पद के वेतन और भत्तों में से इसके बराबर की राशि काट ली जाएगी।

(ख) 1-1-73 को या इसके बाद पेंशन पर गए रिजर्विस्टों को 50.00 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है। इन्हें ऊपर भाग (क) में बताई गई शर्तों के अधीन पेंशन के अलावा प्रतिमाह 57.50 रुपए आवधिक राहत भी मिलती है।

(ग) तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1-1-73 से सेना कार्मिकों की पेंशन दरों में सुधार किए जाने के परिणामस्वरूप रिजर्विस्टों की पेंशन दरों को इसी तारीख से बढ़ाकर 50.00 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। चूंकि सभी श्रेणी के पेंशनरों की पेंशन की संशोधित दरें उन लोगों के मामलों में लागू नहीं की गई थी जो 1-1-73 से पहले सेवानिवृत्ति हो गए थे, इसलिए उन रिजर्विस्ट पेंशनरों के मामले में यह सुविधा नहीं दी जा सकती है। लेकिन

जो रिजर्विस्ट पेंशनर 1-1-73 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं उनकों अस्थायी/तदर्थ वृद्धि और तदर्थ राहत के रूप में लाभ दिया जाएगा जिससे कि उनकी पेंशन और 1-1-73 को या उसके बाद सेवा-निवृत्त हुए लोगों की पेंशन के बीच अंतर कम हो जाता है।

ग्रामीण असंगठित श्रमिकों के सम्बन्ध में केन्द्रिय स्थायी समिति

9900. **श्री के० मालन्ना** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण असंगठित श्रमिकों के संबंध में कोई स्थायी समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है और 1980 में इसकी कितनी बैठकें हुई हैं;

(ग) इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) सरकार ने ग्रामीण श्रमिकों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हाँ।

(ख) सितम्बर, 1978 में, सरकार ने इस समिति को ग्रामीण असंगठित श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं को बेहतर बनाने के लिए तथा उनके संगठनों को बढावा देने के लिए विभिन्न प्रशासनिक तथा विधायी उपायों के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए स्थायी सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया। इस समिति की एक बैठक जुलाई, 1980 में हुई थी।

(ग) इस समिति की मुख्य सिफारिशें कृषि श्रमिकों के लिए केन्द्रीय कानून बनाना, ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करना और बंधुआ श्रमिकों की पुनर्वास योजनाओं में सुधार करना है।

(घ) राष्ट्रीय श्रम संस्थान और केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित किए गए ग्रामीण शिक्षा कैम्पों का उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों की सहायता करना है, ताकि एसोसिएशनें और यूनियनें बनाने में उनके नेतृत्व कौशल को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अतिरिक्त, छठी योजना के दौरान, ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने के लिए केन्द्र द्वारा संचालित विशेष योजना 1981-82 से प्रारम्भ की जा रही है, जो अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण को स्थानीय आवश्यकताओं और दशाओं के अनुसार एसोसिएशनें, यूनियनें, सहकारी समितियां बनाने में सहायता देगी। सरकार व्यवसाय संघ अधिनियम में संशोधन करने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है, ताकि कृषि श्रमिक ट्रेड यूनियनें बना सके और इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध संरक्षक प्राप्त कर सकें।

विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी कल्याण संघों परिसंघों को मान्यता देना

9901. **श्री आर० आर० भोले** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी कल्याण संघों/परिसंघों को सरकार ने मान्यता प्रदान करने से इन्कार कर दिया है जिसका फल यह निकला है कि इन संगठनों को समाज के इन

कमजोर वर्गों को संविधान के अधीन बने प्रावधानों के अन्तर्गत इन लोगों के हितों की रक्षा करने में कठिनाईयां हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्यविभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) तथा (ख) जी हाँ श्रीमान् । सरकार की यह नीति रही है कि जाति, जनजाति अथवा धार्मिक नामों के आधार पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा बनायी गई सेवा एसोसिएशनों को मान्यता न दी जाए ।

स्वरोजगार हेतु मार्गदर्शन के लिए समिति

9902. **श्री बागुन सुम्बरई** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा स्वरोजगार के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की मार्गदर्शी समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो समिति की रचना क्या है ; और

(ग) रिपोर्ट तैयार करने के बारे में इसकी शर्त तथा समय क्या निर्धारित किया गया है ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति का गठन निम्नलिखित है :—

अध्यक्ष

1. डा० एम० एस० स्वामीनाथन, सदस्य, योजना आयोग

सदस्य

2. सचिव, श्रम मंत्रालय
3. सचिव, ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय
4. सचिव, उद्योग मंत्रालय
2. अपर सचिव, वैंकिंग विभाग, वित्त मंत्रालय
6. डा० एम० नन्जुन्दप्पा, योजना सचिव, कर्नाटक सरकार
7. डा० आर० के दर, योजना सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार
8. श्री एम० एस० पालनिटकर, विशेष सचिव (योजना), महाराष्ट्र सरकार
9. श्रीमती माधुरी साह, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
10. डा० गौतम माथुर, निदेशक, जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
11. प्रो० रवि मथाई, अहमदाबाद
12. फादर बोगार्ट, जेवियर संस्थान, रांची
13. अध्यक्ष, भारतीय लघु उद्योग संघ फेडरेशन, 23-बी/2, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली

14. श्री वी० पद्मनाभ, कार्यकारी निदेशक, गांधीग्राम ग्रामीण विश्वविद्यालय, दिंदीगल (तमिलनाडु)

15. श्री ब्रजमोहन लाल, मालिक, हीरो साईकिल्स, जी० टी० रोड, लुधियाना (पंजाब)

16. सलाहकार (ग्रामीण विकास), योजना आयोग

17. सलाहकार (ग्राम और लघु उद्योग), योजना आयोग

18. श्री देव बहादुर सिंह, भूतपूर्व विधायक, ग्राम गंगापुर, पो० आ नारायणपुर, जिला नैनीताल (उ०प्र०)

19. कु० सरोज खापड़े, संसद सदस्य, राज्य सभा, नई दिल्ली

सदस्य-सचिव

20. श्री० ए० वी० आर० चार, सलाहकार (श्रम और रोजगार), योजना आयोग

(ग) समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :—

(1) अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रको में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उपाय और तरीके सुझाना ।

(2) रोजगार कार्यालयों की पुनः संरचना करने से संबंधित मामलों में सलाह देना ताकि वे स्व-रोजगार के कार्य या उद्यम आरम्भ करने के इच्छुक-व्यक्तियों और व्यक्ति समूहों का संदर्शन कर सकें ।

(3) जिला ऋण योजनाओं, प्रशिक्षण आधारित संरचना, विपणन की सुविधाओं और संदर्शन सेवाओं के एकीकरण के लिए जिला स्तर पर किये जाने वाले उपयुक्त उपायों के सम्बन्ध में सलाह देना ।

रिपोर्ट तैयार करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।

राज्याध्यक्ष समिति द्वारा डी० जी० आई० संगठन की जांच

9903. **श्री अजय विश्वास** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के अधीन एक अध्ययन दल ने तथा "राज्याध्यक्ष समिति" नामक एक अन्य अध्ययन दल ने डी० जी० आई० संगठन के विभिन्न कृत्यों की जांच की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इन समितियों ने सैनिक अधिकारियों के लिए "पर्मानेन्ट सैकेन्डिड" के जारी रखने की सिफारिश की है;

(ग) क्या इनमें से किसी समिति ने ऐसा कोई विचार व्यक्त किया है कि "पर्मानेन्टली सैकेन्डिड सर्विस आफिसर्स" का प्रयोक्ता ज्ञान (यूजर नालेज) डी० जी० आई० संगठन में स्थित नियंत्रण कार्य के लिये उपयोगी है;

(घ) डी० आई० जी० संगठन में पर्मानेन्टली सैकेन्डिड सर्विस आफिसर्स" के लिए सभी वरिष्ठ तथा उच्चतम पदों के आरक्षण के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल के क्या विचार हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन अध्ययन दलों की सिफारिशों पर अब तक कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ङ) रक्षा से संबंधित मामलों का अध्ययन करने के लिये प्रशासकीय सुधार आयोग ने 1966 में एक अध्ययन दल नियुक्त किया था। इस अध्ययन दल ने निरीक्षण संगठन में सेवा अफसरों के स्थायी उप नियुक्ति पर बने रहने की प्रथा या अन्यथा के बारे में कोई सिफारिश नहीं की।

2. श्री पी० जी० राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में आयुध कारखानों के लिए सरकार द्वारा 1975 में बिठाई गई समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ अपनी दूसरी और अंतिम रिपोर्ट में यह टिप्पणी की है कि निश्चित कार्यकाल और स्थायी उपनियुक्ति के आधार पर सेना अफसरों के निरीक्षण महानिदेशालय संगठन में नियुक्ति की प्रथा उपभोक्ताओं के साथ नजदीकी संबंध बनाए रखने के हितों के लिये वांछनीय थी।

"इन्सैट"

9904. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह ("इन्सैट") आगामी वर्ष अन्तरिक्ष में छोड़ा जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक राज्य भी इसके अंतर्गत आएगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इन्सैट-I प्रणाली के प्रारम्भिक प्रचालन की वर्तमान समय-अनसूची 1982 मध्य है।

(ख) इन्सैट-I एक राष्ट्रीय प्रणाली है, जिसमें दूरसंचार मौसम-विज्ञान संबन्धी भू-प्रेक्षण, रेडियो और दूरदर्शन के लिए राष्ट्र-व्यापी आवरण की क्षमताएं हैं। जैसे ही इसके विविध उपयोग प्रचालन की स्थिति में होंगे, संबंधित सेवाएं सामान्य तौर पर देश के सभी भागों में, कर्नाटक सहित, उपलब्ध हो जायेंगी ?

अखबारी कागज में आत्मनिर्भरता

9905. **श्री राजेश पाइलट** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वदेशी स्रोतों से अखबारी कागज की आवश्यकता को पूरी करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) अखबारी कागज में आत्मनिर्भर होने में कितना समय लगेगा; और

(ग) क्या हथकरघा और खादी उत्पादन की पद्धति पर लघु क्षेत्र में कागज का उत्पादन करने के लिए कोई उपाय शुरू किए गए हैं और उसमें कितनी प्रगति हुई है ताकि और अधिक लोगों को रोजगार मिले तथा मोटे कागज की कमी पूरी हो सके।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) इस समय देश के एक मात्र अखबारी कागज उत्पादक एकक नेशनल न्यूजप्रिंट में पेपर मिल्स, नेपानगर ने अपने उत्पादन में सुधार लाने के लिये आधुनिकीकरण/नवीकरण का कार्यक्रम चलाया है। मैसर्स हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन और मैसर्स मैसूर पेपर मिल्स केरल व कर्नाटक में क्रमशः 80000 मी० टन तथा 75,000 मी० टन की वार्षिक क्षमता वाली अखबारी कागज की मिलें स्थापित कर रहे हैं। दोनों ही योजनाओं के इस वर्ष के अन्त तक चालू हो जाने की आशा है। मैसर्स तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर्स लिमिटेड और मैसर्स सेंचुरी पल्प को भी क्रमशः तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में 50,00 मी० टन तथा 20,0000 मी० टन की क्षमता वाली अखबारी कागज परियोजनाएं स्थापित करने के लिए आशय-पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। इन एककों द्वारा किसी प्रकार उल्लेखनीय प्रगति न किये जाने की सूचना मिली है। चालू परियोजनाएं आरम्भ हो जाने के बावजूद भी देश के अखबारी कागज के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हो जाने की सम्भावना नहीं है क्योंकि माँग का अनुमान उत्पादन की अपेक्षा अधिक लगाया गया है।

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने हस्तनिर्मित कागज उद्योग के पुनर्स्थापन का एक कार्यक्रम चलाया है जिससे उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि हो रही है। कुछ लघु एककों ने भी मोटे कागज का उत्पादन करना शुरू कर दिया हैं। सामन्वत: वे एकक लघु एककों के लिए उपलब्ध सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र हैं।

स्टेनो टाइपिस्टों द्वारा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना

9906. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या गृह मंत्री स्टेनो टाइपिस्टों द्वारा उत्तीर्ण की गई प्रवेश परीक्षा के सम्बन्ध में 11.3.81 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3030 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या निर्धारित अवसर संख्या के अन्तर्गत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाने वाले व्यक्तियों को एक साथ उन लोगों को कनिष्ठ बना दिया गया है जिन्होंने निर्धारित अवसरों में संख्याओं में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : जो व्यक्ति अवसरों की निर्धारित संख्या के भीतर आशुलिपि की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए थे उन्हें केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में शामिल नहीं किया गया था। इस प्रकार प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्तियों के साथ उनकी पारस्परिक वरिष्ठता के निर्धारण का प्रश्न ही नहीं उठता।

सहायकों की अनुभाग अधिकारियों के रूप में पदोन्नति

9907. **श्री ए० ए० रहीम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुभाग अधिकारियों के रूप में सहायकों को पदोन्नत करने में विभिन्न मंत्रालयों के बीच असंगति है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह असंगति दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (ग) सहायकों की पदोन्नतियां केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1962 के नियम 13 के उपबंध के अनुसार की जाती हैं। ये नियम सभी संवर्गों पर एक समान लागू होते हैं। इस प्रकार, सहायकों अनुभाग अधिकारियों के पदों पर पदोन्नत किए जाने में विभिन्न मंत्रालयों के बीच असंगति का प्रश्न सामान्य रूप से नहीं उठना चाहिए।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दस्यु-उन्मूलन के लिए संयुक्त समिति

9908. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों ने दस्यु-उन्मूलन के लिए एक संयुक्त समिति गठित की है और दस्यु-प्रभावित क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए एक आयोग बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा क्या सहायता प्रदान की जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीयोगेन्द्र मकवाना): (क) जी हां, श्रीमान्। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने डकैती-विरोधी अभियान चलाने के लिए संयुक्त समिति गठित की है। उन्होंने दोनों राज्यों के सीमावर्ती जिलों के आर्थिक विकास हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक संयुक्त आयोग भी गठित किया है।

(ख) आयोग को इस सम्बन्ध में योजना प्रस्तुत करनी है। केन्द्रीत सहायता के स्वरूप तथा मात्रा की जांच राज्य सरकारों से योजना के प्राप्त होने के बाद की जायेगी। परन्तु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों से डकैती-विरोधी कार्यों के लिए कुछ वाहनों, हथियारों और उपकरणों हेतु सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उनके ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में न होगा। सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से उपयुक्त कार्यवाही करेगी।

मैसर्स ओर्टमान एण्ड हर्बर्ट द्वारा शीतल पेय मशीनरी का बनाया जाना

9909. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या उद्योग मन्त्री शीतल पेय के लिए बनाने के बारे में विदेशी सहयोग के बारे में 11 मार्च, 1981 के अतरांकित प्रश्न संख्या 3147 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ओर्टमान एन्ड हर्बट द्वारा दूध भरने की कोई मशीन बनाई जाती है;

(ख) यदि हां, तो मोहन ओर्टमान द्वारा दूध भरने की कितनी मशीनें बनाई गई हैं;

(ग) मैसर्स मोहन ओर्टमान द्वारा रस भरने की कितनी मशीन बनाई गई हैं; और

(घ) मोहन ओर्टमान द्वारा फेनिल पेय की कितनी मशीनें बनाई गई हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स मोहन ओर्टमान ने अब तक दूध भरने की किसी मशीन के निर्माण के बारे में नहीं बताया है।

(ग) मैसर्स मोहन ओर्टमान ने फलों के रस की बोलत भरने के एक स्वचालित संयन्त्र के निर्माण के बारे में बताया है।

(घ) मैसर्स मोहन ओर्टमान ने फेनिल पेय/मद्य रहित पेय के 22 संयन्त्रों के निर्माण के बारे में बताया है।

केन्द्री सचिवालय सेवा के ग्रेड के अधिकारियों की चयन-सूची

9901. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा के चयन ग्रेड की नियुक्ति के लिए जो जुलाई, 1979 में होनी थी, केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड 1 के अधिकारियों की चयन सूची वस्तुतः दो भागों में जारी की गई थी—पहला भाग दिसम्बर, 1979 में और दूसरा भाग जून, 1980 में;

(ख) यदि हां, तो सूची जारी किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या 1979 की सूची के इन सभी अधिकारियों को उप-सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या जुलाई, 1980 में होने वाली सेवा के चयन ग्रेड की नियुक्तियों के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 के अधिकारियों की चयन सूची अब तक जारी नहीं की गई है; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि 1979 और 1980 तथा बाद की सूचियों में शामिल किए गए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों को इन पदों पर दूसरी सेवा के अधिकारियों का विचार किए जाने से पूर्व प्राथमिकता दी जाएगी ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) तथा (ख) वर्ष 1978 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड की एक प्रवर सूची 7-12-1979 को जारी की गई थी, जिसमें 42 अधिकारियों के नाम दिए गए थे। किन्तु गृह मंत्री को दिए गए एक अभ्यावेदन पर प्रवर सूची के आकार में 13 की और वृद्धि करने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के अनुसार 1979 की प्रवार सूची में 5-6-1980 को 13 और अधिकारियों के नाम जोड़ दिए गए थे जिससे इसकी कुल संख्या 55 हो गई थी।

यद्यपि यह प्रवर सूची प्रति वर्ष पहली जुलाई को विद्यमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है, इसलिए इस सूची को जारी करने के लिए कोई विशेष तारीख निर्धारित नहीं की गई है। जबकि प्रवर सूची को यथाशीघ्र जारी करने के सभी प्रयास किए जाते हैं, किंतु इस सूची में शामिल किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या नियत करने, मूल्यांकन करने के लिए अधिकारियों के पूरे वैयक्तिक रिकार्ड प्राप्त करने आदि जैसे प्रारंभिक कार्य को पूरा करने में काफी समय लग जाता है।

(ग) उपसचिव के पदों पर नियुक्तियां, समूह 'क' के सभी श्रेणी-1 सेवाओं के पात्र अधिकारियों में से जिसमें प्रवर सूची के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी भी शामिल हैं, चयन के जरिए की जाती हैं। किन्तु चयन ग्रेड के लिए 1979 की प्रवर सूची में शामिल किए गए प्राय: सभी अधिकारी विभिन्न मंत्रालयों में तदर्थ आधार पर उप सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं।

(घ) वर्ष 1980 की प्रवर सूची तैयार की जा रही है। इस सूची को तैयार करने में लगे समय के लिए कारणों को भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट किया गया है।

(ङ) प्रवर सूची तैयार करने का इरादा पैनल तैयार करने से पूर्व निर्धारित पैनल की पद संख्या पर आधारित चयन ग्रेड की रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों पर विचार करना है।

केन्द्र में अवर सचिव तथा उससे ऊपर के पद किसी सेवा के सदस्यों के लिए आरक्षित नहीं हैं। ये पद विशेष कार्य की अपेक्षाओं के अनुसार इन पदों के लिए पात्र सभी सेवाओं के अधिकारियों में से चयन प्रक्रिया द्वारा भरे जाते हैं।

डी० ए० एन० आई० सी० एस० के अधिकारियों को नियुक्ति

9911. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या गृह मंत्री डी ए एन आई सी एस के अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित 19 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 992 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिट याचिकाओं का निपटान कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) याचिकाएं साप्ताहिक सूची में शामिल की गई है और सुनवाई के लिए अभी उनकी बारी नहीं आई है। सरकार वकील को इन मामलों को शीघ्र सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से निवेदन करने का अनुदेश दिया गया है।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को परेशान किया जाना

9912. **श्री थाऊई एम० करुणानिधि** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में खास तौर पर तमिलनाडु में अनूसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को परेशान किए जाने के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि हरिजनों पर साम्प्रदायिक अत्याचारों में वृद्धि के कारण देश में खासतौर पर तमिलनाडु में हरिजनों द्वारा गैर-हिन्दु धर्मावलाम्बियों को परेशान किए जाने की प्रवृति बढ़ रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो खास तौर पर तमिलनाडु में हरिजनों पर अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए उपचारात्मक कार्यवाही करके इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1979 की तुलना में 1980 में कुल मिला कर देश में अनूसूचित जातियों के प्रति अपराध के मामलों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। फिर भी जहां तक तमिलनाडु का संबंध है 1980 में (अक्टूबर तक) जिसके लिए उस राज्य में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, 1979 की इसी अवधि में 100 मामलों की तुलना में अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों के 119 मामले सूचित किए गये थे। जहां तक अनुसूचित जनजातियों का संबंध है देश में 1979 में सूचित किए 2153 मामलों की तुलना में 1980 में 2185 मामले सूचित किए गए थे।

(ख) सरकार के पास ऐसे आंकड़े नहीं है जिनसे यह प्रकट होता हो कि तमिलनाडु समेत देश में अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों में वृद्धि के कारण उनके द्वारा गैर-हिन्दु धर्मों को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता फिर भी, हरिजनों पर अत्याचारों को रोकने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों का एक **विवरण** सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारत सरकार स्थिति के संबंध में पूर्ण रूप से जागरूक है और अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों की घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) गृह मत्री ने राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों जहां अनुसूचित जातियों के सदस्यों के प्रति अपराध होते रहे हैं, के मुख्य मंत्रियों/राज्यपालों/उपराज्यपालों को 10 मार्च, 1980 को पत्र लिखा था जिसमें उनके प्रति अपराधों से प्रभावकारी रूप से निपटने के लिए किए जाने वाले एहतियाती और निरोधात्मक, दंडात्मक और पुनर्वासात्मक उपायों के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्तों को राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को भेजे गए थे। भारत सरकार राज्य सरकारों से निरन्तर सतत सम्पर्क बनाए हुए है और मार्गदर्शी निदेशों को प्रत्येक मद पर अधिक ठोस तथा विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करने के लिए और किए गए उपायों को बेहतर मूल्यांकन करने तथा कमियों यदि कोई हो, का पता लगाने के उद्देश्य से मार्गदर्शी निदेशों में निहित विभिन्न मदों की एक चैक-लिस्ट बनाई गई है और राज्यों से उनमें से प्रत्येक मद के विशेष संदर्भ के साथ कार्यान्वियन संबंधी सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है।

(2) गृह मंत्री ने सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मत्रियों को भेजे गए अपने 8 दिसम्बर, 1980 के अ० शा० पत्र संख्या 12025/1/80-टी डी (पार्ट फाइल) में यह बात दोहराई थी कि अनुसूचित जातियों के संबंध में भेजे गए मार्गदर्शी निदेशों का अनु० जनजातियों के मामले में भी अनुसरण किया जाना चाहिए।

(3) अनुसूचित जातियों के प्रति अत्याचारों के स्थाई समाधान के लिए उनके आर्थिक विकास को आधार मानकर भारत सरकार विशेष संघटक योजनाओं और अनुसूचित जाति विकास निगमों के तंत्रों के माध्यम से उनके आर्थिक विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के संबंध में देश के उपयोजना क्षेत्रों में विभिन्न अनुसूचित जनजाति समुदायों के समेकित विकास को सुनिश्चित करने के लिए जनजाति उपयोजना की अवधारणा पांचवी योजना में शुरू की गई थी।

(4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों को रोकने और उनसे प्रभावकारी रूप से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों और उनके आर्थिक विकास के संबंध में 8 अप्रैल, 1980 की हुए मुख्य मंत्रियों/राज्यपालों के सम्मेलन में विस्तार से विचार विमर्श किया गया था।

तकनीकी विकास महानिदेशालय में आरक्षण सम्बन्धी रोस्टर का रखा जाना

9913. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आरक्षण आदेशों के अनुसार तकनीकी विकास महानिदेशालय में सहायक विकास अधिकारी (रसायन तथा इंजीनियरिंग) के स्थायीकरण के समय कोई 40 सूत्री रोस्टर नहीं रखा जाता;

(ख) यदि हां, तो उन आदेशों के जारी किये जाने से अब तक स्थाई किए गए अनुसूसचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियो की, वर्षवार संख्या क्या है;

(ग) उपर्युक्त आदेशों के अनुसार स्थायी रूप से भरी गई पिछली रिक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि स्थायीकरण की अवस्था पर कोई रोस्टर नहीं रखा जाता है, तो तत्ससम्बन्धी कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) आरक्षण सम्बन्धी आदेशों में यह व्यवस्था की गई है कि सीधि भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के मामले में स्थायी नियुक्तियों तथा अस्थायी नियुक्तियों, जिनके स्थायी किए जाने अथवा लम्बे समय तक चलते रहने की संभावना है, के लिए एक सामान्य रोस्टर तैयार किया जाना चाहिए। स्थायीकरण के लिए अलग से कोई रोस्टर बनाने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु, अस्थायी आधार पर प्रारम्भिक नियुक्ति करते समय तथा स्थायी करते समय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण किया जाना आवश्यक है तकनीकी विकास के महानिदेशालय में सहायक विकास अधिकारियों (रसायन एवं इंजीनियरी) की नियुक्ति करने तथा स्थायीकरण करने के लिए यह प्रणाली अपनाई जा रही है।

(ख) वर्षवार स्थायीकृत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के सहायक

विकास अधिकारियों की संख्या निम्नप्रकार है :—

वर्ष	स्थायी कृत अधिकारियों की सं०
1976	2
1978	1
1981	2

(ग) सीधे भर्ती किए गए सहायक विकास अधिकारियों के स्थायीकरण में कोई अस्थाई पिछली रिक्ति शेष नहीं थी।

(घ) उपयुक्त (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक प्रयोजनों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग

9914. **श्री के० ओबुल रेड्डी** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, हरियाणा और आंध्र प्रदेश औद्योगिक प्रयोजनों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए दो प्रायोगिक संयंत्र शुरू कर रहा है जिनमें से प्रत्येक की लागत 20 करोड़ रुपए होगी; और

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों को स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन सिंह) : (क) और (ख) सरकार 1985 तक कम से कम एक मैगावाट के स्तर तक के सौर सैलों और मोडयूलों के उत्पादन के लिए सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद में प्रायोगिक उत्पादन सुविधाओं की स्थापना कर रही है। सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की सरकारों से सम्पर्क किये हुए है ताकि लागत पक्षों सहित इन राज्यों में उत्पादन यूनिटों की स्थापना करके इस कार्यक्रम के विस्तार की सुसाध्यता पर विचार किया जा सके।

दिल्ली नगर निगम में डाक्टरों की पदोन्नति

9915. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों में ऐसे कितने डाक्टर हैं जिन्हें वर्ष 1978 में 650-120 रुपये के वेतनमान से 700-1300 रुपये के वेतनमान में पदोन्नति न करके सीधी ही 1100-1600 रुपये के सीनियर वेतनमान में पदोन्नति किया गया था;

(ख) क्या ये पदोन्नतियां नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य हैं;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के अधिनियम; 1957 के अनुसार सीनियर वेतनमानों अर्थात 1100-1600 रुपये और इससे अधिक के वेतनमानों में नियुक्तियां एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये नहीं की जा सकती और एक वर्ष के बाद इन पदोन्नतियों को नियमित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है;

(घ) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने इन पदोन्नतियों की स्वीकृति दे दी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो संघलोक सेवा आयोग द्वारा क्या आपत्तियां की गई हैं और इन आपत्तियों को दूर करने के लिये दिल्ली नगर निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार ऐसे डाक्टरों की संख्या 85 है ।

(ग) जी हां, श्रीमान

(ख) , (घ) और (ङ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

निगम के संकल्प संख्या 801, दिनांक 1-1-1979 और संख्या 687 दिनांक 15-10-1979 तहत 85 जी डी एम ओ-II की जी डी एम ओ-I के पद 1100-1600 रु० के वेतनमान में एक वर्ष के लिये तदर्थ आधार पर पदोन्नतियों की अनुमोदित किया । उनको तदर्थ नियुक्तियां एक वर्ष के लिए और जारी रही तथा इन तदर्थ नियुक्तियों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिये 22-8-1979 को संघ लोक सेवा आयोग को एक पत्र लिखा गया । 9 अक्तूबर, 1979 के अपने पत्र में आयोग ने सलाह दी कि पहले जी डी एम ओ-I के पद के लिए भर्ती विनियमों को अन्तिम रूप दिया जाए और उसके पश्चात् उनको जी डी एम ओ-I में नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया जाए । निगम के पत्र दिनांक 16-11-1976 द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि निगम को टिप्पणियों सहित भर्ती विनियम उनको भेजे जा चुके हैं और उनसे अनुरोध किया कि वे मामले पर पुनः विचार करें । तत्पश्चात आयोग ने समय-समय पर कुछ स्पष्टीकरण/अतिरिक्त सूचनाएं मांगी जो उन्हें भेज दी गई हैं । इस विषय पर संघ लोक सेवा आयोग को अन्तिम पत्र 22-4-1981 को भेजा गया था । इसके अतिरिक्त आयोग ने डाक्टरी पदों के लिए भर्ती विनियमों को अनुमोदित कर दिया है और उनको अधिसूचित करने के पश्चात् नियमित नियुक्तियों के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाने हेतु आयोग को पत्र भेजना सम्भव होगा किन्तु यह कार्य संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से जी डी एम ओ-II को वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप देने कि पश्चात संभव होगा ।

एककों की स्थापना में नए उद्यमियों को कठिनाइयां

9916. **श्री गुफरान आजम** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को एककों की स्थापना में नये उद्यमियों को हो रही कठिनाइयों का पता है;

(ख) यदि हां, तो समूची प्रक्रिया को तेज करने में हो रही जटिलताओं को सरल करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार स्तर ही पर अधिकांश प्रारम्भिक औपचारिकताओं को दूर कर देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या सरकारी विशेषज्ञ विभिन्न फार्मों तथा विवरणियों को भरने में सहायता करेंगे ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) किन्हीं विशेष कठिनाइयों, यदि कोई हो के उल्लेख अभाव में कोई भी टिप्पणी करना संभव नहीं है।

(ख) हाल ही में औद्योगिक लाइसेंस देने तथा स्वीकृत प्रक्रिया को सरल बनाकर उसे काफी तेज कर दिया गया है। उदारीकरण की और बातें भी घोषित कर दी गई हैं। नीति विषयक इन सभी उपायों से उद्यमियों को पहले से ही सहायता मिल रही है।

(ग) औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय सभी आवश्यक लाइसेंसों की स्वीकृति देने का एक केन्द्र बिन्दु है।

(घ) उद्योग मंत्रालय का उद्यमिता सहायता एकक मदद कर ही रहा है तथा उन इच्छुक उद्यमियों को जो विभिन्न प्रकार के कामों तथा विवरणियों को पूरा करने हेतु जब भी आते हैं उक्त एकक उनकी सहायता करने के लिये तैयार रहता है।

पुराने पोतावशेषों की खोज

9917. **श्री आर० पी० यादव** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात और अन्य स्थानों पर रह रहे कई अरब नाविकों के पास ऐसी दैनिक प्रविष्टि डायरियां हैं जिनमें पुराने बंदरगाहों और पोतावशेषों का ब्योरा दर्शाया गया है।

(ख) क्या पुराने पोतावशेषों की खोज करने और समुद्री पुरातत्वअवशेषों को एकत्र करने हेतु परम्परागत नाविकों से उपरोक्त कागजात को प्राप्त करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि गुजरात और अन्य स्थानों में रहने वाले कई अरब नाविकों के कब्जे में इस प्रकार के पुरातन पत्तनों और जहाजों के डूबने के इन्दिराज पुस्तक के बारे में ऐसे कोई रिकार्ड हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

पुराने पोतावशेषों को खोजने की प्रौद्योगिकी

9918. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोआ, का पुराने पोतावशेषों का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस समुन्द्री पुरातत्व कार्यक्रम में देशी प्रौद्योगिकी और संसाधन काम में लाई जायेंगी या उनके लिए किसी विदेशी एजेन्सी का सहयोग लेने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान ने तमिलनाडु के समुन्द्र में जल के अंदर अन्वेषण की परियोजना प्रारम्भ की है। इस परियोजना का उद्देश्य तमिलनाडु के समुद्र में तथाकथित डूबी हुई संरचनाएं, जो संभवत: मंदिर और प्राचीन ध्वंसावशेष हैं, का अन्वेषण करना है।

(ख) यह परियोजना देशज प्रौद्योगिकी स्रोतों और निपुणता द्वारा तमिलनाडु सरकार के पुरातत्व विभाग के सहयोग से चलाई जायेगी। कोई बाहरी एजेंसी इसमें सम्मिलित नहीं है।

(ग) राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान और तमिलनाडु सरकार के पुरातत्व विभाग ने जल के अन्दर पुरातात्विक अन्वेषण के लिए एक सहयोग कार्यक्रम तैयार किया है कावेरीपट्टनम के समुद्र के क्षेत्रों में, जहां डूबी हुई संरचना तट से अधिक दूर नहीं होने की और ट्रांक्विबार के समीप जलयान के ध्वंसावशेषों की सूचना है, का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय समुद्र-विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक इकोसाउंडर साइड स्कैन सोनर अन्तर्जलीय कैमरा और मैग्नेटोमीटर की सहायता से सर्वेक्षण करेंगे और पुरातत्व विभाग, तमिलनाडु सरकार, स्थानीय समर्थन, नावें, जीप और श्रमिक इत्यादि प्रदान करेगी। संस्थान का सर्वेक्षण दल सर्वेक्षण के लिए तट मार्कर नियत करने को इस क्षेत्र में आ चुका है।

'सोवियत प्लानिंग एक्सपर्ट्स टीम हियर फार टाक्स' शीर्षक समाचार

9919. **डा० बसन्त कुमारप पण्डित** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 मार्च, 1981 के 'नेशनल हेरल्ड' में 'सोवियत योजना विशेषज्ञों का दल यहां बातचीत के लिए' (सोवियत प्लानिंग एक्सपर्ट्स टीम हियर फार टाक्स) शीर्षक समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो जिस सोवियत प्रतिनिधिमण्डल ने भारत की यात्रा की, उसके नेता, अन्य सदस्यों के नाम तथा दर्जा क्या है, वे कितने दिन यहां रहे और किन-किन स्थानों की यात्रा की;

(ग) बातचीत के अन्त में दोनों देशों के मध्य हस्ताक्षरित सन्धि का मूल पाठ क्या है; और

(घ) क्या जापान, अमेरिका, फ्रांस आदि विकसित देशों से वैसे ही दल आमंत्रित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) जिस सोवियत प्रतिनिधिमण्डल ने भारत की यात्रा की उसके नेता और अन्य सदस्यों के नाम और दर्जा संलग्न विवरण दिए गए हैं। सोवियत प्रतिनिधिमण्डल का भारत में 23 मार्च, 1981 को आगमन हुआ और उसने 31 मार्च, 1981 को मास्कों के लिए प्रस्ताव किया। इस प्रतिनिधिमण्डल ने पन्तनगर स्थित कृषि विश्वविद्यालय, आसपास के क्षेत्रों में ग्रामीण विकास

परियोजनाओं और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा की। प्रतिनिधिमण्डल के कुछ सदस्य आगरा भी गए।

(ग) विचार-विमर्श की समाप्ति के बाद भारत-सोवियत योजना दल की पांचवीं बैठक के सहमत और दि० 30-3-1981 की हस्ताक्षरित कार्यवृत की 5 प्रतियां संसद पुस्तकालय में रखी गई हैं।

(घ) जी, नहीं।

विवरण

भारत-सोवियत योजना दल की पांचवीं बैठक के लिए सोवियत प्रतिनिधिमन्डल का गठन

नाम	दर्जा
1. डा० ए०वी० बकुरिन (नेता)	सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष
2. श्री जी० ए० शिरयाइव	सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ की राज्य योजना समिति के विभागाध्यक्ष
3. श्री ए०आई० प्लाविंस्की	सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की राज्य योजना समिति के प्रभागाध्यक्ष
4. श्री आई० डी० रिजीव	सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की राज्य योजना समिति के प्रभागाध्यक्ष
5. श्री डी० एन० श्मेलेव	—वही—
6. श्री के०वी० मिशक	भारत सोवियत संयुक्त आयोग के सोवियत पक्ष के सलाहकार
7. श्री वी०एफ० मिखइलोव	सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ के विदेश व्यापार बैंक विभाग-प्रमुख
8. श्री वी०आई० गरमाश	सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ के केन्द्रीय सांख्यिकीय बोर्ड के उप प्रभाग प्रमुख
9. श्री वाई० एम० यूरोन्सन	सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ की राज्य योजना समिति के मुख्य कंप्यूटर केन्द्र के प्रमुख विशेषज्ञ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा लेजर में दर्ज राशि का मिलान

9920. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने अस्तित्व में आने के बाद से अब तक, भविष्य निधि अंशों की लेजर में दर्ज की गई राशि और उक्त संगठन द्वारा बैंकों आदि में रखी गई/लगाई गई राशि का मिलान नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई द्वारा निधि का निवेश समग्ररूप से किया जा रहा है और न कि क्षेत्रवार। कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों के लेजर खाते सम्बन्धित क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रखे जा रहे हैं। लेजर बैंक के आकलन-पक्ष में अंशदान और सदस्यों के लेखे में जमा ब्याज शामिल है, निवेश लेखे में अंशदान, दांडिक हर्जाने सदस्यों के लेखे से जब्त राशि, प्रतिभूतियों से प्रतिदान, निवेश से वसूल ब्याज तथा पुनिवेश शामिल है। अतः बकाया खाते की मिलान पद्धति को न तो निर्धारित किया गया है और न ही यह व्यवहार्य है।

अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत प्रति नियुक्ति पर गये अधिकारियों को मानदेय राशि

9921. **श्री क्रिस्टोफर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विगत में प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारियों को अनिवार्य जमा योजना के लिए मानदेय राशि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा उनके मूल विभागों की स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही, अदा की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 को लागू करने के परिणामस्वरूप, वित्त मंत्रालय ने प्रतिष्ठानों के कुछ वर्गों के बारे में अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) योजना की व्यवस्था से सम्बन्धित काम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को सौंपा। इस अतिरिक्त कार्य को ध्यान में रखते हुए, वित्त मंत्रालय ने अधिकारियों को, जो कुछ पदों पर काम कर रहे थे, 1976 से निर्धारित दरों पर मानदेय की अदायगी मंजूर की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रतिनियुक्ति पर गए कुछ अधिकारियों को भी जो उन पदों पर काम कर रहे थे, विभागीय अधिकारियों के साथ वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों की शर्तों के अनुसार मानदेय दिया गया। चूंकि यह मानदेय भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने पदों के कुछ वर्गों से सम्बद्ध विशिष्ट कार्य को करने लिए मंजूर किया था, इसलिये प्रतिनियुक्ति पर गये पदधारियों को भी उनके मूल विभागों की कोई और स्वीकृति प्राप्त किये बिना मानदेय दिया गया।

बंधुआ मजदूरों का सर्वेक्षण

9922. **श्री कमलनाथ झा :**
श्री के० लकप्पा :
श्री गिरधारी लाल डोगरा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना तथा श्रम मंत्रालयों द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार देश में बंधुआ मजदूरों की संख्या क्या है;

(ख) भारतीय श्रमिक संस्थान के सहयोग से "ब्रेड कार दी वर्ल्ड वेस्ट जर्मनी" द्वारा निधिबद्ध गांधी शान्ति संस्थान द्वारा सर्वेक्षण के अनुसार देश में बंधुआ मजदूरों की संख्या क्या है;

(ग) क्या दोनों सर्वेक्षणों के आंकड़े परस्पर विरोधी हैं; और

(घ) यदि हां, तो अन्तर क्या है; और कौन से आंकड़े अधिकृत समझे जायें ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) योजना मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 23वें दौर (1977-78) के अनंतिम नतीजों के अनुमानों के अनुसार 15-59 वर्ष के आयु वर्ग में बंधुआ श्रमिकों की संख्या लगभग 3.45 लाख व्यक्ति सप्ताह तथा 3.27 लाख व्यक्ति दिवस है। तथापि, यह एक अन्तरिम अनुमान है। अन्तिम अनुमानों के आंकड़े प्रतीक्षित हैं। बन्धुआ श्रमिकों की संख्या के सम्बन्ध में श्रम मंत्रालय ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। राज्य सरकारों, जो बन्धुआ श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन तथा बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी है, वे अपने-अपने सर्वेक्षण किये हैं और सूचित किया है कि 1.4.81 को देश में बन्धुआ श्रमिकों की संख्या 1,21,973 थी। केन्द्रीय सरकार ने इन आंकड़ों को स्वीकार कर लिया है।

(ख) सर्वेक्षण से अनुमान लगाया गया है कि कृषि क्षेत्र में बन्धुआ श्रमिकों की संख्या 26,17,000 है।

(ग) जी, हां। गांधी संस्थान तथा राज्य सरकार के अनुमानित आंकड़ों में काफी अन्तर है।

(घ) इन आंकड़ों की संख्या राज्य सरकारों के अनुसार 1.21 लाख है तथा गांधी शान्ति संस्थान के अनुसार 26.17 लाख के बीच है केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा सर्वेक्षित तथा सत्यापित किए गए आंकड़ों अर्थात 1,21,973 को स्वीकार कर लिया है।

उत्तर प्रदेश सरकार तथा कलकत्ता में तैनात हथकरघा कर्मचारियों के बीच विवाद

9523. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार हैण्डीक्राफ्ट्स कलकत्ता के शो-रूमों को बिक्री के माध्यम से दिये जा रहे संसाधन का उपयोग किये जाने के प्रश्न पर राज्य से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) ऐसी कोई रिपोर्ट श्रम मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है।

घड़ियों के डायल बनाने के लिए उद्योग स्थापित करना

9924. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में घड़ियों के डायलों के निर्माण के लिए परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ग) ये परियोजनाएं कहां-कहां स्थापित की जाएंगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। किन्तु 10 लाख घड़ियों के डायलों का उत्पादन करने के लिए एक परियोजना की स्थापना करने हेतु 23 जनवरी, 1981 को तकनीकी विकास के महानिदेशालय नई दिल्ली में मैसर्स राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट तथा इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लि०, जयपुर को पंजीकृत किया गया है।

2. परियोजना में प्रस्तावित निवेश निम्न प्रकार :—

(1) भूमि	0.68 लाख रुपये
(2) भवन	14 लाख रुपये
(3) मशीनरी	
1. देशी	30 लाख रुपये
2. आयातित	25 लाख रुपये

3. इस परियोजना को राजस्थान राज्य के उरीवा तहसील उदयपुर में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

आनन्द पर्वत क्षेत्र दिल्ली की ग्लेयर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, कुलदीप में केमिकल वर्क्स कर्मचारियों को बोनस की भुगतान

9925. **श्री के० ए० राजन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि (एक) ग्लेयर इलेक्ट्रीकल इंडस्ट्रीज, (दो) कुलदीप मेकेनिकल वर्क्स (तीन) देट पेण्ट्स और (चार) वर्ग इलेक्ट्रीकल्स, आनन्द पर्वत इंडस्ट्रीयल एरिया गली नं० 7), दिल्ली-3, अपने कर्मचारियों को बोनस का भुगतान नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच/छानबीन की जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) जांच-पड़ताल के पश्चात दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अधीन कोई भी प्रतिष्ठान नहीं आता और न ही आने वाला है, क्योंकि वे न तो कारखाना अधिनियम के अधीन कारखानों के रूप में पंजीकृत हैं और न ही वे 20 या अधिक श्रमिकों को नियोजित करते हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को तदर्थ पदोन्नतियां

9926. **श्री जी० बी० गोहिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय द्वारा (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ओ० एम० संख्या 36021/7/78ई० एस० टी० टी० (एस० सी० टी०) दिनांक 16 अप्रैल, 1979 सभी सम्बन्धित विभागों को जारी किये गये निदेश अभी तक लागू हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार उनकी नियमित पदोन्नतियों के लिए रखी गई शर्तों की पात्रता प्राप्त करने के तत्काल बाद ही सामान्य वर्ग के अन्य वरिष्ट उम्मीदवारों के साथ 40 सूत्रीय रोस्टर के अनुसार उनकी तदर्थ पदोन्नतियों के लिए भी विचार किया किया जाता है, बशर्ते कि की जाने वाली तदर्थ पदोन्नतियां अनिवार्य हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 16.4.1979 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36021/7/78-स्थापना (अनु० जा०) जो अभी भी लागू है, के अनुसार जहां कहीं लोकहित में तदर्थ पदोन्नतियां करना अपरिहार्य हो जाए, वहां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उन अधिकारियों के दावों पर भी, जो पात्र हों अन्य अधिकारियों के साथ-साथ सम्यक रूप से विचार किया जाना चाहिए, यद्यपि तदर्थ पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए कोई औपचारिक आरक्षण नहीं किया जाना है। परन्तु, तदर्थ पदोन्नतियां करने के प्रयोजन से कोई रोस्टर नहीं रखा जाता है।

कर्मचारी राज्य बीमा के अस्पतालों में औषधियों और डाक्टरों की कमी

9927. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में कर्मचारी राज्य बीमा के अस्पतालों में औषधियों, डाक्टरों और शाखाओं की कमी के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार डाक्टरों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था करने और इन अस्पतालों में पर्याप्त शाखाएं और औषधियां सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां। अस्पताल में पलंगों और डाक्टरों की कुछ कमी है। तथापि, यह सूचित किया गया है कि औषधियों की आपूर्ति के संबंध में स्थिति सामान्य संतोषजनक है।

(ख) और (ग) 31-3-1980 को 29,932 पलंगों की कुल जरूरत थी जिसमें से कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा बनाए गए अस्पतालों और उप-भवनों में 16,012 पलंग उपलब्ध हैं तथा विभिन्न सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 4,723 पलंग आरक्षित किए गऐ हैं। 3,004

पलंगों वाले 21 अस्पतालों और 8 उप-भवनों का पहले से ही निर्माण कार्य चल रहा है। 4225 पलंगों वाले 49 और अस्पतालों के लिए प्लान और अनुमान तैयार करने/भूमि प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

कर्मजारी राज्य बीमा निगम ने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया है कि वे पर्याप्त पदोन्नति अवसरों सहित ई० एस० आई० चिकित्सा पदों का पृथक केडर गठित करें ताकि इसमें आयुक्त डाक्टरों को आकर्षित किया जा सके। उपलब्ध सूचना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ई० एस० आई० चिकित्सा पदों के पृथक केडर पहले से ही गठित किए जा चुके हैं। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र से अनुरोध किया जा रहा कि वे इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करें।

ग्रामीण रेशम उत्पादन उद्योग विकास संस्था, तिरुपति

9928. **श्री बी० एन० गाडगिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिरुपति स्थित ग्रामीण रेशम-उत्पादन उद्योग विकास संस्था ने विदेशों से लाखों रुपये प्राप्त किए हैं;

(ख) अब तक उसे कितनी राशि प्राप्त हो चुकी हैं; और

(ग) क्या उक्त राशि का उपयोग उसे राधाकृष्ण नगर नामक आवास कालोनी के निर्माण पर खर्च करने दिया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) ग्रामीण रेशम उत्पादन उद्योग विकास संस्था, तिरुपति अभिवादन (विनियम) अधिनियम 1976 की धारा 6(1) के अन्तर्गत विदेशों से प्राप्त धन के विषय में विवरणी प्रस्तुत करती रही है।

ग्रामीण रेशम उत्पादन उद्योग विकास संस्था, तिरुपति द्वारा वर्ष 1978 से 1980 के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदान की राशि और इसके प्रयोजन के उद्देश्य का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

ग्रामीण रेशम उत्पादन उद्योग विकास संस्था तिरुपति (आन्ध्र प्रदेश) द्वारा वर्ष 1978 से 1980 के लिए प्राप्त विदेशी अभिदान की राशि और प्राप्त दान के प्रयोजन का विवरण

विदेशी अभिदान की राशि	प्रयोजन
(1)	(2)
	1978
19,46,081	आन्ध्र प्रदेश में ज्वार-भाटा और चक्रवात को तबाही से पीड़ित
8,15,441	कमजोर वर्गों को वस्त्रों का वितरण, चक्रवात ज्वार-भाटे से
3,93,570	रक्षित स्थायी घरों को निर्माण करके आश्रय देना, कृषि और

(1)	(2)
8,04,271	व्यवसायिक उपकरणों की आपूर्ति करना, भूमि की उपज
11,70,608	के योग्य बनाने के लिए रेत की परतों को हटाकर भूमि का सुधार करना, उर्वरक, बीज इत्यादि की आपूर्ति, इत्यादि जैसे राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यक्रमों के लिये।
1,14,720	आन्ध्र प्रदेश में चक्रवात और ज्वार भाटे की लहरों से पीडित
1,19,996	व्यक्तियों के लिए वस्त्र देने के लिए। आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर
5,09,528	जिले के चन्द्रागिरी खण्ड के 21 गांवों में समग्र ग्रामीण विकास
4,28,565	कार्य, कार्यक्रम के लिए।
63,02,780	

1979

13,94,707	परियोजना सं० 77-8-45 चित्तूर जिले में ग्रामीण विकास परियोजना।
77,67,817	परियोजना सं० 77-12-92 गुन्टूर जिले में चक्रवात पुनर्वास और पुनर्निर्माण परियोजना।
18,31,404	परियोजना सं० 79-8-56 नैल्लौर और प्रकाशम जिलों में चक्रवात से पीड़ित तटीय क्षेत्रों में चक्रवात पुनर्निर्माण परियोजना।
1,09,93,928	

1980

5,26,400	गुन्टूर जिले में चक्रवात पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यक्रम।
2,06,397	
4,38,549	
4,37,588	चित्तूर जिले के चन्द्रागिरी खण्ड के 21 गांवों में समग्र ग्रामीण
2,14,019	विकास कार्यक्रम।
6,46,631	नैल्लौर और प्रकाशन जिलों में चक्रवात पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यक्रम।
24,69,584	

भारी इंजीनियरिंग निगम के अधीन क्वार्टरों का आवंटन

9929. **श्री राम विलास पासवान** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी इंजीनियरी निगम के अधीन कुल कितने क्वार्टर हैं, और उनमें से कितने पर अनाधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है;

(ख) उन क्वार्टरों में रहने वालों में कर्मचारियों तथा अन्य लोगों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) भारी इंजीनियरी निगम में अब तक कुल कितनी दुकानें आवंटित की जा चुकी हैं और उन से कितनी मासिक आय होने की आशा है तथा गत एक वर्ष के दौरान कुल कितनी आय हुई; और

(घ) भारी इंजीनियरी निगम के कर्मचारियों की श्रेणी-वार कुल संख्या कितनी है, और वे कितने मकानों के आवंटन के पात्र हैं, कितने कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित किये गये हैं और जिन्हें अब तक क्वार्टर का आवंटन नहीं किया जा सका है, उन्हे आवंटित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) (1) क्वार्टर की कुल संख्या 11451, (2) अनाधिकृत रूप से कब्जे वाले क्वार्टरों की संख्या 303।

(ख) अनाधिकृत कब्जों का ब्यौरा :—

(1) एच० ई० सी० के कर्मचारी	251
(2) क्लबों, युनियनों तथा एसोसिएशनों	31
(3) बाहरी व्यक्तियों	21

(ग)

(1) आवंटित दुकानों/प्लांटों की कुल संख्या	1134
(2) अनुमानित मासिक आय	30,620 रुपये
(3) पिछले वर्ष प्राप्त राशि	2,69,500 रुपये

(घ)

क्वार्टरों का टाइप	पात्र कर्मचारियों की संख्या	आवंटित क्वार्टरों की संख्या
एफ	65	46
ई	836	389
सी० डी० तथा समकक्ष	4937	1585
बी	5512	3954
दो मंजिले मकान (अस्थायी) तथा समकक्ष	9307	3685
एक मंजिले मकान (अस्थायी) तथा समकक्ष	762	1085
आवश्यक बाहरी एजेंसियों गैस डाक विभाग बैंकों, पुलिस आदि को आवंटित क्वार्टर		404

300 दो मंजिले मकानों के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है।

नई दिल्ली के आवासीय क्षेत्रों में लघु उद्योगों का चलाया जाना

9930. **श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली के आवासीय क्षेत्रों में वैध लाइसेंसों के बिना कुछ लघु उद्योग चल रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे उद्योगों की संख्या क्या है और वे कहां-कहां चल रहे हैं; और

(ग) इन लघु उद्योगों की अस्थायी/स्थायी लाइसेंस जारी करने के लिए निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) जी, हाँ। इस मामले का सम्बन्ध दिल्ली नगर निगम से है तथा ऐसे एककों के बारे में उनके पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत घोषित 56 घरेलू उद्योगों में से (सूची विवरण के रूप में संलग्न है) किसी भी उद्योग को चलाने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रिहायशी क्षेत्रों में लाइसेंस जारी किए जाते हैं :—

(1) लाइसेंस मंजिलों (तलों) को ध्यान में रखे बिना किन्तु बेसमेंट में नहीं, किन्तु केवल एक ही व्यक्ति के नाम जारी किया जाएगा न कि एक फर्म के नाम।

(2) कामगारों की संख्या 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(3) तेल घानी को छोड़कर जिसमें विद्युत भार 2 किलो वाट होता है, सभी घरेलू धन्धों में विद्युत भार 1 किलो वाट होगा।

(4) आवेदक/लाइसेंसधारी को उसी क्षेत्र में रहना चाहिए जहां के लिए लाइसेंस मंजूर किया जाता है।

(5) लाइसेंस दिए जाने वाले परिसर का क्षेत्र 300 वर्ग गज से अधिक नहीं होना चाहिए।

(6) ऐसे एककों द्वारा समुचित स्वास्थ्य सम्बन्धी शर्तों और अग्नि से बचाव के उपायों का सुनिश्चिय करना होगा।

दिल्ली नगर निगम द्वारा अब तक करीब 11,000 ऐसे पालिका लाइसेंस जारी किये गये हैं।

विवरण

उद्योग निदेशालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली के पत्रसंख्या रजि० 7(7)/डी० आई०/10458-59 दिनांक 23.11.1977 के द्वारा जारी किए गए

दिल्ली नगर निगम के आयुक्त के कार्य में 8 नवम्बर, 1977 को घरेलू उद्योगों की परिभाषा करने के लिए गठित समिति की बैठक में स्वीकृत घरेलू उद्योगों की सूची :—

1. अगरबत्ती और अन्य उत्पाद
2. कैलिको और कपड़े की छपाई
3. बेंत और बांस के उत्पाद

4. मिट्टी के खिलौने बनाना
5. कयर और अन्य अग्नि उत्पाद
6. जारी जरदोजी
7. होजरी
8. आभूषण बनाने का कार्य
9. पत्थर पर नक्काशी
10. निम्नलिखित के निर्माण हेतु :—
    1. ब्लैन्को केक
    2. ब्रुश
    3. खड़ियां से चित्र बनाना
    4. आइसक्रीम और कन्फैक्शनरी
    5. जैम, जेलीज और फल परिरक्षण
    6. तंग वस्त्र और लाख का कार्य करने सम्बन्धी समान
    7. मरम्मत सहित वाद्य यन्त्र
    8. चमड़े की सजावटी वस्तुएं जैसे बटुए-हैंड बैग
    9. छोटी इलैक्ट्रानिक्स वस्तुएं
11. कागज स्टेशनरी की चीजें
12. सजावटी मालाओं और गुलदस्तों (फूलों के) को बनाने का कार्य
13. तस्वीरों के फ्रेम बनाना
14. दर्जीगीरी
15. धागे के गोले और कॉटन फिलिंग्स
16. सामान जोड़कर छाता बनाना
17. लकड़ी पर नक्काशी (खुदाई का काम) और लकड़ी का कलात्मक सामान
18. सिवई और मैकरोनी
19. इलैक्ट्रोनिक्स वस्तुओं को जोड़ कर तैयार करना और उनकी मरम्मत करना
20. हाथी दांत पर नक्काशी करना
21. गत्ते के डिब्बे बनाना
22 प्लास्टिक और पी० वी० सी० उत्पाद
23. खिलौने और गुड़ियां
24. लुग्दी बनाने की मशीन

25. तांबे और पीतल का कलात्मक सामान

26. लाख के उत्पाद

27. मोमबत्तियां

28. रस्सी, रस्से बनाना तथा उनकी बटाई (भांजना) करना

29. बातिक कार्य

30. बढ़ईगीरी

31. खेल का सामान

32. चमड़े के जूते

33 बिजली के पुर्जों को जोड़कर सामान बनाना

34. दरी और कालीन बुनाई

35. ऊन के गोले और लच्छियां बनाना

36. खादी और हथकरघा

37. चमड़ा और रेक्सीन से बना सामान

38. इत्र और अंगराग सामग्री

39. सिलाई मशीनों को जोड़कर तैयार करना और मरम्मत करना

40. सर्जिकल पट्टियों को लपेटना और काटना

41. घाड़ियों और दीवाल घड़ियों की मरम्म करना ।

42. फाउन्टेन पेन और बाल पेन

दिल्ली नगर निगम के आयुक्त की अध्यक्षता में 3.3.1978 को हुई बैठक के परिणामस्वरूप इसमें बढ़ाई गई वस्तुएं

43. 2 किलो वाट तक के विद्युत भार (दबाव) वाली ग्रामीण तेल घानी उद्योग

44. अखाद्य तेलों से निर्मित साबुन

45. लुहार गीरी

46. 1 कि० वाट के विद्युत भार वाला ग्रामीण कुम्हारगीरी उद्योग (बशर्ते कि यह व्यापार भट्टी का प्रयोग किए बिना चलता रहे)

दिल्ली नगर निगम के आयुक्त की अध्यक्षता में 14 सितम्बर, 1979 को हुई समिति की बैठक के फलस्वरूप बढ़ाई गई वस्तुएं :

47. कान्टैक्ट लैंसों का निर्माण करना

48. ब्लाक निर्माण और फोटो को बड़े आकार का करना

49. 1 किलो वाट के साथ फोटो सेटिंग

50. अग्नि विभाग से एन० ओ० सी० के अधीन आभूषण रखने के लकड़ी कार्ड बोर्ड के बक्से

51. फोटो स्टेट और साइक्लोस्टाइलिंग

52. हैंड प्रेस से स्टोव की पिनों, सेफ्टी पिनें तथा अल्यूमिनियम के बटन बनाना

53. किरमिच के थैले और होलडाल

54. बड़ियां और पापड़ बनाना

55. मशीन से ऊन की बुनाई करना

56. कशीदाकारी ।

"वाइड नेट आफ पाक स्पाईज एण्ड स्मगलर्स आन राजस्थान बार्डर" शीर्षक से समाचार

9931. **श्री अशोक गहलोत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्थान सीमा पर पाकिस्तानी जासूसी तथा तस्तरों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या उपाय किए हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव पश्चिमी राजस्थान की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरे क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) सरकार ये प्रकाशित "इतवारी पत्रिका" पत्रिका के 14 और 21 दिसम्बर, 1980 के अंकों में इस विषय में छपी खबर देखी है । सरकार राजस्थान सीमा पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए लगातार सतर्कता बरत रही है । सीमा पर तैनात सुरक्षा बल सतर्क है और गहन गश्त करते हैं तथा जासूसों और तस्करों की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए घात लगाते हैं ।

अलीपुर, दिल्ली में बलात्कार सम्बन्धी शिकायत

9932. **श्री रामजी भाई मावणि** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1980 में दिल्ली के अलीपुर गांव में कुछ बदमाशों द्वारा कुछ महिलाओं के साथ बलात्कार किये जाने सम्बन्धी कोई शिकायतें पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी और प्राप्त हुई थी या कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी;

(ख) क्या उक्त बलात्कार के मामलों से सम्बद्ध बदमाशों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए, सितम्बर, 1980 से अप्रैल, 1981 तक अवधि के दौरान कुछ व्यक्तियों की ओर से इस मामले में पुलिस अधिकारियों, पुलिस आयुक्त और मंत्रियों को पत्र प्राप्त हुए;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट, शिकायतों और प्राप्त पत्रों का ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या पुलिस ने अभी तक बदमाशों को गिरफ्तार नहीं किया है, हालांकि वारन्ट जारी किए जा चुके हैं;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और बदमाशों को कब तक गिरफ्तार किए जाने की सम्भावना है; और

(च) क्या यह सच है कि बलात्कार के उक्त मामले से सम्बन्धित बदमाश बेधड़क घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस उन बदमाशों को गिरफ्तार नहीं करती ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) श्रीमती कौशल्या देवी की शिकायत पर थाना अलीपुर में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 376/506/452 की धारा में अन्तर्गत तारीख 9-9-1980 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 270 के तहत तथाकथित बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था।

(ख) से (च) अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए विभिन्न वर्गों से काफी बड़ी संख्या में पत्र प्राप्त हुए हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती कौशल्या देवी (उम्र 60 वर्ष) ने सूचित किया था कि 8/9 सितम्बर, 1980 की रात को जब वह अपने कमरे में सो रही थी, तो 25/30 वर्ष का एक जवान व्यक्ति, खजान सिंह का पुत्र अपने हाथ में चाकू पकड़े हुए उसके कमरे में प्रविष्ट हुआ और उसे चुप रहने की धमकी दी, अन्यथा वह उसे मार देगा। उसने उसके साथ बलात्कार किया। जब अभियुक्त जा रहा था तो उसने शोर मचाया, जिस पर उसका लड़का मूलचन्द उसके कमरे में आया और उसने उसको घटना का विवरण दिया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के वारन्ट जारी किए गए थे लेकिन अभी तक उसे पकड़ना संभव नहीं हो सका। अभियुक्त को गिरफ्तार करने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। अभियुक्त के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/83 के तहत आदेश प्राप्त किए गए हैं।

रैली के पश्चात् हिमाचल प्रदेश के गुम किसान

9933. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल पुलिस ने उन 60 से भी अधिक गुमशुदा किसानों की खोज करने के लिए दिल्ली पुलिस की सहायता मांगी है जो दिल्ली में 16 फरवरी, 1981 को हुई किसान रैली के बाद अपने घर वापस नहीं लौटे हैं;

(ख) क्या वह भी सच है कि गुमशुदा व्यक्तियों को ढूंढने के लिए उन के फोटो दिल्ली पुलिस को भेजे गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) नाहन, हिमाचल प्रदेश के पुलिस अधीक्षक से 10 किसानों के लापता होने के संदेश प्राप्त हुए थे जो किसान रैली में भाग लेने आए हुए थे। इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस में एक लड़के के लापता होने की एक रिपोर्ट दर्ज है।

(ख) हिमाचल प्रदेश के सहायक उप-निरीक्षण श्री हरि राम द्वारा लापता लड़के नामत: प्रदीप सिंह का फोटो दिल्ली पुलिस को सुपुर्द किया गया था।

(ग) बाद में नाहन, पुलिस अधीक्षक से 10 व्यक्तियों के वापस आने की सूचना प्राप्त हुई थी। लापता लड़का, प्रदीप सिंह का अभी तक पता नहीं लगा। आकाशवाणी को प्रसारण के लिए 24-2-81 को सूचना भेजी गई थी और लापता लड़के के फोटो को दूरदर्शन पर दिखाने के लिए 25-2-1981 को दूरदर्शन केन्द्र को भेजा गया था। लापता लड़के का पता लगाने के प्रयत्न जारी हैं।

पुंछ में पाकिस्तानी जासूसों का पकड़ा जाना

9934. **श्री जगपाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुंछ में एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो उस से कोई अधिकृत वस्तुएं प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जम्मू व कश्मीर सरकार से तथ्यों का पता लगाया जा रहा है।

छोहार ब्लाक, शिमला का आदिवासी क्षेत्र घोषित किया जाना

9935. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छोहार ब्लाक की आदिवासी क्षेत्र घोषित करने के लिए रोहरू तहसील और विकास खण्ड समिति गिरगांव, तहसील रोहरु जिला शिमला की जनता से अनेक अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार को उस क्षेत्र की जनता व निर्वाचित प्रतिनिधि से सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने सेवा काल में अपने सरकारी पदों तथा तंत्र का दुरुपयोग करके भू-सम्पत्ति इकट्ठी किये जाने और गरीबी से नीचे की रेखा में रहने वाले छोटे किसानों को अपनी भूमि बेच देने के लिए विवश करने के बारे में पहले अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस अत्यन्त पिछड़े हुए पर्वतीय क्षेत्र का आम विकास सुनिश्चित करने और ऐसे लोगों की भू-सम्पत्ति बेचने पर रोक लगाने के लिये जो इस क्षेत्रों के वास्तविक निवासी नहीं हैं; क्या कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार को ऐसे अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) राज्य सरकार द्वारा सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर मामले पर विचार किया जाएगा।

प्रोटोकोल सूची में संसद्-सदस्यों को शामिल किया जाना

9936. **श्री राम नाथ दुबे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महत्वपूर्ण सरकारी समारोहों तथा अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर भूतपूर्व संसद् सदस्यों तथा भारत के विधान मंडल के सदस्यों तक की अवहेलना किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) सामान्य नागरिकों, व्यापारियों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों को विभिन्न सरकारी समारोहों तथा स्वागत समारोहों के लिये आमंत्रित सूची में किस आधार पर शामिल किया जाता है; तथा दिल्ली में रह रहे भूतपूर्व संसद सदस्यों अथवा इस आशय की सूचना देने वालों को कि वे ऐसे अवसरों पर दिल्ली में रहेंगे, की उपेक्षा की जाती है; और

(ग) भूतपूर्व संसद सदस्यों की हैसियत को मान्यता देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) पूर्ववर्तिता की सारणी में, जो अन्य बातों के साथ पूर्ववर्तिता क्रम को मान्यता देती है, संसद सदस्य शामिल होते हैं, परन्तु भूतपूर्व संसद सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति जिनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, शामिल नहीं होते लेकिन राज्य समारोहों तथा अन्य अवसरों पर अधिकारियों के साथ भूतपूर्व संसद सदस्यों समेत गैर-अधिकारी भी शामिल होते हैं जो समारोह अथवा अवसर और बैठने की क्षमता की सीमा इत्यादि पर निर्भर होता है।

विदेशों के लिए भारत में जासूसी संबंधी गतिविधियाँ

9937. **श्री जेवियर अराकल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 से 1981 तक भारत में विदेशों के लिए जासूसी संबंधी गतिविधियों के कारण कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं;

(ख) उनमें से कितने सरकारी कर्मचारी हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि के० जी० बी०, सी० आई० ए०, और ऐसी अन्य ऐजेंसियां हमारी महत्वपूर्ण सेवाओं में घुस पैठ कर रही हैं यदि हां, तो ऐसी घटनाओं की पुनावृत्ति रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि 'रा" और अन्य नाजुक सेवाओं में हाल में हुए आन्दोलन इन्हीं विदेशी ऐजेंसियों द्वारा चलाये गऐ हैं; यदि हां, तो सरकार ने उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) बाहरी एजेंसियों द्वारा घुसपैठ के विरुद्ध संबंधित विभागों और सुरक्षा संगठनों द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है।

(घ) संवेदनशील संगठनों के ऐसे मामलों पर विचार विमर्श करना जनहित में नहीं है।

बर्मा के नौसैनिक जहाज द्वारा घुसपैठ

9938. **श्री अमर राय प्रधान :**

श्री बी० वी० देसाई :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नारकोडम द्वीप से दूर भारतीय समुद्री सीमा में बर्मा के नौसैनिक जहाजों ने घुसपैठ की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) 8 मार्च, 1981 को एक बर्मी नौसैनिक गन बोट नारकोंडस द्वीप समूह के पास लंगर डाले हुई थी। कुछ बर्मी नौसेना कार्मिक उस द्वीप पर उतरे थे परन्तु शीघ्र ही वे वहां से चले गये।

यह मामला बर्मा सरकार के साथ उठाया गया था । बर्मा के विदेश कार्यालय ने बताया, कि उनकी नौका तस्करी के कार्य में लगी हुई कुछ नौकाओं का पीछा कर रही थी और वह अनजाने में नारकोंडस द्वीप में आ गई थी।

मैसर्स बिसलेरी इण्डिया लिमिटेड

9939. **श्री के० लक्कप्पा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बिसलेरी इण्डिया (प्रा०) लिमिटेड, बम्बई को भारत में शीतल पेय और बेवेरेज बेसिस के निर्माण का कोई लाइसेंस जारी किया गया था अथवा उन्हें इसके लिए प्राधिकृत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस जारी करते समय उन पर उत्पाद रेंज और क्षमता, कच्चे सामान के आयात के लिए विदेशी मुद्रा और इसके विदेशी शेयर धारियों को लाभांश भेजे जाने के बारे में क्या शर्तें लगाई गई थीं;

(ग) क्या कम्पनी ने भारत में 1962 में अपनी स्थापना से ले कर लाभांश, रायल्टी, तकनीकी जानकारी, कच्चे माल के आयात और मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद के रूप में इटली को कोई धन राशि प्रत्यावर्तित की है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत कितनी राशि प्रत्यावर्तित की गई है; और

(ङ) क्या इस प्रकार की देनारियों को पूरा करने के लिए कम्पनी विदेशी मुद्रा अर्जित करने के किसी दायित्व से बाध्य है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) मैसर्स बिसलेरी इण्डिया (प्रा०) लिमिटेड का पंजीकरण महाराष्ट्र राज्य में एरेटिड वॉटर के उत्पादन के लिए एक लघु एकक के रूप में 28 जुलाई, 1971 को किया गया था।

(ग) और (घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत में इसके आरम्भ होने के बाद से ही कम्पनी ने इटली की लाभांश, रॉयल्टियों, तकनीकी जानकारी कच्चे माल के आयात तथा मशीन व उपस्कर खरीदने के लिए किसी प्रकार की धनराशि नहीं भेजी है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

अंडमान सरकार कृषक कर्मचारी संघ की शिकायतें

9940. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान सरकार कृषक कर्मचारी संघ सरकारी कर्मचारियों का एक पंजीकृत कार्मिक संघ है और इसे अंडमान तथा निकोबार द्वीपों के प्रशासन द्वारा मान्यता दी गई थी;

(ख) क्या न्यूनतम मंजूरी, आवश्यक वस्तुओं के अधिक मूल्य, विशेष भत्ता देना आदि से संबंधित उनकी शिकायतों पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन शिकायतों का समाधान किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अन्दमान सरकार कृषिक कर्मचारी संघ जिसके सदस्य अन्दमान और निकोबार प्रशासनिक कृषि विभाग के सभी ग्रुप "डी" के सरकारी कर्मचारी हैं, को ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अन्तर्गत एक ट्रेड यूनियन के रूप में पंजीकृत किया गया है। यद्यपि अन्दमान और निकोबार प्रशासन द्वारा कथित संघ को अलग से कोई मान्यता नहीं दी गई है परन्तु संघ की ट्रेड यूनियन के सभी अधिकार प्राप्त हैं।

(ख) और (ग) अन्दमान और निकोबार प्रशासन ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने अन्दमान सरकार कृषक अधिकारी संघ को सभी निम्नलिखित शिकायतें जो उन्होने अपने ज्ञापन में दी हैं के समाधान के लिए संभव कार्रवाई की है :—

(1) **न्यूनतम मजदूरी में संशोधन** : अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए 1 अक्तूबर 1980 से अकुशल कामगारों की न्यूतम मजदूरी में संशोधन करके 5.50 रु० से 6.50 रु० किया गया है। संघ द्वारा की गई मांग के अनुसार न्यूनतम मजदूरी में और आगे वृद्धि करने के लिए शीघ्र विचार किया जाएगा;

(2) **आवश्यक वस्तुओ के मूल्यों में नियंत्रण** : इस मामले पर लगातार नजर रखी जा रही है।

(3) **सब के लिए विशेष भत्ता** : अन्दमान और निकोबार प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा अभी ली जा रही विभिन्न सुविधाओं और जीवन यापन के मूल्य स्तर को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अंदमान विशेष भत्ता और क्षतिपूर्ति भत्ते के स्थान पर सभी को देय उचित क्षतिपूर्ति भत्ता दिये जाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने का निर्णय किया गया है।

(4) **लगातार दैनिक मजदूरी करने वाले कामगारों को नियमित करना** : अंदमान और निकोबार प्रशासन लगातार दैनिक मजदूरी करने वाले कामगारों को नियमित करने की मांग पर विचार कर रहा है। किन्तु ऐसे दैनिक मजदूरी के कामगारों को लगातार सेवा और औद्योगिक कामगारों को देय छुट्टी के लाभ पहले ही दिए जा रहे हैं।

क्षे अ प्र की प्रयोगशालाओं में किया गया अनुसंधान कार्य

9941. **श्री नन्द किशोर शर्मा :**

श्री तारिक अनवर :

क्या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की विभिन्न प्रयोगशालाओं से कोई भी विशेष अनुसंधान कार्य नहीं किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो मुख्य सम्बद्ध क्षेत्रों से किए गए अनुसंधान कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे क्या कदम उठाने का विचार है जिससे इन प्रयोगशालाओं में अनुसंधान कार्य बिना हस्तक्षेप के सुचारू रूप से चल सकें ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिकी और पर्यावरण विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी०पी०एन० सिंह) : (क) और (ख) सी०एस०आइ०आर० के संस्थान/प्रयोगशालाएं गत पांच वर्षों से भी अधिक समय से विज्ञान की विविध शाखाओं में आधारभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान करते रहे हैं और कर रहे हैं। सी०एस०आइ०आर० की प्रयोगशालाओं ने अपने कार्य क्षेत्रों में समुचित क्षमताएं और आधारभूत संरचना विकसित कर ली हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण सफलताओं का श्रेय उन्हें प्राप्त है तथा राष्ट्रीय समुद्र-विज्ञान संस्थान, गोआ, द्वारा बहुधात्विक नाड्यूलों को हिन्द महासागर के तल से बहार लाना; कोशिकीय और आणविक जीव-विज्ञान केंद्र, हैदराबाद में शुक्रीय प्लाज्मिन पर कार्य, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद द्वारा एक नई सन्धिशोथ रोधी ओषधि ट्रोकैरिल का प्रवेश; भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान, कलकत्ता में लेक्टिनों पर कार्य; राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे, में बिका रोजिया से विलब्लास्टिन और विंक्रिस्टीन का उत्पादन; क्षे अ प्र, जोरहाट और क्षे अ प्र, हैदराबाद में किए कार्य से नाशकमारों की निर्माण जानकारी सी०एस०आइ०आर० प्रयोगशालाओं के योगदान का विवरण सी०एस०आइ०आर० के वार्षिक प्रतिवेदनों, जो सदन के पटल पर हैं, में दिया गया है। वर्ष 1978-79 और 1979-80 के प्रतिवेदन लोक सभा के पटल पर 29-4-81 को रखे गये थे।

(ग) सी०एस०आइ०आर० की प्रयोगशालाओं में अनुसंधान परियोजनाएं उसकी अनुसंधान परामर्शी परिषद में की गई वार्ता के आधार पर हाथ में ली जाती हैं। इस परिषद का सभापतित्व उस क्षेत्र के एक वैज्ञानिक द्वारा किया जाता है जो देश प्रसिद्ध वैज्ञानिक होता है और सी०एस०आइ० आर० का नहीं होता। इसके लिए सी०एस०आइ०आर०के मुख्यालय के साथ तथा सरकार के उपयोग-कर्त्ता तत्वों व औद्योगिक क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया द्वारा किया जाता है। प्रयोगशाला का निदेशक जो उनकी कार्यकारी समिति का अध्यक्ष है, का यह उत्तरदायित्व है कि कार्य सी०एस०आइ०आर० द्वारा बताए गए राष्ट्रीय लक्ष्य, प्राथमिकताओं और दिशा-निदेशों के अनुरूप किया जाए। सी०एस० सी०एस०आइ०आर० की प्रयोगशालाओं के अनुसंधान कार्यक्रम में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता।

गांधी शांति प्रतिष्ठान कार्यालय में हुई भारत-पाक मैत्री संघ की बैठक

9942. **श्री बो० आर० महाडेश्वर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पाक मैत्री संघ की बैठक 10 फरवरी, 1981 को गांधी शान्ति प्रतिष्ठान कार्यालय में हुई थी और क्या उस बैठक में किसी को आयोजक के रूप में चुना गया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार से चुने गये व्यक्ति का नाम क्या है;

(ग) क्या इस बैठक में गांधी शान्ति प्रतिष्ठान की तत्वावधान में भारत-पाक अध्ययन दल के गठन का निर्णय किया गया था; और

(घ) क्या गांधी शान्ति प्रतिष्ठान और भारत-पाक मैत्री संगठन परस्पर सम्बद्ध संस्थाएं हैं और यदि हां, तो उनके कृत्य क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मुकवाना) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार भारत पाक मेल मिलाप ग्रुप की स्थापना 1962 में दिल्ली में की गई थी। श्री राधाकृष्ण (सेक्रेटरी, गांधी शान्ति संस्थान) भी इस संगठन के एक सदस्य थे। यह संगठन 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद निष्क्रिय हो गया था। किन्तु अद्यतन पूछताछ से मालूम होता है कि इसको पुनः सक्रिय किया जा रहा है यद्यपि अभी इसके नाम का निर्णय नहीं किया गया है। सूचना है कि श्री राधाकृष्ण, सेक्रेटरी, गांधी शान्ति संस्थान तथा कुछ अन्य लोग मिले थे और उन्होंने गांधी शान्ति संस्थान के तत्वावधान में भारत पाक अध्ययन ग्रुप गठित करने की संभावना पर विचार किया था।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन

9943. **श्री जैनुल बशर** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार न्यूनतम मजूरी अधिनियम में संशोधन पर विचार कर रही है ताकि इस अधिनियम की परिधि के अन्तर्गत हथकरघा और विद्युतचालित करघों को शामिल किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त संशोधनकारी विधेयक को कब तक पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन राज्य सरकारें हथकरघा और बिजलीकरघा उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित करने के लिए "संबन्धित सरकार" है। सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अनुसूची में और रोजगारों को जोड़कर यथासंभव अधिक से अधिक रोजगारों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी-दरें निर्धारित करें, जैसा कि जुलाई, 1980 में हुए श्रम मन्त्री सम्मेलन में सुझाव दिया गया था। उपलब्ध सूचना के अनुसार, बहुत से राज्य हथकरघा और बिजलीकरघा उद्योगों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की

अनुसूची में पहले ही शामिल कर चुके हैं और इस प्रकार उन्हें अधिनियम की परिधि में लाया गया है। उन्होंने न्यूनतम मजदूरी दरें भी निर्धारित कर दी हैं।

अधिनियम में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।

विदेश गये भारतीय वैज्ञानिक

9944. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कितने इंजीनियर, डाक्टर और वैज्ञानिक विदेशों में उच्चतर अध्ययन, रोजगार प्राप्त करने और सरकारी काम के लिए गये हैं;

(ख) अब तक उनमें से कितने व्यक्ति स्वदेश लौटे हैं; और

(ग) प्रतिभा पलायन रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी०पी०एन० सिंह) : (क) और (ख) 'इण्डियन्स एब्राड रजिस्टर' में दिये गये विवरणों के अनुसार, जो कि विदेशों में अध्ययन/प्रशिक्षण/अनुसंधान/रोजगार आदि वाले लोगों का स्वेच्छा के आधार पर नाम लिखने के लिए सी०एस०आई०आर० द्वारा रखा जा रहा है, उस रजिस्टर में जिन इन्जीनियरों, डाक्टरों और वैज्ञानिकों के नाम लिखे गये हैं, उनकी संख्या 1978, 1979 और 1980 में क्रमशः 483, 443 और 391 थी। जिन कार्मिकों ने अपनी वापसी के बारे में सूचना दी उनकी संख्या 1978, 1979 और 1980 में क्रमशः 225, 213 और 158 थी।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग एक सरकार से दूसरी सरकार के आधार पर विकासशील देशों में विशेषज्ञों के प्रतिनियुक्तियों के मामले निपटाना है। 1978, 1979 और 1980 में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से ऐसे विदेशी समनुदेशियों के लिए प्रतिनियुक्ति के लिए चुने गये इंजीनियरों, डाक्टरों और अन्य विशेषज्ञों की संख्या क्रमशः 1146, 1138 और 1097 थी।

(ग) इस समय कई योजनाओं का परिचालन किया जा रहा है जिनसे वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों/डाक्टरों आदि की वापसी को प्रोत्साहित किया जाता है। वे इस प्रकार हैं :—

सी०एस०आई०आर० द्वारा चलाई गई वैज्ञानिक पूल योजना में वैज्ञानिकों, प्रोद्योगिकीविदों डाक्टरों और अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को, जबकि वे स्थायी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, अस्थायी तौर पर स्थान प्रदान किया जाता है।

वैज्ञानिकों, इन्जीनियरों और प्रोद्योगिकीविदों को अपने अपने उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऐसे उद्यमों के लिए अपेक्षित सारी पूंजी की व्यवस्था करते हैं।

उद्यमशील बेरोजगार व्यक्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वैज्ञानिकों, इन्जीनियरों, प्रोद्योगिकीविदों आदि द्वारा निर्मित औद्योगिक सरकारी समितियों को, जो कि विशिष्ट परियोजनाओं के सामने रख कर बनाई जाती हैं, भागीदारों द्वारा अभिदत्त

पूंजी के तीनगुणा तक साम्यापूंजी के रूप में सरकार द्वारा योगदान दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें भी अवसंरचना, योग्य स्थितियों में किराये की रियायत, कुछ समय के लिए बिक्री कर, चुंगी, बिजली शुल्क आदि से उन्मुक्ति के रूप में प्रोत्साहन भी प्रदान करेंगी।

विदेशों में स्थित राष्ट्रिकों के माध्यम से जानकारी के स्थानान्तरण (टोकन) की योजना का आरम्भ किया गया है जिनके अधीन जिन पुरुषों और महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्रों में प्रधानता प्राप्त कर ली है और वे विदेशों में बस गये हैं, उन्हें थोड़े समय के तकनीकी समनुदेश के लिए स्वेच्छा के आधार पर कुछ चुनी हुई संख्याओं में जानकारी के स्थानान्तरण के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।

कुछ वैज्ञानिक संस्थाओं में विदेशों में काम करने वाले और/या अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों अधिसंख्य पदों पर नियुक्त किये जाने की व्यवस्था होती है।

ज्वायंट साइफर ब्यूरो में पदों का भरा जाना

9945. **श्री नायू राम शाक्यवार** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 जनवरी, 1979 के बाद में ज्वायंट साइफर ब्यूरो में रिक्त हुए पदों पर पदोन्नतियों पुराने भर्ती नियम 1970 के अनुसार 4 जनवरी, 1980 और 4 सितम्बर 1980 को हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के बाद की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह 8 मई, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10005 के भाग (ग) के उत्तर में दी गई जानकारी के विपरीत नहीं है;

(ग) क्या यह सच है कि सेवा निवृत्त के कारण 1 नवम्बर, 1979 को खाली हुए सीनियर प्रोग्रामर के पद को 3 जनवरी, 1979 को विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही के आधार पर बनाई गई तालिका से 1 जनवरी, 1980 को यह पद भरा गया था जब कि 1 मार्च, 1979 को खाली हुए पदों के लिए तालिकाओं पर विचार नहीं किया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या यह 8 मई, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10005 के उत्तर की भावना के विरुद्ध है; और

(ङ) उपरोक्त को देखते हुए क्या उनका विचार अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के साथ हुए अन्याय को समाप्त करने का है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल : (क) जी हां।

(ख) से (घ) संशोधित भर्ती नियमों को अन्तिम रूप देने मे विलम्ब और सेवा की आवश्यकता को देखते हुए कुछ पदों को भरने की अत्यावश्यक जरूरत को ध्यान में रखते हुए अगस्त, 1979 में स्थिति की समीक्षा की गई थी और पदों को उस समय विद्यमान नियमों के आधार पर भरने का निर्णय किया गया। सीनियर प्रोग्रामर का पद 1-2-1978 को रिक्त हुआ और इसे 3 जनवरी, 1979 को बनाई गई नामावली के आधार पर 5-5-1979 को भरा गया। सेवानिवृत्ति के कारण जो स्थान रिक्त हुआ उसे उसी नामावली (पेनल) के आधार पर 1-1-1980 को भरा गया।

(ङ) अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के साथ कोई अन्याय नहीं किया गया है।

बेकरी उत्पादों का निर्यात

9946. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्ष के दौरान बेकरी उत्पादों के निर्यात से कितना धन अर्जित किया गया;

(ख) क्या बिस्कुटों तथा डबल रोटी आदि की कीमतों में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष में कितनी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) पिछले दो वर्षों के संगत आंकड़े नीचे बनाए गए हैं :—

1979-80	3.87 करोड़ रुपए
1980-81	3.51 करोड़ रुपये (अनन्तिम)

(ख) जी, हां ।

(ग) बिस्कुटों तथा डबलरोटी के मार्च, 1981 के थोक मूल्य सूचकांक नीचे बताये गये हैं :—

	बिस्कुट	डबलरोटी
मार्च, 1980	183·3	163.3
मार्च, 1981 (अनन्तिम);	217·9	189.4

(आधार—1970 71 = 100)

अनुवादित केन्द्रीय अधिनियमों का राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणीकरण

9947. **श्री डी०पी० यादव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रमाणित अनुवाद (केन्द्रीय विधि) अधिनियम; 1973 की धारा 2 के 1 अप्रैल, 1979 से अनुमोदन से सम्बन्धित अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित हो चुकी है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि भाषाओं में केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित किया गया है और प्रकाशित किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) प्राधिकृत अनुवाद (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1973 को 1 अप्रैल, 79 से लागू करने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग ने 24 मार्च 1979 को आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी थी और राजपत्र में प्रकाशन के लिए भारत सरकार मुद्रणालय को भी भेज दी थी । किन्तु हाल ही में सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि उक्त अधिसूचना अभी तक राजपत्र में प्रकाशित नहीं हुई है ।

सदाशयपूर्वक यह मानकर की उक्त सूचना राजपत्र में प्रकाशित हो गई होगी; न्याय विधि और कम्पनी कार्य मन्त्रालय (विधायी विभाग) ने निम्नलिखित पांच केन्द्रीय अधिनियमों के 16 अगस्त, 1980 को राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत तमिल अनुवाद राजपत्र में प्रकाशित करा दिये हैं :—

(1) बालक (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम, 1933

(2) तारयंत्र सम्बन्धी तार (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1950

(3) अल्पव्यय व्यक्ति (अहानिकर प्रकाशन) अधिनियम, 1956

(4) रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 और

(5) छोटे सिक्के (अपराध) अधिनियम, 1971

उपर्युक्त चूक के निराकरण के लिए विधि मंत्रालय के परामर्श से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

सवाई माधोपुर सीमेंट कारखाने में महाप्रबन्धक का पद भरा जाना

9948. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1976 में सरकार ने पश्चिम रेलवे के तत्कालीन महाप्रबन्धक जिसकी सिफारिश भारतीय स्टेट बैंक ने भी की थी, को सावई माधोपुर में सीमेंट फैक्टरी का महाप्रबन्धक नियुक्त किया था;

(ख) क्या उक्त महाप्रबन्धक ने कम्पनी में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण केवल छः महीने के बाद ही अपना पद त्याग दिया;

(ग) यदि हां, तो क्या कंपनी के प्रबंधक बोर्ड ने उस पद पर एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जो जोधपुर में दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा काट चुका था;

(घ) यदि हां, तो क्या प्रबन्धक बोर्ड की इस प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिक्रिया के उद्देश्य से सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम केन्द्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल कर अपने प्रबन्धक बोर्ड का पुनर्गठन किया; और

(ङ) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान उक्त कंपनी ने क्या प्रगति की है और इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां। सरकार द्वारा नियुक्ति की गई थी।

(ख) जी, हां, महाप्रबन्धक ने नवम्बर, 1976 में अपना त्यागपत्र दे दिया था जिसमें अभिकथित आधार यह था कि तत्कालीन प्रबंधकवर्ग उन्हें उपयुक्त पदस्तर तथा ड्यूटी देने में हिचकिचाहट प्रकट कर रहा था।

(ग) कंपनी द्वारा यह बताया गया कि फरवरी 1979 तक जबकि तमिलनाडु सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के अरणामुगम कारखाने में महाप्रबंधक श्री एस० रामामूर्ति की महाप्रबंधक के पद पर नियुक्ति की गई थी फिर भी व्यक्ति को महाप्रबंधक के पद पर नियुक्त नहीं किया गया था।

(घ) 1976 के पूर्वार्ध में कम्पनी के मंडल को पुनर्गठन किया गया उसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया जो के एक नामित सदस्य थे।

(ङ) कंपनी के सीमेंट कारखाने का 1976-77 से आगे का क्षमता का उपयोग इस प्रकार रहा है :—

वर्ष	क्षमता के उपयोग का प्रतिशत
1976-77	88.07
1977-78	78.04
1978-79	77.70
1979-80	50.96
1980-81	58.17

(जुलाई, 80 मार्च-81)

पूर्वी नौसेना कमान में भर्ती तथा पदोन्नतियों में आरक्षणों सम्बन्धी नियमों की क्रियान्विति न करने के बारे में अभ्यावेदन

9949. **श्री जगपाल सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी नोसेना कमान विशाखापटनम को अपने विभिन्न एककों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिये भर्तियों तथा पदोन्नतियों के मामले में आरक्षण नियमों को क्रियान्वित न किये जाने, उनके कथित शोषण तथा उन के साथ दुर्व्यवहार के बारे में अनुसूचित जाति उत्थान संघ की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अधिकांश अभ्यावेदन चयन ग्रेड पदों पर अनुसूसित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के स्थान पर सामान्य उम्मीदवारों को लगाने और ऐसे मामलों में पर्याप्त रियायत देने के बाद में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों द्वारा पदोन्नति परीक्षा में अर्हता प्राप्त न कर सकने के बारे में थे। इन अभ्यावेदनों पर वर्तमान नियमों/अनुदेशों के अनुसार यथाविधि विचार किया गया है और समुचित स्तर पर उनका निपटारा किया गया है।

आदिवासी क्षेत्रों में भूमिहीन और बेरोजगार लोगों की संख्या में वृद्धि

9950. **श्री जयनरायण रौट** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में भूमिहीन और बेरोजगार लोगों की संख्या में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) छठी योजना के दौरान, आदिवासी सब-प्लान के प्रवर्तन का, जो मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए हैं, उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में बेरोजगारों और भूमिहीनों की संख्या को कम करना है। आदिवासी क्षेत्रों में विकास की मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(1) एकीकृत लाभानुभागी उन्मुख सेवा।

(2) व्यवसायों में विविधता उत्पन्न करने के लिए कौशलों का विकास करना है।

(3) स्थानीय वस्तुओं और कौशलों पर आधारित प्रौद्योगिकी शुरू करना।

(4) स्थानीय साधनों के वैज्ञानिक उपयोग पर आधारित जिला रोजगार प्लानिंग।

विशेष रूप से, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और कृषि, पशु-पालन, मत्स्य, रेशम-उत्पादन आदि से सम्बन्धित कार्यक्रमों के कारगार कार्यान्वयन द्वारा आय और रोजगार अवसरों को उत्पन्न करने के लिए उपाय किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, इन क्षेत्रों के लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम द्वारा पूरा किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में असम से आए विस्थापित व्यक्तियों को बसाने का प्रस्ताव

9951. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के हाल के आन्दोलन की अवधि के दौरान वहाँ से पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों को बसाने से संबंधित केन्द्रीय सरकार का प्रस्ताव है; और

(ख) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सरकार ने असम में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कदम उठाये हैं ताकि जो व्यक्ति विदेशी नागरिकों के मसले पर आन्दोलन के कारण असम छोड़ गए थे और जिन्होंने पश्चिम बंगाल में शरण ले ली थी; वे अपने घरों को लौट सकें। असम सरकार के वरिष्ट अधिकारियों के एक दल ने पश्चिम बंगाल शिविरों में रह रहे व्यक्तियों को असम वापस लौटने के लिए राजी करने के वास्ते शिविरों का दौरा किया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि उनके कुछ प्रतिनिधि स्वयं स्थिति का जायजा लेने के लिए असम जा सकते हैं।

राज्यों में विस्थापित व्यक्ति और नागरिकता के अधिकार

9952. **श्री चित्त महाटा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से ऐसे विस्थापित व्यक्तियों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कहा है जो पश्चिमी पाकिस्तान और बंगलादेश से आये हैं और भारतीय नागरिक बनने के लिए उस राज्य में बस गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) उन विस्थापित व्यक्तियों को जो विभाजन के दौरान और उसके बाद पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में शामिल क्षेत्रों से भारत में आए थे भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए पात्र समझा गया था और तदनुसार समय-समय पर राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश जारी किए गए थे। चूंकि ये विस्थापित व्यक्ति भारतीय मूल के हैं अतः उनको सम्बद्ध समाहर्ता जो इस प्रयोजन के लिए सक्षम है के द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5/1 (क) के अधीन व्यक्तिगत प्रार्थना पत्रों पर पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए विचार किया गया है। जनवरी, 1964 में अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बंधित पूर्वी पाकिस्तान से प्रवासियों का बड़ी संख्या में आगमन हुआ। उनको नागरिकता प्रदान करने के लिए के विचार करने हेतु अनुदेश जारी कर दिए गये थे। इसी प्रकार 1971 में पाकिस्तानी आक्रमण द्वारा उत्पन्न विशेष स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि उन विस्थापित व्यक्तियों जो दिसम्बर, 1971 में भारत-पाक युद्ध के दौरान और उसके तुरन्त बाद पाकिस्तान में सिंध से भारत आए थे, को भारतीय नागरिकता प्रदान करने पर विचार किया जाए और तदनुसार राज्य सरकारों को अनुदेश जारी कर दिये गये थे। किन्तु वे लोग जो 25 मार्च, 1971 के बाद बंगलादेश से भारत आए थे और जो अब तक बंगलादेश नहीं लौटे हैं के बारे में वर्तमान नीति के अनुसार भारतीय नागरिकता प्रदान करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

नागालैंड में व्यावसायिक प्रशिक्षण

9953. **श्री चिंगवांग कोनयक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैण्ड में बहुत से बेरोजगार शिक्षित लड़के और लड़कियां हैं जिनकी खेतों में काम करने में कोई रूचि नहीं है; और

(ख) नागालैंड में विभिन्न काम-धंधों और व्यावसायों तथा विभिन्न शिल्पों में युवक वर्ग को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि 31-12-1980 को रोजगार कार्यालयों में दर्ज तथा नौकरी चाहने वाले बेरोजगार शिक्षित लड़के तथा लड़कियों की संख्या इस प्रकार से है :—

पुरुष	1323
महिलाएं	551
कुल	1874

(ख) सरकार कोहिमा में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करके विभिन्न व्यवसायों में नागालैंड में युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए पहले से ही उपाय कर रही है। संस्थान में प्रशिक्षण सुविधाओं को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विस्तृत करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन शिक्षुता प्रशिक्षण की सुविधाएं नागालैंड के कुछ प्रतिष्ठानों में भी उपलब्ध हैं।

सरकारी उपक्रमों को होने वाली प्रत्याशित हानि

9954. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू योजना अवधि के दौरान बर्न स्टैण्डर्ड, ब्रेथवेट, जेसप, माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन तथा हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन नामक सरकारी क्षेत्र के पांच बड़े उपक्रमों द्वारा मिलाकर 250 करोड़ों रुपये से 300 करोड़ रुपये तक की हानि होने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे विकास को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हाँ। किन्तु अनुमानित हानियों का 80% गत वर्षों में नकदी हानियों को प्रतिपूर्ति के लिये दिये गये सरकारी ऋणों पर ब्याज के कारण है।

(ख) (1) वित्तीय पुनर्गठन तथा राहत द्वारा ब्याज के भार में कमी।

(2) कार्य संचालन पूंजी के लिए एककों को काफी मात्रा में धन प्रदान करना।

(3) अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए काफी मात्रा में कार्य भार प्रदान करने के उद्देश्य से उचित मूल्य पर ऋयादेश (निर्यातों सहित) प्राप्त करने में सहायता करना।

(4) प्रोत्साहन प्रणालियों के पुनर्गठन, श्रमिकों को प्रेरित करके; अनुशासन को कड़ा करके, श्रमिकों की शिकायतों को शीघ्र निपटाकर तथा जब भी देय हो वेतन समझौते करके श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि के लिए उपक्रमों के प्रबंधकों की सहायता तथा मार्गदर्शन करना।

(5) अपनी मशीनों तथा अपने संयंत्रों के रख-रखाव में सुधार करने के लिए एककों को अपने आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करना।

(6) जाब कोस्टिंग, उत्पादन नियोजन, वर्तमान मदद आदि द्वारा बजट तैयार करने की प्रणाली लागू करके प्रारम्भिक प्रणालियों में सुधार करने के लिए उपक्रमों की सहायता करना।

(7) और अधिक लाभकारी क्षेत्रों में विविधिकरण के प्रयासों में एककों का मार्ग दर्शन करना तथा प्रोत्साहन देना।

(8) संगठन में महत्वपूर्ण रिक्तियों को भरकर तथा विभिन्न स्तरों पर सक्षम कार्यकारी नियुक्त करके उपक्रमों के प्रबंधमण्डल को सुदृढ़ करना।

(9) एककों को काफी मात्रा में बिजली प्राप्त होने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के साथ उनके मामले उठाना तथा जहां कहीं आवश्यक हो स्टैंड बाई डीजल जनरेटिंग सेट लगाना।

(10) अपने विविध ऋणों की वसूली, वस्तुसूचियों को कम करने तथा अपनी प्रौद्योगिकी के उन्नयन में एककों की सहायता तथा मार्गदर्शन करना।

(11) इस्पात जैसा महत्वपूर्ण कच्चा सामान प्राप्त करने में उपक्रमों की सहायता करना।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, हैदराबाद के क्षेत्रीय निदेशक का स्थानान्तरण और तैनात किया जाना

9955. **श्री समर मुखर्जी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना, हैदराबाद क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक का 31 जनवरी, 1981 को स्थानान्तरण हो गया था और एक नए अधिकारी को वहां तैनात कर दिया गया था;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि वहां से आने वाले अधिकारी को पुन: हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में पोस्ट कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को पहले वाले अधिकारी के स्थानान्तरण के मामले में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रशासन द्वारा अपने पूर्व निर्णय को अचानक बदलने से हैदराबाद के कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कर्मचारियों में उत्पन्न रोष की जानकारी है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ख) जी, हां ।

(ग) संबंधित अधिकारी को हैदराबाद में पुन: नियुक्त, उस अधिकारी द्वारा उक्त स्थान में जारी रहने के लिए अपना विकल्प देने और अगले उच्च ग्रेड में दोन्नति को छोड़ने के पश्चात किया गया । यह उन वरिष्ठ अधिकारियों को, जो लगभग दो वर्षों के अन्दर सेवा निवृत्त होने वाले हैं, अपनी तैनाती के स्थान पर जारी रहने के लिए विकल्प देने के निर्णय के पश्चात हुआ, बशर्ते कि वे अपनी पदोन्नति को छोड़ दें ।

(घ) जी, हां । तथापि अधिकारियों की तैनाती का मामला प्रबन्ध तंत्र के विवेकाधिकार के अन्तर्गत आता है और इसे कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन करने का विषय नहीं बढ़ाया जा सकता ।

केन्द्रीय सेवाओं और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वेतन मानों को युक्तिसंगति बनाना

9956. **श्री रणजीत सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सेवा ग्रुप "ए" और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग की एक ही परीक्षा के द्वारा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें समान वेतनमान दिये जाते हैं और उन्हें विभिन्न रैंकों में अन्य मंत्रालयों में प्रतिनियुक्ति के समान अवसर मिलते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय सेवा ग्रुप "ए" के अधिकारियों को अन्य मंत्रालयों में प्रतिनियुक्ति के अवसर उपलब्ध कराने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा मुख्य गैर-तकनीकी केन्द्रीय सेवाएं समूह 'क' में सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष ली गई सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है ।

(ख) से (घ) प्रवेश के समय भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा केन्द्रीय सेवाओं के वेतन-मान वही हैं। किन्तु भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा केन्द्रीय सेवाओं के उच्चतर वेतनमान भिन्न हैं जो मुख्यत: तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा केन्द्रीय सेवाएं समूह "क" अधिकारियों को निर्धारित मानदण्डों तथा मार्गनिर्देशनों के ढ़ाचे के भीतर उनकी उपर्युक्तता; पात्रता तथा कार्य की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर, विभिन्न मंत्रालयों के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है।

श्री लक्ष्मी केमिकल्स एण्ड प्राइवेट लिमिटेड, खगड़पुर में कर्मचारी भविष्य निधि को लागू करना

9957. **श्री नारायण चौबे :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में स्थिति फैक्टरी श्री लक्ष्मी कैमिकल्स एण्ड प्राइवेट लिमिटेड में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के उपबंधों को लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) क्या सरकार को पता है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के उपबंधों को इस कारखाने में अभी तक लागू नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

"मीतई" विद्रोहियों का पता लागने के प्रयास में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

9958. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "मितई" विद्रोहियों, जिनका इम्फाल की "बी० आई० पी० लोकेलटी" में छिपा होने का संदेह था, को निकालने के प्रयास में गत जनवरी के तीसरे सप्ताह में एक विधायक, भूतपूर्व मंत्री तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ सेना की कहासुनी हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) विद्रोह विरोधी अभियान के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर श्री इबोतोम्बी सिंह, मणिपुर विधान सभा सदस्य और एक भूतपूर्व मंत्री के घरों की तलाशी ली गई थी। कुछ शस्त्रों और गोला बारूद सहित एक 303 राइफल बरामद की गई थी, जिसके विषय में बाद में पता चला कि यह मीतई विद्रोहियों द्वारा मणिपुर राईफल के गार्ड से छीनी गई राईफलों में से एक थी। श्री इबोतोम्बी से सुरक्षा बलों ने भी पूछताल की थी। राज्य सरकार के अनुसार उसके विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया और जांच पड़ताल की जा रही है। मणिपुर विधान सभा के तीन अन्य सदस्यों से भी पूछताछ की गई। कोई गिरफ्तारी नहीं की गई।

राष्ट्रीय समुद्र पार छात्रवृत्तियों के लिए समय बढ़ाया जाना

9959. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये राष्ट्रीय समुद्र पार छात्रवृत्ति योजना के लिये समय बढ़ाने के प्रश्न पर कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरे क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों इत्यादि छात्रों के लिए "राष्ट्रीय समुद्र पार छात्रवृत्ति योजना" जो 31 मार्च, 1981 तक वैध थी को पांच वर्ष की अवधि अर्थात् 1985-86 तक बढ़ा दिया गया है।

रोहिणी की प्रगति

9960. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाह्य आन्तरिक्ष में उपग्रह भेजने संबंधी भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता आंकने हेतु एस० एल० वी०-3 द्वारा जुलाई, 1980 में भारत द्वारा छोड़े गए रोहिणी उपग्रह की प्रगति से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके आगामी कार्यक्रम संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) श्रीहरिकोटा से जुलाई, 1980 में छोड़ा गया रोहिणी उपग्रह (आर० एस०-1) पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और श्रीहरिकोटा से इसका निरंतर अनुवर्तन किया जा रहा है। आर० एस०-1 से नियमित रूप में आंकड़े प्राप्त किये जा रहे हैं और इनका भी विश्लेषण किया जा रहा है। उपग्रह का अनुवर्तन, आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण संबंधी कार्य कुछ और समय तक जारी रहेंगे। आर० एस०-1 उपग्रह कक्षा में कुछ वर्षों तक रहने के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में दुबारा प्रवेश करेगा और जल जायेगा।

गैर-सरकारी क्षेत्र में पूंजी-निवेश

9961. **श्री चित बसु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा अनेक रियायतों की पेशकश करने के बावजूद, गत वर्ष गैर-सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र में गत दस वर्षों में हुए पूंजी निवेश का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) जी, नहीं। इसके विपरीत पूंजी निर्गम के लिये मंजूरी, आवधिक ऋण देने वाले संस्थाओं द्वारा ऋणों की स्वीकृति और वितरण पूंजीगत माल और भारी बिजली संयंत्र के आयात हेतु जारी किये गये

आयात लाइसेंस तथा संयंत्र और मशीनों के आयात हेतु पूंजीगत माल (मुख्य) समिति द्वारा दी गई स्वीकृतियों जैसे औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के प्रवृत्ति से यह पता चलता है कि चालू वर्ष में औद्योगिक निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। स्टाक एक्सचेंजों की सामान्य मनोवृत्ति और पूंजी बाजार भी इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। किन्तु औद्योगिक निवेश में वर्ष में 1979-80 की तुलना में वर्ष 1980-81 में हुई ठीक-ठीक वृद्धि का अनुमान केवल तभी लगाया जा सकता है जबकि उपर्युक्त सूचकों के बारे में विशद आंकड़े उपलब्ध हो।

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार की कोई भी जानकारी एकत्र नहीं की जाती है।

गांधी-शान्ति प्रतिष्ठान द्वारा बंधुआ श्रमिकों के बारे में किया गया सर्वेक्षण

9962. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी शान्ति प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार बंधुआ श्रमिकों की संख्या 25,17,000 है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार आंकड़े क्या हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य में ऐसे बंधुआ श्रमिकों की संख्या कितनी-कितनी है जिन का पता लगाया गया, जिन्हें मुक्ति दिलाई गई और जिनका पुनर्वास किया गया;

(घ) उनका पुनर्वास किस प्रकार से किया गया है;

(ङ) क्या यह सच है कि बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए रखी गई राशि में से अधिकांश राज्यों की उपेक्षा के कारण उपयुक्त पड़ी रह जाती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1978 में, गांधी शांति प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा कृषि क्षेत्र में बंधुआ श्रमिकों की विषमता के संघर्ष में सांयोगिक नमूने के आधार पर सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण के अनुमानों के अनुसार बन्धुआ श्रमिकों की संख्या 26,17,000 है। सरकार के अनुसार ये आंकड़े केवल प्रोजेक्टेड अनुमान है। इन अनुमानों के राज्य-वार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

राज्य	प्रोजेक्टेड अनुमान
आन्ध्र प्रदेश	3,25,000
बिहार	1,11,000
गुजरात	1,71,000
कर्नाटक	1,93,000
मध्य प्रदेश	5,00,000
महाराष्ट्र	1,00,000
उड़ीसा	3,50,000
राजस्थान	67,000
तमिलनाडु	2,50,000
उत्तर प्रदेश	5,50 000
जोड़ :	26,17,000

सरकार उन आंकड़ों को स्वीकार कर रही है जो राज्य सरकारों ने सूचित किए हैं। 1-4-1981 को देश में पता लगाए तथा मुक्त कराए गए बन्धुआ श्रमिकों की संख्या 1,21,973 थी। इनमें 1,09,012 श्रमिकों को पुनर्वासित किया गया है और शेष 12,961 चालू वर्ष में पुनर्वासित किए जाने के लिए रह गए हैं। 1-4-1981 की स्थिति के अनुसार पता लगाए गए, मुक्त कराए गए तथा पुनर्वासित किए गए बन्धुआ श्रमिकों के राज्य-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

राज्य	शिनाख्त तथा मुक्त किए गए बन्धुआ श्रमिकों की संख्या	1-4-1981 स्थिति के अनुसार पुनर्वासित किए गए बन्धुआ श्रमिकों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	12,701	9,654
बिहार	4,603	4,013
गुजरात	42	42
कर्नाटक	62,699	55,444
केरल	700	308
मध्य प्रदेश	1,531	58
उड़ीसा	854	854
राजस्थान	6,000	6,000
तमिलनाडु	27,874	27,670
उत्तर प्रदेश	4,968	4,969
	जोड़ 1,21,973	1,09,012

मुक्त कराए गए बन्धुआ श्रमिकों को राज्य-सरकार की चालू योजनाओं कार्यक्रमों में पुनर्वासित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बन्धुआ श्रमिकों को पुनर्वासित करने के लिए केन्द्र द्वारा चलायी गई एक विशिष्ट योजना 1978 से चल रही है। मुक्त कराए गए बन्धुआ श्रमिकों की पुनर्वास योजनाए कृषि/पशु-पालन/कौशल/शिल्प पर आधारित कार्यकलाप तथा सहकारी समितियों के निर्माण, पर आधारित होती है, जो कि स्थानीय आवश्यकताओं तथा स्थितियों पर निर्भर करती हैं। मुक्त कराए गए बन्धुआ श्रमिकों को कार्य के आरक्षण तथा आयु की छूट की सुविधाएं भी उपलब्ध है। यह कहना सही नहीं होगा कि राज्य सरकारें बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के प्रति उदासीन है। जारी की गई राशियों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के कार्य-विधिक पहलुओं में समय लगता है। जिसके परिणामस्वरूप इन प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने में

बिलम्ब होता है। राज्य सरकारों को दी गई राशियों तथा उनके उपयोग के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(रुपये लाखों में)

राज्य	1978-79 के दौरान जारी की गई राशि	उपयोग की गई राशि	1979-80 के दौरान जारी की गई राशि	उपयोग की गई राशि	1980-81 के दौरान जारी की गई राशि	उप-योग की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	20.00	18.01	17.73	17.73	19.17	उपयोगिता की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
बिहार	14.28	11.29	6.62	1.93	22.34	यथोक्त-
कर्नाटक	10.28	9.77	7.14	4.37	125.15	-यथोक्त-
केरल	1.65	1.65	0.60	—	--	—
मध्य प्रदेश	17.00	1.21	—	—	—	—
उड़ीसा	5.11	3.67	1.00	4.74	10.22	उपयोगिता की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
राजस्थान	14.00	14.00	10.53	—	10.35	-यथोक्त-
तमिलनाडु	5.32	—	—	—	1.70	-यथोक्त-
उत्तर प्रदेश	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-यथोक्ता-
जोड़	97.64	69.60	53.62	38.77	198.93	

कर्मचारी भविष्य निधि की धनराशियां जमा कराने में चूक करने वाले सरकारी उपक्रम

9963. **श्री सुधीर गिरि** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि की राशियां जमा कराने में चूक की है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि

9964. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1981 से पहले अखबारी कागज का प्रति मैट्रिक टन मूल्य क्या था;

(ख) इस समय अखबारी कागज का मूल्य क्या है; मूल्य-वृद्धि की प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या इस वृद्धि के कारण छोटे तथा मध्यम समाचार-पत्र अखबारी कागज के मूल्य में हाल की वृद्धि को वहन करने में असमर्थ हैं और उन्हें प्रकाशन बन्द करना पड सकता है;

(घ) क्या यह भी सच है कि कागज की सप्लाई तथा मूल्य निर्धारण के लिए समाचारपत्र राज्य व्यापार निगम पर पूर्णत: आश्रित है; और

(ङ) यदि हाँ, तो छोटे तथा मध्यम समाचार-पत्रों को बचाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) मार्च, 1981 तथा अप्रैल से जून, 1981 की तिमाही का आयातित अखबारी कागज का मूल्य तथा बढ़े हुए मूल्य का प्रतिशत नीचे बताया गया है :—

(प्रति मीट्रिक टन रुपये)

	जन-मार्च 1981	अप्रैल-जून 1981	प्रतिशत की बढ़ोतरी
सुदूर समुद्र के आधार पर	4560 रु०	4945 रु०	8.44
एस० टी० सी० के मध्यवर्ती(बफर) स्टाक के आधार पर	4625 रु०	4995 रु०	8.00

नेशनल न्यूजप्रिंट तथा पेपर मिल्स द्वारा 1 जनवरी से 31 मार्च, 1981 की अवधि में देश में तैयार किए गए अखबारी कागज के मूल्य में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ग) से (ङ) आयातित अखबारी कागज राज्य व्यापार निगम की एक प्रणालीकृत वस्तु है और समाचार पत्र तथा पत्र पत्रिकायें उसकी सप्लाई के लिए राज्य व्यापार निगम पर निर्भर करती हैं । आयातित अखबारी कागज का मूल्य सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रति तिमाही में वास्तविक खपत के आधार पर निश्चित किया जाता है । अखबारी कागज के मूल्य में हुई वृद्धि जो अन्तराष्ट्रीय बाजार में चल रहे रुख से नियन्त्रित होती है, सभी अखबारों को वहन करनी पड़ती है । किन्तु सरकार लघु तथा मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों को सीमाशुल्क में कुछ राहत देने पर विचार कर रही है तथा इसकी विस्तृत प्रक्रिया तैयार की जा रही है ।

नेशनल न्यूजप्रिंट एन्ड पेपर मिल्स लि० नेपानगर जो समय-समय पर उत्पादन लागत के अनुसार मूल्य नियत करता रहता है। देशी अखबारी कागज के दाम आयातित अखबारी कागज से काफी कम होते हैं।

ग्रामीण श्रमिकों के संगठनों को बढ़ावा देने के लिए योजना

9965. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण श्रमिकों के संगठनों को बढ़ावा देने के लिए योजना लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस समय, राष्ट्रीय श्रम संस्थान और केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड से ग्रामीण शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए। इन का उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों की सहायता करना, उनको सामाजिक-आर्थिक पर्यावरण की जानकारी करना, वर्तमान विधान और विकासात्मक कार्यक्रमों के लाभों की उनको जानकारी कराना और एसोसिएशनें तथा यूनियनें बनाने के लिए नेतृत्व कौशलों को प्रोत्साहन देना है। इसके अतिरिक्त, छठी योजना के दौरान, ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने के लिए केन्द्र द्वारा संचालित विशेष योजना 1981-82 से शुरू की जा रही है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा और इस योजना से ग्रामीण श्रमिकों के जिला और ब्लाक स्तर के आयोजक को मानदेय के भुगतान की परिकल्पना की गई है। इन आयोजकों का उद्देश्य श्रमिकों के बीच उनके अधिकारों और जिम्मेवारियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, विकास योजनाओं और वर्तमान कानून के लाभों से श्रमिकों को अवगत कराना तथा एसोसिएशनें/यूनियनें/सहकारी समितियां बनाने में उनकी सहायता करना है। इसका मुख्य उद्देश्य विकासात्मक कार्यक्रमों में उनको संगठित तरीके से सक्रिय और उत्साही भागीदार बनाना है। इस प्रयोजन के लिए छठी योजना का परिव्यय 100 लाख रुपये है और इसके अन्तर्गत 396 जिले तथा 1144 ब्लाक आएंगे। वर्तमान वर्ष के दौरान 6 लाख रुपये के परिव्यय के साथ, 72 जिलों और 144 ब्लाकों को इस योजना के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। योजना की मार्गदर्शी रूप रेखाएं तैयार की जा रही हैं।

कलकत्ता में इलेक्ट्रानिक्स फैक्ट्री की स्थापना

9966. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता में सरकारी क्षेत्र में इलेक्टानिकी फैक्ट्री स्थापित करने का पश्चिम बंगाल सरकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) भारत सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत इलेक्ट्रानिक लिमिटेड द्वारा साल्ट

लेक क्षेत्र में एक रक्षा इलेक्ट्रानिक यूनिट की स्थापना के लिए अनुरोध किया गया है और साथ ही साल्ट लेक क्षेत्र में उस यूनिट को स्थापित करने के लिए लगभग 100 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की पेशकश की गई है। अभी तक प्रस्तावित संयन्त्र के स्थान के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

बर्दवान के कैंपिंग ग्राउण्ड तथा आसनसोल के पोलो ग्राउण्ड को विकास कार्य हेतु दिये जाने का अनुरोध

9967. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :**

श्री सुशील भट्टाचार्य :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने विकास कार्य के लिए बर्दवान के कैंपिंग ग्राउण्ड तथा आसनसोल के पोलो ग्राउण्ड को दिए जाने हेतु तथा रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है कि औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होने तक, रक्षा मंत्रालय को आसनसोल और बर्दवान में रक्षा सेवाओं की फालतू भूमि के निपटाने के सम्बन्ध में आगे कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। राज्य सरकार को यह सूचित किया गया है कि बाजार दर पर भूमि का मूल्य अदा करने पर उक्त भूमि उन्हें हस्तांतरित की जा सकती है। राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है।

उद्योग बन्द करने का अधिकार

9968. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग को बन्द करने के बारे में उद्योग का अधिकार वापस लिये जाते हेतु मंत्रालय को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25ण में संशोधन करने का सुझाव दिया है, ताकि उद्योग में अनुचित, अन्यायपूर्ण तथा दुर्भावपूर्ण कामबंदियों की सूरत में श्रमिकों के हितों की सुरक्षा की जा सके।

(ख) सरकार ऐसे विधायी परिवर्तनों की जांच कर रही है, जो इस सम्बन्ध में श्रमिकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए अनिवार्य हैं।

गांधी शान्ति प्रतिष्ठान द्वारा लोकतंत्र बचाओ अभियान

9969. **डा० महिपत राय एम० मेहता :**

श्री सुभाष यादव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांधी शान्ति प्रतिष्ठान ने गुजरात में नदियाद में एक बैठक आयोजिक की थी जिस में लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाने के लिए देश में 100 कस्बों को चुना गया था;

(ख) क्या यह एक सांस्कृतिक संस्था है जो दान और सरकारी सहायता से चल रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रतिष्ठान और इस से सम्बद्ध संस्थाओं की सहायता दिये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार गांधी शांति प्रतिष्ठान के सचिव द्वारा 22-23 अक्तूबर, 1980 को नादियाद, गुजरात में गांधीवादी संगठनों के अध्यक्षों और सचिवों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया था। परन्तु यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि क्या यथा उल्लिखित उस बैठक में 100 कस्बों को चुना गया था।

(ख) और (ग) गांधी शांति प्रतिष्ठान समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में पंजीकृत है। बताया जाता है कि प्रतिष्ठान को सरकारी अनुदान शिक्षा तथा उसके द्वारा किये गये, ग्रामीण विकास कार्य के क्षेत्र में विशेष परियोजना के संदर्भ में दिये जाते हैं।

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में अंग्रेजी/हिन्दी आशुलिपिक

9970. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के केन्द्रीय सेवाओं में मार्च, 1980 तक अंग्रेजी तथा हिन्दी आशुलिपिकों की अलग-अलग संख्या क्या थी;

(ख) क्या इन हिन्दी तथा अंग्रेजी आशुलिपिकों की केवल एक ही वरिष्ठता सूची थी;

(ग) यदि नहीं, तो हिन्दी आशुलिपिकों को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में किस तिथि से शामिल किया गया था; और

(घ) वर्ष 1960 के बाद हिन्दी तथा अंग्रेजी आशुलिपिकों को किस तिथि को पदोन्नत किया गया था और इस प्रकार पदोन्नत किए गये हिन्दी तथा अंग्रेजी आशुलिपिकों की अलग-अलग संख्या क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) 1-1-1960 को सिविल सूची के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के सभी ग्रेडों की पद संख्या 2140 थी। 1-3-1960 को मंत्रालयों/विभागों तथा उनके सम्बद्ध तथा, अधीनस्थ कार्यालयों में कार्य कर रहे हिन्दी आशुलिपिकों की संख्या 32 थी।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् । हिन्दी आशुलिपिकों के पद पृथककृत पद थे ।

(ग) हिन्दी आशुलिपिकों को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में शामिल करने के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमों में जुलाई, 1970 में संशोधन किया गया था ।

(घ) जैसा कि उपर्युक्त भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर में उल्लेख किया गया है 1970 से पूर्व हिन्दी आशुलिपिकों के पद पृथककृत पद थे । इन नियमों में संशोधन किए जाने के बाद, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमों में दिए गए उपबन्धों के अनुसार, हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों के ही आशुलिपिकों को एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति दी गई थी ।

महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

9971. **श्री आर० पी० भाडंगी :**

श्री आर० के० महालगी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1980 में घोषित नई नीति के बाद सरकार को महाराष्ट्र से स्वतन्त्रता सेनानियों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उन में से कितने आवेदन पत्रों को पेंशन हेतु, स्वीकृति दी गई है और कितने रद्द किए गए हैं; और

(ग) विचाराधीन आवेदन पत्रों पर निर्णय कब तक कर दिए जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1785

(ख) स्वीकृति दी गई : 84.
रद्द किए गए : शून्य

(ग) शेष मामलों को सम्बद्ध व्यक्ति से अपेक्षित सूचना/दस्तावेज और/अथवा राज्य सरकारों से रिपोर्टें प्राप्त होने पर अंतिम रूप दे दिया जाएगा । इन मामलों में आवेदकों को तदनुसार ही अवगत करा दिया गया है ।

सरकारी कर्मचारियों को हत्या की धमकी

9972. **श्री भीखा भाई :**
श्री केशोराव पारधी :
श्री बाबू लाल सोलंकी :
श्री हीरा लाल आर० परमार :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री रामलाल राही :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पुलिस आयुक्त को मार्च, 1981 के दूसरे सप्ताह में एक पत्र प्राप्त हुआ था जिस में कुछ सरकारी कर्मचारियों और उन के परिवार के सदस्यों की हत्या किये जाने की गम्भीर धमकी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस धमकी के सम्बन्ध में सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी गांधीनगर थाने में पहले ही दो रिपोर्ट लिखा चुके हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि प्रभावित कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने की बजाय उन के विरुद्ध झूठ, गलत और निराधार मामले दर्ज कर उन्हें परेशान किया जा रहा है; और

(ङ) इस प्रकार की अशोभनीय कार्यवाही की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) श्री बाबू लाल सोलंकी सांसद ने पुलिस आयुक्त को भेजे गए अपने तारीख 13-3-81 के पत्र में कहा था कि गांधीनगर दिल्ली के श्री केदार नाथ और उसके दो लड़कों ने अपने पड़ोसी श्री कृपा शंकर, टेलीफोन विभाग के कर्मचारी और उसके भाई श्री शारदा प्रसाद, जो लोकसभा सचिवालय में कार्यरत हैं, को धमकी दी थी। सर्व श्री कृपा शंकर और शारदा प्रसाद ने भी 11-3-81 और 12-3-81 को गांधीनगर पुलिस स्टेशन में दो रिपोर्ट दर्ज करायी थी। जांच पड़ताल के बाद श्री केदारनाथ और और उसके दो लड़कों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/150 के अधीन कार्रवाई शुरू की गई थी और मामला गांधीनगर के पुलिस उप-आयुक्त के न्यायालय में लम्बित है।

(घ) श्रीमती रानी देवी की शिकायत पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 380 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 216 के तहत 14-4-81 को एक मामला दर्ज किया गया था। श्रीमती रानी देवी ने आरोप लगाया है कि वटुए को जिसमें आभूषण थे, श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री कृपा शंकर और सर्व श्री चिन्ता राम और कृष्णशंकर द्वारा चुराया गया है। निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए मामला स्पेशल स्टाफ पूर्वी जिले को दे दिया गया है।

(ङ) निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि जांच पड़ताल करने पर यह पाया जाता है कि मामला झूठा है तो श्रीमती रानी देवी शिकायतकर्ता के खिलाफ भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 182 के अधीन कार्रवाई की जाय।

तमिलनाडु के पेरियार जिले में पर्वतीय आदिवासियों का विकास

9973. **श्री सी० चिन्ना स्वामी** : क्या योजना मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि तमिलनाडु के पेरियार जिसे के तालाबड़ी, बारूगुड और कदमपुर में 60 हजार से भी अधिक पर्वतीय आदिवासी अभी भी ऐसे हैं जिनका विकास नहीं किया गया है; और

(ख) सरकार द्वारा पर्वतीय विकास योजना के अन्तर्गत उन के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) पेरियार जिले के बारूगारा और कादातुर गांव पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। (कादमपुर नाम का कोई गांव नहीं है।) तालाबड़ी गांव राज्य योजना कार्यक्रम के अंतर्गत आता है।

जनजातीय लोगों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों में राज्य और केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत लाभ-ग्राही-उन्मुख और क्षेत्रोन्मुख स्कीमें सम्मिलित रूप में निहित होती हैं।

कोटा नगर के मध्य में सेना-प्रतिष्ठान

9974. **श्री राम अवध** : क्या रक्षा मंत्री कोटा में अपेक्षित भूमि के सम्बन्ध में 24 अप्रैल, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8272 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से सेना प्रतिष्ठान कोटा नगर के मध्य में स्थित हैं और मंत्रालय ने कुछ समय पूर्व स्टेशन के निकट महाराजा की भूमि का अधिग्रहण किया था जब कि इस भूमि का उपयोग रिहायशी प्रयोजनों के लिए तथा अन्य संस्थानों के लिए किया जा सकता है;

(ख) क्या विभिन्न सेना प्रतिष्ठानों की नगर के मध्य में और स्टेशन के निकट स्थापना करने से विदेशी आक्रमण के समय नागरिकों के लिए खतरे को बढ़ाता है;

(ग) क्या नगरीय क्षेत्र में अपने प्रतिष्ठानों की संख्या को बढ़ाते जाना मंत्रालय के लिए अनुचित नहीं है; और

(घ) इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। सीमा से दूर होने के कारण इस प्रकार का कोई खतरा नहीं दिखाई देता।

(ग) जी नहीं। इस क्षेत्र में स्थित विद्यमान दो सैनिक स्थापनाओं को जोड़कर उन्हें एकरूप और संसक्त सैनिक स्टेशन बनाने के लिए इस स्थान को चुना गया है। इसके फलस्वरूप विकास की लागत में भी काफी बचत होगी और इससे कमान नियंत्रण, अनुशासन और सुरक्षा में भी सुविधा रहेगी।

(घ) सुरक्षा के हित में स्थापना गठन का और ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है।

लारेंस रोड, दिल्ली में गुण्डागर्दी

9975. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में लारेंस रोड कालोनी में गुण्डागर्दी अपने चर्मोत्कर्ष पर है;

(ख) क्या उक्त कालोनी के ब्लाक सी–के अन्तिम छोर पर बना हुआ अनधिकृत मन्दिर-सह-निवास बदमाशों का अड्डा बन गया है;

(ग) क्या इस बात से निवासी बहुत ही क्षुब्ध हैं और उन्होंने इसके विरोध में प्रदर्शन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) श्री राम मन्दिर नाम का एक मन्दिर लारेंस रोड रेलवे ट्रेक के नजदीक ब्लाक सी-5 के कोने में स्थित है। मन्दिर का पुजारी मन्दिर के पास एक कमरे में रहता है। बदमाशों द्वारा परिसर के दुरुपयोग के विषय में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) इस सम्बन्ध में क्षेत्र के निवासियों द्वारा पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

(घ) ब्रिज रोड सं० 37, पर नियमित रूप से दिन-रात पुलिस की गश्त रहती है, जो मन्दिर से मुश्किल से 100 गज की दूरी पर है और सतर्कता रखी जाती है।

"सैंसस प्रूब्स प्लान-प्रोजैक्शन्ज रांग" शीर्षक समाचार

9976. **श्री गदाधर साहा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 20 अप्रैल, 1981 के "द इकोनोमिक टाइम्स" में "सैंसस प्रूब्स प्लान प्रोजैक्शन्स रांग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या बातें उत्तरदायी हैं; और

(ग) ग्रामीण बेरोजगारी, गरीबी की समस्याओं को हल करने तथा विकास की गति को तेज करने के लिए सरकार के पास इस समय क्या कार्यक्रम हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार की गई जनसंख्या कल्पनाओं को योजना में अपनाया गया था। ये कल्पनायें जनगणना से पहले तैयार की गई थी और जनन-क्षमता तथा मृत्यु दरों की भावी प्रवृत्तियों के कुछ अनुमानों पर आधारित थी। 1981 की जनगणना के परिणामों पर आधारित जननक्षमता तथा मृत्यु दरें इस जनगणना के आंकड़ों की सारणी तैयार होने के बाद ही परिकलित की जा सकती है। इसलिए इस समय यह पता लगाना सम्भव नहीं है कि कल्पनाओं तथा अस्थायी जनसंख्या योगों के बीच अन्तर के लिये कौन से तत्व उत्तरदायी हैं।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये गये अधिक महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रम हैं– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघठक योजना, जनजाति उप-योजना और सूखे वाले तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिये विशेष कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विशेष रूप से रोजगार बढ़ाना, ग्रामीण जनसंख्या के लिये परिसम्पत्तियों तथा कुशलता का स्थानान्तरण, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर तथा सबसे गरीब वर्गों का विकास है।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली के कर्मचारियों के लिए लिए गए स्थान पर खर्च

9977. **श्री दलवीर सिंह** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सभी कर्मचारियों के बैठने के लिये वेस्ट ब्लाक "आर०के० पुरम नई दिल्ली और पुराना भवन, मदनगीर, नई दिल्ली" में पर्याप्त स्थान दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त स्थान होने के बावजूद भारतीय सर्वेक्षण विभाग वैस्ट ब्लाक आर०के० पुरम, नई दिल्ली के प्राधिकारियों ने अपने कर्मचारियों के बैठने के लिये वसन्त बिहार नई दिल्ली और गुड़गांव (हरियाणा) में गैर-सरकारी भवन किराये पर लिए हैं जब कि सरकारी आवास खाली पड़ा है और इस प्रकार से अपने कर्मचारियों के आवास के लिए लगभग 50,000 रुपए प्रतिमाह गैर-सरकारी भवनों के किराए के रूप में खर्च किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी०पी०एन० सिंह) : (क) वैस्ट ब्लाक, आर०के० पुरम और पुष्पा भवन, मदनगीर में भारतीय सर्वेक्षण की जो सरकारी (कार्यालय) स्थान प्रदान किया गया है, वह उस कार्यालय के सारे कर्मचारी वर्ग, उपकरण और मशीनों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ख) क्योंकि भारतीय सर्वेक्षण को नई दिल्ली में प्रदान किया गया कार्यालय स्थान उनकी पूरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए वसन्त बिहार, नई दिल्ली और गुड़गांव में 25,754/- रु० (पच्चीस हजार सात सौ चौवन रुपए मात्र) प्रतिमास के किराए पर गैर सरकारी (कार्यालय) स्थान उस कार्यालय के लिए प्राप्त किया गया है। इस समय नई दिल्ली में भारतीय सर्वेक्षण को जो भी (कार्यालय) स्थान प्रदान किया गया है उसमें से कुछ भी खाली नहीं पड़ा हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

देश में उपलब्ध समुद्र विज्ञान प्रतिभा का उपयोग किया जाना

9978. **श्री रशीद मसूद** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का समुद्र तल से खनिज पदार्थों को निकालने हेतु पश्चिम जर्मनी से एक अनुसंधान पोत खरीदने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस कार्य पर कितना खर्चा आएगा;

(ग) क्या पश्चिम जर्मन अनुसंधान पोत के लिए अनुरोध करने से पहले सरकार देश में ही उपलब्ध समुद्र विज्ञान प्रतिभा का उपयोग करने और ऐसे अनुसंधान पोत के लिए देश में ही निर्माण के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या निकला; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी०पी०एन० सिंह) : (क) सरकार निर्जीव संसाधनों पर अनुसंधान और विकास के लिए संघीय जर्मन गणराज्य से एक समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान प्राप्त कर रही है। इस जलयान का एक उद्देश्य है हिन्द महासागर क्षेत्र में खनिज पिंडों का अनुसन्धान और सर्वेक्षण करना।

(ख) समुद्र वैज्ञानिक अनुसन्धान जलयान (ओ०आर०वी०) में सभी मौसमों में कार्य करने की क्षमता, अधिक सहिष्णुता और परिष्कृत वैज्ञानिक उपकरण होंगे। 5 करोड़ ड्यूशमार्क का ऋण पश्चिमी जर्मनी में जहाज निर्माण के लिए प्रदान किया जा रहा है। इस पर देय ब्याज एक प्रतिशत का 3/4 है और इसकी अदायगी जून, 1991 से आरम्भ करके अगले चालीस वर्षों में की जायेगी। 1.68 करोड़ ड्यूशमार्क की अतिरिक्त राशि को उस वैज्ञानिक उपकरण के लिए सीधे अनुदान के रूप में दिया जा रहा है जो कि ओ०आर०वी० पर प्रतिष्ठापित किया जायेगा। इसी राशि में से भारतीय वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण के व्यय को भी पूरा किया जायेगा।

(ग) और (घ) विदेश से समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान प्राप्त करने के लिये निर्णय सम्बन्धित विभागों और अनुसन्धान/सर्वेक्षण अभिकरणों के साथ परामर्श करने के पश्चात और उस अंत: मन्त्रालयी समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था जिसमें विभिन्न विभागों और वैज्ञानिक और अनुसंधान अभिकरणों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। इस समिति की रिपोर्ट मई, 1978 में प्रस्तुत की गई थी और इसे तत्कालीन प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में ओशन साइंस एंड टैक्नालोजी एजेंसी के विभागीय बोर्ड द्वारा जुलाई, 1978 में अनुमोदित किया गया था। मंत्रिमंडल ने भी इस प्रस्ताव को मई, 1979 में स्वीकार कर लिया था।

(ङ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

अनुसूचित जातियों की सूची का पुनरीक्षण

9979. **प्रो० पी०जे० कुरियन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में अनुसूचित जातियों की सूची का पुनरीक्षण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल के चक्करनेर जाति और धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनने वालों से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें उन्हें उक्त सूची में सम्मिलित किये जाने के लिए अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में परिवर्तन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) जी हां श्रीमान। राज्य सरकार की टिप्पणी की प्रतीक्षा है।

दिल्ली पुलिस द्वारा मामलों का दर्ज न किया जाना

9980. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मामलों को दर्ज न करने और अपराधों के गम्भीरता को कम से कम करने की दिल्ली पुलिस की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मामलों को दर्ज न किए जाने, अपराधों की गम्भीरता को कम से कम किए जाने और अपराधों की संख्या में हुई कमी के बारे में दिल्ली पुलिस के दावों की प्रमाणिकता के बारे में कोई जांच अलग से कराई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) पुलिस थानों में मामले निर्बाध रूप से दर्ज किये जाते हैं। फिर भी मामले को दर्ज करने के बारे में जब शिकायतें मिलती हैं तो उन पर कार्यवाही की जाती है और गलती करने वाले पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। पुलिस थानों के कार्यकरण की सतर्कता शाखा और जिला पुलिस अधिकारी नियमित रूप से जांच करते हैं। यह कहना गलत है कि दिल्ली में मामलों को दर्ज न किये जाने और अपराधों की संख्या को कम करने की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है।

काकीनाडा में लुग्दी मिल की स्थापना करना

9981. **श्री टी० दामोदर रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश में ईस्ट गोदावरी जिले के आसपास उपलब्ध कच्चे माल को देखते हुये काकीनाडा में लुग्दी मिल की स्थापना की आवश्यकता की जानकारी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रस्तावित लुग्दी मिल से काफी मात्रा तक लुग्दी की मांग की पूर्ति हो सकेगी और अनेक व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर पैदा होंगे;

(ग) क्या यह भी सच है कि कारखाने की स्थापना से अण्डमान की हार्डबुड के अच्छे उपयोग का अवसर प्राप्त होगा;

(घ) क्या कारखाने के लिये जारी किये गये आशय पत्र की अवधि 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त होनी वाली है; और

(ङ) यदि हां तो, परियोजना को आरम्भ करने तथा कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) काकीनाडा आन्ध्र प्रदेश में एक लाख मी० टन की वार्षिक क्षमता से विपणन हेतु लुग्दी बनाने के लिये एक नये उपक्रम की स्थापना हेतु आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को दिनांक 18-11-1979 को एक आशय-पत्र जारी किया जा चुका है। परियोजना में अण्डमान द्वीप समूह क लकड़ी के स्रोतों के उपयोग की परिकल्पना की गई है और आशा की जाती है कि लुग्दी में उत्पादन कागज मिलों की आवश्यकता की पूर्ति होगी तथा मिल एवं अण्डमान द्वीप समूह में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) आशय पत्र जुलाई 31 मई, 1981 तक वैध था और इसकी वैधता अवधि को 31 दिसम्बर, 1981 तक बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसी दौरान, कागज लुग्दी के लिये अण्डमान के उपयोग को एक प्रारम्भिक आंका जा रहा है तथा एक विस्तृत संभाव्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

हिन्दी अधिकारियों की भर्ती के सम्बन्ध में नियमों में संशोधन

9982. **श्री टी०एस० नेगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों (विभागों) में हिन्दी अधिकारियों की भर्ती के सम्बन्ध में केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा सम्बन्धित नियमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है;

(ख) क्या संसद सदस्यों तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिये गये सुझावों पर सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि प्रस्तावित राजभाषा सेवा संवर्ग में हिन्दी अधिकारियों की ग्राह्यता की सम्बद्ध तिथि निर्धारित तिथि निगमों को अधिसूचित किए जाने की तिथि से होनी चाहिये और न कि 20 अगस्त 1977 जैसा कि प्रारूप नियमों में दर्शाया गया है जिससे कि 20 अगस्त, 1977 से पूर्व और इस तिथि के बाद तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये हिन्दी अधिकारियों के बीच कोई भेदभाव न हो;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रारूप नियमों में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है; और

(घ) इन नियमों को सरकारी राजपत्र में कब अधिसूचित किये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रस्तावित केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में शामिल किये जाने वाले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध कार्यालयों में हिन्दी अनुवादकों, हिन्दी अधिकारियों आदि के पदों पर नियुक्त (सांविधिक आधार के अतिरिक्त) ऐसे सभी व्यक्तियों को शामिल करने पर विचार किया जायेगा जो ऐसे पदों पर उक्त सेवा के नियमों के लागू होने की तिथि पर काम कर रहे हों या इन पर ग्रहणाधिकार रखते हों।

(घ) अंतिम रूप दिये जाने के बाद, ये नियम गजट में अधिसूचित किये जायेंगे।

बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए योजना नीति को नया रूप दिया जाना

9983. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या से निपटने के लिये योजना-नीति को नया रूप देने की अविलम्ब आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार :

(एक) 'काम के लिये अनाज' कार्यक्रम तथा ऐसी ही अन्य योजनाओं का विस्तार सारे देश में करने;

(दो) ऐसे भूमि सुधारों को दृढ़ता से लागू करना जो जम्मू तथा कश्मीर, केरल और पश्चिम बंगाल को छोड़ कर अधिकतर राज्यों में लागू नहीं किये गये हैं;

(तीन) उपभोक्ता सामान के उत्पादन का बढ़ाना, जो श्रम प्रधान हों, और परिणामतः एकाधिकार वाले गृहों के विस्तार पर प्रतिबन्ध लगाना; और

(चार) कुटीर एककों से प्रतिस्पर्धा कर रहे अन्तर्राष्ट्रीय निगमों और प्रसाधन सामग्री के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाना जो पूंजी प्रधान है;

चाहती हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) देश में बेरोजगारी की स्थिति पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद 1980-85 की छठी योजना में रोजगार के सृजन के लिये उपयुक्त कार्यनीति तैयार की गई है।

(ख) रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न उपाय योजना दस्तावेज में बताये गये हैं। उनमें से योजना में इन पर जोर दिया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, भूमि सुधार, जहां कहीं संभव हो वहां श्रम-प्रधान शिल्प-विज्ञान को अपनाना, लघु, ग्राम और कुटीर उद्योगों का त्वरित विकास।

(ग) योजना को कार्यान्वित करने के लिये कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन

9984. **श्री रामप्यारे पनिका** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता पार्टी के शासन काल में कुछ स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन देना इस आधार पर बन्द कर दिया गया था कि हालांकि उन्हें छः मास का कारावास हुआ था परन्तु उन्हें उनके द्वारा अर्जित अवकाश के कारण कुछ दिन पहले रिहा कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन स्वाधीनता-सेनानियों को भी पेंशन देने का है जिन्हें छः मास का कारावास दिया गया था और जिन्होंने क्षमा नहीं मांगी थी; और

(ग) यदि हां, तो किस तारीख से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना 1972 के उपबन्धों के अनुसार छः महीने कैद की अर्हक अवधि की गणना करते समय सामान्य छूट की अवधि को वास्तविक कैद के एक भाग के रूप में माना गया है। फिर भी, सामान्य माफी और गांधी इर्विन समझौते के अधीन रिहा किए गए व्यक्तियों को अधिकतम एक महीने तक की छूट की गणना करने की अनुमति दी गई है बशर्ते कि उन्होंने कम से कम पांच महीने की कैद काटी हो। ऐसे मामलों में पेंशन स्थगित की गई है जहां यह मालूम हुआ कि वे मामले उपर्युक्त बाध्यता में नहीं आते हैं और उनमें गलत आधारों पर अस्थाई रूप से पेंशन स्वीकृत की गई है।

2. एक अगस्त, 1980 से पेंशन योजना को उदार बनाने के परिणामस्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ यह छूट महिलाओं तथा अनु० जा०/अनु०जनजा० के स्वतन्त्रता सेनानियों के मामले में वास्तविक कैद की अवधि को कम करके तीन महीने कर दी गई है। अन्य सभी मामलों में छः महीने की दोषसिद्धी के लिए अब अधिक से अधिक एक महीने की छूट दी जा रही है।

श्रम कानूनों में परिवर्तन

9985. **श्री चिन्तामणि पाणीग्रही** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रम कानूनों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) सरकार विभिन्न श्रम कानूनों में संशोधन के प्रस्तावों पर विचार कर रही है। एक विवरण संलग्न है जिसमें इन कानूनों के नाम और विचाराधीन संशोधनों के संक्षिप्त ब्यौरे दर्शाए गए हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया; देखिए एल० टी० संख्या 2533/81]**

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों के लिए वित्तीय संस्थाओं की सहायता

9986. **श्री भीकू राम जैन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का द्रुत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने हेतु औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों के लिए वित्तीय संस्थाओं की सहायता उपलब्ध करवाने संबंधी कोई विशेष योजना बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) पुनर्वितीयन योजना के अन्तर्गत पता लगाए गए विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों को आई० डी० बी० आई० आई० एफ० सी० आई० तथा आई० सी०, आई० सी० आई० जैसे अखिल भारतीय सावधिक ऋणदाता संस्थानों द्वारा रियायती दर पर वित्तीय सहायता पहले ही दी जा रही है।

उद्योग मंत्रालय केन्द्रीय निवेश राजसहायता की एक योजना चला रहा है जिसके अन्तर्गत औद्योगिक रूप से पता लगाए गए पिछड़े 101 जिलों में स्थापित औद्योगिक एककों की अचल परिसम्पतियों पर अधिकतम 15 लाख रु० तक पर 15 प्रतिशत राजसहायता दी जाती है।

उपयुक्त वित्तीय सहायता के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार पिछड़े क्षेत्रों का तेजी से विकास करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन तथा सुविधाएं देती है :—

(1) परिवहन राजसहायता योजना (कतिपय पहाड़ी क्षेत्रों में)
(2) कर सम्बन्धी रियायतें
(3) लघु उद्योगों द्वारा मशीनरी की किराया खरीद
(4) तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श

(5) ब्याज राजसहायता

(6) कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाएं

(7) ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम

(8) ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम

(9) प्रारम्भिक/सीमान्त धन सहायता

(10) जिला उद्योग केन्द्र ।

मध्य प्रदेश में ट्रक डीलरों की पृथक रूप से नियुक्ति

9987. **श्री शिवकुमार सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में टाटा ट्रक की चेसिस प्राप्त करने में 2 वर्ष का समय लगता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में भी अन्य राज्यों की तरह प्रत्येक तीन जिलों के लिए पृथक ट्रक डीलर की नियुक्ति के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो ट्रक आसानी से प्राप्त हो इस के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां ।

(ख) डीलरों की नियुक्ति कम्पनी द्वारा किया जाने वाला एक वाणिज्यिक निर्णय है । ऐसे मामलों पर सरकार नियन्त्रण नहीं रखती है ।

(ग) वास्तविक समाधान चेसिसों की उत्पादन वृद्धि है । निवेश सहायता, अतिरिक्त क्षमता सृजन तथा सीमा शुल्क की रियायती दरों पर हिस्से पुर्जों के आयात द्वारा सरकार ने वाणिज्यिक गाड़ियों के निर्माताओं को अपना उत्पादन बढ़ाने में सहायता प्रदान की है । इन प्रयासों के परिणामस्वरूप वाणिज्यिक गाड़ियों का उत्पादन 1979-80 में लगभग 57,000 से बढ़कर 1980-81 में 71,000 से भी अधिक हो गया है तथा चालू वर्ष के दौरान इसमें और वृद्धि होने की संभावना है ।

योजना में गोआ को एककों के लिए आवंटन

9988. **श्री एडुवार्डो फैलीरो** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचवर्षीय योजना के अधीन गोआ को किन-किन एककों के लिए धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) गोआ की पंचवर्षीय योजना (1980-85) के लिए 192 करोड़ रु० का परिव्यय नियत किया गया है और

शीर्षवार आवंटन नीचे दिए गए हैं :—

क्रम सं०	विकास का शीर्ष	(करोड़ रु०) परिव्यय
1.	कृषि और संबद्ध सेवाएं	26.85
2.	सहकारिता	4.50
3.	जल और विद्युत विकास	58.50
4.	उद्योग और खनिज	8.50
5.	परिवहन और संचार	27.90
6.	सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	65.00
7.	आर्थिक सेवाएं	0.65
8.	सामान्य सेवाएं	0.10
	जोड़	192.00

ग्रामीण क्षेत्रों का औद्योगीकरण

9989. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण भागों का औद्योगीकरण करने के लिए सरकार के विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उन क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है जिनका इस प्रकार विकास किया जाना है;

(ग) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के ऐसे जिलों के नाम क्या हैं; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों का औद्योगीकरण करने के लिए इन योजनाओं को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिये कार्यान्वित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के अतिरिक्त सरकार की नीति देश के चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में स्थित लघु उद्योगों के विकास के लिए केन्द्रस्थ संयंत्रों के रूप में कार्य करने हेतु बड़े और मझौले उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना भी है।

(ख) और (ग) केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित औद्योगिकीरण शुरू करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा पता लगाये गये जिलों/क्षेत्रों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पता लगाये गये जिलों के संबंध में एक कृति-कबल की स्थापना की गई है। यह कृतिमक-बल उन स्थानों पर जायेगी और जिलों में स्थापित किये जा सकने वाले "केन्द्रस्थ संयंत्रों, उस क्षेत्र में स्थापित किए जा सकने वाले सहायक और लघु उद्योगों

तथा उन उद्योगों के बीच विकास की सहबद्ध सम्भावनाओं का उल्लेख करते हुए एक सामान्य परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा। इस रिपोर्ट से उस क्षेत्र में एक समेकित औद्योगिक कम्पलैक्स के विकास के लिये विभिन्न प्रकार के अन्य निवेश अवसरों का भी पता लगेगा।

विवरण

केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत समेकित औद्योगिकीकरण शुरू करने के लिये राज्य सरकारों द्वारा पता लगाये गये जिलों/क्षेत्रों को.

दर्शाने वाला विवरण

राज्य	सुझाये गये जिले/क्षेत्र
1	2
आन्ध्र प्रदेश	(1) अनन्तपुर
	(2) मेढ़क
	(3) श्रीकाकुलम
बिहार	(4) मधुबनी
	(5) पालामऊ
केरल	(6) ऐलेम्पी
	(7) मालापुरम
जम्मू और काश्मीर	(8) बारामूला
	(9) ऊधमपुर
मध्य प्रदेश	(10) सीधी
	(11) झाबुआ
नागालैंड	(12) मोन
	(13) यूनसांग
पश्चिमी बंगाल	(14) जलपाईगुड़ी
	(15) बांकुरा
गुजरात	(16) कच्छ
	(17) अमरेली
	(18) साबरकंठा
पंजाब	(19) अमृतसर (गोइन्दवाल साहब)
उड़ीसा	(20) पुरी (चान्दक क्षेत्र)

1	2
उत्तर प्रदेश	(21) बलिया
	(22) झांसी
	(23) अल्मोड़ा
	(24) बस्ती
	(25) फैजाबाद
	(26) राय बरेली
	(27) ललितपुर
हिमाचल प्रदेश	(28) कांगड़ा
	(29) सोलन
	(30) सिरमुर
कर्नाटक	(31) तुमकुर
	(32) दक्षिणी कनारा
	(33) गुलबर्गा
	(34) बेलगाम
तमिलनाडु	(35) पेड्डूकोटै जिले में पेडडूकोटै
	(36) मदुरै जिले में डिन्डीगुल
राजस्थान	(37) जोधपुर
	(38) भरतपुर

केन्द्रीय मंत्रियों के विशेष सहायकों तथा निजी सचिवों द्वारा सम्पति की घोषणा

9990. **श्री नन्दकिशोर शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मंत्रियों के विशेष सहायकों तथा निजी सचिवों ने बहुत थोड़ी अवधि में अपनी आय की तुलना में अथाह धन एकत्र कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो प्रत्येक विशेष सहायक तथा निजी सचिव के मामले में उनके द्वारा इन पदों को ग्रहण करने से पूर्व तीन वर्ष की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष उनकी कुल आय तथा कुल सम्पत्ति क्या थी और उस के बाद (वित्तीय रियायतों की घोषणा से पूर्व) क्या है; और

(ग) यदि सरकार ये ब्यौरा नहीं देना चाहती तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (ग) सरकार केन्द्रीकृत आधार पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा वैध रूप से अर्जित आय तथा सम्पत्ति के संबंध में सूचना एकत्रित नहीं करती। ऐसे मामलों में जहां आय के ज्ञात स्रोतों से असंगत अथवा संदिग्ध स्रोतों से आय अथवा सम्पत्ति अर्जित करने के संबंध में विश्वस्त सूचना प्राप्त होती है, तो मामले की जांच की जाती है और देश के विद्यमान नियमों तथा विधि के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाती है। ये उपबन्ध केन्द्रीय मंत्रियों के विशेष सहायकों तथा निजी सचिवों पर भी लागू होते हैं।

जम्मू स्थिति सैण्ट्रल इन्सटीट्यूट ग्रॉफ मेडिसिनल एण्ड एरोमैटिक प्लान्ट में औषधियां तैयार किया जाना

9991. **श्री के० ए० राजन** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू स्थिति सैन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एण्ड एरोमैटिक प्लान्ट (फैक्ट्री) में 1978, 1979 और 1980 में बनाई औषधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1968, 1969 तथा 1970 वर्षों के उत्पादन आकड़े क्या हैं;

(ग) दिसम्बर 1976 तथा दिसम्बर, 1980 में वहां पर कितने कर्मचारी काम करते थे;

(घ) संयंत्र को आबंटित की गई भूमि पर उत्पादित विभिन्न जड़ी-बूटियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि संयंत्र तथा जमीन पर उत्पादन प्रति वर्ष कम हो रहा है;

(च) यदि हां तो क्या उसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है;

(छ) क्या यह सच है कि स्थानीय स्तर पर समुचित प्रबन्ध न होने के कारण काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ज) यदि हां, तो क्या निदेशक के कार्यालय को लखनऊ से पुनः जम्मू स्थानान्तरित किया जाएगा; और

(झ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (झ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

"पत्रकार अपना संघर्ष तेज करेंगे

9992. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 5 अप्रैल, 1981 के "नवभारत टाइम्स" में "पत्रकार अपना संघर्ष तेज करेंगे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर ध्यान दिया है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) क्या सरकार द्वारा पत्रकारों के हित के प्रति समाचार-पत्रों के मामलों के उपेक्षापूर्ण रवैये से उत्पन्न समस्याओं का कोई हल खोजा गया है अथवा खोजा जायेगा; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां । मंत्रियों की एक समिति नियुक्त की गई है जो श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों के अधिकरणों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति की पुनरीक्षा करेगी और कार्यान्वित न करने के बारे में शिकायतों की जांच करेगी ।

अंशकालिक संवाददाता, जिनका मुख्य व्यवसाय पत्रकारिता है और जो श्रमजीवी पत्रकारों की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं, औद्योगिकी विवाद अधिनियम के अधीन अपनी शिकायतों का निपटान कर सकते हैं।

(ख) पत्रकारों और अन्य समाचारपत्र कर्मचारियों की सेवा-शर्तें पहले से ही श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 के अधीन सुरक्षित हैं। इस अधिनियम में उन नियोजकों के विरूद्ध कार्यवाही करने के उपबंध हैं जो अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते हैं। प्रैस आयोग के विचारार्थ विषयों में से एक विषय उन संबंधों की जांच करना और उनके बारे में सिफारिशें करना है जो प्रैस के विभिन्न तत्वों, अर्थात प्रकाशकों, प्रबंधकों, सम्पादकों, व्यावसायिक पत्रकारों और अन्यों के बीच होने चाहिएं।

ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या में कमी

9993. **श्री टी० आर० शामन्ना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्रों खासकर बड़े शहरों की जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई है जब कि ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या में कमी हुई है; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या में कमी रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 10 लाख और इससे अधिक जनसंख्या वाले 12 शहरी क्षेत्रों के बारे में अस्थायी जनसंख्या के आंकड़ों के अतिरिक्त पूरे देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अत: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सापेक्ष वृद्धि की दरों के विषय में कोई निष्कर्ष निकालना सम्भव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

नगर निगम प्राथमिक विद्यालय, एन० डी० एस० ई० भाग 1 के अहाते से सीधा रास्ता

9994. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम की बस्ती रविदास कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली के निवासियों की नगर निगम प्राथमिक विद्यालय एन० डी० एस० ई० भाग 1 के अहाते से सीधे रास्ते के बारे में अभ्यावेदन मिला है;

(ख) क्या बटवारे की दीवार के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी; और काम भी ठेकेदार को दे दिया गया था परन्तु काम अभी भी आरम्भ नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि निविदाएं मंगायी गयी थी और प्राथमिक विद्यालय परिसर में विभाजन दीवार के निर्माण का कार्य एक ठेकेदार को आवंटित किया गया था लेकिन यह कार्य शुरू नहीं किया गया क्योंकि बाद में यह पाया गया था कि जिस भूमि पर गलियारा उपलब्ध किया जाना था वह स्कूल की भूमि का एक भाग था। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित दीवार का निर्माण पढ़ाई और कक्षा कमरों में रोशनी और हवा की आपूर्ति की दृष्टि से छात्रों के हित में नहीं रहता।

"ओपरेशन इन सिंहभूम" शीर्षक लेख

9995. **श्री ए० के० राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 फरवरी, 1981 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "ओपरेशन इन सिंहभूम" शीर्षक से प्रकाशित फीचर लेख की ओर दिलाया गया है जिस में बिहार के इन क्षेत्रों में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों का ब्यौरा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार आदिवासियों पर बिहार मिलिटरी पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों की शिकायतों पर जांच करने के लिये कोई केन्द्रीय दल भेजने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सरकार मामले से अवगत है।

(ग) और (घ) सरकार का इन शिकायतों की जांच पड़ताल करने के लिए किसी केन्द्रीय दल को भेजने का प्रस्ताव नहीं हैं क्योंकि संबंधित फीचर लेख में उल्लिखित आरोपों की जांच पड़ताल राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

बी० सी० एल०, बी० सी० सी० एल० तथा सी० सी० एल० के ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी की अदायगी

9996. **श्री ए० के राय** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी० सी० एल०, बी० सी० सी० एल० तथा सी० सी० एल, में कार्यरत ठेकेदारों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक के पास कितने कितने श्रमिक काम कर रहे हैं;

(ख) उन ठेकेदारों के नाम क्या हैं जिन्होंने श्रमिक लाइसेंस ले रखे हैं;

(ग) जिन ठेकेदारों ने अभी तक श्रमिक लाइसेंस नहीं लिये हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) ये ठेकेदार पुरुष श्रमिकों तथा महिला श्रमिकों को कम से कम कितनी मजदूरी देते हैं; और

(ङ) क्या ये ठेकेदार श्रमिकों को साप्ताहिक छुट्टी, भविष्य निधि बोनस तथा चिकित्सा आदि की सुविधाएं देते हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा की वार्षिक योजना हेतु योजना तथा गैर योजनागत आवंटन

9997. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य की वर्ष 1980 की वार्षिक योजना के लिए कितनी योजना तथा गैर योजनागत आवंटन किया गया है; और

(ख) केन्द्र द्वारा कितनी योजना तथा गैर-योजना व्यय के लिए और आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के लिए कितनी विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है, और वर्ष 1980-81 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) दि० 15 अप्रैल, 1981 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 7671 के भाग (क) के लिए दिए गए उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें उड़ीसा सहित सभी राज्यों के लिए सूचना दी गई है।

(ख) राज्य की 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के संबंध में सूचना नीचे दी गई है :—

(करोड़ रु०)

	मूल आवंटन	दी गई धनराशि
सामान्य सहायता	145.10	147.75
जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	7.70	8.86
	152.80	156.61

वित्त मंत्रालय ने 1980-81 में प्राकृतिक विपत्तियों से राहत के लिए 10.56 करोड़ रु० की अग्रिम योजना सहायता और 28.2 करोड़ रु० का योजनेतर अनुदान दिया था। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

न्यूनतम मजूरी नियत करना

9998. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और अन्य कार्मिक संघों ने एक श्रमिक की न्यूनतम मजूरी 500 रुपये प्रति माह निर्धारित करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि दिल्ली के श्रमिकों ने इस मांग पर जोर देने के लिए 14 अप्रैल, 1981 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं कि दिल्ली में कुछ श्रमिकों ने अन्य बातों के साथ-साथ 500/- रुपये प्रतिमास की न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर 21 अप्रैल, 1981 को हड़ताल की।

(ग) मजदूरी नीति से संबंधित सभी मामलों पर, जिनमें न्यूनतम मजदूरी का मामला भी शामिल है, राष्ट्रीय त्रिपक्षीय सम्मेलन में विचार विमर्श किया जाएगा, जिसका आयोजन शीघ्र ही किया जा रहा है।

भारतीय नौसेना के लिए विभिन्न प्रकार के समुद्री जहाजों की आवश्यकता

9999. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के समुद्री तट की कुल लम्बाई और तट-दूर संस्थापनाओं पर विचार करते हुए भारतीय नौसेना के लिए विभिन्न प्रकार के समुद्री जहाजों की कितनी आवश्यकता है;

(ख) विवरण सहित समुद्री जहाजों की वर्तमान संख्या क्या है और इस समय भारतीय नौसेना के पास विद्यमान समुद्री जहाजों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह संख्या पर्याप्त है और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) हमारी लम्बी तटवर्ती सीमा द्वीपों और विस्तृत अनन्य समुद्री क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार की नीति पर्याप्त समुद्रोन्मुखी और तटीय/बंदरगाह रक्षा क्षमताओं के लिए एक संतुलित नौसेना के विकास की है।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में और विवरण देना लोकहित में नहीं होगा।

हरिजन, आदिवासियों को छात्रवृत्तियां और पुस्तकें देने हेतु राज्यों को आवंटन

10000. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार हरिजन, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के स्कूली तथा कालेज के छात्रों को छात्रवृत्तियां तथा पुस्तकें देने के लिए राज्य सरकारों को धनराशि आवंटित करती है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 में वर्षवार इस शीर्ष के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित योजनाओं के लिये राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सहायता अनुदान दिया जाता है।

1. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां।

2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के डाक्टरी तथा इंजीनियरी शिक्षणार्थियों के लिए पुस्तक बैंक।

3. शुष्क शौचालयों की सफाई; चमड़ा निकालने, चमड़ा कमाने जैसे तथाकथित "अस्वच्छ" व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के लिये मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां।

(ख) सदन के पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

1978-79, 1979-80 और 1980-81 के लिए किए गए आवंटन

(राशि लाख में)

राज्य/संघ शासित प्रशासन	1. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना			2. पुस्तक बैंक (डाक्टरी तथा इंजीनियरों छात्रों के लिए)			3. तथाकथित अस्वच्छ व्यवसायों में लगे के बच्चों के लिए मैट्रिक व्यक्तियों पूर्व छात्रवृत्तियां		
	1978-79	1979-80	1980-81	1978-79	1979-80	1980-81	1978-79	1979-80	1980-81
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. आन्ध्र प्रदेश	143.00	26.20	498.46	4.980	1.00	—	1.479	0 90	5.42
2. असम	55.00	10.70	—	7.599	—	—	—	0.50	—
3. बिहार	74.00	22.50	—	2.775	—	—	.725	0.02	—
4. गुजरात	210.00	32.90	—	1.753	0.50	—	4.900	1.82	4.813
5. हरियाणा	16.00	3.70	7.77	0.240	0.15	0.1310	0.725	0.36	0.205
6. हिमाचल प्रदेश	6.00	—	0.24	0.149	—	0.0920	—	—	0.159
7. जम्मू व कश्मीर	3.00	0.60	—	0.240	0.20	0.0250	—	—	—
8. कर्नाटक	116.00	22.50	—	2.953	—	2.0000	—	—	0.130
9. केरल	49.00	9.00	66.60	1.306	0.75	—	0.435	—	—
10. मध्य प्रदेश	55.00	15.38	18.37	1.924	1.35	—	0.122	—	0.295
11. महाराष्ट्र	322.50	57.90	—	6.691	1.05	—	—	—	—
12. मणिपुर	17.00	8.25	21.15	0.448	—	—	—	—	—
13. मेघालय	6.10	2.40	—	—	—	—	—	—	0.007
14. नागालैंड	10.00	2.50	3.50	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. उड़ीसा	35.00	10.68	29.51	0.906	0.23	0.3770	—	0.22	0.500
16. पंजाब	50.00	8.50	8.50	2.283	1.20	—	—	—	—
17. राजस्थान	59.90	16.01	22.22	1.168	0.50	—	0.725	—	—
18. तमिलनाडु	99.00	17.60	174.07	5.692	—	1.7100	—	0.43	—
19. त्रिपुरा	4.25	2.50	0.93	0.080	—	0.0800	—	—	—
20. उत्तर-प्रदेश	400.00	441.75	186.22	2.967	3.00	3.000	2.900	2.50	2.700
21. पश्चिम बंगाल	111.30	27.90	11.20	4.004	—	—	0.145	—	0.087
22. सिक्किम	—	0.77	0.78	—	—	—	—	—	—
23. दादरा तथा नगर हवेली	0.25	0.28	0.30	—	—	—	—	—	—
24. दिल्ली	18.00	—	2.00	0.307	0.120	0.1260	—	—	—
25. गोआ दमण व दीव	0.67	0.10	—	0.038	—	—	—	—	—
26. मिजोरम	14.85	14.45	20·03	—	—	—	—	—	—
27. पांडिचेरी	1.25	0.30	1.07	0.057	0.100	0.1885	—	—	—
28. चंडीगढ़	—	—	—	0.149	0.030	—	—	—	—
जोड़	*1877.07	755.27	1072.92	48.695	10.18	5.03.00	12.156	6.75	14.316

1. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता 100% है जो स्थापित योजना प्रक्रिया के अनुसार 1978-79 के व्यय के "वचनबद्ध स्तर" से अधिक है।
2. जहाँ तक उक्त (2 तथा 3) पर पुस्तक बैंकों और मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियों का सम्बन्ध है, 1979-80 से कुल व्यय केन्द्र तथा राज्य सरकारों में 50 : 50 के अनुपात में बांटा जाता है। इससे पहले केन्द्रीय सहायता 100% थी।

एन्रिच्ड यूरेनियम (संवर्धित यूरेनियम) की परिभाषा और खर्च हो चुके इंधन का पुन: उपयोग करना

10001. **श्री ए० के० राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका से प्राप्त किए गए एन्रिच्ड यूरेनियम (संवर्धित यूरेनियम) और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की दृष्टि से तारापुर परमाणु संयंत्र में खर्च हुए इंधन की "रिप्रोसैसिंग" (पुन: उपयोगी बनाने की प्रक्रिया) के वस्तुत: क्या अर्थ हैं;

(ख) क्या यूरेनियम संवर्धित तैयार करने के लिए भारत में ही देसी तकनीकी जानकारी का विकास कर लिया गया;

(ग) संवर्धित यूरेनियम से ऊर्जा तैयार करने की तकनीक प्राकृतिक यूरेनियम की तकनीक से कितनी भिन्न है जिसका उपयोग राजस्थान में किया जा रहा है और तत्तसंबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) क्या तारापुर संयंत्र का स्वरूप बदलकर उसे ऐसा बनाया जा सकता है कि उसमें विदेशी निर्भरता से मुक्त हो कर, प्राकृतिक यूरेनियम का ही इंधन के रूप में उपयोग किया जा सके ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए अमरीका से मिले समृद्ध यूरेनियम में प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में यूरेनियम 235 के आइसोटोपों की प्रतिशतता अधिक है। प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 के आइसोटोपों की मात्रा 0.7 प्रतिशत तक होती है, जबकि तारापुर परमाणु बिजलीघर में प्रयुक्त समृद्ध यूरेनियम में यह मात्रा 2.6 प्रतिशत तक है। तारापुर परमाणु बिजलीघर में काम में लाए गए इंधन के पुन: संसाधन का अर्थ यह है कि उसका संसाधन रासायनिक प्रक्रिया से करके उसमें से प्लूटोनियम, शेष समृद्ध यूरेनियम और विखंडन-जनित पदार्थों को अलग कर दिया जाए।

(ख) यूरेनियम को समृद्ध बनाने की स्वदेशी तकनीक का विकास करने के लिए प्रारम्भिक अध्ययन किए गए हैं।

(ग) समृद्ध यूरेनियम को काम में लाने वाले रिएक्टर प्राकृतिक यूरेनियम को काम में लाने वाले रिएक्टरों से भिन्न प्रकार के होते हैं। तारापुर स्थित रिएक्टर में, जिसमें समृद्ध यूरेनियम काम में आता है हल्के पानी को शीतक तथा मंदक के रूप में काम में लाया जाता है। इसकी तुलना में, प्राकृतिक यूरेनियम से चलने वाले राजस्थान स्थित रिएक्टर में भारी पानी होता है, जो शीतक तथा मंदक का काम करता है।

(घ) जी, नहीं। तारापुर स्थित रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम को काम में लाना तकनीकी दृष्टि से संभव नहीं है।

सम्पत्ति-कर के मामलों के सम्बन्ध में दिल्ली नगर-निगम को लिखे गए पत्र

10002. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या गृह मंत्री सम्पत्ति कर के सम्बन्ध में दिल्ली नगर निगम को लिखे पत्रों के सम्बन्ध में 1 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5970 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह गत अप्रैल, में दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को लिखे गए अनेक पत्रों की प्राप्ति स्वीकार नहीं की गई है;

(ख) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित 693 पत्रों के निपटान में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) दिल्ली नगर निगम इस तरह के सभी पत्रों का उत्तर दिया जाना आवश्यक बनाने हेतु सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि गत अप्रैल में दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को लिखे गए सभी पत्रों की प्राप्ति स्वीकार की गई है।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि सभी 693 पत्रों के उत्तर दिए जा चुके हैं।

"इन्सैट" का अन्तरिक्ष में छोड़ा जाना

10003. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राष्ट्रीय जियोस्टेशनरी सैटलाइट (इन्सैट) छोड़ने में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) कौन-कौन से राज्य इसके अन्तर्गत आएंगे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) इन्सैट-1 अन्तरिक्षयान निर्माणाधीन है और इसका समाकलन प्रारंभ हो गया है। समाकलित इन्सैट-1ए अन्तरिक्षयान को प्रमोचन के लिये भेजने से पहले अनुकारित अन्तरिक्ष वातावरण में इसकी प्रणाली स्तर की अर्हता और स्वीकार्य जांच की जायेगी। संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रीय वैमानिकी तथा अन्तरिक्ष प्रशासन (नासा) के डैल्टा-3910 प्रमोचक राकेट के इस्तेमाल द्वारा इन्सैट-1ए. के प्रमोचन को वर्तमान समय-अनुसूची 1982 की प्रथम तिमाही है।

(ख) इन्सैट-I एक राष्ट्रीय प्रणाली है, जिसमें दूरसंचार, मौसमविज्ञान सम्बन्धी भू-प्रेक्षण, आंकड़ा रिले, रेडियो और दूरदर्शन के प्रयोजन के लिये राष्ट्रव्यापी आवरण की क्षमताएं हैं।

दिल्ली में सम्पत्ति कर लगाया जाना

10004. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 अप्रैल, 1981 के ("स्टेट्स मैन" में "रेंट टेक्स एण्ड प्रापर्टी") किराया कर और सम्पत्ति) शीर्षक से समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) मनमाने ढंग से सम्पत्ति कर लगाने के मामले में दिल्ली नगर निगम के निरीक्षकों और सहायक मूल्यांकनकर्ताओं तथा समाहर्ताओं की निरंकुशता के विरूद्ध राजधानी के परेशान करदाताओं को आवश्यक राहत प्रदान करने हेतु और गहरी जड़ें जमा चुके व्यापक भ्रष्टाचार से जड़ से उखाड़ फैंकने के लिए सरकार का क्या क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(ख) तथा (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इस समाचार में उत्पीड़न के किसी विशिष्ट मामले का संकेत नहीं किया गया है । फिर भी निगम द्वारा सम्पत्ति कर विभाग के गलती करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है । पिछले वित्तीय वर्ष में (1.4.80 से 31.3.81 तक (38 मामलों में जिनमें 58 कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त हैं, नियमित विभागीय कार्यवाही के आदेश दिये गये थे । 22 व्यक्तियों को मुअत्तिल किया गया था । इसके अतिरिक्त 3 व्यक्तियों के विरूद्ध फौजदारी मामले चल रहे हैं । 20 व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक कार्रवाई अर्थात् चेतावनियां जारी की गई हैं । केन्द्र सरकार भी किराये के निर्धारण के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द "प्राप्तियोग्य" की अस्पष्टता और संदिग्धता दूर करने के लिए दिल्ली नगर पालिका कानून (संशोधत तथा वैधता) विधेयक 1980 के संशोधन पर विचार कर रही है ताकि मूल्यांकन कर्मचारियों द्वारा मध्यस्थता कार्रवाई के अवसरों को समाप्त किया जा सके ।

नई दिल्ली में घड़ियों के नकली डायल बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा

10005. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने 3 अप्रैल, 1981 को टैंक रोड, करोलबाग, नई दिल्ली में छापा मारा है और प्रसिद्ध अनेक घड़ियों के डायल बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उन घड़ियों के क्या नाम हैं जिनके डायल वहां मिले और प्रत्येक मामले में उनका मूल्य कितना है; और

(ग) उसके लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) गोविन्दगढ़, सतनगर, करोल बाग, दिल्ली में स्थित मैसर्स आर० के० इंडस्ट्रीज के नाम से ज्ञात एक कारखाना जो हाथ की घड़ियों के नकली डायल बना रहा था, का पता लगाया गया है ।

(ख) इस सम्बन्ध में इस कारखाने के मालिक को गिरफ्तार किया गया था।

प्रत्येक डायल के मेक का मूल्य और विवरण नीचे दिया गया है--

(क) एच०एम०टी (भारतीय मैक के डायल) अनुसूचित कीमत 15000 रु०।

(ख) हैनरी सेन्डोज तथा टाइटस (स्विस मेक के डायल) अनुमानित कीमत 20000 रु०

(ग) टाइम स्टार (भारतीय मेक के डायल) अनुमानित कीमत 5000 रु०।

(घ) नये खाली डायल अनुमानित मूल्य 10,000 रु०।

(ङ) हैंडप्रैस मशीने तथा अनेक डाइयां जिनकी अनुमानित कीमत एक लाख रुपये आंकी जाती है।

(ग) भा०द०सं० की धारा 420 के अधीन एक मामला प्र०सू०रि०सं० 366 दिनांक 3.4.81 को दर्ज किया गया है और इसकी जांच पड़ताल की जा रही है।

पुलिस कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता

10006. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस कर्मचारियों के लम्बे अविरत काम के घंटों को देखते हुए उन्हें समयोपरि भत्ता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव इस समय किस चरण में है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) राज्यों संघ शासित क्षेत्रों और केन्द्रीय पुलिस संगठनों से अब तक प्राप्त सूचना संलग्न विवरण के रूप में सदन के पटल पर रखी जाती है। शेष राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र/केन्द्रीय पुलिस संगठन का नाम	राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र/केन्द्रीय पुलिस संगठन द्वारा बताई गई स्थिति
1	2	3
	राज्य	
1.	गुजरात	पुलिस कर्मियों को समयोपरि भत्ता स्वीकृति करने कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विधि व व्यवस्था बनाये रखने के लिए लम्बे घंटों के लिए उनकी ड्यूटी और उनकी तैनातो तथा विषम समय को देखते हुए राज्य सरकार ने 1-6-1979 से पुलिस निरीक्षकों और उप-निरीक्षकों को 75/- रु० मासिक और हैड कांस्टेबलों को 60/-रुपये मासिक विशेष प्रतिपूरक भत्ता स्वीकृत किया है।

1	2	3
2.	हिमाचल प्रदेश	जी नहीं । परन्तु कांस्टेबल से निरीक्षक के पद तक के पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के लम्बे कठिन घंटे तक कार्य करने के लिए वर्ष में एक बार अप्रैल, में एक मुश्त विशेष आकस्मिक छुटटी स्वीकृत की गई है ।
3.	कर्नाटक	कोई प्रस्ताव नहीं है ।
4.	महाराष्ट्र	पुलिस कर्मियों को समयोपरि भत्ता के संबंध में राज्य सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है । परन्तु एक दिन में निरंतर 10 घंटे ड्यूटी देने के बाद प्रति दिन प्रति व्यक्ति पुलिस कांस्टेबलों को 5/- रु० और पुलिस उप निरीक्षकों तथा फोटोग्राफरों को 6/-रु० जलपान भत्ता स्वीकृति करने के एक प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।
5.	मध्य प्रदेश	राज्य सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।
6.	मेघालय	इस राज्य में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
7.	नागालैंड	इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पुलिस कर्मचारियों को रविवारों/छुटिटयों और विषम समय पर कार्य करना पड़ता है नागालैंड सरकार ने 1-1-1980 से निरीक्षक के पद तक उनके मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से प्रतिपूर्ति भत्ता स्वीकृति किया है ।
8.	राजस्थान	राजस्थान पुलिस ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवाओं के सभी सदस्यों को उनकी ड्यूटी के लम्बे समय को ध्यान में रखते हुए वर्ष में एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने की स्वीकृति दी है । इसके अतिरिक्त इन सदस्यों के लिये एक वर्ष में 25 दिन की आकस्मिक छुट्टी स्वीकार्य है जबकि अन्य सरकारी कर्मचारी एक वर्ष में केवल 15 दिन की आकस्मिक छुट्टी ले सकते हैं । इस राज्य सरकार के विचाराधीन अन्य कोई प्रस्ताव नहीं है ।

1	2	3
9.	सिक्किम	राज्य सरकार अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों को उनके लम्बे व कड़े कार्य समय को ध्यान में रखते हुए एक महीने का अतिरिक्त वेतन दे रही है। पुलिस कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
संघ शासित क्षेत्र		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पुलिस कार्मिकों को समयोपरि भत्ता देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
2.	अरुणाचल प्रदेश	पुलिस कार्मिकों को समयोपरि भत्ता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। निम्नलिखित शर्तों पर 20.7.79 से सहायक उप निरीक्षक, हैड कांस्टेबलों और कांस्टेबलों को 4 रु० प्रति व्यक्ति की दर से भोजन भत्ता स्वीकृत किया गया है : (क) जहां तक सम्भव हो व्यक्ति को 9 घंटे से अधिक डयूटी पर न रखा जाय (ख) जहां 9 घंटे से अधिक तक की अवधि के लिए डयूटी पर तैनात करना नितान्त आवश्यक हो जाय, तो 4 रु० प्रति दर से भत्ता दिया जाय (ग) जब अरुणाचल प्रदेश पुलिस द्वारा भोजन की आपूर्ति के लिए कोई प्रबंध नहीं किए जाते हों (घ) इस पर प्रति वर्ष 1,0000 रु० से अधिक खर्चा नहीं होना चाहिए।
3.	चंडीगढ़ संघ शा० क्षेत्र	जी नहीं। तथापि पंजाब और हरियाणा सरकारों ने पुलिस कार्मिकों को राजपत्रित छुट्टियों की क्षति के बदले में एक महीने के वेतन को अनुदान के रूप में देने की स्वीकृति दी है, जो चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संघ शासित पुलिस के प्रतिनियुक्ति और सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों को दी जा रही है।
4.	दिल्ली	जी नहीं। तथापि दिल्ली के सभी अराजपत्रित अधिकारियों को जनहित में कार्य के अधिक घंटों और राजपत्रित छुट्टियों को प्राप्त करने में उनकी असमर्थता और साप्ताहिक छुट्टियों के

1	2	3
		बदले में प्रत्येक वर्ष जनवरी, माह में एक महीने का प्रतिपूरक वेतन दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सहायक उप-निरीक्षको, हैड कांस्टेबलों और कांस्टेबलों को 4 रु० प्रति व्यक्ति की दर से भोजन भत्ता भी दिया जाता है, जब उन्हें सेवा की अनिवार्यता के लिए 9 घंटे से अधिक की ड्यूटी पर तैनात किया जाता है, जब उनके ड्यूटी स्थानों पर भोजन की आपूर्ति करने के प्रबंध सम्भव नहीं होते हैं। तथापि इस भत्ते का भुगतान प्रति अधिकारी वर्ष में 20/25 दिनों तक सीमित है।
5.	लक्ष्यद्वीप	जी नहीं।
6.	मिजोरम	वर्तमान में पुलिस कार्मिकों को समयोपरि भत्ते का भुगतान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
7.	पांडिचेरी	जी नहीं। पुलिस निरीक्षक तक के अराजपत्रित पुलिस कार्मिको को उनके अधिक घंटो की ड्यूटी को और छूट्टियों को सुविधा का लाभ उठाने से मना करने और साप्ताहिक छूट्टियों के बदले में वर्ष में एक महीने का प्रतिपूरक वेतन दिया जाता है।
	केन्द्रीय पुलिस संगठन	जहां तक केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का संबंध है, अराजपत्रित कार्मिक विशेष अनिवार्य परिस्थितियों में 9 घंटे से अधिक कार्य करने के बदले में प्रत्येक व्यक्ति 4 रु० की दर से जलपान भत्ते के हकदार हैं। बशर्ते कि यह प्रत्येक सदस्य वर्ष में 20 दिन तक सीमित हो केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महा निदेशक द्वारा इसमें 25 दिन तक की छूट दी जा सकती है। अन्य केन्द्रीय पुलिस बलों के संबंध में, वे किसी समयोपरि भत्ते के हकदार नहीं हैं और न ही उन्हें समयोपरिभत्ता देने का कोई प्रस्ताव है।

छावनी बोर्ड के स्कूलों को बिहार सरकार

10007. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छावनी बोर्ड के अधीन स्कूलों को बिहार सरकार को सौंप दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि छावनी बोर्ड के अधिकारियों ने बिहार सरकार को स्कूलों को सौंपने से पूर्व शिक्षकों को दो महीने के वेतन का भुगतान नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार शिक्षकों को वेतन कब तक देने का है ?

रक्षा मंडालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । छावनी बोर्डों के लिये यह अनिवार्य नहीं है कि राज्य सरकार को स्कूल सौंपते समय दो महीने का वेतन अग्रिम भुगतान करें । फिर भी, राज्य सरकार को स्कूलों के हस्तांतरण की तारीख तक शिक्षकों को देय पूरा वेतन अदा किया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूहों में पुलिस रेडियो सेवाओं के कार्यकरण के सम्बन्ध में तकनीकी स्तर समिति की सिफारिशें

10008. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पुलिस रेडियो सेवाओं के कार्यकरण की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने तथा राज्य पुलिस रेडियो संगठनों के कार्यकरण का स्तर बनाने और उन्हें सुधारने के लिए उपायों की सिफारिश करने के लिए एक तकनीकी स्तर समिति गठित की है;

(ख) क्या समिति ने 1970 के दौरान इस सम्बन्ध में सिफारिशें कर दी थी;

(ग) क्या संघ क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तकनीकी स्तर समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों में समिति की सिफारिशों को कब कार्यान्वित किए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तकनीकी स्तर समिति रिपोर्ट जो 1955 में मूल रूप से भारत सरकार द्वारा स्थापित द्वारा प्रकाशित की गई थी, को बाद में सांविधिक रूप से 1960 और 1970 में संशोधित किया गया था । तकनीकी स्तर समिति रिपोर्ट 1970 अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह समेत सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को भेजी गई थी । तकनीकी स्तर समिति रिपोर्ट में सिफारिशें की गई हैं और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह सहित राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में पुलिस रेडियो संगठनों के कर्मचारियों के वेतनमान निर्धारित करने कर्मचारियों का वेतन ढांचा युक्तिसंगत बनाने, विभागीय रूप से अर्हता-प्राप्त कार्मिकों के लिये पदोन्नति हेतु विशेष अवसर बनाने, दूरसंचार प्रणाली पद्धति के पुनर्गठन

के लिए अग्रिम नियोजन करने और पुलिस के बढ़ते हुए कार्यों को पूरा करने हेतु एक कुशल पुलिस दूर संचार पद्धति को सुनिश्चित करने के लिये मार्गदर्शी निदेशों के रूप में सहायता करती हैं।

(ख) अंतिम तकनीकी स्तर समिति रिपोर्ट 1970 में जारी की गई थी और जिसमें विभिन्न सिफारिशें की गई हैं जो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह सहित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पुलिस रेडियों अधिकारियों के लिए मार्गदर्शी निदेशों के रूप में कार्य करती है।

(ख) तथा (घ) अंडमान तथा निकोबार पुलिस रेडियों संगठनों के पुनर्गठन के लिए एक विस्तृत योजना निदेशक (पुलिस दूर संचार) द्वारा तकनीकी स्तर समिति की सिफारिशों और दिसम्बर 1975 में क्षेत्र का दौरा करने के पश्चात अपने व्यक्तिगत अनुभव को ध्यान में रखते हुए 1976 में तैयार की गई थी। इस योजना के आधार पर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पुलिस रेडियो संगठन के लिए 1978 में अतिरिक्त संचालनात्मक और तकनीकी कर्मचारियों की व्यवस्था की गई थी। स्थिति की पुनः समीक्षा की गई और हाल ही में और अतिरिक्त संचालनात्मक तथा तकनीकी पदों की स्वीकृति दी गई थी।

अंडमान तथा निकोबार में पुलिस रेडियो संचार

10009. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ क्षेत्र अन्डमान एवं निकोबार द्वीपों में पुलिस रेडिया संचार को, जो कि विश्वसनीय सूचनाओं का एक मात्र साधन है, सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या 1975 में गृह मंत्रालय ने मौके पर जा कर सर्वेक्षण करने और अंडमान एवं निकोबार द्वीप पुलिस रेडियो संगठन की वास्तविक आवश्यकताओं का पता करने के लिए एक अधिकारी को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों के लिए प्रतिनियुक्ति की थी; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिनियुक्ति किए गए अधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पुलिस रेडियो संगठन की सुदृढ़ करने के लिए अध्ययन करने और उपयुक्त उपायों को सिफ़ारिफ करने के लिए 1975 में पुलिस दूर संचार के निदेशक को प्रतिनियुक्त किया गया था। उसकी रिपोर्ट के आधार पर अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पुलिस रेडियो संगठन के लिए 1978 में अतिरिक्त प्रचालन और तकनीको कर्मचारी स्वीकृत किए गए थे। स्थिति की पुनः समीक्षा की गई और हाल ही में आगे और अतिरिक्त प्रचालन और तकनीकी पद स्वीकृत किए गए।

अखिल भारतीय ईंट तथा टाइल निर्माता संघ से ज्ञापन

10010. **श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय ईंट तथा टाइल निर्माता संघ ने सरकार को एक ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन का ब्यौरा क्या है और क्या ज्ञापन दे दिया गया है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हाँ।

(ख) ज्ञापन 24.3.1981 को प्राप्त हुआ था। ज्ञापन में निम्नलिखित बातें निहित थीं :

(1) रेलवे द्वारा कोयला लाने ले जाने के लिए कम प्राथमिकता दिए जाने के कारण कोयला प्राप्त करने में कठिनाई।

(2) उद्योग मंत्रालय को राज्य सरकारों के सहयोग से उपयुक्त चिकनी मिट्टी की सुगमता से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण करना चाहिए तथा ईंट उद्योग के लिए उपयुक्त भूमि निर्धारित करना चाहिए।

(3) भट्टों (क्विलन) में प्रयोग की जाने वाली चिमनियों तथा ईंट उद्योग द्वारा सांचे बनाने के लिए इस्पात आवंटित किया जाना चाहिए। कामगारों के मकानों के निर्माण के लिए भी गाल्वनीकृत नालीदार चद्दरों का आवंटन किया जाना चाहिए।

(4) केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की द्वारा ईंट बनाने के काम में प्रयोग किए गए छीजन उत्पाद के उपयोग प्रदर्शनी के जरिए प्रसार किया जाना चाहिए।

(5) केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की द्वारा विकसित ईंट बनाने वाली मशीनों के के निर्माण और क्विलन हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता।

(6) एक ईंट और टाइल विकास प्राधिकरण की स्थापना करना जो आधुनिक और कुशल भट्टों (क्विलन) तथा उपकरणों की स्थापना के लिए आनुषंगी सहायता सहित ईंट उद्योग की जरूरतों का सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन करेगा तथा आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के बारे में उत्पादकों को शिक्षा देने के लिए भी दिल्ली में प्रदर्शनी तथा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना भी करेगा ईंट और टाइल बनाने की समुचित प्रौद्योगिकी और आधुनिक तकनीक का अध्ययन करने को विदेशों में जाने के लिए उत्पादकों के लिए अध्ययन दौरों की व्यवस्था की जाए।

(7) न्यूनतम सीमा को लागू करने तथा रायल्टी भुगतान से छूट देने के बारे में विशेषकर तमिलनाडु सरकार की नीति के संदर्भ में ईंट उद्योग को शामिल करते हुए कानूनों को युक्तिसंगत बनानाना।

(8) चूंकि स्वदेशी और विदेशी दोनों बाजारों में छत बनाने वाली टाइलों की भारी कमी हो गई है अतः छत बनाने के काम आने वाली टाइल उद्योग की कठिनाइयों की ओर ध्यान देना।

(ग) ज्ञापन में उठाई गई बातों की जांच की जा रही है।

केरल में अनुसूचित जाति की सूची में कुछ जातियों को शामिल करना

10011. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने भारत सरकार को अनुसूचित जातियों की सूची में थाचा, चेक्कुयन नवा, वेपेरुवन्नन पूल्लून्नन, कुडमुबी और मोडिगा समुदायों को शामिल करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त सिफारिश कब प्राप्त हुई थी और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि उपरोक्त समुदाय अनुसूचित जातियों की सूची में पहले से विद्यमान समुदायों से प्राकृतिक रूप में सदृश और समान है;

(घ) यदि हां, तो क्या उपरोक्त समुदायों को इस सूची में अलग रखने का कोई औचित्य है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन्हें इस सूची में शामिल करने का है; और

(च) यदि हां, तो कब ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक 1967 के संबंध में संयुक्त समिति ने केरल राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची में चेवकुंयन बैनवा के अतिरिक्त इन समुदायों की सिफारिश की थी केरल सरकार से परामर्श किया गया है और उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।

(घ) से (च) केरल सरकार से टिप्पणियों की प्राप्ति के बाद प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

असैनिक शिक्षकों का एम० ई० एस० में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में स्थानांतरित किया जाना

10012 **श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976 के दौरान रक्षा मंत्रालय एम०ई०एस० में (विभिन्न वेतनमानों में) कितने असैनिक शिक्षक अवर श्रेणी लिपिक के रूप में स्थानांतरित किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे;

(ग) क्या ऐसे कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति के बाद इस समय पेंशन मिल रही है;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इन निम्न श्रेणी के लिपिकों की जो पहले हिन्दी शिक्षकों के रूप में कार्य कर रहे थे उन्हे हिन्दी अनुवादकों के रूप में खपान का है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 23 सिविलियन अध्यापकों को 1976 में एम० ई० एस० में अवर श्रेणी लिपिकों के रूप में स्थानांतरित किया गया था।

(ख) सिविलियन स्कूल मास्टरों की योधी यूनिट शिक्षा निदेशकों के स्थानों पर बिल्कुल अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था। उनको एम० ई० एस० में अवर श्रेणी लिपिक के स्थानों पर खपा दिया गया ताकि जब उन पदों पर उनकी पुष्टि की जाए तो वे पेंशन सम्बन्धी लाभ प्राप्त कर सकें।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) जी नहीं। वर्तमान स्कीम के अन्तर्गत इस प्रकार के सामयोजन की अनुमति नहीं है और एम० ई० एस० में ऐसा कोई पद उपलब्ध नहीं है।

कर्नाटक में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए स्वीकृति

10013 : **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी हुई कर्नाटक की औद्योगिक परियोजनाओं की संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) कर्नाटक में उद्योगों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति हेतु औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में प्राप्त 45 आवेदन पत्र 30 अप्रैल, 1981 को अनिर्णित पड़े थे। ये आवेदन पत्र विचार की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। अनिर्णित आवेदन पत्रों के ब्यौरे सरकार द्वारा पर निर्णय लेने से पूर्व प्रकट नहीं किये जाते हैं।

सैंट्रल इन्स्टीच्यूट आफ मेडिसिनल एण्ड एरोमेटिक प्लांट्स जम्मू के निर्देशक के कार्यालय का स्थानान्तरण

10015. **श्री के० ए० राजन** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैंट्रल इन्स्टीच्यूट आफ मेडिसिनल एण्ड ऐरोमेटिक प्लांट्स, जम्मू के निदेशक का कार्यालय वर्ष 1977 में लखनऊ स्थानांतरित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में क्या लाभ और परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(घ) वर्ष 1978, 1979 और 1980 में निदेशक ने जम्मू का कितनी बार दौरा किया; और

(ङ) प्रत्येक दौरे पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तथा इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) निदेशक केन्द्रीय औषधीय तथा संगध पौधा संस्थान, लखनऊ द्वारा वर्ष 1978, 1979 और 1980 में जम्मू का भ्रमण का तथा इस संदर्भ में किए गए व्यय का विवरण

इस प्रकार है :—

वर्ष 1978	व्यय
19.2.78 से 23.2.78	रु० 951.65 पैसे
9.4.78 से 13.4.78	रु० 959.70 पैसे
15.9.78 से 20.9.78	रु० 993.40 पैसे
1979	
5.2.79 से 9.2.79	रु० 926.40 पैसे
19.9.79 से 20.9.79	रु० 972.45 पैसे
1980	
12.2.80 से 14.2.80	रु० 1236.40 पैसे

जम्मू के उपरोक्त भ्रमणों के अतिरिक्त निदेशक, के औ सं पौ सं, ने औषधीय अनुसंधान प्रयोगशाला (डी आर एल), जम्मू के कार्य के सम्बन्ध में श्रीनगर का दौरा किया, चूंकि डी आर एल, जम्मू की एक यूनिट जहां कार्य कर रही है तथा ग्रीष्म में जम्मू और काश्मीर सरकार का मुख्यालय स्थित है। श्रीनगर को किए गए ऐसे भ्रमणों की सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष 1978	व्यय
2.6.78 से 5.6.78	रु० 923.30 पैसे
1979	
15.5.79 से 19.5.79	रु० 969.90 पैसे
21.6.79 से 29.6.79	रु० 1068.65 पैसे
14.10.79 से 19.10.79	रु० 999.65 पैसे
1980	
23.5.80 से 4.6.80	रु० 1502.00 पैसे
14.10.80 से 28.10.80	रु० 1576.35 पैसे

विवरण

केन्द्रीय औषधीय एवं प्रांध पौधा संस्थान द्वारा गत तीन वर्षों में बहुत से महत्वपूर्ण औषधियों और सुगंधित पौधों की खेती के लिए विकसित की गई कृषि—प्रौद्योगिकियां इस प्रकार हैं :—

(क) खण्ड 1. जापानी मिन्ट (मैन्था आरवेन्सिस लिन् सब स्पीशिज डैल्लोकैलिक्स ब्रीकेट कार—पीपरामेन्स होम्स)

2. पिपरमिन्ट (मैन्था पिपेरिया एल)

3. सिट्रोनैला जावा (सम्बोपोमोन विन्टेरिऐनुस जोविट)

4. पामरोजा (सिम्बोपोगॅन मारटीनी वार जीविट)
5. स्वीटफ्रेंम बेसिल (ओसिमस वैसीलियम एल०)
6. रें ऊर्गेट (क्लेविसेप्स परप्यूरिया (फ्रें) सुसास्ते)
7. पेरीविन्कल (कैथारैन्थस रोजियस् (एल०) जी० डान)
8. जिरैनियम
9. पैचूली
10. पाइरेथ्रम

(ख) खण्ड इसके अतिरिक्त निम्नांकित अनुसंधान किए गए :—

1. कोल्वीसिन का उत्पादन
2. कैथेरेन्थस टोजियस (एल०) की डान की जड़ों से सम्पूर्ण एल्केलायड़ों एवं निष्कर्षण।
3. भारत में प्रशिष्शियन हेवफेन के उक्त रेलोफाइड वियेव का समावेशन।
4. उत्तर प्रदेश में डोयोस्पेनिस के लिये कच्चे माल के रूप में डायोरमेशियन की किस्म मेकसीशियन की खेती के लिए कृषि प्रौद्योगिकी का विकास।
5. डायोस्पेनिव के प्रोत के रूप में कास्टस स्पेसियोसस स्थी।
6. उच्च मार्फेत, उच्च पैपावरीनयुक्त विरोधी वैरायटी जोवियम पापी (पैयावर साम्नी-फेरम लिम०) का विकास मावरीन।
7. हायोसायमस म्यूटीकमस एल० सोलेनम माइप्रम लिन०, ग्लोरिओसा सुएर्बा एल पर आधारभूत अध्ययन।

विकसित प्रौद्योगिकियां भेषज और सुगन्ध उद्योगों द्वारा आवश्यक औषधीय और पुरधि पौधों के उत्पादन में अत्मनिर्भरता प्राप्त करने में बहुत सहायक हो सकेंगी।

फिएट आटो, इटली से सहयोग

10016. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली की एक कम्पनी 'फिएट आटो' ने भारत की कम्पनियों के साथ मोटर गाड़ियों के एसे उपकरणों का जिनका इटली और तीसरे देशों को निर्यात किया जाएगा निर्माण करने हेतु संयुक्त उद्यम के लिए भारत में पूंजी लगाने में दिलचस्पी दिखाई है; और

(ख) यदि हां, तो इन संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के दौरान प्रदर्शन

10017. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिसमें गुटनिरपेक्ष देशों के मंत्रियों का सम्मेलन चल रहा था कुछ विदेशी तत्व देश में सक्रिय थे और वहां अफगानिस्तान में सोवियत उपस्थिति के सम्बन्ध में विदेश मंत्रियों के सम्मेलन का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रदर्शन किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उस क्षेत्र में जहाँ सम्मेलन हो रहा था बम फेंकने की धमकी की सूचना मिली थी;

(ग) क्या कोई गिरफ्तारी की गई थी;

(घ) यदि हाँ, तो ये प्रदर्शनकारी किस देश से संबंधित थे; और

(ङ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अफगानिस्तान के कुछ छात्रों ने 9 फरवरी 1981 को एक जुलूस निकाला और 10 फरवरी 1981 को सम्मेलन के स्थान विज्ञान भवन के बाहर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस सम्बन्ध में 9-2-1981 को लोहिया विचार अध्ययन केन्द्र में भी एक जुलूस निकाला था।

(ख) 10/11 फरवरी की रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति से टेलीफोन पर सूचना मिली थी कि सभी आठ भवनों पर जहां सम्मेलन के प्रतिनिधि ठहरे हुए थे तथा सम्मेलन के स्थान पर दूर से नियंत्रित होने वाले यन्त्रों के साथ विस्फोटक रखे हुए हैं। सभी भवनों की सावधानी से तलाशी ली गई परन्तु ऐसी कोई वस्तु प्राप्त नहीं हुई।

एक प्रतिनिधि के नाम से एक लिफाफा जो संदिग्ध दिखाई दे रहा था। 11 फरवरी 1981 को प्राप्त हुआ उसमें एक शीशी रखी हुई थी जिसको रासायनिक जाँच के लिए भेजा गया।

(ग) से (ङ) गुम नाम से टेलीफोन करने वाले तथा पत्र भेजने वाले व्यक्ति का पता नहीं लगा है और न ही कोई गिरफ्तारी की गई है। प्रदर्शनकारी अफगानिस्तान के नागरिक और उनके भारतीय समर्थक थे।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में निरीक्षकों की वरिष्ठता

10018. **श्री रासबिहारी बहेरा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1962-63 से लेकर आज तक संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से और/अथवा उनकी स्वीकृति से नियुक्त-पदोन्नत किये गये वरिष्ठ भविष्य निधि निरीक्षकों को मंत्रालय रैंक के उन व्यक्तियों से कनिष्ठ बना दिया गया है जिन्हें 1969 से शुरू की गई कर्मचारी भविष्य निधि लेखा सेवा परीक्षा पास करने पर लेखा अधिकारी नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि (कर्मचारी और सेवा की शर्तें) विनियम, 1962 में निर्धारित किये गए स्टाफ पैटर्न के अनुसार 2 अलग वर्गों के पद हैं, अर्थात भविष्य निधि निरीक्षक (ग्रेड–1) और लेखा अधिकारी इन दोनों वर्गों के पद कर्मचारी विनियम के आरम्भ होने के समय से विद्यमान हैं और 650-1200 रु० के सामान्य वेतन-मान के हैं। भविष्य निधि निरीक्षक (ग्रेड–1) के पचास प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और शेष पचास प्रतिशत पद संघ लोग सेवा आयोग के

माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। लेखा-अधिकारी के पदों पर नियुक्ति विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पदोन्नति के आधार की जाती है, जिसके न होने पर, प्रति-नियुक्ति के आधार पर स्थानान्तरण द्वारा एवं इन दोनों के अभाव में, सीधी भर्ती द्वारा। चूंकि इन दोनों वर्गों के अलग संवर्ग हैं, इसलिए तत्सम्बन्धी पदों पर नियोजित किये गये अधिकारियों की वरिष्ठता अलग से रखी जा रही है। उपर्युक्त वर्गों के अधिकारी सहायक भविष्य निधि आयुक्त (ग्रेड–1) के अगले उच्चतर ग्रेड पदों पर उक्त नियमों में निर्धारित II सूत्री आवर्ती फार्मूले के अनुसार 50% तक की पदोन्नति के लिए विचार किये जाने के पात्र हैं, जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (आयुक्त) भर्ती नियम, 1966, समय-समय पर यथासंशोधित, में व्यवस्था है तथा शेष 50 प्रतिशत संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा नियोजित किये जाते हैं। सहायक भविष्य निधि आयुक्त (ग्रेड–1) के पदों पर नियुक्ति/पदोन्नत किए जाने वाले अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता विभागीय पदोन्नति समिति/संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन और प्रदत्त रैंक के अनुसार निर्धारित की जाती है।

कर्मचारी भविष्य निधि के (ग्रेड–II) निरीक्षकों को उच्च पदों पर पदोन्नति किया जाना

10019. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भविष्य निधि निरीक्षकों (ग्रेड–II) को कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में अधीक्षक के रूप में पदोन्नति/नियुक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि वर्तमान नियमों में इस प्रकार की पदोन्नत/नियुक्ति की कोई व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार की पदोन्नतियां/नियुक्तियां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय कार्यालय में की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की कितनी नियुक्तियां की गई हैं और उसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) केन्द्रीय कार्यालय में भविष्य निधि निरीक्षक (ग्रेड–2) और अधीक्षकों की नियुक्ति सामान्य परीक्षा के आधार पर की जाती है। अतः भविष्य निधि निरीक्षक (ग्रेड–2) की अधीक्षक के रूप में नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं है। रिक्तियों/प्रशासनिक अपेक्षाओं के अनुसार कुछ अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को केन्द्रीय कार्यालय में अधीक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाता है और अन्यों को क्षेत्रीय कार्यालयों में भविष्य निधि निरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाता है।

(ख) और (ग) दिसम्बर, 1979 में आयोजित परीक्षा में पास हुए ग्यारह उम्मीदवारों में से सात व्यक्तियों को केन्द्रीय कार्यालय में अधीक्षकों के रूप में तैनात किये जाने की पेशकश की गई थी। इन सभी व्यक्तियों ने कार्यभार संभाल लिया। शेष चार उम्मीदवारों को, जिन्हें उनके अनुरोध पर भविष्य निधि निरीक्षकों (ग्रेड–2) के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए विचार किया गया, भविष्य निधि निरीक्षकों (ग्रेड–2) के पदों पर भी नियुक्त कर दिया गया है।

स्टोर निदेशक द्वारा अत्यधिक धनराशि एकत्र किया जाना

10020. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मानकीकरण के निदेशक द्वारा अत्यधिक धनराशि एकत्र की गई है जो कि उनकी आय के अनुपात में नहीं है;

(ख) क्या इस अधिकारी ने 10 लाख रुपये की लागत से वसंत विहार में एक $4\frac{1}{2}$ मंजिली कमर्शियल इमारत का निर्माण किया है जिससे उसे 40,000 रुपये मासिक आय हो रही है;

(ग) क्या इस अधिकारी ने इंडो-वर्मा, शाहदरा, दिल्ली नामक एक फर्म में 75 लाख रुपये लगाए हैं और यह फर्म रक्षा विभाग को घटिया सामान सप्लाई कर रही है;

(घ) क्या इस अधिकारी की पूना में फरार इण्डिया नामक एक पेंट फैक्टरी तथा किसी केमिकल्स नामक एक वारनिश फैक्टरी है जो रक्षा विभाग को सामान सप्लाई करती है और इस फर्म द्वारा महाराष्ट्र और गुजरात में बड़े पैमाने पर काला बाजार में स्प्रिट बेची जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा रक्षा मंत्रालय के सतर्कता विभाग द्वारा विस्तृत जांच के आदेश देने पर विचार करेगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 1978-79 के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वर्तमान मानकीकरण निदेशक के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें यह आरोप लगाया गया था कि इनके पास ज्ञात स्त्रोतों से कहीं अधिक अनुपात में परिसम्पत्ति है। हमें यह सूचित किया गया है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने गुप्त रूप से मामले की जांच की; लेकिन स्पष्टतः कोई मामला न बनने के कारण इस मामले को बन्द कर दिया गया।

(ख) से (ङ) हाल ही में ये ही आरोप सरकार के नोटिस में लाए गए हैं और इनकी छानबीन की जा रही है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बंगलौर के विरुद्ध आरोप

10021. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जिसके विरुद्ध भ्रष्टाचार सहित अन्य कुछ आरोप थे, को उनके सेवा निवृति की आय, पूरी होने की तारीख के बाद विभागाध्यक्ष की सिफारिशों के विरुद्ध पुनः नियुक्ति की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी. हां।

(ख) अधिकारी द्वारा अभिवेदन करने पर अनुकम्पा कारणों से सेवावधि बढ़ाई गई। अधिकारी के खिलाफ आरोपों की पृथक रूप से जांच की जा रही है।

किसानों और श्रमिकों का प्रदर्शन

10022. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 मार्च, 1981 को दिल्ली में वामपंथी और लोकतन्त्रात्मक दलों और सामूहिक संगठनों द्वारा आयोजित किसानों और श्रमिकों का एक बड़ा प्रदर्शन उनकी शिकायतों और मांगों पर ध्यान दिलाने के लिये हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विभिन्न सरकारी एजेन्सियों जैसे पुलिस, रेलवे आदि द्वारा इन प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिये प्रयास किये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना : (क) और (ख) केन्द्रीय किसान समन्वय समिति ने 26 मार्च 1981 को बोट क्लब पर एक रैली का आयोजन किया था। रैली के समय जारी किये गये मांग पत्र में कृषि उत्पादों के लिये लाभकारी कीमतें, कृषि के लिये घन आवंटन में वृद्धि करों को समाप्तकरना, बिजली परिव्यय में कमी, ऋणग्रस्तता में राहत, कृषि भूमि के अधिग्रहण को रोकनाइत्यादि मांगें सम्मिलित हैं। सरकार किसानों की समस्याओं से अवगत है।

(ग) जी नहीं श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चीन तथा पाकिस्तान द्वारा हवाई सीमा का अतिक्रमण

10023. **डा. बसन्त कुमार पंडित** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार की ध्यान 1 नवम्बर, 1980 के अमृतसर 'पत्रिका' में "एयर-स्पेस बायोलेशन बाई चाइना" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां तो चीन के विमानों ने लद्दाख तथा चिशूल क्षेत्रों में कितनी बार सीमा अतिक्रमण किया, वे विमान किस प्रकार के थे और वे भारतीय क्षेत्र पर कितनी देर तक उड़ें;

(ग) क्या हमारी हवाई सीमाओं को इसी प्रकार का अतिक्रमण उसी समय कारगिल क्षेत्र पर पाकिस्तानी विमानों ने भी किया था;

(घ) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में शक्ति-संकलन रखने की दृष्टि से भारत ने पाकिस्तानी तथा चीनी क्षेत्रों पर अपने विमान उड़ाकर बदले की क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) क्या भारतीय सीमा को पार करते हुए कुछ पाकिस्तानी और चीनी राष्ट्रीक भी गिरफ्तार किये गये हैं यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और भारत ने बदले में क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) चीन के कुछ विमानों ने अक्तूबर और दिसम्बर 1980 के मध्य अपनी सीमाओं का हवाई सर्वेक्षण करने के दौरान लद्दाख क्षेत्र में भारतीय हवाई सीमा का उल्लंघन उनके सर्वेक्षण विमानों ने किये थे जिन पर सिविलियन चिह्न थे।

(ग) जी नहीं।

(घ) भारत सरकार ने भारत-चीन सीमा पर अपनी सरहद में देश के भू-भाग का हवाई सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण के दौरान चीन की सीमा में भारतीय विमानों के अनधिकृत प्रवेश की कुछ घटनाओं की ओर चीन सरकार ने ध्यान आकृष्ट किया था।

(ङ.) नवम्बर, 80 से मार्च 8। तक भारतीय सीमा में घुस आए बहुत कम पाकिस्तानी राष्ट्रीक गिरफ्तार किये गये थें।

औद्योगिक तथा परमाणु छीजन को पुनः काम में लाने के लिए अनुसन्धान केन्द्र

10024. **श्री जेवियर अराकल :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने केन्द्र औद्योगिक तथा परमाणु छीजन को पुनः काम में लाने के लिए अनुसंधान कर रहे हैं, और उसके परिणाम क्या हैं;

(ख) क्या कोई ऐसे यूनिट हैं जो छीजन का ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो उन्हें क्या सहायता दी गई है; और

(घ) हमारे औद्योगिक विकास के लिए छीजन को सामग्री के नये स्रोत के रूप में इस्तेमाल किये जाने की क्या संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

परमाणु अपशिष्टों के पुनः चक्रीयन में कोई अनुसंधान नहीं किया जा रहा है। बहरहाल, बी०ए०आर०सी० में परमाणु अपशिष्टों से कुछ ऐसे रेडियो न्यूक्लाईड्स के निष्कर्मित किए जाने के लिए अनुसंधान चल रहा है जिन्हें विद्युत के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

2. कई अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय प्रयोगशालायें हैं जो कि उसी उद्योग में या अन्य उद्योगों में नई सामग्री के स्रोत के रूप में औद्योगिक अपशिष्ट सामग्री की पुनः प्राप्ति और पुनः उपयोग पर अन्य बातों के साथ-साथ अनुसंधान और विकास कार्य कर रही हैं। अतः उदाहरणार्थ, जो मुख्य संस्थायें भवन निर्माण सामग्री के लिए अपशिष्टों में पुनः चक्रीयन के लिए अनुसंधान कार्य कर रही हैं, वे हैं—सैन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू आर०आर०एल०, जोरहाट, सीमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिल्ली और सैन्ट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, धनबाद। कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक अपशिष्ट जिनमें भवन निर्माण सामग्री के रूप में पुनः चक्रीयित किए जाने की संभावना है, इस प्रकार है,—पोर्टलैंड सीमेंट, सुपर सल्फेटिड सीमेंट, सीमेंट क्लिंकर्स, फोम्ड स्लैग एग्रीगेट और डेंस एग्रीगेट स्लैग, वूल बनाने के लिए धमन भट्टी स्लैग, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, रैडीमिक्स्ड राख कंक्रीट, सेल्यूलर कंक्रीट बिल्डिंग यूनिटों के निर्माण के लिए

राख, पोर्टलैंड सीमेंट, राजकार्य सीमेंट और भवन निर्माण चूना बनाने के लिए कार्बोनेट स्लज, पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण में उपोत्पाद जिप्सम के रूप में सैट रिटार्डर और बिल्डिंग बोर्ड और ब्लाक और कन्क्रीट ब्लाक ईंटों और राजकार्य गारे के निर्माण के लिए सिंडर।

3. विभिन्न उद्योगों यथा लोहा और इस्पात, लुग्दी और कागज अलोह धातुयें, आसवन शालायें, गन्ने की चीनी, वस्त्र उद्योग, बूचड़ खाने आदि में विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को पहले से ही देश में अनुकूलित किया जा रहा है। इन उद्योगों के कुछ उपयोग हैं—लुग्दी और कागज लिए खोई, आसवनशालाओं के लिए शीरा, सीमेंट और ईंट उद्योग के लिए स्लैग और साथ ही मूल्यवान उपोत्पादों तथा जिंक अपशिष्टों से चांदी, उपयोग में लाये गये उत्प्रेरकों से निकल और प्लाटिनम, बूचड़खाने के अपशिष्टों से हार्मोनीय वस्तुयें और यकृत निष्कर्ष की पुनः प्राप्ति और आसवन-शालाओं के अपशिष्ट से पोटाश और खमीर की पुनः प्राप्ति और रेयन उद्योग से जिंक आदि।

4. कुछ औद्योगिक यूनिट ऊर्जा के स्रोत के रूप में अपशिष्टों का इस्तेमाल कर रहे हैं यथा, चीनी की मिलें ईंधन के रूप में अपशिष्ट खोई और उर्वरक और पैट्रोलियम रासायनिक उद्योग अपशिष्ट ताप वाष्पित्रों आदि के माध्यम से अपशिष्ट ऊष्मा का इस्तेमाल कर रही हैं। अपशिष्ट सामग्रियों से ईंधन ब्रिकेटों के उत्पादन पर अनुसंधान और विकास कार्य आर०आर० एल० हैदराबाद, सी०एफ०आर०आई०, धनबाद और नेशनल स्माल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन, नई दिल्ली में किया जा रहा है। एन०सी०आई०सी० में लकड़ी के बुरादे, वन अपशिष्टों और चावल की भूसी आदि को ईंधन ब्रिकेटों में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया है और इसका मूल्यांकन किया गया है। आर०आर०एल०, हैदराबाद और सी०एफ०आर०आई०, धनबाद में कोयले की केरी, चावल की भूसी और कुछ कृषि अपशिष्टों से ईंधन ब्रिकेट तैयार करने के लिए प्रायोगिक संयंत्रों की प्रतिष्ठापना की गई है। 7.39 लाख रुपये की लागत से विभाग द्वारा निर्धारित एक परियोजना के अधीन आई० आई० टी०, दिल्ली सैल्यूलोजी/स्टार्ची अपशिष्टों के एथानोल में जैव स्थांतरण पर अनुसंधान और विकास कार्य को हाथ में लिया गया है। जैव गैस संयंत्र में कच्ची सामग्री के रूप में खोई को उपयोग में लाने के लिए एक परियोजना को नेशनल शूगर इंस्टीट्यूट, कानपुर में हाथ में लिया गया है जिसके लिए 4.20 लाख रुपये तक की राशि विलान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदान की गई है। यूरिया उर्वरक कारखानों से उर्वरक अपशिष्टों के उपयोगीकरण के लिए एक और परियोजना को आई०आई०टी० कानपुर में आरम्भ किया गया है जिसके लिए विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा लगभग एक लाख रुपये का समर्थन प्रदान किया गया है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बस और ट्रक के चेसिस

10025. श्री हरिशचन्द्र सिंह रावत : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पठारी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बस तथा ट्रक चेसिस की मांग की प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय इन पिछड़े क्षेत्रों के लिए बस तथा ट्रक चेसिस की मांग को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने कुमायूं मोटर ओनर्स यूनियन तथा टिहरी-गढ़वाल मोटर ओनर्स कारपोरेशन के अभ्यावेदन मार्च 1981 में इस अनुरोध के साथ भेजे थे कि वर्तमान पुरानी बसों को बदलने के लिए इन्हें टाटा बस चेसिस प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई की जाए। अभ्यावेदनों पर अनुकूलतम विचार करने और निर्माताओं को आवश्यक निदेश जारी करने के लिए उद्योग मन्त्रालय से अनुरोध किया गया था।

(ख) अभ्यावेदन उचित कार्यवाही के लिए मे० टेल्को, बम्बई को भेज दिये गये थे। मे० टेल्को ने सूचित किया है कि बस चेसिस सप्लाई करने के लिए इन यूनियनों के सदस्यों ने वस्तुतः कोई आर्डर बुक नहीं कराया है और यदि दिये गये आर्डर का विस्तृत ब्यौरा उन्हें दिया जाता है तो उचित कार्रवाई की जा सकेगी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जंनसंख्या की प्रतिशतता

10006. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में समाप्त हुई 1981 की जनगणना के आधार पर अनुमानित जनसंख्या के बारे में प्रारम्भिक निष्कर्षों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता क्या है; और

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में से कितनी प्रतिशतता भूमिहीन श्रमिकों और औद्योगिक श्रमिकों की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि 1981 की जनगणना पर आधारित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का संकलन अभी ही शुरू किया गया है।

पश्चिमी घाट पर्वतीय विकास कार्यक्रम

10027. **श्री एन० डेनिस** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी घाट पर्वतीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) पश्चिमी घाट पहाड़ी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के राज्यों तथा गोवा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के 132 तालुके समाविष्ट किए गए हैं। इन तालुकों के नाम संलग्न सूची विवरण में दिए गए हैं।

(ख) पश्चिमी घाट क्षेत्र के विकास को तेजी से करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। पांचवीं और छठी योजनाओं में तथा 1980-81 और 1981-82 की वार्षिक योजनाओं में रखे गए परिव्यय क्रमशः 20 करोड़ रु०, 75 करोड़ रु०, 9.56 करोड़ रु० और 12,70 करोड़ रु० हैं। एक उच्च स्तरीय समिति इस कार्यक्रम के लिए नीति सम्बन्धी निदेश देती है जिसके अध्यक्ष महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री हैं तथा योजना आयोग के सदस्य और अन्य सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मन्त्री सदस्य हैं। योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा करती है।

विवरण

उन तालुकों की सूची जिनमें इस समय पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है

राज्य/जिला	तालुका
महाराष्ट्र	
धुलिया	नवपुर
	साक्री
नासिक	चगलान
	कलवान
	सुर्गाना
	डिंडोरी
	पैंठ
	नासिक
	इगतपुरी
थाना	भोखाडा
	जवाहर
	वाडा
	शाहपुर
	मुरबाद
कोलाबा	करजट
	खालापुर
	सुधागढ़
	रोहा
	मनगांव
	माहद
	पोलादपुर

राज्य/जिला	तालुका
रत्नागिरि	खेड़
	चिपलूण
	संगमेश्वर
	लाजा
	राजापुर
	देवगढ़
	कंतकावली
	कुडाल
	सावंतवाड़ी
कोल्हापुर	साहूवाड़ी
	बावडा
	पेनहाला
	राधानगरी
	भूदरगढ़
	अजरा
	चांदगढ़
	करवीर
सांगली	शिराला
सतारा	पाटन
	जावली
	वाई
	महाबलेश्वर
पुणे	थोर
	वेल्हे
	मुलशी
	मवाल
	खेड
	अम्बेगांव
	जुन्नार
	हवेली
गोवा	
गोवा	सतारी
	सेनगांव
	कानाकोना

राज्य/जिला	तालुका
कर्नाटक	
बेलगाम	आमपुर
उत्तर कनारा	सुपा,
	कारवार
	यौलापुर
	अंकोला
	सिरेई
	कुम्ता
	सिद्दापुर
	होनावर
	भटकल
शिमोगा	सागर
	होसानगर
	तीर्थहाली
दक्षिण कनारा	गुड्डापुर
	उडीपी
	करकल
	पुत्तूर
	सुल्लिया
	बेलठनगुडी
चिकमगलूर	कोप्पा
	श्रृंगेरी
	मुडीगेरे
हसन	मंजराबाद
कुर्ग	मरकारा
	सोमवारपेट
	विरेजपेट
मैसूर	हेगाडेवन्कोटे
	गुंडलुपेट

राज्य/जिला	तालुका
केरल	
कन्नानोर	होसदर्ग
	तल्लीपरभ
	तल्लीचेरा
	उत्तर वाइनाड
कोझीकोड	दक्षिण वाइनाड
	किलंदी
	वडगाडा
	कोझीकोड
मालापुरम	एर्नाड
पालघाट	मन्नारघाट
	पालघाट
	चित्तूर
त्रिचूर	मुकंदपुरम
एर्नाकुलम	कुन्नतुनाड
	मुवातपुझे
कोट्टायम	मीनाचल
	कंजीरापल्ली
क्विलन	पतनमतिट्टा
	रत्नपुरम
	कुन्नारटूर
	कुट्टारकारा
त्रिवेन्द्रम	नय्यातिंकारा
	नेदुभगडा
इडुक्की	तोडापुझा
	देवीकुलम
	उदमबनचोला
	पीरामेड
तमिलनाडु	
नीलगिरि	गुदालपुर
	कुनूर

राज्य/जिला	तालुका
कोयंबतूर	अवनेही
	धर्मपुरम
	उदमपेट
	पोल्लाची
मदुरै	पलानी
	कोडाइकनाल
	दिंदीगल
	पेरियाकुलम
	उसीलमपट्टी
	उत्तमपलयम
तिरुनलवैली	शंकर नायनरकोयल
	तेनकाशी
	शेनकोट्टा
	अंबासमुद्रम
	नंगुनेरी
रामनाथपुरम	श्रीविल्लीपत्तूर
	सत्तूर
	तोवल्ला
कन्याकुमारी	विलावनकोड
	कलाकुलम
	अगस्तेश्वरम

रेयर अर्थ सेन्टर, बरहामपुर में कर्मचारी

10028. **श्री राम चन्द्र रथ** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेयर अर्थ सेण्टर, बरहामपुर में कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त सेण्टर में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं दिए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(घ) भविष्य में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी०पी०एन० सिंह) : (क) इण्डियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड की उड़ीसा में बरहामपुर के समीप छतरपुर नामक स्थान पर स्थित उड़ीसा रेत-उद्योग समूह परियोजना में इस समय कुल 287 कर्मचारी हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) ये प्रश्न उठते ही नहीं।

असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में आंदोलन के कारण उजड़ गए लोगों के पुनर्वास पर खर्च की गई धनराशि

10029. **श्री के० मालन्ना :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार, असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में आन्दोलन के कारण उजड़ गए लोगों के पुनर्वास पर केन्द्रीय सरकार तथा असम की सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय संविधान के हिन्दी संस्करण की प्रमाणिकता

10030. **श्री राम विलास पासवान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यायालयों और कानून की दृष्टि से भारतीय संविधान का हिन्दी संस्करण प्रमाणित नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हिन्दी तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट अन्य भारतीय भाषाओं में संविधान का अधिकृत पाठ/प्राधिकृत अनुवाद तैयार कराए जाने से सम्बन्धित पूरा विषय सरकार के विचाराधीन है।

केरल में केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के लिए सीमेंट की कमी

10031. **श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि सीमेंट की कमी के कारण केरल में अनेक केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित निर्माण कार्यों की काफी हानि हो रही है;

(ख) क्या केरल राज्य सरकार द्वारा इस मामले की जानकारी भारत सरकार को दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इस समस्या का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) देश में सीमेंट की सामान्य रूप से कमी है और सम्भव है कि इस सीमा तक केरल के कुछ निर्माण कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) से (घ) केरल सरकार राज्य को सीमेंट के अतिरिक्त आवंटन के लिए अनुरोध करती है। केरल राज्य सहित राज्यों को सीमेंट का अतिरिक्त आवंटन देश में सीमेंट के मिलने की स्थिति में सुधार हो जाने के बाद ही कर सकना सम्भव होगा। जिसके लिए हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, केरल सरकार को 1981 की पहली तिमाही (जनवरी-मार्च, 1981) से प्रत्येक तिमाही में 1.68 लाख मी० टन सीमेंट का अतिरिक्त आवंटन किया जा रहा है।

आदिवासी जिलों और क्षेत्रों में पिछड़ापन

10032. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या योजना मंत्री आदिवासी जिलों और क्षेत्रों में पिछड़ेपन के बारे में 8 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6891 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में ऐसे आदिवासी जिलों/क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है, जो संस्कृति और खेलकूद की दृष्टि से समृद्ध हैं और जहां वन और खनिज पदार्थों जैसे विस्तृत प्राकृतिक संसाधन हैं;

(ख) उन आदिवासी जिलों/क्षेत्रों के नाम क्या हैं और जहां उसी राज्य के अन्य जिले की भांति आधाभूत सुविधायें, विकास योजनायें दी जाती हैं और सामाजिक शैक्षिक और आर्थिक उत्थान किया जाता है और इस सम्बन्ध में दोनों में अन्तर की मात्रा का पता लगाने के लिए भारत सरकार या राज्य सरकारों ने कोई व्यवस्थित सर्वेक्षण कराया है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने या अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों ने आदिवासी जिलों/क्षेत्रों में अपने-अपने क्षेत्रों की उन्नति के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(घ) यदि नहीं किए हैं और यदि उपरोक्त (क) और भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो उनके मंत्रालय ने उक्त आदिवासी जिलों के विकास का मूल्यांकन किस प्रकार किया है; और

(ङ) भारत के विकास मानचित्र पर आदिवासी क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति क्या है?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ङ) केन्द्र में, शिक्षा, संस्कृति, वन, खनिज या अन्य आधारित संरचनात्मक सुविधाओं में प्रगति/पिछड़ेपन से सम्बन्धित आंकड़े जिलेवार नहीं रखे जाते। इसलिए ऐसे संकेतकों के लिए तुलनात्मक स्थिति बताना संभव नहीं है। तथापि यह सर्वविदित है कि मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा आदि जैसे राज्यों में कुछ जनजातीय क्षेत्र वन सम्पदा और खनिजों से सुसम्पन्न हैं। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्र संस्कृति और कलाओं में समृद्ध हैं, तथापि जीवन के ऐसे पहलुओं के सम्बन्ध में कोई गुणात्मक या मात्रात्मक निर्णय नहीं किया जा सकता। यह भी सर्वविदित है कि जनजातीय बहुलता वाले क्षेत्र आर्थिक विकास के स्तर की दृष्टि से अपेक्षाकृत पिछड़े हुए हैं।

स्कूटरों और मोटर रिक्शाओं की कमी

10033. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्कूटरों और मोटर रिक्शाओं की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो लोगों की मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) कुछ मेकों के स्कूटरों तथा तीन पहिए वाली गाड़ियों की कमी होने का पता चला है।

(ख) दो पहिए वाले स्कूटरों तथा आटो रिक्शाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं—मे० बजाज आटो लि० की 80,000 नग की क्षमता को बढ़ाकर 1,60,000 नग करना तथा सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम मे० स्कूटर्स इण्डिया लि० के उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने संयंत्र को पुनः प्रतिष्ठित व आधुनिकीकरण करने के लिए धन की व्यवस्था करना।

शेख अब्दुल्ला का कहना है कि "रूस काश्मीर के निकट आ रहा है"

10034. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान जम्मू तथा काश्मीर के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला के इस कथन की ओर दिलाया गया है कि "रूस काश्मीर के निकट आ रहा है";

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) रूसी खतरे का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सरकार ने ऐसा समाचार देखा है।

(ख) और (ग) जम्मू और कश्मीर सरकार ने स्पष्ट किया है कि वहां के मुख्य मंत्री ने एक सार्वजनिक सभा में अफगानिस्तान की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा था कि इनसे संघर्ष का दायरा भारत की सीमाओं के निकट आ गया है।

अवैध शराब बनाने वाले गिरोह में पुलिस का हाथ

10035. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जनवरी, 1981 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में "पुलिस हैन्ड इन हूच रोकेट" शीर्षक समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या इस आरोप की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो की गई जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सरकार ने 21-1-81 के इण्डियन एक्सप्रैस में पुलिस "हैड इन हूच रोकेट" शीर्षक से प्रकाशित खबर देखी है। यद्यपि खबर में निहित आरोपों की जांच के लिए आदेश नहीं दिए गए हैं पर अन्धाधुंध में भी संदिग्ध जहरीली शराब पीने से हुई मौतों की जांच पुलिस अपर आयुक्त द्वारा की जा रही है।

लेह में एम० ई० एस० द्वारा काम पर रखे गये अस्थायी श्रमिक

10036. **श्री पी० नामग्याल** : क्या रक्षा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान (आज की तारीख तक) लेह क्षेत्र में एम० ई० एस० विभाग ने कितने स्थानीय लोगों को अस्थायी श्रमिक के रूप में काम पर लगाया;

(ख) फरवरी से अप्रैल, 1981 तक के महीनों के दौरान कुल कितने अस्थायी श्रमिकों को सेवा से हटाया गया और उनके नाम वंशावली आवास सम्बन्धी ब्यौरा और उनकी सेवा-अवधि से सम्बन्धित विवरण क्या है;

(ग) ऐसे गैर-स्थानीय अस्थायी श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें उनके जैसे श्रमिकों की उपेक्षा करने हेतु स्थायी कर दिया गया था तथा उनके नाम, वंशावली आवास सम्बन्धी ब्यौरा अर्हता तथा उक्त संगठन में उनकी सेवा अवधि से सम्बन्धित विवरण क्या है; और

(घ) स्थानीय श्रमिकों के स्थान पर गैर-स्थानीय श्रमिकों को लगाने के क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार जिले से बाहर के अकुशल श्रमिकों को काम पर रखने की इस प्रक्रिया को रोकने का है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 271.

(ख) किसी काम विशेष के लिए मंजूरी खत्म हो जाने पर उस खास काम के लिये नियोजित सभी अस्थायी श्रमिकों को बरखास्त कर दिया जाता है। फरवरी से अप्रैल 1981 तक की अवधि में बरखास्त किये गये अस्थायी श्रमिकों की कुल संख्या, उनके नाम, उनके माता-पिता के नाम और अन्य विवरण एकत्रित किये जा रहे हैं।

(ग) किसी भी गैर-स्थानीय अस्थायी श्रमिक को उनके जैसे स्थानीय श्रमिकों की उपेक्षा करके स्थायी नहीं किया गया।

(घ) स्थानीय अस्थायी श्रमिकों के स्थान पर कोई भी गैर-स्थानीय अस्थायी श्रमिक नहीं लगाया गया है। सभी स्थानीय और गैर-स्थानीय श्रमिक स्थानीय रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित किये जाते हैं।

लद्दाख में रह रहे सी० एस० डी० कर्मचारियों को निःशुल्क विमान यात्रा की रियायत न दिया जाना

10037. **श्री पी० नामग्याल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लद्दाख में काम कर रहे सी० एस० डी० (आई) कर्मचारियों को वहां काम कर रहे एम० ई० एस० जैसे अन्य समक्ष कर्मचारियों की भांति; सर्दी के मौसम में जब

कि बर्फ गिरने के कारण सड़क से आना जाना बन्द हो जाता है लद्दाख जाने या वहां से आने के लिए निःशुल्क विमान यात्रा की रियायत नहीं दी जाती है;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सी० एस० डी० (आई) के कर्मचारियों को भी वैसी ही रियायत दी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पोटिल) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और उस पर विचार किया जा रहा है।

अरुणाचल प्रदेश के चकमा बौद्ध

10038. **श्री पी० नामग्याल :**

प्रो० नारायण चंद पराशर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 और 12 अप्रैल, 1981 को नई दिल्ली में आयोजित बौद्धों के राष्ट्रीय सम्मेलन ने एक संकल्प पारित किया है जिसमें भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और नागालैंड में फैले हुए चकमा बौद्धों को भारतीय नागरिकता देने की जायज मांग को स्वीकार करे, जो उन्हें अब तक नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संकल्प के बारे में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है और उन्हें कब तक नागरिकता दिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस मामले में कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार को ऐसा कोई संकल्प प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वतन्त्रता सेनानियों को ताम्रपत्र

10039. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के स्वतन्त्रता सेनानियों को पुनः "ताम्रपत्र" देने के आदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें "ताम्रपत्र" देने के लिये क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों में अब तक दिये गये "ताम्रपत्रों" का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके द्वारा पहले तैयार किये गये 2700 "ताम्रपत्रों" को नष्ट करने के लिए कोई निर्णय किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) स्वतन्त्रता सेनानियों को ताम्रपत्र प्रदान करने की योजना जो मई, 1978 में तत्कालीन सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी, अब पुनः शुरू कर दी गई है। ताम्रपत्र प्रदान करने के लिए पहले निर्धारित किये गये मानदण्ड जिसकी एक प्रति विवरण-1के रूप में संलग्न है, में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण-2 में दी है।

(घ) तथा (ङ) सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण-1

ताम्रपत्रों के लिए पात्रता की शर्तें

(क) स्वाधीनता से पहले जिन व्यक्तियों ने मुख्य भूमि की जेलों में कम से कम छः महीने की अवधि की सजा काटी है। इसमें भूतपूर्व आज़ाद हिन्द फौज के कर्मचारी भी शामिल हैं किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अधीन नजरबंदी की भी इस प्रयोजन के लिए सजा माना जाएगा।

(ख) नियमों के अधीन सामान्य माफी की अवधि भी वास्तविक सजा समझी जाएगी।

(ग) विचारणाधीन कैदियों के मामले में, जिन व्यक्तियों को जेलों में रखा गया था, परन्तु बाद में दोषसिद्ध किया गया था उनको जेल में व्यतीत की गई सम्पूर्ण अवधि का लाभ दिया जायगा, अर्थात सजा को पूरी अवधि गिनने के लिए विचारणाधीन कैदी के रूप में गुजारी गई अवधि भी काटी गई वास्तविक सजा की अवधि में जोड़ दी जाएगी। टुकड़ों-टुकड़ों में काटी गई जेल की अवधि को एक साथ जोड़ दिया जायेगा और उसे इस प्रयोजन के लिये गिना जायगा।

(घ) जो व्यक्ति भूमिगत रहे थे परन्तु सजा नहीं काटी थी, यदि वे (1) घोषित अपराधी थे (2) वे मामले जिनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किये गए थे परन्तु गिरफ्तार नहीं हुए थे अथवा (3) वे मामले जिनकी नजरबन्दी के आदेश जारी किये गए थे परन्तु तामील नहीं हुए, बशर्ते कि वे दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करें।

(ङ) अपने घरों में नजरबन्द रखे गए अथवा अपने जिलों से निष्कासित किए गए व्यक्ति, बशर्ते कि नजरबन्दी/निष्कासन की अवधि छः महीने या अधिक हों।

(च) वे स्वतन्त्रता सेनानी जिन्होंने 15 अगस्त, 1947 के बाद भारतीय संघ के साथ राज्य के अधिविलयन की तारीख तक भूतपूर्व रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलयन के लिए "आंदोलनों" में कम से कम छः महीने की सजा काटी थी।

(छ) वे व्यक्ति जिनकी सम्पत्ति राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने के कारण जब्त कुर्क कर ली गई थी और बेच दी गई थीं।

(ज) वे व्यक्ति जो गोलाबारी अथवा लाठी चार्ज के दौरान स्थायी तौर पर अपंग हो गये थे; और

(झ) वे व्यक्ति, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने के कारण अपने रोजगार अथवा जीविका के साधन गंवा दिये थे।

(छ) ताम्रपत्र प्रदान करने के लिये स्वतन्त्रता सेनानी को आय मानदण्ड नहीं होगी।

(ट) ताम्रपत्र जीवित स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए हैं, और उन स्वतन्त्रता सेनानियों के परिवार के लिए नहीं है, जिनकी अब मृत्यु हो गई है।

टिप्पणी :—(क) उन क्षेत्रों के जो इस समय पाकिस्तान और बंगालदेश के भाग हैं वे स्वतन्त्रता सेनानी जो अब भारतीय नागरिक हैं, भी पात्र हैं।

(ख) भूतपूर्व फ्रांसीसी और पुर्तगाली कालोनियों में स्वाधीनता संग्राम को इन कालोनियों के स्वतन्त्र भारत का भाग होने तक, समुचित रूप से स्वाधीनता आंदोलन का भाग समझा जाता है।

विवरण-2

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अब तक प्रदान किए गए ताम्रपत्रों की सं०	अन्य विवरण
1	2	3	4
1.	असम	1238	असम में आंदोलन के दौरान स्वतन्त्रता सेनानियों ने 575 ताम्रपत्रों को वापिस किया।
2.	जम्मू तथा काश्मीर	68	
3.	केरल	2104	
4.	नागालैंड	1	
5.	उड़ीसा	2127	
6.	राजस्थान	967	
7.	सिक्किम	—	
8.	तमिलनाडु	2728	

1	2	3	4
	संघ शासित क्षेत्र		
1.	अंडमान तथा निकोबार	3	
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	
3.	दादरा तथा नगर हवेली	—	
4.	दिल्ली प्रशासन	1737	
5.	गोवा, दमण और दीव	646	
6.	लक्षद्वीप	—	
7.	मिजोरम	3	
8.	पांडिचेरी	149	

शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से सूचना प्रत्याशित है ।

फ्रांस से मिराज-2000 की खरीद

10040. **श्री माधव राव सिंधिया :**

श्री जर्नादन पुजारी :

श्री के० मालन्ना :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फ्रांस से मिराज-2000 खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर; और

(ग) क्या उक्त विमानों का देश में ही निर्माण करने की कोई योजना है; यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) मिराज-2000 विमान के निर्माताओं ने इनकी पूर्ति करने और भारत में ही इस विमान के निर्माण में रूचि दिखाई है । अभी तक सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा है ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते ।

सीमा सुरक्षा बल में मुसलमानों की भर्ती

10041. **श्री आर० के० महालगी :** क्या गृह मंत्री दिनांक 21 फरवरी, 1981 के "महाराष्ट्र टाइम्स" में "प्रायरिटी फार मुस्लिम्स इन दि मैटर आफ रिक्रूटमेन्ट टु पैरा-मिलिटरी फोर्सिस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल, बंगलौर के कमाण्डेन्ट ने दिनांक 2 मई, 1981 को कोल्हापुर में सीमा सुरक्षा बल में जवानों के पदों पर भर्ती करने का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या मुसलमानों को ऐसे अन्य पिछड़े समुदायों की श्रेणी में रखा जाएगा, जिन्हें सरकारी सेवा सम्बन्धी नियुक्तियों के मामले में सामान्यतः प्राथमिकता दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह प्राथमिकता सभी सेवाओं और ग्रेडों में दी जाती है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) महाराष्ट्र सरकार को इस सम्बन्ध में किन परिस्थितियों में स्पष्टीकरण देना पड़ा और क्या यह केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अनुसार है; और

(च) यदि नहीं, तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रचार करने के क्या कारण हैं और क्या पहले भी कभी ऐसे उदाहरण घटित हुए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कमाण्डेंट ने 1 मार्च 1981 को जवानों की भर्ती करने का प्रस्ताव किया था।

(ख) लोक सेवाओं में भर्ती वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार की जाती है जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ?

चीन के सैनिक मिशन की पाकिस्तान की यात्रा

10042. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री माधवराज सिंधिया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अप्रैल, 1981 के इण्डियन एक्सप्रैस में "चाइनीज टीम्स विजिट थ्रेट टू इण्डिया, तास" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सोवियत रूस ने यह बात कही है कि अमरीका द्वारा पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर दी जाने वाली प्रस्तावित सैनिक सहायता और सैनिक क्षेत्र में चीन-पाकिस्तान का विशेष सहयोग उप-महाद्वीप में वर्तमान शक्ति-सन्तुलन में गड़बड़ पैदा करेंगे;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस रिपोर्ट के अनुसार इस्लामाबाद को 3 अप्रैल, 1981 को गया चीन का सैनिक मिशन, ऐसा पांचवां चीनी सैनिक मिशन था जिसने गत छः महीनों के दौरान इस्लामाबाद की यात्रा की;

(घ) क्या दोनों देशों में सैनिक यात्राओं के इस विनिमय से यह स्पष्ट है कि दोनों देश इस उप-महाद्वीप में तनाव पैदा करने के लिए कठोर श्रम कर रहे हैं;

(ङ) चीन और पाकिस्तान के प्रतिनिधि मण्डलों की इन बार-बार की यात्राओं को किस हद तक भारत के लिए खतरा समझा जाता है; और

(च) इस सम्बन्ध में भारत द्वारा क्या कदम उठाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) अमरीका द्वारा भारी मात्रा में पाकिस्तान को हथियार दिये जाने और विशेष चीन-पाक सैन्य संबंध जारी रहने से जो प्रभाव पड़ेगा, सरकार उनके प्रति सचेत है।

(ग) जी हां।

(घ) से (च) विशेष चीन-पाक सैन्य संबंध से हमारी सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सरकार सचेत है। हमारी सुरक्षा को प्रभावित करने वाली घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में देश की रक्षा तैयारी को अद्यतन बनाने के लिए सरकार समय-समय पर आवश्यक कदम उठाती है।

गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोग

10043. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में हुए जनगणना कार्यों से विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या क्या है; और

(ख) इन आंकड़ो की गणना के लिए गरीबी की रेखा के किस स्तर पर विचार किया गया है ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) हाल ही की जनगणना में कोई आय व्यय की अनुसूचियां प्रचारित नहीं की गई थी, इसलिए जनगणना कार्यों के आधार पर गरीबीके स्तर से नीचे रह रहे लोगो की संख्या का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

माचिस कारखानों की स्थापना के लिये प्रइवेट उद्यमियों को वित्तीय सहायता

10044, **श्री मनमोहन टुडु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का माचिस कारखानों की स्थापना के लिये प्राइवेट उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा के मयूरभंज जिले के प्राइवेट उद्यमियों को कोई ऐसी वित्तीय सहायता देने का विचार है; और

(ग) इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन के बारे में क्या ब्योरा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) वाणिज्यिक बैंक तथा राज्यों के संवर्द्धनकारी अभिकरण देश भर में दियासलाई कारखाने स्थापित करने के लिए उद्यमियों की सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को भी दियासलाइयों के संवर्द्धन के लिए पंजीकृत एककों को सहायता प्रदान करने की योजना है। मयूरभंज जिला (जो एक पिछड़ा क्षेत्र है) अतिरिक्त प्रोत्साहन और सुविधाएं जैसे पूंजीगत राज सहायता, रियायती वित्त तथा आयकार राहत आदि का पात्र है।

बिहार में रोहतास उद्योगों के अहातों पर छापा

10045. **प्रो० के० के० तिवारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1980 में बिहार में रोहतास उद्योगों के अहातों विशेषकर उनके सीमेंट एकक पर छापा मारा गया था;

(ख) क्या सीमेंट की हजारों बोरियों में निर्धारित मात्रा से बहुत कम सीमेंट पाया गया था और उनमें रेत व राख थी;

(ग) क्या बिहार पुलिस ने रोहतास उद्योग के उच्च प्रबन्धकों को घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया था; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले का ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पुलिस बल आधुनिकीकरण हेतु राजस्थान के लिए नियत राशि

10046. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या गृह मंत्री पुलिस बल के आधुनिकीकरण के बारे में 18 फरवरी, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 37 के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य के लिए इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि नियत की जायेगी, और

(ख) यह योजना कब लागू की जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1980-81 के दौरान राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए राजस्थान सरकार को केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 52.78 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई थी। 1981-82 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव की अभी प्रतीक्षा है।

(ख) योजना को 1980-81 से लागू किया गया है।

सिंगापुर में भारतीय अनुदेशकों की मांग

10047. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में सिंगापुर वायु सेना ने भारतीय अनुदेशक की मांग की थी;

(ख) कितने अनुदेशकों के लिए अनुरोध किया गया और सिंगापुर वायुसेना ने इसके चयन के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किया है;

(ग) अपेक्षित अर्हताप्राप्त कितने भारतीय अनुदेशक उपलब्ध थे और सिंगापुर भेजे जाने हेतु कितने अनुदेशकों का चयन हुआ; और

(घ) अनुदेशकों के चयन हेतु फेर बदल किया गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या ऐसे पदों के लिए आवेदन-पत्रों अर्थात (अनुदेशकों) को विचारार्थ नहीं लिया जा सका और यदि हां, तो क्या अन्य देशों से मांग प्राप्त होने पर उन्हें शामिल किया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) सिंगापुर की सरकार से अपनी वायुसेना के विमान चालकों को बुनियादी और उच्च स्तर का उड़ान प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय वायुसेना के 10 अनुदेशकों को प्रति नियुक्ति पर भेजने का अनुरोध किया है। उस सरकार ने चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड का सुझाव दिया है :—

(1) अफसरों को "बी" श्रेणी अर्हता प्राप्त उड़ान अनुदेशक होना चाहिए।

(2) अफसरों में से कम से कम एक अफसर परीक्षक (एग्जामिनर) होना चाहिए; और

(3) उड़ान करने के लिए अफसर का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए।

(ग) और (घ) भारतीय वायुसेना में अपेक्षित योग्यता के उपलब्धअ नुदेशकों की कुल संख्या बताना लोक हित में नहीं होगा। परन्तु विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए अफसरों का चयन एक दम निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है और उस प्रक्रिया में कोई ढील नहीं दी जाती है। चयन करते समय सभी पात्र अफसरों के मामलों पर विचार किया जाता है। इसलिए ऐसे चयन के लिए आवेदन पत्र नहीं मांगे जाते हैं। सिंगापुर सरकार को, प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए 10 अफसरों के चयन करने के मामले पर सरकार इस समय विचार कर रही है।

प्रशिक्षकों को विदेश भेजा जाना

10048. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार प्रति वर्ष थल सेना, जल सेना और वायुसेना से प्रशिक्षकों (इंस्ट्रक्टरों) को राष्ट्रमंडल के देशों सहित विदेशों को भेजती है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को प्रशिक्षक प्रतिवर्ष भेजे जाते हैं;

(ग) ऐसे प्रशिक्षकों का चयन करने का मानदण्ड क्या है; और

(घ) गत 6 महीनों में कितने प्रशिक्षक बाहर भेजे गये ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जब कभी मित्र देशों से हमें अनुरोध प्राप्त होते हैं और हम अपनी सुरक्षा तैयारियों पर प्रभाव पड़े वगैर इनको छोड़ सकते हों, तो भारत सरकार अपनी रक्षा सेनाओं से अनुदेशकों को प्रति नियुक्त कर देती है।

(ख) 1976 से, केवल नाईजीरिया को छोड़कर, अन्य किसी देश को प्रतिवर्ष सेना अनुदेशक नहीं भेजे गए हैं।

(ग) चयन के लिये मानदण्ड, मांगकर्ता देश द्वारा प्रत्येक पद के लिए विहित गुणात्मक अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

(घ) 42 सेना अफसर।

डायमण्ड टूल्स बनाने वाले एकक

10049. **श्री के० पी० सिंह देव :**

श्री नारायण साहू :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डायमण्ड टूल्स बनाने वाले एककों के नाम क्या हैं और उनकी अधिष्ठापित क्षमताएं क्या हैं;

(ख) गत पांच वर्षों में प्रत्येक एकक द्वारा जिसने डायमण्ड टूल्स का निर्माण किया और उनका मूल्य क्या था तथा उनके द्वारा बनाए गये डायमण्ड टूल्स की किस्मों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1984-85 तक विभिन्न प्रकार के डायमन्ड टूल्स की मांग का अनुमान क्या है

(घ) कितने आशयपत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं और उनके बारे में प्रगति क्या है; और

(ङ) नए लाइसेंस जारी करने के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ख) एक **विवरण** संलग्न है।

(ग) छोटे औजारों (स्माल टूल्स) सम्बन्धी विकास दल (पैनल) ने वर्ष 1983-84 तक डायमण्ड औजारों की मांग 370,000 संख्या हो जाने का अनुमान लगाया है।

(घ) विभिन्न किस्म के डायमण्ड औजारों का उत्पादन करने के लिए एक एकक की स्थापना करने हेतु मे. पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० चन्डीगढ़ को एक वर्ष की वैध अवधि के लिए एक आशय पत्र सं० एल०आई : 348(80)/ओवे० सं० 278(80) दिनांक 31.7.1980 जारी कर दिया गया है। आश्रय पत्र के अनुसार यदि आवश्यक हुआ तो निगम को पूंजीगत माल का आयात करने तथा अथवा विदेशी सहयोग करार करने के लिए आशय पत्र की वैध अवधि के भीतर आवेदन पत्र फाइल कराना आवश्यक होगा। इसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ङ) अतिरिक्त क्षमता का लाइसेंस देने के लिए प्रस्तावों पर गुणा व गुण के आधार पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

मात्रा--संख्या में
मूल्य—रु० लाखों में

क्रम सं०	कंपनी का नाम	लाइसंसी कृत/पंजीकृत	अधिष्ठापित क्षमता (अनुमानित) संख्या	उत्पादन									
				1976		1977		1978		1979		1980	
				मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	ग्रमीव्ज कॉटन एण्ड कं० लि० बम्बई	18,000	18,000	7876	41.20	8352	55.30	10591	66.07	10685	68.86	13977	56.58
2.	मैकनेल एण्ड मेगर लि० कलकत्ता	25,680	20,000	15684	51.90	15444	55.69	10322	46.92	2561	57.09	12689	53.44
3.	भारत डायमण्ड एण्ड बम्बई	43,300	40,000	15649	8.88	15336	8.21	20486	9.36	6861	8.93	15478	8.32
4.	एल. एम. वेन मोप्स डायमण्ड टूल्स इंडिया लि० मद्रास	10,398	10,400	6535	39.73	8181	42.95	9502	52.71	7494	57.09	7661	63.19
5.	भूखनवाला डायमण्ड टूल्स प्रा. लि. बम्बई	101,500	75,000	55571	16.84	59865	37.06	64446	47.40	65550	55.11	52312	62.10

एककों द्वारा उत्पादित विभिन्नों किस्मों के डायमण्ड औजार डायमण्ड व्हील्स, माउन्टेड पाइन्ट्स, ग्लास कटर्स, इम्प्रग्नेटेड लैपिंग व्हील (चक्के) सा (ओरे) होन्स गियर तथा थ्रीड ग्राइंडिंग डायमण्ड टूल्स, चिसिल्स (टाँकी) निडल (सुईया) फाइल्स (रेती) आदि होते हैं।

पाकिस्तान द्वारा विभिन्न देशों से प्राप्त सैनिक उपकरणों का मूल्य

10050. **श्री के० प्रधानी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने गत दो वर्षों में विभिन्न देशों से भुगतान करके या ऋण पर अथवा उपहार के रूप में प्राप्त सैनिक उपकरणों के मूल्य के बारे में जानकारी एकत्र कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं में सम्मिलित आक्रमण करने की क्षमता रखने वाली प्रमुख मदों की मात्रा का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) पता चला है कि पाकिस्तान कई देशों से टैंक, विमान, राडार, ध्वंसक, पनडुब्बियां, विभिन्न प्रकार की तोपें तथा अन्य सैनिक भारी साज-सामान प्राप्त कर रहा है। सरकार के पास उपलब्ध सूचना के ब्यौरे प्रकट करना वांछनीय नहीं होगा।

आदिवासी विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

10051. **श्री के० प्रधानी :**

श्री आर० एन० राकेश :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों : संघ राज्य क्षेत्रों को आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये पिछले 2 वर्षों के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) जिन योजनाओं के लिए ये सहायता दी गई उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन राशियों को अन्य कार्यों पर व्यय किये जाने की घटनाएं हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो किन राज्यों में और कितनी राशि के बारे में तथा उसके क्या कारण हैं और

(ङ) राज्यवार व्ययगत हुई राशि का ब्यौरा तथा उसके कारण क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ख) पिछले दो वर्षों में जनजातीय उप योजना के अन्तर्गत कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को दी गई केन्द्रीय सहायता विवरण-1 में दी गई है।

(ग) तथा (घ) जनजातीय उप योजना कार्यक्रमों के लिए दिया गया धन अन्य कार्यों पर खर्च नहीं किया जा सकता।

(ङ) पिछले दो वर्षों में बजट प्रावधान की गई व्ययगत राशियां कारणों सहित अनुलग्नक विवरण–2 में दी गई हैं।

विवरण-1

वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान उप योजना के अधीन दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता

(रु० लाखों में)

राज्य	1979-80				1980-81			
	उपयोजना	जनजातीय जनसंख्या के छोटे क्षेत्र	आदिम जन जातियाँ	जोड़	उप-योजना	जनजातीय जनसंख्या के छोटे क्षेत्र	आदिम जन जातियाँ	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. आन्ध्र प्रदेश	314.00	40.10	20.00	374.10	242.12	70.10	25.00	337.22
2. असम	306.00	19.80	—	325.80	319.01	—	—	319.01
3. बिहार	829.00	128.10	15.00	972.10	825.98	128.10	20.00	973.98
4. गुजरात	486.00	65.20	15.00	566.20	485.44	65.20	18.00	568.64
5. हिमाचल प्रदेश	125.00	—	—	125.00	81.22	—	—	81 22
6. कर्नाटक	44.00	—	4.00	48.00	13.17	—	4.00	17.17
7. केरल	35.00	—	5.00	40.00	52.00	—	5.00	57.00
8. मध्य प्रदेश	1611.00	277.90	30.00	1918.80	1610.61	277.90	35.00	1923.51
9. महाराष्ट्र	333.00	45.60	2.00	380.60	481.56	45.60	17.00	544.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. मणिपुर	126.00	—	—	126.00	112.05	—	—	112.05
11. उड़ीसा	880.00	86.10	25.00	991.10	770.35	86.10	30.00	886.45
12. राजस्थान	327.00	190.00	20.00	537.00	286.49	210.00	20.00	516.49
13. सिक्किम	—	—	—	—	10.00	—	—	10.00
14. तमिलनाडु	50.00	—	5.00	55.00	73.87	—	7.00	80.87
15. त्रिपुरा	120.00	—	10.00	130.00	117.58	—	13.00	130.58
16. उत्तर प्रदेश	28.00	2.20	1.00	31.20	15.87	2.20	1.00	19.07
17. पश्चिम बंगाल	309.00	—	5 00	314.00	359.58	—	5.00	364.58
संघ शासित क्षेत्र								
1. अन्दमान और नीकोबार द्वीप	6.75	—	5.75	12.50	14.00	—	—	14.00
2. गोवा दमन और दीव	15.00	—	—	15.00	12.81	—	—	12.81
जोड़	5944.75	855.00	162.75	6962.50	5883.61	885.20	200.00	6968.81

विवरण-2

पिछले दो वर्षों के दौरान व्ययगत हुई राशि का विवरण

(रु० लाखों में)

योजनाएं	1979-80			1980-81			कारण
	बजट प्रावधान	दी गई राशि	व्ययगत राशि	बजट प्रावधान	दी गई राशि	व्ययगत राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8
जनजातीय उप-योजना							
I. राज्य (1—17) राज्य जैसा कि अनुलग्नक 1 में दिया गया है	6935.00	6935.00	शून्य	6942.00	6942.00	शून्य	—
संघ शासित क्षेत्र अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	43.00	12.50	30.50	43.00	14.00*	29.00	*पिछले दो वर्षों में संघ शासित क्षेत्रों की कम आवश्यकताओं के कारण।
गोवा दमन, और दीव	22.00	15.00	7.00	15.00	12.81	2.19	
जोड़	7000.00	6962.50	37.50	7000.00	6968.81	31.19	

*संशोधित प्रक्रिया के अनुसार संघ शासित क्षेत्र द्वारा प्राप्त किया गया/राशियों देने का प्रश्न नहीं उठता।

बंधुआ मजदूरों की स्थिति

10052. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांधी शान्ति प्रतिष्ठान द्वारा 1978 में बंधुआ मजदूरों की स्थिति के बारे में किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण के दौरान भारत के विभिन्न उपक्रमों पर फिल्म बनाने के लिए यूरोपीय टेलीविजन/फिल्म दल के लाने में कुछ व्यक्तियों का हाथ था;

(ख) यदि हां, तो इस दल ने किस प्रकार की फिल्में बनाई हैं और क्या इस दल को भारत में बन्धुआ मजदूरों पर फिल्में बनाने के लिए अनुमति दी गई थी; और

(ग) क्या यह सच है कि इस राष्ट्रीय सर्वेक्षण में जिस महत्वपूर्ण व्यक्ति का हाथ था वह भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड-साइमेन्स सौदे में अपने जर्मन संबंधों के कारण मध्यस्थ था और क्या वह व्यक्ति गांधी प्रतिष्ठान का उत्तरदायी पदाधिकारी भी है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) गांधी शांति प्रतिष्ठान ने राष्ट्रीय श्रम संस्थान के सहयोग से सकुशल श्रमिकों का अनुमानित सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण में तीन जर्मन नागरिक भी थे। तथापि गांधी शांति प्रतिष्ठान को किसी फिल्म टीम या उनके किसी कार्मिक की ऐसी टीम में होने की जानकारी नहीं है। विदेश मंत्रालय आदि से परामर्श करके सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा फिल्म बनाने की अनुमति दी जाती है। गांधी शांति प्रतिष्ठान ने भी सूचित किया है कि प्रतिष्ठान के किसी भी पदाधिकारी का बी० एच० ई० एल०-सीइमनस् व्यापार के साथ कोई संबंध नहीं है अथवा न ही इसमें कोई सरोकार है।

लांसडौन तथा रानीखेत छावनी क्षेत्र में नगर पालिकाओं के लिए अनुरोध

10053. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को लांसडौन के उपनगरी क्षेत्रों तथा रानीखेत के छावनी क्षेत्र के लिए इनकी सीमा निर्धारण के पश्चात नगरपालिकाएं बनाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी नहीं। भारत सरकार को लैंसडाउन और रानीखेत छावनियों के सिविल क्षेत्रों को नगरपालिका क्षेत्रों में बदलने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

रानीखेत के बारे में पहले कुछ अलग-अलग अभ्यावेदन अवश्य प्राप्त हुए हैं। परन्तु उनकी जांच करने पर यह पाया गया कि सेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रानीखेत छावनी के किसी भी क्षेत्र को अलग करना सम्भव नहीं होगा।

रानीखेत छावनी में खेल-कूद की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैदान

10054. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : क्या रक्षा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में रानीखेत के छावनी क्षेत्र में म्यूनिसिपल क्षेत्र के लोगों की खेलकूद सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई विशेष मैदान है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उस क्षेत्र में खेलकूद हेतु लोगों के लिए "सार्वजनिक मैदान" (पब्लिक फील्ड,) के नाम से मैदान उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या अन्य वैकल्पिक उपाय किए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

रानीखेत छावनी में 5.30 एकड़ भूमि है । सिविलियन आबादी से दूर होने के कारण यह भूमि जनता में खेल के मैदान के रूप में उपयोग के लिये लोकप्रिय नहीं है ।

यहां एक और खेल का मैदान है जिसे "नरसिंह मैदान" कहते हैं । इसका स्वामित्व स्थानीय सैनिक प्राधिकारियों के पास है जो इसका उपयोग परेड और प्रशिक्षण के लिए करते हैं । लेकिन सद्भावना के तौर पर स्थानीय सैनिक प्राधिकारी सिविल निवासियों को अपने खेल के मैदान को इस्तेमाल करने की आज्ञा तब देते रहे हैं जब उनको सैनिक कार्यों के लिए इसकी जरूरत नहीं होती ।

स्थानीय सैनिक प्राधिकारियों के पास अपने उपयोग के लिए दूसरा परेड ग्राउंड उपलब्ध नहीं है । इसलिए इस भूमि को स्थानीय जनता को स्थायी आधार पर खेल के मैदान के रूप में उपयोग करने के लिए हस्तांतरित करना संभव नहीं है ।

पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों के बिटूमन, संरचनात्मक इस्पात और सीमेंट का आवंटन

10055. **श्री हरीश सिंह रावत** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विकास संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने की दृष्टि से विभिन्न राज्यों में पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष कोटे के रूप में बिटूमन, संरचनात्मक इस्पात और सीमेंट आदि का आवंटन करने के लिए संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों को सलाह दी है; और

(ग) यदि हां, तो इन मंत्रालयों ने इसका कहां तक पालन किया है ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

असैनिक अदालतों में अपनी शिकायतें ले जाने वाले सैनिक कर्मचारी

10056. **श्री कृपासिंधु भोई** :
श्री के० राममूर्ति :
श्री रामचन्द्र रथ :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सैनिक कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो इस समय सेना के भीतर ही उपलब्ध याचिक ढांचे को छोड़कर, असैनिक अदालतों में अपनी शिकायतें ले गये हैं;

(ङ) क्या ऐसा इस कारण हुआ है कि सेना में अपील ट्रिबुनल की व्यवस्था नहीं है;

(ग) क्या जज एडजुटेंट जनरल को विवादों पर योग्यता के आधार पर निर्णय देने का कोई स्वतंत्र प्राधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि उसकी नियुक्ति सेनाध्यक्ष द्वारा ही की जाती है;

(घ) यदि हां, तो सेना के भीतर ही एक सम्पूर्ण तथा स्वतंत्र न्यायिक ढ़ांचा बनाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) कोई मार्शल द्वारा दिए गए दंड के विषद सिविल न्यायालयों में सेना कार्मिकों द्वारा दायर किए गए 104 मुकद्में 1 फरवरी, 1981 को विचाराधीन थे।

(ख) जी नहीं। जनरल कोर्ट मार्शल की सिफारिशों पर स्थल सेनाध्यक्ष द्वारा औचित्य के आधार पर विचार किया जाता है जो, जहां आवश्यक समझा जाता है, वहां रियायत दे सकता है।

बाद में पुष्टि करने की केन्द्रीय सरकार को याचिका देने का भी प्रावधान है।

(ग) जज एडवोकेट जनरल कानूनी मामलों पर सलाहकार के रूप में काम करता है और इसको किसी विवाद पर औचित्य के आधार पर निर्णय देने का अधिकार नहीं है।

(घ) उपरोक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण तथा स्वतंत्र न्यायिक ढ़ांचा बनाना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

माचिसों की कीमतों में कमी

10057. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **उद्योगमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय के औद्योगिक सलाहकार (रसायन) ने आल इंडिया चेम्बर आफ मैच इंडस्ट्रीज शिवकासी से अनुरोध किया था कि उनको प्राप्त रियायती उत्पादन शुल्क के एवज में वे लकड़ी तथा कार्ड बोर्ड के माचिसों की कीमतें कम की जायें;

(ख) क्या अभी भी मशीनीकृत क्षेत्र द्वारा अधिक उत्पादन शुल्क अदा करके बनाई जा रही माचिसों की कीमतें आल इंडिया चैम्बर आफ इंडस्ट्रीज शिवाकासी से सम्बद्ध गैर मशीनीकृत एककों द्वारा बनाई जा रही माचिसों की तुलना में कम है; और

(ग) माचिसों की कीमतों में उत्पादन शुल्क में रियायत की तुलना में कमी लाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां। आल इंडिया वर आफ चेमेच इन्डस्ट्रीज शिवाकाशी को प्रस्तावित किया गया था कि वे लकड़ी की दियासलाई की डिब्बियां तथा लघु क्षेत्र में बनाई जाने वाले दियासलाई की गत्ते की डिब्बियों के मूल्य क्रमशः 15 पैसे तथा 20 पैसे प्रति दियासलाई डिब्बियां कर दें।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि लघु क्षेत्र के एककों द्वारा बनाई गई दियासलाइयां यंत्रीकृत क्षेत्र में बनी दियासलाइयों की अपेक्षा ऊंचे मूल्यों पर बिकती हैं।

(ग) ऊपर (ख) के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के लिए एकीकृत औद्योगिक योजनायें

10058. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े और छोटे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आयात किये गये कल पुर्जों के स्वदेशीकरण के प्रयोजनार्थ पिछड़े जिलों में सहायक कल-पुर्जों का उपयोग बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा तीन जिलों के लिये तैयार की गई एकीकृत औद्योगिक योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि अन्य राज्य सरकारें भी पिछड़े जिलों के लिये इस प्रकार की एकीकृत औद्योगिक योजनायें तैयार करें ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) दिनांक 23 जुलाई, 1980 के औद्योगिक नीति विवरण के अंतर्गत पता लगाए गए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों/क्षेत्रों में सहायक लघु तथा कुटीर एककों के साथ पर्याप्त संबंध स्थापित करके केन्द्रस्थ संयंत्रों की स्थापना कर, रचनात्मक ढंग से एकीकृत औद्योगिक विकास करने विषयक नई नीति आरम्भ की गई है।

महाराष्ट्र सरकार ने रत्नागिरि चन्द्रपुर तथा औरंगाबाद जिले का पता लगाया है तथा उसने उन जिलों के एकीकृत औद्योगिक विकास के लिए जिसमें संबंधित अवस्थापना का विकास भी शामिल है भावी योजना बनाई है। प्रस्तावों की मुख्य बातों को सलग्न विवरण में दिया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले अनुशंगीकरण के लिए विस्तृत सहबद्ध संभावनाओं वाली विशिष्ट परियोजनाओं का पता लगाने हेतु एक कृतिक बल (टास्क फोर्स) नियुक्त किया जा रहा है।

अब तक पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, जम्मू और काश्मीर तथा नागालैंड के संबंध में ऐसे 10 सयुक्त केन्द्रीय राज्य कृतिक बल स्थापित हो चुके हैं। पंजाब में मोइन्दवाल साहिब तथा उड़ीसा में चंडाक पर कृतिक बल रिपोर्टें पहले ही पूरी हो चुकी हैं और सुझाये गये कार्रवाई संबंधी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए अनुचर्ती कार्रवाई की जा रही है।

उद्योग मंत्रालय में सचिव (औ० वि०) की अध्यक्षता में बनाई गई एक कर्णधार समिति (स्टिरियंग कमेटी) कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में चल रहे कार्यक्रम की प्रगति पर पूरी निगाह रख रही है।

विवरण

चुने हुए पिछड़े जिलों की स्वीकृत औद्योगिक योजनाओं में प्राकल्पित औद्योगिक परियोजनाओं, निवेश तथा रोजगार की महाराष्ट्र सरकार द्वारा तैयार की गई सूची

जिले का नाम	एकीकृत योजनाओं के अंतर्गत बनायी गई औद्योगिक परियोजनाएं	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रु०)	संभावित रोजगार
1	2	3	4
औरंगाबाद	1. गर्भ निरोधक सामग्री परियोजना	3.85	600
	2. छोटे इलैक्ट्रानिक टेलफोन एक्सचेज	5.00	400
	3. कताई मिल	18.00	1500
	4. इंजीनियर का हल्का सामान	5.00	380
	5. औद्योगिक बाल्व	1.10	250
	6. मिश्रित यार्न	5.00	600
	7. इन्स्टांट काफी	2.30	175
	8. सोडियम वेपॉम लैम्प	2.00	100
	9. गढ़ा हुआ सामान जिसमें विद्यमान एकक का विस्तार भी शामिल है	3.70	—
	10. टैम्पार तथा रोलर बियरिंग	8.00	350
	11. एकल सुपर फॉस्फेट	3.00	300
	12. प्री-रिकार्डेड कैसेट	2.00	100
चन्द्रपुर			
	1. आस्ती में एकीकृत लोहा तथा इस्पात कम्पलैक्स	150.00	600
	2. लौ-टैम्प्रेचर कार्बोनाइजेशन संयंत्र	110.00	350
	3. लिथो-फोन परियोजना	0.20	65

1	2	3	4
	4. पोर्सलिन वेयर परियोजना	5.00	700
	5. रिफ्रैक्टरीज परियोजना	0.80	500
	6. रेयन ग्रेड लुग्दी परियोजना	130.00	1400
	7. सीमेंट संयंत्र	130.00	—
	8. मिनी सीमेंट संयंत्र	4.00	200
	9. हाईड्रेशन इन्सुलेटर्स परियोजना	8.00	350
	10. कागज परियोजना	10.00	300
	11. आस्ती में कागज संयंत्र	30.00	1200
	12. चमड़ा टेनरी	1.25	250
रत्नागिरी			
	1. भारत अल्यम्यूनियम कम्पनी परियोजना	55.00	600
	2. शीट रोलिंग मिल	5.30	625
	3. अल्युमिनियम उत्पादी के लघु एकक (3)	1.20	600
	4. स्पंज टिटेनियम संयंत्र	13.00	300
	5. थर्मल पावर स्टेशन	550.00	1000
	6. बायर (इंडिया) लि०	96.00	600
	7. कताई मिल	12.00	1200
	8. आटोमोटिव फाउंड्री	8.00	500
	9. कास्ट टूल संयंत्र	3.00	600
	10. बड़ी परियोजना (3 कंपनियों द्वारा हिसाब लगाया जाना है)		
	11. मेट्रोन का इलैक्ट्रानिक काम्पलैक्स	0.76	100
	12. लघु सहायक एकक	0.15	50
	13. ए० एम०/एफ०एम० रेडियो रिसीवर्स	0.08	50
	14. स्ट्रा बोर्ड एकक	0.50	50

शिवकासी स्थित माचिस निर्माता कंपनियों पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम को लागू किया जाना

10059. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिवकासी स्थित एक ही परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाले माचिस निर्माता एककों द्वारा 1979-80 में दिये गये 2606 करोड़ रुपये के उत्पादन शुल्क को देखते हुए सरकार का विचार इन एककों पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबंधों को लागू करने का है; और

(ख) देश में कुटीर उद्योग और लघु माचिस एककों में इस उद्योग का प्रमुख स्थान होने के नाते उपरोक्त माचिस निर्माता एककों के उत्पादन पर अधिकतम सीमा न लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) शिवकाशी में दियासलाई की डिबियां बनाने वाले एकक के एक ही परिवार के मालिक होने के संबंध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है । विद्यमान उत्पादन शुल्क नियमों के अंतर्गत प्रत्येक एकक को अलग से एक एल-4 लाइसेंस प्राप्त करना होता है तथा यदि एक लाइसेंसधारण करने वाले के अधीन एक से अधिक एकक होते हैं तो उत्पादन शुल्क की वसूली करने के लिए सभी एककों में हुए कुल उत्पादन को हिसाब में गिना जाता है ।

(ख) लघु क्षेत्र में दियासलाइयां बनाने पर इस समय कोई अधिकतम सीमा नहीं रखी गई है, किन्तु, सरकार द्वारा किसी एक वित्त वर्ष की अवधि में 12 करोड़ दियासलाइयां बनाने जिसके संबंध में किसी एक केलेन्डर वर्ष में 150 लाख से अधिक दियासलाइयां न बनाई गई हों, कुटीर उद्योग के एककों द्वारा रियायती दर पर उत्पादन शुल्क की वसूली करने के लिए पुनः एक सीमा रख दी गई है ।

अपराधियों/तस्करों का पता लगाने के लिये वैज्ञानिक उपकरणों का अपयोग

10060. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सफेदपोश अपराधियों, अन्तराष्ट्रीय तस्करों और संगठित अपराधियों का पता लगाने के लिये कुछ आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के सामान का उपयोग करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये कुछ विदेशी सहायता भी ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार ने सफेद पोश अपराधों/तस्करी आदि सहित सभी अपराधों की जांच पड़ताल करने के लिये वैज्ञानिक उपस्करों का प्रयोग

करने का निर्णय किया है। सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा तस्करी विरोधी कार्यों में यंत्रों के रूप में कई किस्म के वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है।

(ख) तथा (ग) यद्यपि इस प्रयोजन के लिए कोई विदेशी सहायता नहीं ली गई है तथापि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने ऐसे आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का अध्ययन और मूल्यांकन किया है जो अन्य देशों में अपराधों का पता लगाने में उपयोगी पाये गये और कुछेक ऐसे उपकरण पुलिस जांच पड़ताल एजेंसियों को दिये हैं। जांच पड़ताल को आधुनिक तथा नवीनतम तकनीकी से परिचित होने के लिये कुछ विशिष्ठ पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने हेतु पुलिस अधिकारियों को भी विदेश भेजा गया है।

दिल्ली में पेड़ काटने की अनुमति

10061 **श्री आर० एन० राकेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या दिल्ली राज्य के वैज्ञानिक संस्थानों में लगे पेड़ काटने के लिए दिल्ली प्रशासन की अनुमति आवश्यक है; और

(ख) 1980 और 1981 में इसके लिए कितनी अनुमतियां प्रदान की गई हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) 1980 में 27 और 1981 (30 अप्रैल, 1981 तक) में 34 अनुमतियां प्रदान की गई।

आदिवासी क्षेत्रों में सैनिक स्कूल

10062. **श्री जय नारायण रोट** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा गतिविधियों में आदिवासियों को सम्बद्ध करने के लिये आदिवासी क्षेत्रों में राज्यवार, अब तक कितने सैनिक स्कूल खोले गये थे;

(ख) छठी योजनावधि के दौरान, राज्यवार, कितने सैनिक स्कूल खोले जाने का विचार है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) मिलिटरी स्कूल साधारण शैक्षिक संस्थाएं हैं जो मुख्यत: रक्षा कार्मिक के लड़कों को बारहवीं कक्षा तक सामान्य शिक्षा देती हैं। वे रक्षा सम्बन्धी गतिविधियों में लड़कों को सम्बद्ध करने में सहायक नहीं होती हैं। देश में इस समय 5 मिलिटरी स्कूलों में से कोई भी स्कूल आदिवासी क्षेत्र में नहीं है। छठी पंचवर्षीय योजना में कोई नया मिलिटरी स्कूल खोलने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु चैल, अजमेर, बेलगांव, बंगलौर और धौलपुर में स्थित मौजूदा स्कूलों में जहां अन्य छात्र प्रवेश-परीक्षा के आधार पर अपनी मेरिट के अनुसार दाखिला पाते हैं वहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के समुदायों के जूनियर कमीशन अफसरों और अन्य रैंकों के लड़कों को न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने पर ही इन स्कूलों में दाखिला मिल जाता है।

आदिवासी रेजिमेंट

10063. **श्री जय नारायण रोट** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आदिवासियों को रक्षा गतिविधियों में सम्मिलित करने के लिये उनके एक रेजिमेन्ट का गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) सरकार ने निर्णय किया है कि श्रेणी अथवा जाति के आधार पर कोई रेजीमेन्ट गठित न की जाए। परन्तु आदिवासी क्षेत्रों में भर्ती को तेज कर के भारतीय सेना में आदिवासियों की भर्ती बढ़ाए जाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

गांधी शांति प्रतिष्ठान को संस्थाओं को विदेशी धन के चन्दे

10064. **श्री सुभाष यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितनी संस्थाओं को, जिनके साथ गांधी शांति प्रतिष्ठान के श्री राधाकृष्ण का सम्बन्ध है, चन्दों के रूप में विदेशी धन मिल रहा है;

(ख) क्या ग्रामीण विकास के लिए स्वेच्छिक एजेंसियों के संघ (आवार्ड), ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान, गांधी शांति केन्द्र, नई दिल्ली, ए०एफ०पी०आर०ओ०, नई दिल्ली, ग्रामीण प्रौद्योगिकी के लिए साथ संघ, नई दिल्ली, फाउन्डेशन फार रूरल रिकवरी एण्ड रूरल डवलपमेंट, नई दिल्ली को विदेशी धन मिला है;

(ग) यदि हां, तो कितना और किस प्रयोजन के लिए; और

(घ) क्या ऐसी विदेशी सहायता में कोई राजनीतिक गतिविधि शामिल थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) निम्नलिखित पांच संस्थायें जिनके साथ गांधी शांति प्रतिष्ठान के श्री राधाकृष्ण का सम्बन्ध है, विदेशी अभिदान प्राप्त कर रही हैं।

(1) गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली।

(2) ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों का संघ (अवार्ड) नई दिल्ली।

(3) अवार्ड—ग्रामीण विकास के लिए प्रतिष्ठान, नई दिल्ली।

(4) खाद्य उत्पादन के लिये कार्रवाई (ए०एफ०पी०आर०ओ०), नई दिल्ली।

(5) फाउन्डेशन फार रूरल रिकवरी एण्ड रूरल डेवलपमेंट, नई दिल्ली।

(ख) ग्रामीण प्रौद्योगिकी के लिए संघ नई दिल्ली के अतिरिक्त सम्बन्धित अन्य सभी संस्थाएं विदेशी अभिदान विनियन अधिनियम, 1976 की धारा 6(1) के अधीन विदेशी अभिदान प्राप्त करती है।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

1978-80 के दौरान शान्ति प्रतिष्ठान आदि द्वारा प्राप्त विदेशों अभिदान की राशि और उसके प्रयोजन का विवरण

(राशि रुपयों में)

क्र० सं०	संस्था का नाम	विदेशी प्राप्त किये गये अभिदान की राशि			दानदाता देश	उद्देश्य जिसके लिए अभिदान प्राप्त किया गया
		1978	1979	1980		
1	2	3	4	5	6	7
1.	गांधी शांति प्रतिष्ठान, 221/3 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई-दिल्ली	90,142	1,13636	5790	अमेरिका	(1) अहिंसक कार्रवाई के लिए प्रशिक्षण के सम्बन्ध में एक अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी के आयोजन के लिए।
					नीदरलैंड	अहिंसक कार्रवाई के लिए प्रशिक्षण के संबंध में एशियन क्षेत्रीय बैठक।
					पश्चिमी-जर्मनी	(2) ग्रामीण बिकास गोष्ठीके सम्बन्ध के वैकल्पिक निति।
					थाईलैंड	(3) कृषि सुधार और ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में एफ० ए० ओ० विश्व कांफ्रेंस का अनुसरण।

1	2	3	4	5	6	7
2.	ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों का संघ (अवार्ड), डी/19, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली।	5542955	2884511	1633568	प० जर्मनी डेनमार्क आस्ट्रेलिया स्विटजरलैंड	(1) अवार्ड के लिए अनुसंधान और विकास एकक। (2) बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और पुनर्वास कार्यक्रम।
3.	अवार्ड-ग्रामी विकास के लिए प्रतिष्ठान, नई दिल्ली।	—	—	1344000	स्विटजरलैंड	(1) प्रशिक्षण केन्द्र माई-क्रोलेवल प्लेनर्स की स्थापना। (2) ग्रामीण विकास की छोटी परियोजना के लिए निधियों का वितरण।
4.	ए० एफ० पी० आर० ओ० खाद्य उत्पादन के लिए कार्रवाई नई दिल्ली।	3129450	1282623	4005882	प० जर्मनी कनाडा इंगलैंड अमेरिका स्विटजरलैंड	(1) प्रशासनिक बजट। (2) कैपीटल फण्ड। (3) जिओहाइड्रोलोजिकल इन्वेस्टिगेशन टीम। (4) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। (5) दस कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र आदि की स्थापना।
5.	फाइन्डेशन फार रूरल रिकवरी एंड रूरल डेवलेपमेंट, 10, पंचशील पार्क, विपणन केन्द्र, नई दिल्ली।			840951	प० जर्मनी	भारत में सूखा पीड़ित लिए काम के बदले अनाज और सम्बद्ध प्रशासनिक खर्चे।

डी०जी०आई० के लिए संवर्ग समीक्षा

10065. **श्री एम० कंडास्वामी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० जी०आई० स्थापना के लिए संवर्ग समीक्षा की जा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि स्थाई के रूप से सैकेण्डिड मेजर से लेकर ब्रिगेडियर तक के लिए 200 से लेकर 50 प्रतिशत तक पदोन्नति परिवर्तन होते हैं;

(ग) यदि हां, तो स्थाई रूप से सैकण्डिड सैनिक अधिकारियों के लिए संवर्ग समीक्षा क्यों आवश्यक है; और

(घ) क्या सरकार का विचार संवर्ग समीक्षा को अन्तिम रूप देने से पूर्व असैनिक अधिकारियों का सैनिक अधिकारियों के बीच अनुपात निर्धारित करने और उनकी समनुरूपता निर्धारित करने का है।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) निरीक्षण महानिदेशालय संगठन में अधिकारियों और कर्मचारियों के संवर्ग संरचना का पुनरीक्षण विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में अक्तूबर 1970 में तत्कालीन निरीक्षण महानिदेशक ने कुछ प्रस्ताव रखे थे। फिर भी, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्धारित किये गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों और ऐसे ही कुछ अन्य विभागों/संगठनों में पहले किए गए संवर्ग पुनरीक्षण में विहित सिद्धान्तों/प्रतिमानों के अनुसार, निरीक्षण महानिदेशालय संगठन में संवर्ग संरचना का पुनरीक्षण करने का विचार है।

(ग) और (घ) नियमित सेना में ऐसी पदोन्नतियों के लिए निर्धारित गणनीय कमीशन सेवा के न्यूनतम वर्ष पूरे करने से पहले स्थायी रूप से उपनियुक्त किसी भी अवसर को अगले उच्च रैंक में पदोन्नत नहीं किया गया है। निरीक्षण महानिदेशालय संगठन में कार्यरत सेना अफसरों की संवर्ग संरचना नियत की जा सके।

(ङ) जी नहीं। फिर भी, सरकार निरीक्षण महानिदेशालय संगठन के संवर्ग का पुनरीक्षण करते समय इन सब पहलुओं पर समुचित रूप से विचार करेगी।

डी०जी०आई० में लागू सेवा नियम

10066. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी०जी०आई० संगठन में सांविधिक सेवा नियमों सम्बन्धी कोई भी नियमावली लागू नहीं है और सभी पदों का स्थायी सैकण्डिड सेवा अधिकारियों के प्रस्ताव और सिफारिश पर मनमाने और निरपवाद रूप से सृजन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो संगठन सेवा नियमों में अब तक तैयार न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) संवर्गों के बीच अनुपात निर्धारित न करने के क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 1979 में जे०एस०सी० (पी०एस०) द्वारा तैयार किए गए सामान्य संबन्धी प्रस्ताव का क्या बना; और

(ङ) स्थायी सैकण्डिड अधिकारियों द्वारा अपनी स्थिति का दुरूपयोग करने की रोकथाम के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) निरीक्षण महानिदेशालय संगठन के सिविलियन अधिकारी और कर्मचारी अपने-अपने सम्बन्धित सांविधिक सेवा नियमों द्वारा शासित होते हैं लेकिन सेना अफसर थलसेना, नौसेना और वायु सेना अधिनियमों, नियमों और रक्षा सेवा विनियमों द्वारा शासित होते हैं।

निरीक्षण महानिदेशालय में सभी पदों का सृजन विभिन्न स्थापनाओं के प्रमुखों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है। ये सिविलियन और सेना अफसर दोनों हो सकते हैं। ऐसे पदों के सृजन की आवश्यकता का निर्णय रक्षा मंत्रालय की प्रशासकीय और वित्त शाखाओं द्वारा कड़ी जांच करने के बाद किया जाता है।

(ग) चूंकि निरीक्षण महानिदेशालय का अभी तक कोई संवर्ग पुनरीक्षण नहीं किया गया है इसलिए सिविलियन और सेना अफसरों के बीच कोई अनुपात निर्धारित करना संभव नहीं है। काम की किस्म और मात्रा को ध्यान में रखते हुए किसी खास अनुपात को रखना न तो व्यवहार्य है और न ही वांछनीय है। निरीक्षण महानिदेशालय में संवर्ग पुनरीक्षण करते समय इन सभी पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(घ) तत्कालीन संयुक्त सचिव (पी एस) ने 1979 में किसी सामान्य का प्रस्ताव नहीं रखा था।

(ङ) स्थायी रूप से उन नियुक्त सेना अफसरों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने को विद्यमान नियमों के अन्तर्गत निपटाया जा सकता है।

कमानी ग्रुप आफ कंपनीज का अधिग्रहण

10067. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या **उद्योग** मन्त्री आन्तरिक विवाद के कारण कमानी ग्रुप इंडस्ट्रीज के बन्द होने के बारे में 30 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6074 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वीरेन शाह के पंच फैसले के प्रतिवेदन को प्रकाशित किए जाने के बाद अपने निर्णय की समीक्षा की है; और

(ख) क्या सरकार ने 900 श्रमिकों की जबरन छुट्टी को टालने लिए उस स्थिति में कंपनियों का अधिग्रहण करने का निर्णय किया है जब निदेशक एक निश्चित समय में प्रतिवेदन की सिफारिशों का पालन न करें ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) सरकार कमानी ग्रुप के उद्योगों के मामलों के बारे में मध्यम निर्णय (विवाचन) सम्बन्धी वीरेन शाह रिपोर्ट की जानकारी से अवगत नहीं हैं। किन्तु, दिनांक 18.3.1981 के "इकनामिक टाइम्स" में प्रकाशित रिपोर्ट से यह पता चलता है कि यह विवाद आंतरिक मामला है तथा बताये

गए विवाचन पंचाट पर उपयुक्त कार्रवाई करने का कार्य सम्बन्धित प्रबन्धक वर्ग का है। उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कमानी ग्रुप के उद्योगों अथवा इसके किसी भी एकक के प्रबन्ध का अधिग्रहण करने के लिए केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

चाय मशीनरी

10068. **श्री के० मालन्ना :** क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने जापान को सप्लाई की गई भारतीय चाय मशीनरी के डिजाइन की नकल करके चाय मशीनरी का विकास कर लिया है और इतना सचेत हो गया है कि कहीं मशीनरी का डिजाइन चीन से बाहर न ले जाया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) इस प्रकार की किसी गतिविधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

ई०पी०एफ० एनक्लेव, नई दिल्ली में एक मन्दिर का निर्माण

10069. **श्री टी०आर० शमन्ना :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भविष्य निधि एनक्लेव, नई दिल्ली में एक मन्दिर का अनधिकृत निर्माण कार्य पूरा होने वाला है;

(ख) क्या अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बद्ध कर्मचारियों से उनके विश्वास के पूजा-स्थलों के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान के आवंटन के लिए प्राप्त अनुरोध को आयुक्त द्वारा रद्द कर दिया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस मन्दिर के लिए सरकारी निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है और कार्यालय के दिहाड़ी पर काम करने वाले श्रमिकों को निर्माण-कार्य में सहायता करने के लिए लगाया गया है और कालोनी के "केयर-टेकर" से लिखित शिकायतें मिलने के बावजूद अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) यह सच है कि भविष्य सिधि एन्क्लेव, नई दिल्ली में स्थित कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी कालोनी में एक अनाधिकृत मन्दिर का निर्माण शुरू किया गया था, जिसकी दीवारें 3 से 4 फुट की ऊंचाई तक बनाई गई थी।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दो भिन्न धार्मिक समुदायों से सम्बन्ध रखने वाले दो कर्मचारियों ने पूजा स्थलों के निर्माण के लिए भूमि के आवंटन के लिए प्राधिकारियों की

अनुमति मांगी थी। उनको कोई भी उत्तर नहीं दिया गया है, क्योंकि पूजा स्थलों के निर्माण के लिए स्थान की व्यवस्था/आवंटन करना संगठन का कार्य नहीं है।

(ग) और (घ) कालोनी की गिराई गई बाउंडरी दीवार की ईंटों का उपयोग उक्त निर्माण के लिए किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली के एक कर्मचारी ने दो मजदूरों को इस कार्य में लगाया था। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस सम्बन्ध में पहले ही कार्यवाही की है। उन्होंने सम्बन्धित कर्मचारी को अनुदेश दिए हैं कि वे ऐसी हरकतों से बाज आए। इस अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में पुलिस के पास एक रिपोर्ट भी दायर की गई है।

श्री शक्ति मिल्स लिमिटेड, बम्बई का परिसमापन

10070. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई उच्च न्यायालय के एक आदेश द्वारा शक्ति मिल्स लिमिटेड, बम्बई का परिसमापन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वह परिस्थितियां कौन सी हैं, जिनमें कम्पनी का परिसमापन हुआ;

(ग) कितने श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं; और

(घ) श्रमिकों की समस्याओं पर विचार करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) उच्च न्यायालय बम्बई ने मैसर्स महिन्द्र यूनाइटेड स्टील कम्पनी लि० द्वारा दायर किए गये कंपनी पेटीशन में (1978 की संख्या 308) 21 जनवरी, 1981 को आदेश दिया कि श्री शक्ति मिल्स लिमिटेड, बम्बई को बन्द कर दिया जाए।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 433(ङ) के उपबन्धों के अधीन इस कम्पनी को बन्द करने का आदेश दिया गया क्योंकि कम्पनी 21,36,575 रुपये की सीमा तक याचिका दायर करने की तारीख से अदायगी तक या उनकी वसूली तक 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 20 लाख रुपये के और ब्याज की कर्जदार थी।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन सम्बन्धित सरकार है।

राज्य प्रशासन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

10071. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिलों के पुनर्गठन से सम्बन्धित राज्य प्रशासन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन में क्या-क्या टिप्पणियां और सिफारिशें की गई हैं;

(ख) प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के बाद जिलों के पुनर्गठन के लिए राज्यों द्वारा कौन-कौन से आयोग अथवा समितियां नियुक्त की गई हैं और अब तक राज्यवार कौन-कौन से जिले पुनर्गठित किये गये हैं;

(ग) राज्यों के पुनर्गठन के समय राज्यवार कौन-कौन से जिलों का पुनर्गठन किया गया और बाद के प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनर्गठन किया गया;

(घ) अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले जिलों और इसके लिए क्षेत्रों के राज्यवार नाम क्या हैं;

(ङ) क्या आदिवासी जनसंख्या वाले राज्यों का विचार जिलों के बेहतर प्रशासन के लिए विशेषकर पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची क्षेत्रों के जिलों का पुनर्गठन करने का है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को पांचवीं और छठी योजना के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि दी गई है, और उड़ीसा और अन्य राज्यों में प्रस्तावित नए जिलों को घोषणा से पूर्व तहसीलों के पुनर्गठन के लिए राज्यों द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जिलों के पुनर्गठन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की टिप्पणियां और सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

जिले का आकार

देश में जिलों का आकार, क्षेत्र और जसंख्या दोनों के सम्बन्ध में बहुत अन्तर है। यद्यपि यह सच है कि एक बड़े जिले में बढ़े हुये काम को निपटाने के लिए उपयुक्त संख्या में प्रशासनिक कर्मचारियों को और बढ़ाया जाता है, यह एक वास्तविक तथ्य है कि जिले का आकार अधिकतम होना चाहिए यदि उससे भी बढ़ जाए तो प्रशासन का समन्वय बिगड़ जायेगा और वह निस्तेज और निष्क्रीय हो जायेगा। इस समय जो जिले हैं वे पिछले अनेक दशकों से प्रशासनिक युनिट रहे हैं। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उससे लोगों का एक प्रकार का स्थानीय लगाव हो जाता है। इनके क्षेत्र में परिवर्तन करने से जनता में किसी न किसी प्रकार का आन्दोलन उत्पन्न हो जाएगा। देश की वर्तमान स्थिति जिसमें संकीर्ण विचार और भावना आ गई हैं वर्तमान जिलों का पुनर्गठन करना सरल नहीं है। किसी भी प्रकार आयोग के लिए यह संभव नहीं हैं कि इस समस्या की समीप से विस्तृत जाँच करें और जिलों के पुनर्गठन के लिए सिफारिश करें। इसमें निहित कार्य का महत्व ऐसा है कि यदि कोई वाडी इस कार्य को प्रारम्भ करे तो वह एक दशक में भी इस कार्य को पूरा नहीं कर सकेगी। इसलिए प्रत्येक राज्य के लिये यह अधिक उपयुक्त होगा कि इस कार्य को वह कभी बाद में हाथ में ले जब इसके लिये अधिक उपयुक्त समय आये। इसके लिये लोगों से परामर्श किया जाय और सीमाओं में परिवर्तन के पक्ष में, यदि कोई हो यो अधिकतम व्यवहार्य सीमा तक लोगों की राय प्राप्त हो जाये। इस सम्बन्ध में लोक राय जानने, आवश्यक सबूत एकत्रित और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिये प्रत्येक राज्य में एक समिति नियुक्त की जाए।

सिफारिश संख्या 21

हम सिफारिश करते हैं कि जिलों की सीमाओं के पुनः समायोजन के प्रश्न पर विचार करने के लिए जब अच्छी स्थिति आये तब प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिले के आकार तथा सीमाओं की जांच करने के प्रयोजन से राज्य सरकार समिति नियुक्त करें।

(ख) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

लद्दाखियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषणा

10072. **श्री पी० नामग्याल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने जम्मू तथा कश्मीर राज्य में लद्दाखियों की अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषणा के लिए केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है जैसा कि 19 फरवरी, 1981 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों की मुख्य बातें क्या है और क्या भारत सरकार लद्दाखियों की अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषणा करने पर विचार करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सिफारिशों की एक प्रति सभा पटल पर रखने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) जम्मू तथा कश्मीर में लद्दाखियों की अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिदिष्ट करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर सरकार के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करने के लिए विधायन बनाते समय विधिवत रूप से विचार किया जाएगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

खार मार्किट में राष्ट्रीय वस्त्र निगम में "शो रूम" में आग

10073. **श्री रामविलास पासवान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1980 में दीवाली के अवसर पर राष्ट्रीय वस्त्र निगम के खान मार्किट स्थित शो रूम में आग लगाई गई थी;

(ख) उक्त आग के कारणों तथा दिल्ली पुलिस द्वारा पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करने के बारे में सम्बन्धित अधिकारियों की क्या रिपोर्ट है; और

(ग) ऐसी कौन-कौन सी परिस्थितियों और दबाव थे जिनके अन्तर्गत कपड़े के व्यापारी को कपड़े की दूकान के बाहर पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस दिया गया था ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 8 नवम्बर, 1980 को खान मार्किट अग्निकांड से प्रभावित एक दुकान राष्ट्रीय वस्त्र निगम का प्रदर्शन कमरा था ।

(ख) प्राथमिक जांच के अनुसार पटाखों के भण्डार में अचानक आग लग गई और शीघ्रता से अन्य दुकानों तक फैल गई । घटना की जांच के लिए एक मजिस्ट्रेरियल जांच का आदेश दिया गया था और मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट की अभी तक प्रतीक्षा है ।

(ग) गत वर्षों की तरह, दुकान के परिसर के भीतर पटाखों की बिक्री करने के लिए श्री अशोक गोयल, दुकान सं० 64 बी (मेसर्स नेशनल क्लाथ हाउस) को लाइसेंस जारी किया गया था और दुकान के बाहर बिक्री और प्रदर्शनी के लिए नहीं । विभिन्न कालोनियों में पटाखों के नियमित

व्यापारी नहीं होने के कारण, वर्ष में कुछ सीमित दिनों के लिए मौसमी मांग को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न व्यवसायों में लगे दुकनदारों को लाइसेंस जारी किये जाते हैं।

फतहपुरी, दिल्ली में स्थित होटल के खिलाफ कार्यवाही

10074. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 मार्च, 1981 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "मिनिस्ट्रीज इंस्ट्रस्ट इन माइनर इन्सीडेन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें गृह मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा फतहपुरी, दिल्ली में एक होटल के मालिक के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अनधिकृत रूप से दिल्ली पुलिस पर दबाव डालने की बात कही गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने अपने सरकारी पद का दुरुपयोग किया है और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) श्री नन्दकुमार की इस शिकायत पर कि जब वह मेवा होटल गया तो उसे पीटा गया था, भा० दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 323/341/34 के अधीन तारीख 5-3-1981 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 200 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता द्वारा 6-3-1981 को दिए गए दूसरे आवेदन के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 को भी लगाया गया। इस सम्बन्ध में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। मामले का चालान किया गया और 1-4-1981 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(ग) और (घ) केन्द्रीय गृह मंत्री को भेजे गए शिकायतकर्ता के अभ्यावेदन को मामले की तहकीकात के लिए दिल्ली पुलिस को अग्रेषित किया किया गया था।

समुद्र के कानून के विकास के प्रकाश में समुद्र नीति आयोजना के लिए व्यवस्था

10075. **श्री के० मालन्ना** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्र के कानून के विकास को ध्यान में रखते हुए समुद्र नीति आयोजना तथा भारत के "मेनटेनिंग जोन्स" के प्रभावशाली प्रबन्धक के लिए कोई नई संस्थागत व्यवस्था सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी हां। समुद्रीय विकास नामक एक नया विभाग स्थापित किया जा रहा है। ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

दिल्ली में सी०ओ०डी० जेल में सिपाही की मृत्यु

10076. श्री वी० किशोरचन्द्र एस देव :
प्रो० पी०जे० कुरियन :
श्री धर्मवीर सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सी०ओ०डी० जेल में रक्षा सुरक्षा कोर (डिफेन्स सिक्यूरिटी-कोर्पस्) के सिपाही कुंजन लाजर की मृत्यु सम्बन्धी जांच रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ख) रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या उसके आश्रितों को कोई मुआवजा दिया गया है ?

राज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) सैन्ट्रल आर्डनेंस डिपो, दिल्ली छावनी के सिपाही कुंजन लाजार की मृत्यु की जांच के लिए नियुक्त स्टाफ जांच अदालत के निष्कर्ष इस प्रकार हैं :—

15/16 नवम्बर, 1980 को सैन्ट्रल आर्डनेंस डिपो, दिल्ली में चोरी के प्रयास में सम्मिलित होने और सेंट्रल आर्डनेंस डिपो, दिल्ली में हुइ पिछली चोरियों के सम्बन्ध में सिपाही कुंजन लाजार से पूछताछ की गई थी। उसे सैनिक अधिकारियों के अधीन हिरासत में रखा गया था। वह 16 से 18 नवम्बर, 1980 तक दो दिन जेल में बन्द रहा। 18/19 नवम्बर, 1980 की रात को पूछताछ करने के बाद जब उसे दो सैनिक संरक्षकों के साथ उसकी कोठरी में वापस ले जाया जा रहा था तो उसने अपने को सैनिकों से किसी प्रकार से मुक्त करा लिया लेकिन भागते समय एक छोटे से गड्ढे में ठोकर खाकर कंक्रीट स्लैब के ऊपर गिर पड़ा। जब वह खड़ा हुआ और दोबारा भागा तो वह तब कटीले तारों की बाड़ में फंस गया। इसके बाद वह मुड़कर भागा और संरक्षकों द्वारा काबू पाने से पहले ही वह लोहे के एक तेज नुकीले खूंटे से टकराकर एक पेड़ के ठूंठ पर जा गिरा।

सिपाही कुंजन लाजार जब अपने को मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहा था तब वह नुकीले लोहे के खूंटे से बड़ी जोर से टकराया और दोनों संरक्षकों सहित कठोर जमीन से तब तक टकराता रहा जब तक कि उसने मुक्त होने के लिए अपना संघर्ष बन्द नहीं कर दिया। इसके बाद संरक्षकों द्वारा उसे स्थैतिक (स्टेटिक) पानी की टंकी के ढाल की ओर घसीटकर ले जाया गया। इस हालत में जब उसको जब क्वाटर गार्ड की ओर लाया गया तो उसने दम तोड़ दिया और जमीन पर गिर गया। मौके पर सिपाही लाजार की जांच करने के लिए बुलाए गए परिचर्या सहायक ने उसको मृत पाया। जांच अदालत के दौरान ली गई डाक्टरी राय के अनुसार उसकी मृत्यु कई जगहों पर लगी चोटों के आघात की वजह से हुई जो एन्टी मोरटम थीं और जो किसी कुंठित वस्तु की हो सकती थी और ये चोटें सिपाही लाजार को भागते समय और पकड़े जाने के समय दोनों संरक्षकों के साथ हुए संघर्ष के दौरान लग सकती थीं।

किसी क्षेत्र के जनरल अफसर कमांडिंग ने जांच अदालत के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया है और यह निदेश दिया है कि उन दोनों संरक्षकों जिन्होंने सिपाही लाजार के भागने के प्रयास में उसे पकड़ने के लिए बल प्रयोग किया के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की जाए।

स्वर्गीय सिपाही कुंजन लाजार के परिवार को निम्नलिखित भुगतान किया गया है :—

(1) थलसेना ग्रुप बीमा योजना से भेजा गया धन	30,000 रु०
(2) पुरानी देनदारियों को अंतिम रूप से निपटा कर दिया धन	584.35 रु०
(3) सेंट्रल आर्डनेस डिपो के सभी रैंकों द्वारा इकट्ठा किया गया धन	531.00 रु०
(4) रक्षा सुरक्षा कोर हितकारी निधि से दिया गया धन	700.00 रु०
(5) ए०एफ०पी०पी० फंड	1,100.00 रु०
जोड़	32,915.35 रु०

परमाणु नीति की समीक्षा

10077. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, परमाणु प्रसार रोक संधि में संशोधन भी करके पाकिस्तान को परमाणु हथियार, जानकारी तथा संसाधन देने के अमरीकी प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने अपनी परमाणु नीति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उद्जन बम सहित परमाणु हथियारों की वसूली अथवा उत्पादन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो यह मामला किस स्थिति में है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) इस तरह की कोई सूचना नहीं है जिससे इस बात की पुष्टि होती हो कि अमेरिका पाकिस्तान को आणविक शक्ति बनाने के लिए हथियार, जानकारी और संसाधन उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है।

(ख) और (ग) हमारी आणविक ऊर्जा नीति, इस ऊर्जा का शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाने की है।

विस्फोटक पदार्थों पर निदेशों का केरल द्वारा क्रियान्वयन

10078. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने विस्फोटक पदार्थों के निर्माण और विस्फोटक पदार्थों में प्रयुक्त होने वाले रसायनों के वितरण के संबंध में केन्द्रीय निदेशों को क्रियान्वित नहीं किया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय निदेशों को क्रियान्वित न किए जाने के परिणाम-स्वरूप विस्फोटक पदार्थों का निर्माण केरल के कई भागों में, विशेषकर कन्नौर जिले में, बड़े पैमाने पर किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय निदेशों को क्रियान्वित करवाए जाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) केरल सरकार से अपेक्षित सूचना मंगाई गई हैं जिसके प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

एच० एम० टी० हैदराबाद में कर्मचारियों की शिकायतें

10079. **श्री आर० आर० भोले** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० एम० टी० हैदराबाद के महाप्रबंधक ने हाल ही में एक ज्ञापन जारी किया है जिसमें कर्मचारियों को धमकी दी गई है कि यदि उन्होंने संसद-सदस्यों के माध्यम से अपनी शिकायतें सरकार को भेजी तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी;

(ख) क्या यह सच है कि कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि प्रबंधकों के निर्णय के खिलाफ किसी संसद-सदस्य के पास उनका जाना अनुशासनहीनता की ऐसी कार्यवाही समझी जाएगी, जो आचरण विरुद्ध होगी; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए माडल आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली में एक उपबंध है जिसमें कर्मचारियों को यह आदेश दिया गया है कि उपक्रम में उनकी सेवा से संबंधित मामलों के बारे में अपने हित-वृद्धि के लिए अभियाचना करना या किसी उच्च प्राधिकारी पर बाहरी प्रभाव डालने का प्रयत्न करने से वे दूर रहें। उपर्युक्त नियमावली में दिए गए उपबंधों के अनुपालन पर बल देते हुए सरकार निदेश जारी करती रही है। सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों की तरह एच० एम० टी० हैदराबाद सहित एच० एम० टी० लिमिटेड समय-समय पर इस प्रकार के अनुदेश जारी करता रहा है। विगत कार्यप्रणाली के अनुसार नवम्बर, 1980 में एक नोटिस जारी किया गया था जिससे यह उपबंध फिर से एच० एम० टी० हैदराबाद के कर्मचारियों के ध्यान में लाया गया था।

असम में तेल वाले वृक्ष

10079-क : **श्री संतोष मोहन देब** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम में प्रचुर मात्रा में उगाये जाने वाले उन वृक्षों की जानकारी है जिनके बीजों में 57 से 42 प्रतिशत तक तेल होता है तथा जिसे प्राचीनकाल में प्रकाश करने के काम में लाया जाता था;

(ख) यदि हां, तो क्या असम में इन ऊर्जा वृक्षों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है अथवा करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सं० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) एल्यूराइटीस मोल्यूक्यूना जो कि यूफोर्बियेसी कुल का

एक सदाबहार पेड़ है, आसाम में प्रचुरता से पैदा होता है। इसे आमतौर पर कैण्डल नट पेड़ कहा जाता है। इसकी गुठलियों से एक गहरे रंग का तेल निकलता है, जिसे 'तुंग तेल' कहा जाता है और इसे रंग रोगन और वार्निश उद्योग में और साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी उपज काफी अधिक है, कई बार 80% तक। इन गुठलियों की लेही से बनाई गई बत्तियों को रोशनी और सजावट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है और इस पेड़ का लोकप्रिय नाम 'केन्डल नट' पेड़ है। यह स्पीशीज और अन्य तेजी से पैदा होने वाली हाइड्रो-कार्बन उत्पन्न करने वाली स्पीशीज का "जीवभार के उत्पादन कार्यक्रम" के अधीन बड़े पैमाने पर कृषि के लिए अभिनिर्धारण किया गया है जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने हाथ में लिया है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, लखनऊ और इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ पैट्रोलियम, देहरादून उदाहरण के लिए सम्भावी पैट्रोफसलों की संवीक्षा, वृद्धि और तेल निष्कर्षण और विश्लेषण पर और सम्बन्धित पैरामीटरों के इष्टतमीकरण पर साथ-साथ कार्य कर रहे हैं।

आर्गेनिक अपशिष्ट का उपयोग किया जाना

10079-ख. ए० ए० रहीम : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपयुक्त संयंत्र चला कर देश में आर्गेनिक अपशिष्ट का पुनः उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) देश में कितनी मात्रा में आर्गेनिक अपशिष्ट उपलब्ध है;

(ग) क्या आर्गेनिक अपशिष्ट का पुनः उपयोग करने के लिए व्यवहार्यता सम्बन्धी कोई अध्ययन किए किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या योजनाएं हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) कई राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और शिक्षा संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कई अनुसंधान कार्यक्रम हैं जिनके अधीन देश में जैव अपशिष्टों का पुनः चक्रीयन किया जा रहा है। जैव अपशिष्टों के स्वरूप, प्रौद्योगिकी की उपलभ्यता और अभीष्ट अंतिम उत्पाद के अनुसार विभिन्न प्रकार के कई संयंत्रों को चालू कर दिया गया है।

(ख) सन्निकट अनुमानों से पता चलता है कि मवेशियों, भैंसों, मुर्गों, मुर्गियों, भेड़ों, बकरियों और सुअरों और अन्य पशु धन सहित पशुधन से वार्षिक 100,6 करोड़ टन विष्टा उपलब्ध है और साथ ही चावल, गेहूं, मक्की, कपास, पटसन, गन्ना और अन्य लघु फसलों से कोई 20.4 करोड़ टन कृषि अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। अपशिष्ट सामग्री का अधिकांश भाग वास्तव में बेकार नहीं जाता है बल्कि उसको प्राकृतिक जैव वैज्ञानिक पुनः चक्रीयन में इस्तेमाल में लाया जाता है। इन्हें विशेषकर गरीब लोगों द्वारा ईंधन के स्रोत के रूप में या पशुओं के आहार के रूप में किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल में लाया जाता है।

(ग) से (ङ) कई संभाव्यता अध्ययन पहले से ही किए जा चुके हैं और विभिन्न जैव अपशिष्टों के आधार पर कुछ प्रयोगशालाओं द्वारा प्रायोगिक संयंत्रों की स्थापना की गई है, यथा, सेन्ट्रल लैदर रिसर्च इंस्टीयूट द्वारा इमली के बीजों की भूसी से टैनिन किण्वर्ष तैयार किया गया है, सैन्ट्रल फूड टैक्नोलोजीकल रिसर्च इंस्टीटयूट मैसूर द्वारा गेहूं के चोकर से कई एन्जाइम तैयार किए गएहैं, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद द्वारा काजू के छिलके से संक्षारण विरोधी रंग रोगन तैयार किया गया है। मेथेन गैस के उत्पादन के लिए पशुओं की विष्टा को आधार सामग्री के रूप में उपयोग करके देश में लगभग 80,000 जैव गैस संयंत्रों की पहले से ही प्रतिष्ठापना की जा चुकी है। अब न केवल पशुओं की विष्टा बल्कि हर प्रकार के जैव अपशिष्टों को जैव गैस उत्पादन के लिए इस्तेमाल करने की योजना है। छठी योजना के दौरान यह भी योजना है कि देश में जैव गैस संयंत्रों की प्रतिष्ठापना में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि की जाए। खाद्य सामग्री पशु आहार, ईंधन और औद्योगिक उपयोग के लिए रसायनों के उत्पादन के लिए विभिन्न उपलब्ध अवशिष्टों के लिए इष्टतम और अत्युत्तम व्यवहार प्रतिमान का निरूपण करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

स्थगान प्रस्तावों आदि के बारे में

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । कृपया बैठ जाइये। आप मेरी अनुमति के बिना बात क्यों करते हैं? (व्यवधान)** आपने मेरी इजाजत ली है? (व्यवधान)** माननीय सदस्यो, आप मुझसे सहमत होंगे कि अतीत की तरह हम सभा में मर्यादा बनाये रखें और हम सभा में हरेक की बात ध्यान से सुनें। जब मैं सुनने के लिये तैयार हूं तब मेरी यह समझ में नहीं आता कि सभी लोगों को एक ही समय सभी तरह की बातें क्यों करनी चाहिए। क्या इससे किसी को कोई लाभ होता है? इससे न तो आपको, न मुझे, न सभा को और न ही राष्ट्र को लाभ होता है।

एक माननीय सदस्य : कृपया हमारी बात एक-एक करके सुनें।

अध्यक्ष महोदय : मैं सुनूंगा। मैं यही तो कह रहा हूं। परन्तु यदि आप धैर्य से मेरी बात सुनेंगे तो मैं भी धैर्य से आपकी बात सुनूंगा। मैं आपकी सेवा के लिये हूं, परन्तु इसमें समय लगता है।

मैं इस माननीय सभा का ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं अभी आपको दिखलाता हूं कि मुझे स्थगन प्रस्ताव की कितनी सूचनायें प्राप्त हुई हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे स्थगन प्रस्तावों की यह एक इतनी लम्बी सूची प्राप्त हुई है। अब क्या आप लोग इन सभी सूचनाओं पर यहां चर्चा करना चाहते हैं? (व्यवधान)** कृपया बात न करें। मुझे सभा के समक्ष अपनी बात रखने दीजिए। कम से कम कभी मेरी बात भी तो सुनिये।

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ज्योतर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : आपकी बात हमेशा सुनी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : आपको धन्यवाद। मैं तो नियमानुसार आपका सहयोग चाहता हूं। कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे सदस्य उत्तेजित हो सकते हैं। परन्तु अपने उद्‌गार व्यक्त करने के लिए हमारे पास कुछ साधन भी हैं। हम इस सभा में नियमों के अन्तर्गत सभी विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं और मैं आपको पूरा मौका दूंगा।

एक माननीय सदस्य : हम आपको पूरा सहयोग देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी सराहना करूंगा और श्री लकप्पा मैं आपकी बात भी सुनूंगा।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : महोदय, आप दाहनी ओर भी देखें और इधर की बात भी सुनें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे देखना है क्योंकि मेरी दाहिनी आंख ही काम करती है और बायी आंख कुछ कमजोर है। इसलिए मुझे उस तरफ अधिक ध्यान देना है और मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए। (व्यवधान)** मैं आपकी बात सुनता हूं। कृपया बैठ जाइये। जो भी मामले होंगे उन पर हम चर्चा करेंगे।

बैठने से पहले मैं एक बात और कहूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसुद : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए आप सबको एक-एक करके मौका दूंगा।

मुझे दक्षिण बंगलौर में इस सभा का सत्र करने के बारे स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। इस सम्मानित सभा की जानकारी के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि कम से कम मुझे तो इस तरह के निर्णय की कोई जानकारी नहीं है। (व्यवधान) लोगों की यह धारणा है। यह एक स्वतंत्र देश है। उनका अपना मत है और वे यह मत व्यक्त करेंगे। (व्यवधान)** जब मैं बोल रहा हूं तब आप लोगों को आपस में अनावश्यक बातें नहीं करनी चाहिए। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय है जो सभा की सहमति से लिया जाना है। (व्यवधान)** समय आने पर जब संसदीय कार्य मंत्री यहां होंगे, विपक्ष यहां होगा तो हम सभी एक साथ बैठकर शालीनता के साथ इस पर निर्णय लेंगे।

इसलिए इसके बारे में चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)** आप फिर सारे बोले रहे हैं। मैं सबको बोलने की इजाजत दूंगा। ·····(व्यवधान)·····

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : महोदय। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। कोई अन्तिम निर्णय लेने से पहले मैं विपक्ष के नेताओं की सलाह अवश्य लूंगा। इसके बाद ही अन्तिम निर्णय लिया जाएगा। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना जो कुछ भी कहा जाएगा वह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं यह पहले कह चुका हूं।

एक माननीय सदस्य : महोदय, संसदीय कार्य मंत्री ने जो कुछ कहा है उसे हम नहीं सुन सके हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह कहा है कि अन्तिम निर्णय लेने से पहले यह विपक्ष के नेताओं की सलाह लेंगे।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : श्री गुंडूराम ने एक वक्तव्य दिया है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : महोदय यह एक स्वतंत्र देश है। वह अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह एक धारणा हो सकती है। वह इस के लिए अनुरोध कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। वह निर्णय नहीं कर सकते हैं।

श्री भीष्म नारायण सिंह : महोदय, इन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार नहीं चलना चाहिए। श्री गुंडूराव को भी अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार है। वह समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के आधार पर कैसे कह सकते हैं कि सभा को इस पर तथ्यों पर विचार किये बिना चर्चा करनी चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, क्या श्री गुंडूराव को यह वक्तव्य देने का अधिकार है?

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करेंगे। इस पर यहां चर्चा नहीं होगी।

प्रो० के० तिवारी (बक्सर) : उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : अब मैं एक-एक करके बात सुनूंगा। मैं आपकी बात सुनूंगा। **(व्यवधान)**** कृपया शांत रहें कोई बातचीत नहीं। मुझे नियम 342 के अधीन श्री ज्योतिर्मय वसु से सूचना मिली है।

वास्तव में नियम 342 में प्रस्ताव के स्वरूप के बारे में उल्लेख है, परन्तु इसकी सूचना नियम 184 के अधीन देनी होती है। मैं मामले की जांच कर रहा हूं और माननीय सदस्य के साथ भी इस पर चर्चा करूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 376 और 342 के अधीन मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे दिमाग में इसकी जो व्याख्या है, उसके अनुसार मैं चाहता था कि सभा के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जाये कि यह सभा बाबी सैन्ड्स की मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करती है और इसलिए सभा को अप्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा और जब प्रस्ताव आएगा तब मैं इस पर आपके साथ बातचीत करूंगा। **(व्यवधान)**** कार्यवाही-वृतात में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

मुझे खुशी है कि आप मेरे हित पर ध्यान दे रहे हैं। ···**(व्यवधान)**···

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : लकप्पा खाली धमकी देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : धमकी वालों को तो सुन लें जरा। **(व्यवधान)**** कृपया बैठ जाइए।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मुझे किसी पक्षपातपूर्ण या विवादात्मक ध्येयों से प्रेरित नहीं किया जा रहा है। इस सभा की गरिमा और विशेषाधिकार का ध्यान इस के लोगों को भी उतना

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ही है जितना कि उस पक्ष के लोगों को है। अतः मेरी समझ में समूची सभा को उच्चतम न्यायालय के विधिज्ञ संगठन द्वारा आयोजित की गई इस सभा के बारे में चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्यों ?

प्रो० के० के० तिवारी : उन्होंने वक्तव्य की तीव्र आलोचना की है।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है, मैं इस पर विचार करूंगा। (व्यवधान)** कृपया बैठ जाइये। श्री तिवारी, आप नहीं जानते कि चुप कैसे रहा जाये (व्यवधान)** यह मेरे विचाराधीन है। मैंने आपको बता दिया है।

श्री के० लकप्पा : मैं किसी पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता परन्तु बात यह है कि इस सभा में दिए गए भाषण और वक्तव्य भारत के संविधान के अधीन संरक्षित हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने कोई प्रस्ताव दिया है।

श्री के० लकप्पा मैंने बहुत पहले विशेषाधिकार का एक प्रस्ताव दिया था कि उच्चतम न्यायालय ने कतिपय आक्षेप किये थे···

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मैं तथ्यों को मालूम करके इस पर निर्णय लूंगा।

श्री के० लकप्पा : मेरा निवेदन अभी पूरा नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया है मैं नहीं चाहता कि आप इसे पूरा करें।

श्री के० लकप्पा : मैंने एक ध्यानाकर्षण सूचना भी दी है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं। यह मेरे विचाराधीन है।

श्री के० लकप्पा : इसका अभिप्राय स्पष्टतः सभा में वक्तव्य देने के कारण संसद सदस्यों को बदनाम करना है। क्या हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए ? क्या हमें नियम 107 के अधीन संरक्षण नहीं मिलेगा ? (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या इन दो सदस्यों में कोई सांठ-गांठ है ? वे इन दोनों व्यक्तियों के जो कुछ कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलत नहीं किया जाये। (व्यवधान)** मुझे यह देखकर खेद हो रहा है कि इन दो सदस्यों को यह भी नहीं पता है···(व्यवधान)**

श्री के० लकप्पा : यह क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने दो सदस्य कहा है···पहले मेरी बात सुनिये। कृपया बैठ जाइये।

श्री के० लकप्पा : इसे मत दोहराइये।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके बारे में कोई अपमानजनक बातें नहीं कह रहा हूं।

श्री के० लकप्पा : हम भारत के संविधान, अपने अधिकारों और अपनी सीमा के भीतर हैं।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं उसके बारे में आप क्या समझते हैं, आप क्या कल्पना करते हैं ?

श्री के० लक्कप्पा : आपको हमारे हितों का संरक्षण करना है। आप नाराज हो जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नाराज नहीं होता हूं। कृपया बैठ जाइए। मैं तो यह कह रहा था कि आप दोनों व्यक्ति एक साथ ही बोल रहे हैं जो कि न मेरे लिये अच्छा है न आपके लिये। मैं यही कह रहा हूं। (व्यवधान) देखिये, आप फिर एक साथ बोल रहे हैं। मैं यही कह रहा था। मैं आपके विरुद्ध या किसी के विरुद्ध भी कुछ नहीं कह रहा हूं। मैंने तो केवल यही कहा था कि आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं। आप नहीं समझते है कि आप क्या बोल रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : हम आपका सम्मान करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं। परन्तु मैं आपको बता रहा हूं कि आप दोनों एक साथ ज़ोर-ज़ोर से बोल रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं तो केवल यह कहना चाहता था कि जब सभा के समक्ष महत्वपूर्ण मामले आये तब तत्काल निर्णय किये जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि मेरे कन्सीडरेशन में है। कितनी दफा कहलवायेंगे।

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने दो विशेषाधिकार प्रस्ताव दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है—दोनों पर मैं विचार कर रहा हूं। (व्यवधान) जब तक मेरे पास तथ्य नहीं आ जाते, तिवारी जी, तब तक मैं फैसला नहीं कर सकता। सीधी सी बात यही है।

प्रो० के० के० तिवारी : आपको कितना समय चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह मंत्रालय पर मुनस्सर है।

श्री के० लक्कप्पा : जब सभा का विशेषाधिकार का मामला हो तो आप प्रक्रिया नियमों के नियम 227 के अधीन स्वयं कार्यवाही कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, जब तक मुझे मामले के तथ्य नहीं मिल जाते मैं फैसला नहीं कर सकता।

श्री के० लक्कप्पा : आपके पास इसके लिये अधिकार है। मैं सभा के लाभ के लिये नियम पढ़कर सुनाता हूं। यह एक गम्भीर मामला है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : आप बार-बार यह कहते रहे हैं कि आप नियमों के अनुसार चलते हैं। और नियम सभा बनाती है। सभा का कार्य कार्यमंत्रणा समिति द्वारा नियोजित किया जाता है। मुझे आश्चर्य है कि आपने कल ही कार्य सूची में श्रीमती इन्दिरा गांधी का''' '''शामिल किया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मैंने अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा में काम किया है।

डा०—सुब्रह्मण्यम स्वामी : कार्य मंत्रणा समिति को पूछे बिना'''आप हमें यह क्यों नहीं बताते कि आपने उसे किस आधार पर शामिल किया है।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा काम है। मैंने नियमों के मुताबिक काम किया है। आप मेरे पास आकर बताएं कि मैंने कौन सा काम नियम के अनुरूप नहीं किया है। मैं मान जाऊंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी नहीं, यह काम इस सभा को करना है। इस सभा से श्रीमती गांधी के निष्कासन के मामले को आप समाप्त कैसे कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर रहा। सभा ही यह कर सकती है। हम इस पर चर्चा करेंगे। (व्यवधान) तिवारी जी आपने मेरा उत्तरदायित्व सम्भाल लिया है। मैं इसे सम्भाल लूंगा। यह मेरा काम है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सर, मेरा प्वाइन्ट आफ़ आर्डर है। पिछली बार बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी और बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में कैटेगोरीकली सहमति प्रकट की थी कि इन विषयों पर डिस्कशन होगा।

अध्यक्ष महोदय : इस पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती। इसकी अनुमति नहीं दी जाती।

श्री राम विलास पासवान : आप सुन तो लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : आउट आफ आर्डर है, तो कैसे सुन सकता हूं। मेरे फ़ैसले पर यहां चर्चा नहीं हो सकती।

श्री राम विलास पासवान : मैं आप के डिसीजन को चैलेन्ज नहीं कर रहा हूं। आप सुन तो लीजिए। आप के पास सर्टेन टाइम है और उस समय के तहत इन-इन विषयों पर डिस्कशन होगा। जब उतना ही टाइम है, तो आप ने एक स्पेशल एजेन्डा और इस में जोड़ दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप आ जाइए, मैं बता दूंगा कि रूल्स क्या हैं।

श्री राम विलास पासवान : रूल्स की बात नहीं है।...(व्यवधान)... आप को अधिकार दिया गया है लेकिन बिजनैस एडवाइजरी कमेटी ने बांध दिया है कि इन मुद्दों पर डिस्कशन होगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं बांधा है।

श्री राम विलास पासवान : मैं आप पर एलिगेशन नहीं लगाता हूं लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : देखिये। आप अगर 190 पढ़ लेते, तो अच्छा होता। इस में यह लिखा है—

> "अध्यक्ष सभा के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद और सभा-नेता के परामर्श से ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा के लिये कोई एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का भाग नियत कर सकेगा।"

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपने प्रभावित पार्टी श्रीमती गांधी से विचार-विमर्श किया।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीमती गांधी प्रभावित पार्टी हैं। आप उनसे कैसे विचार-विमर्श कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न था कि आपने लीडर आफ दि पार्टी से तो परामर्श किया लेकिन विरोधी दलों से नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। यह मेरी इच्छा है मैं परामर्श करूं या न करूं।

श्री रामविलास पासवान : फिर कार्य मंत्रणा समिति का क्या महत्व है।

अध्यक्ष महोदय : वह भी है;

श्री रामविलास पासवान : कार्य मंत्रणा समिति का फिर कोई महत्व नहीं हुआ। आपने लीडर आफ दि हाउस से परामर्श करके इसे रख दिया। (व्यवधान)

श्री बापूसाहिब पारूलेकर (रत्नगिरि) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने नियम 190 का हवाला दिया। मैं आपका ध्यान नियम 288, 289 और 290 की ओर आकृष्ट करूंगा। ये नियम 190 का अधिलंघन करते हैं। नियम 289 में कहा गया है--

"समिति की सिफारिशें सभा को प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत की जायेंगी।"

नियम 290 में कहा गया है।

"प्रतिवेदन के सभा के समक्ष उपस्थित किये जाने के बाद किसी भी समय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि सभा प्रतिवेतन को स्वीकार करती है....."

और उस कार्य पर विचार करना होता है। (व्यवधान) कृपया सुनिये। कार्य मंत्रणा समिति को समाप्त क्यों नहीं कर देते ? चौथी बार मंत्री आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति भी है और मैं भी हूं।

श्री बापूसाहिब पारूलेकर : आप कार्य मंत्रणा समिति की अवहेलना करके सभा के कार्य के बारे में फैसला नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : मैं कर सकता हूं।

श्री बापूसाहिब पारूलेकर : कार्य मंत्रणा समिति को बनाये रखने का कोई लाभ नहीं है। बेहतर है कि उसे खत्म कर दिया जाये।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : कार्य मंत्रणा समिति की अवहेलना करके आप गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं क्योंकि न तो संसदीय कार्य मंत्री ने उस समय इसका जिक्र किया था समिति जब उन्होंने अगले सप्ताह के कार्य के बारे में बयान दिया था और न ही इसे कार्य मंत्रणा में उठाया गया था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी चीज को निकाला नहीं है। मैंने किसी की अवहेलना नहीं की है। यह अनुपूरक कार्य सूची है। (व्यवधान)

डा० फारूक अब्दुल्ला (श्रीनगर) : 29 तारीख को मैंने नियम 229 के अधीन आपको लिखा था। मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझ से मिल सकते हैं। (व्यवधान)

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : सभा सर्वोच्च है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अनुपूरक कार्य सूची है। (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : कैसे आप बता सकते हैं। (**व्यवधान**)

श्री रामविलास पासवान : कार्य मंत्रणा समिति ने बांध दिया है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। किसी ने नहीं बांधा है।

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : अ प उपस्थित नहीं थे। उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे। कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन यहां पेश किया गया था। माननीय सदस्यों ने कई मामलों पर विचार करने का सुझाव दिया। उनका कहना था कि काफी दिन शेष हैं और इन पदों को भी शामिल कर लिया जाए। जो मैंने कहा वह रिकार्ड में है। मैंने कहा कि आम राय यह है कि कौन-सी मद ली जाए इस पर अध्यक्ष महोदय फैसला करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि सभा को सूचित नहीं किया गया। यह रिकार्ड में है।

(**व्यवधान**)

श्री बापूसाहिब परुलेकर : फैसला आप पर छोड़ दिया गया। इस पर कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय : इससे क्या बनता है।

श्री रामविलास पासवान ; कार्य मंत्रणा समिति के सामने यह आवश्यक नहीं था।

श्री जार्ज फर्नांडीज : आप सभा को गुमराह कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह सभा को गुमराह कर रहे हैं।-(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री बसु जी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं काफ़ी अर्से से कार्यमंत्रण समिति का सदस्य हूं। यह पहली बार है·····(**व्यवधान**) मेरा प्रश्न यह है कि पिछली कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में·····(**व्यवधान**) प्रस्ताव पहली मई के समाचार भाग-2 में प्रकाशित हुआ है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक उससे पहले हुई। कार्यमंत्रणा समिति के प्रस्ताव को सभा में पेश किया गया और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। उसे केवल कार्यमंत्रण समिति ही उलट सकती है अन्य कोई नहीं। (**व्यवधान**)

कई माननीय सदस्य। नहीं, नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कार्य मंत्रणा समिति में हमने कुछ प्रस्तावों का सुझाव दिया था। आपने कह दिया कि समय नहीं है। इसीलिए····· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह सरकार पर निर्भर है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह सरकारी समय है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसके बाद हम कार्यमंत्रणा समिति के फैसले को नहीं मानेंगे।

(**व्यवधान**)

श्री बीजू पटनायक (केन्द्रपाड़ा) : श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा उठाई गई बात इस हद तक संगत है कि कार्यमंत्रणा समिति में संसदीय कार्य मंत्री भी होते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह वहां हाजिर थे। वह पदेन सदस्य हैं।

श्री बीजू पटनायक : संसदीय कार्य मंत्री के नाते वह सारी संसद्—सरकारी पक्ष, विपक्ष और सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। (व्यवधान) आप किसी पद को प्राथमिकता दे सकते हैं पर स्वयं किसी नई मद को शामिल नहीं कर सकते (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैंने नियम पढ़े हैं। (व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक : क्या आप कोई उदाहरण पेश कर सकते हैं जब इसे लोक सभा में लाया गया हो।

अध्यक्ष महोदय : मैंने देख लिया है। कृपया बैठ जायें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीहाट) : मेरा प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न है। जो अभी भी वेंकट सुब्बया ने कहा उससे मैं यह अर्थ लगा पाया हूं कि चूंकि सभा का सत्र समाप्त होने वाला है और कुछ ही दिन शेष हैं, यह अध्यक्ष के स्वविवेक पर निर्भर है कि मदें शेष हैं उनमें से वह किन को प्राथमिकता देते हैं। यह अध्यक्ष को देखना है कि कौन सी मद अब ली जा सकती हैं और कौन सी समय के अभाव में नहीं ली जा सकती। यह एक अलग प्रश्न है। कुछ सदस्य कह रहे थे कि सभा सर्वोच्च है। सत्य है कि सभा सर्वोच्च है। पर यह पद विशेष सभा के समक्ष कभी नहीं आई इसे सभा में कभी नहीं लाया गया। (व्यवधान) नहीं, इसे यहां नहीं उठाया जा सकता। इसे नहीं गलत तरीके से सभा की कार्यसूची में शामिल किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह समाचार में छपा था। मैंने समझा कि यह नियमों के अधीन स्वीकार्य है। मैंने इसे स्वीकार कर लिया। यह समाचार में छपा था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तब कार्यमंत्रणा समिति के होने का क्या फायदा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे विधिवत् परिचालित किया गया था समाचार में छापा गया था। (व्यवधान)

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन (वड़ागरा) : प्रस्ताव को केवल इस आधार पर कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता कि यह समाचार भाग-2 में छप गया है। (व्यवधान) इस पर कार्यमंत्रण समिति या सभा को विचार करना होता है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो भविष्य में खतरनाक सिद्ध होगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कुछ भी खतरनाक नहीं है।

एक माननीय सदस्य : हम छोटी-छोटी बातों में उलझ गए हैं। (व्यवधान)

श्री के० लक्कप्पा : आप उस दिन उपस्थिति नहीं थे। फैसला अध्यक्ष ने दिया था। तब सभी सहमत थे। अब वे मुकर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन् : नियमों में दिए गए अभिप्राय के बारे में·····(व्यवधान) इन नियमों और शब्दों का आप क्या अर्थ लगाते हैं? नियम 288(1) में कहा गया है "समिति का यह कृत्य होगा·····"। 'होगा' (शेल) शब्द है। नियम 288(3) में कहा गया है: "समिति ऐसे कृत्य करेगी·····"। इससे कोई छुटकारा नहीं है। साथ ही जब एक बार नियम 290 के अन्तर्गत समय आवंटित किया जाता है तो नियम 292 में कहा गया है:

"समय के बंटवारे के आदेश में कोई परिवर्तन अध्यक्ष की समिति से प्रस्ताव किये जाने और उसके सभा द्वारा स्वीकार किये जाने के अतिरिक्त न किया जायेगा।" क्या आप इसपर प्रकाश डालेंगे?

अध्यक्ष महोदय : मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है। यह समिति अथवा उप-समिति ने किया है। (व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक (केन्द्रपाड़ा) : यह प्रस्ताव समिति के समक्ष नहीं था। इसकी यह सिफारिश कैसे कर सकती थी? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल यही कहता हूं कि यह अनुपूरक है। (व्यवधान) इसमें क्या लगती है? यह सभा के समक्ष है। इसे रद्द किया जा सकता है।
(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। गुजरात का सवाल, जहा पर हरिजन आदिवासियों का और बहुत से लोगों का कत्ल हुआ, इतना जबरदस्त सवाल था, लेकिन उसको तो 6 बजे शाम के बाद लिया और यह इतना कौन-सा महत्वपूर्ण सवाल है जो सारे आइटम्स स्थगित करके इसको ले रहे है?

अध्यक्ष महोदय : यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री बी०आर० भगत (सीतामढ़ी) मेरी समझ में नहीं आता है कि माननीय सदस्य क्यों इस मामले पर चर्चा पर आपत्ति कर रहे है·····

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिनी) : हमारा प्रश्न प्रक्रिया का है।

श्री बी०आर० भगत : मैं उस पर आ रहा हूं। यह सही तरीके से गृहीत किया गया है। प्रस्ताव सभा-पटल पर रखा गया था। इसे समाचार में रखा गया और इसमें अध्यक्ष पीठ का विवेक है·····

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : नियमों को पढ़िए।

श्री बी०आर० भगत : मैंने नियम पढ़े हैं। प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के बारे में मेरा तर्क यह है कि यह मामला कल सभा के समक्ष आ रहा है। सभा भी अन्ततः मालिक है। यदि वह नहीं चाहती है तो यह इसे रद्द कर सकती है। (व्यवधान)

श्री नीरेन घोष (दम दम) : यह सभा के समक्ष नहीं है। (व्यवधान)

श्री बी०आर० भगत : कृपया मुझे सुनिए। (व्ययधान)

श्री बापू साहिब परुलेकर : कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आप बात को प्राथमिकता दे रहे हैं (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह नहीं किया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : मैंने आपसे आग्रह किया कि जिस ढंग से बी०ए०सी० को डिफाइ किया जा रहा है·····

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

श्री रामविलास पासवान : अगर इस तरह से होगा तो आप बी०ए०सी० से हमारा रिजिगनेशन के लीजिए·····(व्यवधान) इसके विरोध में हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री राम विलास पासवान तथा कुछ अन्य सदस्य सदन से उठकर बाहर चले गए (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री श्री प्रकाश चन्द्र सेठी की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत पैराफिन मोम (पूर्ति, वितरण और मूल्य निर्धारण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 317 (ङ) में प्रकाशित हुआ था सभा-पटल पर रखता हूं। [मंत्रालय में रखी गई—देखिए संख्या (1080 टी० 2505/81]

छठी पंचवर्षीय योजना, 1980-85

योजना और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं पंचवर्षीय योजना—1980-85 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखी गई—देखिये संख्या (एल०टी० 2506/81]

मारुति लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का वर्ष 1981 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) मारुति लिमिटेड (उपक्रमों का अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत मारुति लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 8 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 295 (ङ) में प्रमाणित हुए थे। [ग्रंथालय में रखी गई—देखिए संख्या एल०टी० 2507/81]

(2) (एक) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये—देखिए संख्या [एल०टी० 2508/81]

(3) भारतीय रबड़ निर्माता अनुसन्धान संघ, ठाणे के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिनेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) भारतीय रबड़ निर्माता अनुसन्धान संघ, ठाणे के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे। [ग्रंथालय में रखे गये—देखिए संख्या एल०टी० 2509/81]

(5) भारतीय रबड़ निर्माता अनुसन्धान संघ ठाणे के वर्ष 1978-75 और 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(6) भारतीय रबड़ निर्माता अनुसंधान संघ ठाणे के वर्ष 1978-79 और 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये—देखिए संख्या एल०टी० 250/81]

(7) (एक) भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।]

(दो) भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये—देखिये संख्या एल०टी० 2510/81]

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक बिवरण (हिन्दी तथा संस्करण) (ग्रन्थालय में रखे गये—देखिये संख्या एल०टी० 2501/81)

(9) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालयमें रखे गये—देखिए संख्या एल०टी० 2591/81]

कोल इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, समीक्षा तथा विलम्ब के कारणों का विवरण

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कोल इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) कोल इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रंथालय में रखे गये—देखिए संख्या एल०टी० 252/81]

पद्मजा नायडू हिमालयन जूलोजिकल पार्क दार्जिलिंग के वर्ष 1979-80 और वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

विज्ञान और प्रोद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) पद्मजा नायडू हिमालयन जूलोजीकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) (क) पद्मजा नायडू हिमालयन जूलोजीकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा (ख) वार्षिक प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) (एक) पद्मजा नायडू हिमालयन जूलोजीकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) (क) पद्मजा नायडू हिमालयन जूलोजीकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और (ख) वार्षिक प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में गए विलम्ब के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रंथालय में रखे गए—देखिये संख्या एल० टी० 2513/81]

राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद धनबाद का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं :—

(1) राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् धनबाद के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(2) राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद्, धनबाद के कार्य 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रंथालय में रखे गये । — देखिये संख्या एल० टी० 2514/81]

सरकार द्वारा अप्रैल, 1981 में जारी किये गये बाजार ऋणों का विवरण

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : मैं केन्द्रीय सरकार द्वारा अप्रैल, 1981 में जारी किये गए बाजार ऋणों का परिणाम दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हू। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2515/81]

राज्य सभा से संदेश

सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) "मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने शुक्रवार, 24 अप्रैल, 1981 को हुई अपनी बैठक में लोक लेखा समिति संबंधी निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :—

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लोक सभा की लोक लेखा समिति के 30 अप्रैल, 1982 को समाप्त होने वाले कार्यकरण के लिए सहयोजित करने के लिये राज्य सभा से 7 सदस्य नाम निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और उक्त समिति में राज्य सभा के सदस्यों में से सात सदस्यों को ऐसी विधि से जैसा सभापति निर्देश दें निर्वाचित करे।"

2. मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य उक्त समिति में विधिवत निर्वाचित किये गये हैं :—

1. श्री एन० के० पी० साल्वे
2. श्री तीर्थराम आमला
3. श्रीमती मैमूना सुल्तान
4. श्रीमती पूर्वी मुखोपाध्याय
5. श्री पतितपावन प्रधान
6. श्री इन्द्रद्वीप सिन्हा
7. प्रो० रशीदुद्दीन खां

(दो) 'मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने शुक्रवार, 24 अप्रैल, 1981 को हुई अपनी बैठक में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है :—

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लोक सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 30 अप्रैल, 1982 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए सहयोजित करने के लिये राज्य सभा से सात सदस्य नाम निर्दिष्ट करने के लिये सहमत हो और उक्त समिति में राज्य सभा के सदस्यों में से सात सदस्यों को ऐसी विधि से जैसा सभापति निर्देश दें, निर्वाचित करे।"

2. मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य उक्त समिति में विधिवत निर्वाचित किये गये हैं :—

1. श्री आर० आर० मोरारका
2. श्री श्रीकान्त वर्मा
3. श्री रामानन्द यादव
4. श्री स्वामी दिनेश चन्द्र
5. श्री प्यारे लाल कुरील उर्फ प्यारे लाल तालिब उन्नावी
6. श्री आर० रामकृष्णन
7. श्री लाल कृष्ण अडवानी

(तीन) "मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने शुक्रवार, 24 अप्रैल, 1981 को हुई अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सम्बन्ध में निम्नलिखि प्रस्ताव स्वीकृत किया है :—

"कि यह सभा संकल्प करती है कि राज्य सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण सम्बन्धी दोनों सभाओं की समिति में 30 अप्रैल, 1982 को समाप्त होने वाले कार्यक्रम के लिये सम्मिलित हो और उक्त समिति में सभा के सदस्यों में से दस सदस्यों को एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधत्व की पद्धति के अनुसार निर्वाचित करे।"

2. मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य उक्त समिति में विधिवत निर्वाचित किये गये हैं :—

(1) श्री गणपत हीरालाल भगत
(2) श्रीमती सरोज खापरडे
(3) श्री रोशन लाल
(4) श्री जी० स्वामी नायक
(5) श्री धर्मवीर
(6) श्रीमती मरगथम चन्द्रशेखर
(7) श्री संगदोपाल लेप्चा
(8) श्री बी० डी० खोबरागड़े
(9) श्री शरीफुद्दीन शरीक
(10) श्री टी० अलीबा इम्ती।

———

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
24 वां प्रतिवेदन

श्री जी० लक्ष्मनन् (मद्रास उत्तर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 24वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व विषय के की ओर ध्यान दिलाना

बम्बई-हावड़ा जनता एक्सप्रेस गाड़ी में डाकुओं द्वारा डकैती अपहरण और बलात्कार की कथित घटनायें

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : श्रीमान, आप हरिजनों की हत्या के बारे में चर्चा की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लें।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं उसे ले रहा हूं। परन्तु कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर अनुमति दी जानी चाहिए थी। मैं संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री के इस वक्तव्य को दुरूस्त करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि यह रिकार्ड में है कि अध्यक्ष महोदय बहुत से महत्वपूर्ण मामलों में से किसी एक को ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को पढ़ें।

श्री हरिकेश बहादुर : बहुत से मामलों का उल्लेख किया था और उनमें से चुनने का अधिकार अध्यक्ष महोदय को दिया गया था।

मैं रेल मंत्री का ध्यान निम्न लोक महत्व के मामले की ओर दिलाता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें।

"मध्य रेलवे के माणिकपुर और सतना रेलवे स्टेशनों के बीच बम्बई-हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ी में डाकुओं द्वारा डकैती, अपहरण और बलात्कार की हाल की घटनाओं के समाचार"।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : महोदय, 1-5-1981 को लगभग 23.00 बजे 22 से 25 सशस्त्र अपराधियों ने मध्य रेलवे के इलाहाबाद-जबलपुर खंड के टिकरिया और मारकुंडी स्टेशनों के बीच (मानिकपुर के निकट) 41 डाउन बम्बई हावड़ा जनता एक्सप्रेस में दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बा सं० 8907 के यात्रियों को लूट लिया था। 33 यात्रियों का 25,000/- रुपये मूल्य का सामान, नकदी, देवर आदि लूट लिया गया। सात यात्रियों को मामूली चोटें आयीं। आर्मी सप्लाई कोर के एक हवलदार, श्री गोपाल सिंह, जो उसी डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, ने राजकीय रेलवे पुलिस, मानिकपुर को इस मामले की रिपोर्ट की, जहां भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395/397 के अन्तर्गत सं० 34/81 पर एक मामला दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप, 9 ब्रीफ केस, एक सूट केस, इस्पात के बने दो बक्स और चमड़े का बना एक सूट केस बरामद किया जा सका। अभी तक 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।

एक लड़की के साथ बलात्कार करने और दो महिलाओं का अपहरण करने के बारे में रिपोर्टों में कोई तथ्य दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि राजकीय रेलवे पुलिस मानिकपुर के पास इस प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई।

इलाहाबाद स्थित राजकीय रेलवे पुलिस अधीक्षक स्वयं मानिकपुर गये और उन्होंने जांच कार्य का पर्यवेक्षण किया। राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा तेजी से जांच-पड़ताल की जा रही है।

पुलिस प्राधिकारियों के अनुसार, कुछ दिन पूर्व जैतवार स्टेशन पर बम्बई-हावड़ा जनता एक्सप्रेस में डकैती की कोई घटना नहीं हुई थी।

श्री हरिकेश बहादुर : यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि सरकार देश के नागरिकों को सुरक्षा देने में असमर्थ रही है। हर समय डकैतियां, हत्यायें, बलात्कार; अपहरण इत्यादि के सभी प्रकार के अपराध हो रहे हैं। जब यात्री रेलों में यात्रा कर रहे होते हैं तब उनका जीवन कतई सुरक्षित नहीं होता है। कभी दुर्घटनाएं होती हैं, कभी लूटमार होती है, कभी डाके पड़ते हैं अथवा अपहरण होते हैं। गाड़ियों में हर समय अपराध होते रहते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। मैं रेल मंत्री के त्यागपत्र की मांग करता हूं। मैं समझता हूं कि यह इस पूरी सरकार का नैतिक दायित्व है कि वे अपना त्यागपत्र दे दें। सरकार को कहना चाहिए कि हम वर्तमान स्थिति को संभालने में सक्षम नहीं हैं, अतएव हम अपना त्यागपत्र देते हैं तथा देश में हमें निर्वाचन कराये जाने चाहिए क्योंकि इस समय इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। वे हंस रहे हैं, परन्तु मैं अत्यन्त गम्भीर बात कर रहा हूं। सरकार पूरी तरह विफल रही है। सरकार पूरी तरह असक्षम है तथा वह स्थिति पर नियंत्रण नहीं कर सकती है।

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि कोई अपहरण नहीं हुए। मैं नहीं कह सकता कि यह वक्तव्य सही है अथवा नहीं। क्योंकि उन्होंने यह बात कही है, मैं इसे कुछ समय के लिए स्वीकार कर लेता हूं। परन्तु मैं यह जानने का यत्न करूंगा कि क्या यह वक्तव्य सही है। यदि यह गलत होगा तो मैं विशेषाधिकार का प्रश्न रखूंगा। क्योंकि सभी समाचार पत्रों में समाचार छपे हैं कि लूटमार, लड़कियों के अपहरण, बलात्कार आदि की घटनाएं हुई हैं। परन्तु इस वक्तव्य में इन सभी बातों से इनकार किया गया है।

उन्होंने सभी घटनाओं से इनकार कर दिया है परन्तु वास्तव में सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। पहले केवल लूटमार की घटनाएं ही होती थीं परन्तु अब डाके भी पड़ रहे हैं, हत्याएं भी हो रही हैं। इस प्रकार के समाचार आ रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। बोइंग 747 में एक महिला के साथ बहुत से व्यक्तियों ने बलात्कार किया। इस प्रकार की घटनाएं न केवल रेल गाड़ियों परन्तु विमानों में भी देश भर में हो रही हैं। इसीलिए मैं वर्तमान सरकार के त्यागपत्र की मांग करता हूं।

श्रीमान्, जी०आर०पी० एवं सी०आर०पी०एफ० का क्या कर्तव्य है ? वास्तव में जी०आर० पी० पर राज्य सरकार का नियंत्रण है। जी०आर०पी० के व्यक्ति पूरी तरह गैर-जिम्मेदार हैं, वे अपने कर्तव्यों का पालन उचित ढंग से नहीं कर रहे हैं। मैं स्वयं भी जी०आर०पी० के व्यक्तियों

के हाथों पीड़ित किया जा चुका हूं जिसके बारे में मैंने रेल मंत्री से शिकायत की थी। कुछ कार्यवाही की जा रही थी। मैं नहीं जानता कि क्या कार्यवाही की जा रही है परन्तु वे लोग गैर/जिम्मेदार हैं और वे यह समझते हैं कि रेल मंत्रालय उनके विरुद्ध कुछ कार्यवाही नहीं कर सकता। उन पर राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रण किया जाता है, इसलिए वे जो चाहें करते हैं तथा धन बटोरने में जुटे हुए हैं। कभी-कभी तो वे पूरे प्रथम श्रेणी के डिब्बों को संभाल लेते हैं तथा वे अपने काम पर भी नहीं जाते और प्रथम श्रेणी के यात्रियों से धन के लिए बिना उन्हें बैठने नहीं देते। ऐसी सब प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं।

जहां तक रेल सुरक्षा बल का प्रश्न है वे लोग अत्यन्त कठिनाई में हैं। न तो उन्हें केन्द्रीय औद्योगिक रक्षा बल का दर्जा दिया गया है और न ही उन्हें रेल कर्मचारियों की सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार को उन्हें या तो केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सुविधाएं देनी चाहिए अथवा उन्हें रेल कर्मचारियों को प्राप्त सुविधाएं दी जानी चाहिए। उन्हें इनमें से कोई भी सुविधायें नहीं मिल रही हैं।

बहुत दुर्भाग्य की बात है कि रेलवे यार्डों से तथा गाड़ियों से रेल सम्पत्ति की चोरी होती रहती है तथा इस कार्य में कुछ पुलिस कर्मचारी भी सम्बद्ध हैं। चोर, डकैत माल ले जाते हैं तथा सरकार उसकी क्षति पूर्ति करती है। जैसा कि मंत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि रेलवे यार्डों तथा रेल गाड़ियों से चोरी किए गए माल के बदले में करोड़ों रुपए की क्षतिपूर्ति की जाती है।

श्रीमान, मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि 1980 के दौरान रेलों में हुई 351 डकैतियों में 15 व्यक्ति मारे गये मेरा और यह समाचार-पत्रों में भी छपा है। पूरा देश इसे जानता है। वास्तव में यह रिपोर्ट 15 व्यक्तियों के बारे में है जबकि मैं जानता हूं कि रेलों में बहुत अधिक व्यक्ति मारे गये।

मैं मन्त्री महोदय से केवल यह जानना चाहता हूं कि जनवरी, 1981 से 30 अप्रैल 1981 तक कितने व्यक्ति लूटमार, डकैतियों में मारे गये तथा कितने व्यक्ति आहत हुए। मैं इस बारे में विशेष जानकारी चाहता हूं।

पूरी रेल प्रणाली में ही अव्यवस्था फैली हुई है। अभी कुछ ही दिन पूर्व समाचार छपा था कि बिहार में धनपुर के निकट पुलिस ने बमों से भरा हुआ एक वैगन पकड़ा था। बमों से भरा हुआ वैगन रेल द्वारा ले जाया जाता है। इसे रेलवे पुलिस अथवा पुलिस द्वारा पकड़ा जा चुका है। इसके पकड़े जाने का समाचार अखबारों में दिया गया था। हमने इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी, परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि यदि स्थिति यह है कि रेलों द्वारा बमों को ले जाया जाता है। जिसके बारे में सरकार को जानकारी नहीं है, इसका अर्थ है कि ऐसे षड़यन्त्र हो रहे हैं और शायद उन बमों को बिहार शरीफ क्षेत्र में ले जाया जा रहा था। प्रभु की कृपा से वे रास्ते में पकड़े गये।

श्रीमान अब स्थिति क्या है ? रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी यात्रियों को सुरक्षा देने में अक्षम हैं, परन्तु वे कई प्रकार के कदाचारों में संबद्ध हैं। उनमें से एक समाचार पत्रों में छपा है।

बड़ौदा हाउस में, जो कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय है रेलवे सुरक्षा बल के व्यक्तियों द्वारा महिलाओं की पिटाई। उनके कृत्यों की स्थिति यह है तथा रेलवे बोर्ड का प्रशासन पूरी तरह ठप्प पड़ा है।

मैंने मामला उठाया है कि सेवानिवृत होने वाले व्यक्तियों की सेवा की अवधि को न बढ़ाई जाए। मुझे पता नहीं है कि सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है। पहले उन्होंने निर्णय किया था कि कार्य-अवधि नहीं बढ़ाई जायेगी तथा जिन मामलों में उसे बढ़ाया जा चुका है उसे समाप्त किया जाएगा। परन्तु अब फिर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जो कि सर्वथा श्रमिक विरोधी हैं, तथा जिसने कई गलत निर्णय लिए, वह बहुत से षड़यंत्र कर रहे हैं। उनके कार्य की अवधि को दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। आप इसके पक्ष में तर्क नहीं दे सकते। एक ओर तो आप कहते हैं अवधि बढ़ाया जाना बुरी बात है और दूसरी ओर चेयरमैन की कार्यावधि बढ़ाई गई। जब माननीय कमलापति त्रिपाठी, रेल मंत्री थे तब भी यह मामला उठा था। प्रधान मंत्री ने भी इस मामले को गम्भीर माना था। परन्तु अब क्या हो गया है। चेयरमैन के कार्य की अवधि बढ़ाई गई है।

समाचार पत्रों में छपा है कि एक इंजन चालक को बीमारी की छुट्टी पर जाने को विवश किया गया है। चालक पूर्णतः स्वस्थ है। चिकित्सकों ने उसकी परीक्षा की है। उन्होंने उसे स्वस्थ पाया है। वह अपना कार्य सही रूप से कर सकता है। परन्तु रेलवे बोर्ड के अधिकारी कहते हैं कि वह ठीक नहीं है, वह चालक का कार्य नहीं कर सकता इसलिए उनका नाम रुग्न सूची में सम्मिलित किया गया है। रेलवे बोर्ड के व्यक्तियों एवं अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की श्रमिक विरोधी नीति अपनाई जा रही है क्योंकि उक्त चालक का सम्बन्ध एक विशिष्ट श्रमिक संगठन से है वह श्रमिक संगठन का सक्रिया कार्यकर्ता था। इसलिए उसके विरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाही की गई है।

श्री कमलापति त्रिपाठी (वाराणसी) : कालिंग एटेन्शन नोटिस में कोई चीज छोड़ेंगे या नहीं ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : वह एक सामान्य भाषण दे रहे हैं। वह घटनाओं के बारे में बिल्कुल गंभीर नहीं हैं···(**व्यवधान**)

श्री हरिकेश बहादुर : मैं संगत बात कर रहा हूं। मैं ये सब बातें इसलिए उठा रहा हूं, क्योंकि रेलवे में निराशा की भावना व्याप्त है। कर्मचारी ठीक ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी भी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि वे असंतुष्ट हैं। उन्हें समुचित सुविधायें नहीं मिल रही हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा मजदूर संघ विरोधी रवैया अपनाया जा रहा है। इस तरह के रवैये से रेलवे में पूर्ण अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी कारण लोग सुरक्षित नहीं है। लोगों को पर्याप्त सुविधायें नहीं जुटाई जा रही हैं और न ही उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था की जा रही है। मैं माननीय मंत्री से कुछ विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं :—

(क) यात्रियों की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए सरकार कौन से विशेष कदम उठाने जा रही है ?

(ख) सरकार रेलवे सुरक्षा बल और जी० आर० पी० को सक्रिय बनाने के लिए क्या कर रही है ?

(ग) क्या सरकार सी० आई० एस० एफ० या रेलवे कर्मचारियों की तरह रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को सभी सुविधायें प्रदान करने जा रही है ?

(घ) आप जी० आर० पी० पर जो मेरे विचार में गुंडों का दल बन गया है, किस तरह नियंत्रण रखने जा रहे हैं ?

(ङ) जिन लोगों को लूटा गया है, क्या उनको आप मुआवजा देने की व्यवस्था कर सकेंगे ?

(च) वर्ष 1981 में चोरियों और डकैतियों की कितनी घटनायें घटी हैं और इस अवधि में कितनी हत्यायें हुई हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मिनिस्टर साहब इतना ही लम्बा जवाब देंगे ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र ध्यानाकर्षण के मुख्य विषय के बारे में बिलकुल गंभीर नहीं हैं। उन्होंने एक लम्बा भाषण देने के लिए इस मौके का लाभ उठाया है जिसके लिए एक सरकार के रूप में केवल हम ही नहीं अपितु वे स्वयं जिम्मेदार हैं। इसमें कतई सन्देह नहीं है, जैसाकि मेरे साथी ने···के बारे में जिक्र किया है (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : तीन राज्य मंत्री बैठे हुए हैं। प्रधान मंत्री यहां नहीं हैं। इसका अर्थ यह नही है कि वे सभा को महत्व न दें। यहां मंत्रिमण्डल स्तर का कोई मंत्री नहीं है। इतनी बड़ी मंत्रिपरिषद है और यहां केवल 3 राज्य मंत्री बैठे हुए हैं। वे मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सभा··· (व्यवधान)। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह एक गंभीर मामला है और इस मामले को किया जाना चाहिए। वे इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं श्री चन्द्रजीत यादव की भावनाओं की कद्र करता हूं। आपको इतना बता सकता हूं कि हम सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : मुझे खेद है कि आप नहीं करते हैं। इतने बड़े मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में आपका कोई स्थान नहीं है। प्रधान मंत्री बाहर हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप सभा को महत्व न दें। महत्वपूर्ण चर्चायें हो रही हैं और तीन राज्य मंत्री बैठे हुए हैं। आप यह कहें कि आप मेरी भावनाओं की कद्र करते हैं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : हम यहां कहते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : इसमें कतई सन्देह नहीं हैं कि आप यहां हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री को यहां पर होना चाहिए था। यह एक गंभीर मामला है कि तीन राज्य मंत्री सभा में उस समय मामले को गंभीरता से न लेते हुए बैठे हैं जबकि विपक्ष कतिपय

प्रश्न उठा रहा है। स्वयं समाप्त होने वाला है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं गत 12 वर्षों से सभा में आ रहा हूं। कम से कम मंत्रिमंडल स्तर का एक मंत्री तो सभा में हमेशा रहा है। इस सभा की परंपरा बड़ी महान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अधिकतम समय देते थे। वह इस सभा में आते थे। मैं यह तो समझ सकता हूं कि प्रधान मंत्री एक महत्वपूर्ण विदेशी दौरे पर गई हैं। मैं इसकी सराहना करता हूं कि समूचा मंत्रिमंडल सभा से अनुपस्थित रहा और यह स्पष्टीकरण दिया जाये। यदि यह स्पष्टीकरण दिया जा रहा है तो यह बड़ी असंतोषजनक बात है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप कम से कम संसदीय कार्य मंत्री को तो बुला दें। यहां कोई तो हो।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : आपको यहां मंत्रियों की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए।

श्री हरिकेश बहादुर : मैंने जब भाषण शुरू किया था तब मैंने इस पर गौर नहीं किया था यदि हम सरकार से त्यागपत्र न मांगें तो हम और क्या कर सकते हैं?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : जैसा कि बताया गया है। अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे कुछ माल बरामद हुआ है। आगे जांच चल रही है। हमारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि ऐसी घटनायें पुनः न घटें। परन्तु हमसे जितना सम्भव हो सकता है, हम कर रहे हैं। चूंकि इस मामले का सम्बन्ध राज्य सरकार से है, हमने दो या तीन राज्यों के मुख्य मंत्रियों को इसलिए बुलाने का निर्णय लिया कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए चर्चा करें कि हम स्थिति में सुधार कैसे कर सकते हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : भीष्मनारायण जी आ गए हैं···

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (**श्री भीष्मनारायण सिंह**) : हम तो बराबर आपकी सेवा में हैं, उसके बावजूद भी आप आपत्ति करते रहते हैं। ···(**व्यवधान**)···

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

***श्री अजित कुमार साहा** (विष्णुपुर) : महोदय, 170 डाउन जनता एक्सप्रेस गाड़ी में लूट और बलात्कार की जो घटना घटी है वह बहुत ही शर्मनाक और अपमानजनक है। मैं सेना के उस अधिकारी की प्रशंसा करता हूं। जिसने इस मामले में कम से कम एक अपराधी को पकड़ लिया। आज रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले लोगों के लिए सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं उनकी सम्पत्ति भी लूटी जा रही है और यात्रा के दौरान उनकी हत्या की जा ही है परन्तु आज सबसे की खराब बात तो यह है कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। उनकी इज्जत लूटी जा रही है और उनके साथ छेड़ाखानी और बलात्कार किया जा रहा है। आज के टाइम्स आफ इंडिया में यह खबर पढ़कर हमें धक्का लगा और दुःख हुआ कि पुष्पा नामक एक लड़की के साथ बम्बई में 707

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

वोइंग विमान में कई लोगों ने बलात्कार किया। कुछ दिन पहले बिहार में जी० आर० पी० के एक कान्स्टेबिल ने एक महिला के साथ बलात्कार किया था। महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि क्या हम एक सभ्य संसार में रह रहे हैं या जंगली शासन व्यवस्था चल रही है।

महोदय, संसद में एक प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्रालय में उप मंत्री श्री मल्लिकार्जुन ने यह बताया था कि दिसम्बर 1980 और फरवरी, 1981 के दौरान रेलों में हुई डकैतियों की संख्या 455 थी जिसके परिणामस्वरूप 3 व्यक्तियों की हत्या की गई, 35 व्यक्ति घायल हुए, और 13 लाख, 31 हजार, 523 रुपये का नुकसान हुआ। एक और प्रश्न के उत्तर में यद्यपि वह ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं श्री मल्लिकार्जुन ने बताया था कि 1980 के दौरान 35 घटनायें घटी जिनमें 15 व्यक्ति मारे गए और संपत्ति के नुकसान होने पर 1,25,85,296 रुपये का मुआवजा दिया गया। इतना ही नहीं परन्तु संसद में प्रश्नों को उत्तर देते समय सभी रेल मंत्रियों मंत्रिमंडल, राज्य स्तर के या उपमंत्रियों ने सभा को हमेशा यह आश्वासन दिया कि सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं और ऐसी घटनाएं भविष्य में नहीं होगी परन्तु इनकी संख्या कम होने की बजाय बहुत बढ़ गई है। महोदय, इस विशेष स्थान में चोरी की इस तरह की घटनायें पहले दो बार हो चुकी हैं परन्तु हम देखते हैं कि सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए वास्तव में कुछ नहीं किया है और तीसरी घटना घट गई जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। 5 मई के 'जुगान्तर' में यह खबर छपी थी कि मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की सीमा पर 25 सशस्त्र अपराधी एक रेलगाड़ी में घुस आये और लूटपाट करते समय यात्रियों ने अखिलेश और पप्पू नामक दो अपराधियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

अत: मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस क्षेत्र में ऐसी घटनाओं को न होने देने के लिए कौन से कारगर कदम उठाये हैं। महोदय, मंत्रियों ने यह कहा है कि रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम एक पुराना कानून है और इसमें सुधार करने के लिए चर्चा होनी चाहिए। इस मामले में भी अस्पष्ट उत्तर दिया गया। महोदय, वर्तमान मामले में लगभग सभी समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है कि केवल 7 व्यक्ति घायल हुए। इसके बाद सभी राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्रों में यह खबर छपी है कि दो महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया परन्तु मंत्री महोदय का कहना है कि बलात्कार की कोई शिकायत रेलवे पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि घायल हुए व्यक्तियों के नाम क्या हैं और क्या सरकार ने गाड़ी में अन्य महिला यात्रियों से यह पूछताछ की थी कि क्या दो महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया या उनका अपहरण किया गया। महोदय, मैं इन विशेष प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मेरे विचार में मेरे मित्र ने हमारा वह उत्तर नहीं देखा जिसमें हमने इस बात को स्पष्ट किया है कि गिरफ्तार किये गये अपराधियों की संख्या 1 नहीं बल्कि 8 है।

अन्य मामलों के बारे में प्रगति जारी है।

जी० आर० पी० वह बल है जो गाड़ी के साथ होता है और जरूरत पड़ने पर रेलवे बल की सहायता करता है। रेलवे रक्षा बल मुख्यत: रेलवे सम्पत्ति की रक्षा से सम्बन्धित है।

अत: मैं पहले कह चुका हूं कि ये इक्की-दुक्की घटनायें हैं जो किसी क्षेत्र के किसी सेक्सन में कभी-कभी होती रहती हैं।

अत: हमने इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाने का विचार किया है ताकि हम देख सकें कि इस बारे में हम उनसे कैसे तालमेल कर सकते हैं और इन दुर्घटनाओं का निराकरण कैसे कर सकते हैं।

मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि हम भी माननीय सदस्यों की तरह इन बातों के बारे में चिंतित हैं। इस बारे में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिये कि इस बचन को पूरा नहीं किया जायेगा।

बलात्कार के बारे में हम केवल जबानी ब्यानों से काम नहीं चला सकते। यदि उस बारे में कोई लिखित शिकायत हो, तो हम उस पर ध्यान देते हैं और मामले की छानबीन करते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : रेलवे में होने वाली इन घटनाओं को एकाकी घटनायें नहीं समझना चाहिए। यह बात सच है कि आज कई चलती गाड़ियों में डकैती और लूटपाट की घटनायें होती रहती हैं। निर्दोष यात्री जख्मी हुए हैं। उन्हें लूटा गया है। आज गाड़ियों में यात्रा करने वाले लोग असुरक्षित अनुभव करते हैं। यह स्थिति देश भरमें है और कुछ समय से ऐसा होता आ रहा है। यह कोई ताजी घटनायें नहीं हैं। मैं पिछले सितम्बर ही में हुई घटनाओं के दो अथवा तीन उदाहरण दे सकता हूं।

हावड़ा से आने वाली एक गाड़ी में अनेक यात्रियों के सामान को लूटा गया और उनमें से दो यात्री उस समय जख्मी हुए जब दो सशस्त्र बदमाशों ने हावड़ा दिल्ली जनता एक्सप्रेस के दूसरी श्रेणी के कम्पार्टमैंट पर मधुपुर और आसनसोल स्टेशनों के बीच हमला किया।

यह पिछले सितम्बर की बात है। यह मध्य-प्रदेश के इन्दोर क्षेत्र में हुआ है'''

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : (**बडागारा**) : दक्षिण को जाने वाली गाड़ियों में भी हुआ है।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह सब दक्षिण जाने वाली गाड़ियों में भी हुआ है : साथ ही

"अजमेर-कच्चीगुडा सवारी गाड़ी में द्वितीय श्रेणी में यात्रियों को, अज्ञात व्यक्तियों द्वारा यहां से लगभग 40 किलोमीटर दूर, बंदूक की नोक पर लूटा गया।"

यह तो इन्दोर की तरफ की बात है। फिर :

"दिल्ली जाने वाली मंसूरी एक्सप्रैस गाड़ी के द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में नजीबाबाद-मुरादाबाद खण्ड में सशस्त्र डाकूओं ने एक व्यक्ति को मार दिया और हजारों रुपये की नकदी तथा सामान लेकर चंपत हो गये।"

इस प्रकार की घटनायें दक्षिण को जाने वाली अनेक गाड़ियों में भी घटती रहती है जैसाकि श्री उन्नीकृष्णन ने बताया है।

उत्तर-प्रदेश में तो पिछले कुछ महीनों में अनेक ऐसी घटनायें घटी हैं। देश के विभिन्न भागों में ऐसी घटनायें हुई हैं। गाड़ियों में यात्रा करना निश्चित ही असुरक्षित हो गया है।

मैं केवल औरतों और बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि आज गाड़ी में यात्रा करने वाला प्रत्येक यात्री अपने आपको असुरक्षित महसूस करता है। ऐसी घटनायें केवल इक्का-दुक्का नहीं है। आज सम्पूर्ण देश में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ती जा रही है। रेल गाड़ियों में होने वाली लूट-पाट तथा डकैती आदि की घटनायें देश की बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति का ही एक अंग है। डकैतियों के बारे में आप आये दिन समाचार-पत्रों में पढ़ते रहते है। सदन में भी अनक बार इस प्रकार की घटनाओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है और यह भी बताया जाता है कि किस प्रकार से लोगों को मारा जा रहा है। लूटपाट तथा डकैतियों देश भर में एक आम बात हो गई है। बिहार तथा उत्तर-प्रदेश में तो स्थिति और भी गंभीर है। यदि आप गांवों में जायें— मैं पिछले 10 दिनों से गांवों में ही था और पिछले 3 महीनों से काफी दौरा कर रहा हूं—जहां कहीं भी आप जायें, लोगों का यही कहना है कि असुरक्षा है, यदि आप खेत में कार्य कर रहे हो या गांव में घर में सो रहे हो या यात्रा कर रहे हो —यहां तक की बस द्वारा यात्रा करना भी बहुत अधिक असुरक्षित हो गया है और विशेष रूप से उत्तर-प्रदेश, बिहार, मध्य-प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में बस से सफर करना असुरक्षित हो गया है। इसके बावजूद भी कुछ नहीं किया जा रहा है। प्रश्न केवल रेल गाड़ियों में होने वाली लूटपाट तथा डकैतियों का ही नहीं है। मंत्रिमण्डल को पूर्ण गंभीरता के साथ इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि देश के सभी भागों में तथा विशेषरूप से उत्तर-प्रदेश तथा बिहार में स्थिति इतनी तेजी से क्यों बिगड़ रही है। क्या मंत्री महोदय ने, मंत्रिमण्डल-स्तर पर गृहमंत्री तथा उनके अन्य सहयोगियों के साथ तथा हाल ही में मुख्यमंत्रियों के साथ इस मामले पर विचार किया है कि कानून तथा व्यवस्था की स्थिति क्यों बिगड़ती जा रही है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है? यह भी देश की तेजी से बिगड़ती हुई सामाजिक-आर्थिक स्थिति का ही एक अंगरूप है। आज क्या हो रहा है? पुलिस पूर्णतया उदासीन हो गई है; पुलिस कर्मचारी अपने जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहते; इस प्रकार की घटनायें उनकी आंखों के सामने होती रहती है; परन्तु वे चुप रहते हैं; वह कोई कार्यवाही नहीं करते; वह यह महसूस करते हैं कि वह अपने जीवन को जोखम में क्यों डालें, देश की सम्पूर्ण पुलिस में आज एक प्रकार की उदासीनता व्याप्त है; यह स्थिति काफी गंभीर है क्योंकि उनके वेतन तथा महंगाई भत्ते आदि सम्पूर्ण देश में बढ़ते हुए मूल्यों की तुलना में काफी कम है; इसे उसी का एक कारण है।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वास्तव में इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है कि आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ उपाय किये जायें तथा पुलिस बल के बारे में स्थिति सुधारने के लिए और समाज-विरोधी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कुछ कारगर कदम उठाये जाये। कई झूठी मुठ-भेड़ों की बातें की जाती हैं; वास्तविक डाकूओं, वास्तविक अपराधियों को पकड़ा नहीं जाता है; यदि पुलिस को इसके लिए राजी कर लिया जाये तो वह कुछ निर्दोष व्यक्तियों को पकड़ कर उन्हें मार देगी और यह दिखाया जायेगा कि वह डाकू थे। मेरे अपने जिले आजमगढ़ में लोगों ने प्रदर्शन किया है। दिन के समय ही लोगों को उनके घर से ले जाया गया और लोगों ने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि अमुक व्यक्ति को ले जाया जा रहा है। एक बूढ़े व्यक्ति को, जोकि 6 बच्चों का पिता था,

उसे ले जाया गया तथा बाद में यह दिखा दिया गया कि वह पुलिस तथा डाकुओं के बीच हुई मुठभेड़ में मारा गया। इस प्रकार की घटनायें घट रही है और कोई भी उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है इसलिए परिणाम यह है कि वास्तविक अपराधी, डाकू तथा समाज-विरोधी फरार हैं उनकी पुलिस वालों के साथ सांठ-गांठ है। कुछ मामलों में तो उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है। हमें इस बात की जानकारी दी गई है कि पुलिस वाले डाकुओं तथा लुटेरों के साथ मिले हुए हैं और उन्हें नियमित रूप से कुछ धनराशि दी जाती है। यहां तक कि पुलिस उप निरीक्षकों तथा पुलिस अधीक्षक को डाकुओं तथा लुटेरों द्वारा नियमित रूप से कुछ धनराशि दी जाती है। इसी के फलस्वरूप इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। मैं रेल मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है···

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : शासक-दल के कुछ राजनीतिज्ञ भी इससे सम्बद्ध है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं इसे राजनीतिक मामला नहीं बना रहा हूं। मैं इसमें राजनीति को नहीं लाना चाहता हूं।

दूसरे में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रेल मंत्री सदन को बतायेंगे कि रेल गाड़ियों में क्या विशिष्ट व्यवस्था की जा रही है और क्या कारगर उपाय किये जा रहे हैं जिससे कि कम-से-कम उन रेलवे क्षेत्रों में सशस्त्र पुलिस जवानों को तैनात किया जा सके जहां ये घटनायें काफी बड़े पैमाने पर हो रही हैं? इस प्रकार की घटनायें रेलवे स्टेशनों पर भी हो रही हैं। यह मामला बहुत गंभीर हो गया है। जब गाड़ियां रुकती हैं तो वह रेलवे स्टेशनों पर कैसे आ जाते हैं? वह लूट-मार करते हैं और बच कर चले जाते हैं और पुलिस केवल देखती रहती है।

मैं इन मामलों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं और यह जानना चाहता हूं कि रेल मंत्री, गृह मंत्री, तथा सरकार द्वारा पूर्ण देश में तेजी से बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति पर काबू पाने के लिए क्या विशेष उपाय किये गए हैं?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने सदन का ध्यान ऐसी स्थिति की ओर आकृष्ट किया है जिसके बारे में हम सभी चिंतित है। जैसाकि उन्होंने स्वयं कहा है यह सम्पूर्ण मामला सामान्य कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में है। गृह सचिव के स्तर पर पहले ही आर० पी० एफ०, जी० आर० पी० तथा उच्च स्तरीय पुलिस अधिकारियों के बीच बैठक हो चुकी है। उस बैठक में कुछ उपायों पर विचार किया गया था। इसके अतिरिक्त अब रेल मंत्री ने उन कुछ राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ भी जिनके राज्यों में इस प्रकार की घटनायें अधिक घटती हैं, यह मामला उठाने का निर्णय किया है, जिससे कि उनके साथ इस प्रश्न पर विचार विमर्श किया जा सके कि इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए क्या समन्वय किया जा सकता है तथा क्या उपयुक्त उपाय किये जा सकते हैं। जहां तक रेल मंत्रालय का सम्बन्ध है, जी० आर० पी० को रेलों की सुरक्षा के लिए साथ भेजा जा रहा है। वह गाड़ियों की सुरक्षा के लिए होते हैं और आर० पी० एफ० द्वारा जैसाकि मैंने पहले कहा, केवल उनकी सहायता करती है।

कुछ स्टेशनों पर घटने वाली जिन घटनाओं के बारे में उन्होंने उल्लेख किया, मैं उनसे सहमत हूं। यह घटनायें उन मुख्य-स्टेशनों पर नहीं घटती जहां से गाड़ियां बनती हैं। दुर्भाग्यवश ऐसा रास्ते में पड़ने वाले धीरे-धीरे स्टेशनों पर होता है जहां प्रायः पुलिस नहीं होती है।

यह सम्पूर्ण मामला, जैसाकि उन्होंने कहा है। सामान्य कानून और व्यवस्था का मामला हैं। अपने प्रयत्नों के अलावा है, हमारा इरादा मुख्य-मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श करने का भी है और हम गृह मंत्रालय के साथ भी विचार-विमर्श करने के उपरान्त, यदि कोई ऐसी बात है कि वे भारत सरकार या गृह मंत्रालय से सहायता चाहते हों तो हम इस प्रकार के मामले पर गृह-मंत्रालय के साथ भी विचार-विमर्श करना चाहिये।

मैं माननीय सदस्यों तथा इस सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इस बात का ध्यान रखने के लिये निरन्तर प्रयास करते आये हैं कि ऐसी बातें न हों और यात्रा करने वाले लोग आराम तथा अपने को सुरक्षित अनुभव कर सकें। यहां उपस्थित अपने मित्रों के सहयोग तथा रचनात्मक सहयोग से मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम स्थिति में सुधार ला सकेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर (दुर्गापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह ही चुके हैं कि इस पर पृथक रूप से चर्चा नहीं की जा सकती। इस पर कानून और व्यवस्था की समूची स्थिति विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की स्थिति की पृष्ट भूमि में चर्चा होनी चाहिए।

हमें इन क्षेत्रों का पता लगाना है और हमें इस बात का ध्यान में रखना है कि रेल मंत्रालय इस प्रकार की रेल डकैतियों का निराकरण करने के लिए ठोस कदम उठाए। एक माननीय सदस्य ने उस बात का जिक्र किया भी है। एक प्रश्न के उत्तर में रेल उपमंत्री जी मल्लिकार्जुन ने बताया है कि 1980 में भारतीय रेलवे में डकैती की 35 घटनायें हुई हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार बनने के बाद हमने देखा है कि इस प्रकार की रेल डकैतियां बढ़ रही हैं। मेरे पास 1980 के आंकड़े हैं जिनका जिक्र मैं यहां भी कर सकता हूं। राज्य सभा में श्री मल्लिकार्जुन ने एक प्रश्न के उत्तर में 20 फरवरी 1981 को सूचित किया है कि 1 दिसम्बर, 1980 से 3 फरवरी, 1981 तक दो महीनों के अंदर लगभग 3 यात्री मारे गये और 35 जख्मी हुए। कुल 38 मामलों का पता चला और कुल 13,31,923 रुपए की हानि हुई। यद्यपि ये कह रहे हैं कि ये इस प्रकार की अपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमने देखा है कि वास्तव में इसमें वृद्धि ही हो रही है। राज्य मंत्री श्री जाफर शरीफ ने अपने उत्तर बताया है कि यह राज्य सरकार का काम है। जैसे कि इन्होंने कहा जी० आर० पी० राज्य सरकार के अधीन है। इन्होंने बताया है कि रेलवे सुरक्षा बल का उद्देश्य रेल सम्पत्ति की रक्षा करना है। लेकिन रेलवे कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से महाराष्ट्र तक यात्रा करने वाले सर्वसाधारण के लिए परिवहन का एक मात्र साधन है।

यह सब लोगों का परिवहन है। अतः यदि आप रेलवे यात्रियों की उनकी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे सकते तो यह सचमुच देश तथा लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप रेलवे

यात्रियों की डकैती से रक्षा नहीं कर सकते। अतः मैं कहूंगा कि जी० आर० पी० तथा आर० पी० एफ० के बीच तालमेल होना चाहिए। मंत्री महोदय ने कहा है कि वे राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार तथा गृह मंत्रालय के बीच तालमेल लाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय रेलवे में आर० पी० एफ० के कुल कितने लोग हैं। मैं सुझाव दूंगा कि जी० आर० पी० तथा आर०पी०एफ० दोनों के मेल, एक्सप्रेस तथा स्थानीय गाड़ियों में लगाया जाए। 170 डाउन बम्बई-हावड़ा जनता एक्सप्रेस में जी०आर० पी० तथा आर० पी० एफ० के कितने लोग तैनात किए गए हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि आठ अपराधियों को गिरफतार किया गया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन अपराधियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही की गयी है जो 170 डाउन बम्बई-हावड़ा जनता एक्सप्रेस के यात्रियों की रक्षा करने में असफल रहे हैं।

मंत्री महोदय के वक्तव्य तथा पत्रकार द्वारा प्रेषित समाचार में एक त्रुटि है। उन्होंने स्पष्ट कहा है :—

"सरकारी रिपोर्टों के अनुसार यहां आज 36 सशस्त्र डाकुओं ने अनेक सैनिकों सहित सौ से अधिक यात्रियों को लूटा"

ये आंकड़े तथा मंत्री के वक्तव्य के आंकड़े मेल नहीं खाते। यदि मंत्री मोहदय हमें वास्तविक आंकड़े अथवा रिपोर्ट न दे तो इसका अर्थ सभा के विशेषाधिकार का भंग होना है। श्री हरिकेश बहादुर ने रेलवे यात्रियों की जानमाल की रक्षा सम्बन्धी असफलता के लिये रेल मंत्री ही नहीं बल्कि सारी सरकार से त्यागपत्र की मांग की है। यह एक गम्भीर मामला है। यदि आप रेल यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते तो मैं मांग करूंगा कि श्री पांडे, राज्य मंत्री श्री जाफर शरीफ और श्री मल्लिकार्जुन त्यागपत्र दें और योग्य व्यक्तियों के लिये स्थान खाली करें—मैं नहीं जानता कि क्या कांग्रेस (आई) में कोई योग्य व्यक्ति हैं—लेकिन मैं कहूंगा कि उन्हें त्यागपत्र देना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई दंडनीय कार्यवाही की गयी है जो 170 डाउन बम्बई-हावड़ा जनता एक्सप्रेस के रेल यात्रियों की रक्षा करने में असफल रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : यह बात सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है कि कभी-कभी कोई इक्की/दुक्की घटनायें हो जाती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसा हर जगह ही हो रहा है। जैसे कि मेरे मित्र कह रहे थे प्रतिदिन सैंकड़ों गाड़ियां देश के विभिन्न भागों के लाखों यात्रियों को ले जाती हैं। इस प्रकार की डकैतियों के समाचार देश के हर भाग से नहीं आते। केवल एक अथवा दो क्षेत्रों में ही ऐसी घटनायें होती हैं। कभी-कभी इनको मंत्रियों को त्यागपत्र मांगने की आदत पड़ जाती है। इससे देश का भला नहीं होगा और न ही कोई समस्या हल होगी। प्रश्न यह है। हमें इसे नहीं भूलना चाहिये। हम एक प्रजातंत्रीय प्रणाली में हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : यदि प्रजातंत्र डाकुओं के लिये है तो हमें ऐसा प्रजातंत्र नहीं चाहिए।

एक माननीय सदस्य : यह बात नहीं है कि हर व्यक्ति डाकु अथवा चोर है।

श्री सं.० के० जाफर शरीफ : कृपया मेरी बात सुनिये। एक दो स्थानों की घटनाओं से यह नहीं समझा जा सकता कि देश भर में ऐसा हो रहा है। इससे समूचा समाज प्रतिबिम्बित होता है। अतः जब हम आरोप लगाते हैं। तो हमें ऐसा जिम्मेदारी के साथ करना चाहिये। आप ऐसा वही कह सकते कि देश में हर क्षेत्र में खराबी आ गयी है। मैं इस बात को स्वीकार नही करूंगा कि कुल मिलाकर हमारी स्थिति खराब है। साधारणतः ऐसी बातें कहीं न कहीं हो ही जाती हैं। सरकार स्थिति के बारे सचेत है। सरकार ने इस दिशा में कदम उठाये हैं। इस विशेष घटना के बारे में कहूंगा कि 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुछ बसूलियां भी की गयी हैं। कुछ अन्य बातों के बारे में प्रगति हो रही है। हम आगे छानबीन कर रहे हैं।

जिन क्षेत्रों में ये डकैतियां और लूटमार होती हैं वे क्षेत्र एक या दो राज्यों में हैं और हमने उनके मुख्य मंत्रियों को बातचीत करने के लिए बुलाया है। हम उनके साथ विचार-विमर्श करने जा रहे हैं और इस सम्बन्ध में हम आवश्यक कदम उठायेंगे। फिर भी, हमने अपने उस उत्तरदायित्व की समान चिन्ता है, बल्कि कहीं अधिक चिन्ता है, जो कि आज हमारे कंधों पर है अर्थात यह देखना हमारा काम है कि यात्री अपने गन्तव्य स्थान पर सुरक्षित एवं आराम से पहुंच जाएं। यह तो हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है। बड़ी विनम्रता से मेरा सदन से निवेदन है कि यह देखना हमारा हार्दिक और सतत प्रयास रहा है कि ऐसी घटनाएं न घटें। हम तन्त्र को सशक्त बना रहे हैं और ऐसी नहीं है कि यदि कुछ होता है तो हम चुप लगाकर बैठ जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि सभी रेलों को (सुपर फास्ट, मेल और एक्सप्रेस गाड़ियां) विशेषकर रात्री गाड़ियों को सही ढंग से अनुरक्षक प्रदान किए जायें। यही हमारा प्रयत्न है। मुझे आशा है कि आगामी वर्ष में इस प्रकार की घटनाएं निश्चित रूप से कम हो जायेंगी।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था। मैंने पूछा था कि क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई दाण्डिक कार्यवाई की गई है जो इस रेल प्रणाली की असफलता के लिए उत्तरदायी हैं।

श्री सी०के० जाफर शरीफ : अधिकारियों के असफल होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि कुछ भी हो उन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया है। उन्होंने अपराधियों को पकड़ा है, उन्होंने सम्पत्तियां वापिस करवाई हैं। कुछ अन्य मामलों की जांच की जा रही है।

द्वीप समूह के निकट अण्डमान एक नया द्वीप निकल आने के बारे में 6 अगस्त, 1980 अतारांकित प्रश्न संख्या 870 के उत्तर में शुद्धि करने और विलम्ब के कारण बताने सम्बन्धी वक्तव्य

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : अतारांकित प्रश्न संख्या 870 के उत्तर में दिनांक 6-8-1980 का मैंने सदन को बताया था कि अण्दमान द्वीपसमूह से लगभग 400 मीटर दूर दक्षिण-पूर्ण दिशा में पानी के अन्दर एक विस्फोट हुआ था और हल्की लहरों में 30 मीटर लम्बा एक द्वीप नजर आया था। अण्दमान और निकोबार प्रशासन से अभी मिली

रिपोर्ट में बताया गया है कि उस क्षेत्र में कोई नया द्वीप निकलकर नहीं आया है और यह तो पहले से ही विद्यमान एक पत्थर चट्टान है जिसे, उस क्षेत्र के लोगों द्वारा विस्फोट होने के बाद नया द्वीप समझ लिया।

पहले के उत्तर को संशोधित करने वाले इस विवरण को विलम्ब से भेजने का कारण यह था कि उस क्षेत्र का वायुयान द्वारा सर्वेक्षण करना आवश्यक था और रिपोर्ट का मिलान भारतीय सामुद्रिक सर्वेक्षण द्वारा जारी किए गए चार्ट से करना था।

तत्पश्चात लोकसभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजकर 20 मिनट म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

तत्पश्चात लोकसभा मध्यान्ह भोजन के बाद 2 बजकर 23 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में व्याप्त स्थिति

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, इनका नाम रोज-रोज आ जाता है।

श्री मनीराम बागड़ी : रोज कभी आ सकता है किसी एक का ? इनको बताइये कि हफ्ते में एक ही आया करता है, वह भी स्पीकर महोदय ऐसा कह देते हैं कि अखबार, रेडियो वाले लिखते नहीं हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : आज देंगे आपका, घबड़ाइये मत।

श्री मनीराम बागड़ी : आपकी सिफारिश है क्या ? कल तुम्हारे आदमी ने ही गलतफहमी कर दी थी, किसी का नाम नहीं दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, 4 मई, 1981 के बहुत से संसद सदस्यों ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में व्याप्त तथाकथित भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा प्रशासकीय व्यवस्था के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एक्ट के अन्तर्गत विजिटर जांच की मांग की है। संसद सदस्यों ने उस हेतु एक ज्ञापन भी दिया है जिस पर 161 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। संसद के इतिहास में किसी एक सवाल पर शायद ही इतनी बड़ी संख्या में सांसदों ने एकमत हो इतने प्रभावकारी ढंग से अपने को व्यक्त किया हो।

नेहरू विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एक प्रमुख विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना एक नया शैक्षणिक आदर्श कायम करने के उद्देश्य से की गई थी और इस पर करोड़ों की धनराशि व्यक्त की जा चुकी है। बड़े खेद का विषय है कि कुछ भ्रष्ट तत्वों तथा अधिकारियों के कारण इस संस्था की दयनीय दशा हो गई है।

वर्तमान विश्वविद्यालय की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि यूनिवर्सिटी कोर्ट की बैठक भी लगभग दो वर्ष बाद बुलाई गई और ऐक्ट के अन्तर्गत गठित उप वैधिक समितियों की भी सर्वथा उपेक्षा की जा रही है। विश्वविद्यालय में बार-बार हड़ताल हो रही है। विद्यार्थियों को पानी एवं बिजली भी उपलब्ध नहीं है। छात्रों एवं कर्मचारियों के बीच मुठभेड़ हो रही है, अध्यापकों के आवासों पर डकैतियां हो रही हैं और तनावपूर्ण स्थिति बनी है। एक छात्रा पर गोली चलाई गई तथा पुस्तकालय के ठीक सामने एक अधजली लाश परसों पाई गई है।

संसद में अनेकों बार इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाए गए हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया है। अत: इस बात की नितांत आवश्यकता है कि सारे मामले की व्यापक एवं उचित जांच कराई जाये ताकि विश्वविद्यालय परिसर में एक स्वस्थ एवं आदर्श शैक्षणिक वातावरण कायम हो सके।

(डं) लोको रनिंग कर्मचारियों का कथित दमन और उनकी मांगों को मानने की कार्यवाही

श्री ए०के० बालन (ओट्टापालम) : लोको-रनिंग स्टाफ का एक मास से भी अधिक पुराना आन्दोलन वापस ले लिया गया है। समझौतों का उल्लंघन विशेषाधिकारों की कांट-छांट न केवल श्रमिक-संघ के अधिकारों का अपितु मौलिक अधिकारों का न दिया जाना तथा बड़ी संख्या में पदच्युति आन्दोलन को उत्तेजित करने तत्कालिक कारण थे। इस प्रकार की स्थिति सभी नौ रेल क्षेत्रों में व्याप्त है।

रेल मंत्री महोदय ने कभी भी बातचीत द्वारा लोको कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने का प्रयास नहीं किया। इसके बजाय वे सभी प्रकार के दण्डात्मक तथा दमनकारी हथकण्डों पर उत्तर आए। सताने, गिरफ्तार करने और पुलिस द्वारा दबाव डालने का जो जुल्म इस हद तक बढ़ा हुआ था कि लोगों को कि घर से भी निकाल दिया गया। केवल दक्षिण रेलवे में ही, 55 वर्ष की आयु पार कर लेने के बाद 83 लोगों को जबरन सेवानिवृत्त किया गया है, 30 को मनमाने ढंग से संक्षिप्त कार्यवाही करके नौकरी से निकाल दिया गया, 14 कर्मचारियों को दण्डस्वरूप स्थानान्तरित किया गया, 18 को निलम्बित किया गया और 24 पर मुकद्दमे चलाए गए इसके अतिरिक्त लगभग 409 कर्मचारियों को आरोप-पत्र दिए गए।

रेल-मन्त्रालय के हठपूर्ण और कठोर रवैये को देखते हुए अखिल भारतीय लोको कर्मचारी संघ ने तीन शर्तों पर अर्थात—रोजगार विनियमों के घण्टों में 10 घण्टे की सेवा करना, उत्पीड़न, गिरफ्तारी और कार्य-पद्धति के सम्बन्ध में 31-12-1980 की जैसी पूर्व स्थिति कायम करना, स्वीकृत और निलम्बित मामलों को निपटाने के लिए बातचीत के लिए तिथि निश्चित करना—एच्छिक रूप से आन्दोलन को समाप्त करने की पहल की।

अब जबकि आन्दोलन समाप्त कर दिया गया है, मुझे आशा है कि रेल मंत्रालय आगे आकर अत्याचार और दमन समाप्त करेगा तथा रेलवे में औद्योगिक शान्ति बनाए रखने के हित में लम्बे समय से चली आ रही मांगों को स्वीकार करेगा, जो आपसी विश्वास और सहयोग द्वारा ही सुनिश्चित किया जा सकता है।

(तीन) विद्युत सेवाओं में सुधार करने के लिए भारतीय विद्युत (पूर्ति) अधिनियम, 1948 में संशोधन करने की आवश्यकता

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, इंडियन इलैक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 में यह कहा गया है कि समाज के सभी तबकों में विद्युत प्रदाय "रीजनेबल रेट्स" पर तथा विद्युत मण्डलों को "नो प्राफिट नो लास" के आधार पर चलाया जाएगा। किन्तु इस कानून की भावना के विपरीत सरकार विद्युत उपभोक्ताओं से 16 प्रतिशत इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी के रूप में, विद्युत उत्पादन पर 2.25 पैसे प्रति-यूनिट इलैक्ट्रिसिटी जेनीरेशन एक्साइज ड्यूटी के रूप में तथा विद्युतगृहों के निर्माण, पावर ट्रांसमिशन, ग्रामीण विद्युतीकरण पर दिये जाने वाले ऋणों पर भारी मात्रा में रायल्टी, लीज चार्जिज तथा ब्याज वसूल करती है, जिससे जहाँ एक ओर देश में विद्युत की दरों में वृद्धि होने के कारण उपभोक्ताओं को महंगी बिजली तो मिलती ही है, बिजली कर्मचारी को, जो विद्युत उत्पादन के कार्य में जुटा हुआ है, समुचित वेतन तथा बोनस का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इंडियन इलैक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट के तहत विद्युत मण्डलों के गठन में भी भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है, जिसमें सुधार के लिए इस कानून में सुधार कर विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं के चार प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाना चाहिये। इसी प्रकार "लाइसेन्सीज" निजी विद्युत संस्थानों को शासन के अधीन लेते समय इन्डियन इलैक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट में सुधार कर के इन सारे कर्मचारियों की नौकरी, वेतन, सर्विस कन्डीशन्ज आदि को सुनिश्चित करने के लिये प्रावधान होना चाहिए। विद्युत उद्योग में हजारों कर्मचारी देहात में काम करते हैं। वहाँ राज्य बीमा कर्मचारी योजना से उनको लाभ नहीं मिलता। उनका स्थानान्तरण प्रायः एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। इसलिए इस व्यवस्था में परिवर्तन कर उन्हें समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु व्यापक प्रबन्ध किए जाने चाहिये। बिजली कर्मचारियों को आन ड्यूटी हुए एक्सिडेंट की स्थिति में जब तक वह काम पर नहीं लौट आता, उसे आन ड्यूटी मान कर पूरा वेतन तथा भत्ता दिया जाना चाहिए। इन सब कारणों से इन्डियन इलैक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट में पर्याप्त सुधार किये जाने चाहिए।

(चार) संगम एक्सप्रेस रेलगाड़ी को मेरठ की बजाय सहारनपुर से इलाहाबाद तक चलाने की आवश्यकता

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रूल 377 के तहत सरकार का ध्यान जिला मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के रहने वाले लोगों की उस परेशानी की ओर दिलाना चाहता हूं जो इलाहाबाद के लिए सीधी (डायरेक्ट) रेल सेवा की सुविधा नहीं होने के कारण होती है। इन जिलों के लोग बहुत दिनों से एक एक्सप्रेस (डायरेक्ट ट्रेन) जो इन जिलों को इलाहाबाद से मिला सके, की बात करते रहे हैं। बहुत कोशिश के बाद 3-4 साल पहले ट्रेन "संगम" के नाम से मेरठ से इलाहाबाद के लिये शुरू की गई थी। लेकिन इस के शुरू होने के बावजूद सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के लोग, जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी सीमावर्ती जिलों के हैं, की परेशानी बाकी रही है। अगर इस ट्रेन को मेरठ के बजाय सहारनपुर से शुरू कर दिया जाय तो लोगों की परेशानी खत्म हो जायगी।

अतः मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि वह जल्द से जल्द "संगम" एक्सप्रेस को मेरठ की बजाय सहारनपुर से इलाहाबाद के लिये शुरू करे ताकि इस इलाके के सभी लोगों को यह सहूलियतें हों।

(पाँच) जमा हो गए माल को उठाने के लिए पारादीप पत्तन को माल डिब्बे उपलब्ध कराने के उपाय

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : महोदय, नियम 377 के अधीन में निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं :

देश में अपने प्रकार की सर्वोत्तम और विशालतम बन्दरगाह पाराद्वीप, अब बड़े कठिन दौर से गुजर रही है और इसका सारा सौन्दर्य नष्ट हो चुका है। माल की ढुलाई की सुविधाओं की कमी के कारण विदेशों से आने वाला माल और वाणिज्यिक माल वापिस चला जाता है। पत्तन-प्राधिकरण और उड़ीसा राज्य सरकार तथा आयातक संगठनों द्वारा रेलवे-अधिकारियों से किये गये अनेक निवेदनों के बावजूद कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकला और जिसके फलस्वरूप 24,000 मि० टन उर्वरक, 23,000 मि० टन कोकिंग कोल, 5,000 मि० टन 'केयर' खाद्यान्न तथा 2000 मि० टन इस्पात की चादरें जिन्हें पाराद्वीप बन्दरगाह पर उतारा गया था वहां इकट्ठी हो गई, परन्तु विभिन्न प्रकार के वैगनों के न मिलने के कारण उनकी ढुलाई न हो सकी। चूंकि बन्दरगाह में भण्डारण सुविधा बहुत ही सीमितरूप में उपलब्ध है, इसीलिए इन भारी स्टाकों को गोदामों के अन्दर न रखा जा सका तथा उन्हें खुले आकाश के नीचे रख दिया गया जिससे भारी मात्रा में इस्पात की चादरें और 'केयर' खाद्यान्न आदि नष्ट हो गये और उपयोग योग्य नहीं रहे जिसके लिये सरकार को और आयातक प्राधिकरण को गत दो वर्षों में भारी हानि उठानी पड़ी। आयातक संगठन जो इस बन्दरगाह के माध्यम से अपना वाणिज्यिक माल ला रहे थे वे इस पाराद्वीप बन्दरगाह से ही अपना माल लाने पर उतारू हैं। यहां तक कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने भी हाल ही में कोयले से भरा बड़ा जहाज जो पारादीप को ही आ रहा था, ढुलाई सुविधाओं की कमी के कारण वहां नहीं जाने दिया और अब उसे अन्य किसी बन्दरगाह पर, जहां पर ढुलाई की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, खाली कराया जायेगा।

आवश्यक संख्या में और आवश्यक प्रकार के वैगनों की पूर्ति न होने और नियमित पूर्ति न होने के कारण, माल की ढुलाई में कठिनाई पैदा हो गई। इसलिये इस बन्दरगाह से आयात और निर्यात बड़ी मात्रा में घट गया है।

यदि यह रूकावट कुछ और समय तक चलती रही तो निश्चित है कि यह पारादीप बन्दरगाह सदैव-सदैव के लिए बन्द हो जायेगा।

इन पहलुओं पर विचार करते हुये, मैं रेल मन्त्रालय से निवेदन करता हूं कि वह इस पारादीप बन्दरगाह को आवश्यक संख्या में वैगनों की पूर्ति तुरन्त करे। रेल मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वे इस सम्बन्ध मे सदन में एक वक्तव्य दें।

(छः) कामगारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर परम्परागत और कलात्मक कोटा डोरिया साड़ियों को बचाने की आवश्यकता

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चम्बल नदी के किनारे बसा राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा अपनी सुन्दर नजाकतभरी कोटा डोरिया साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ढाके की मलमल जिस प्रकार प्रसिद्ध थी, कोटा डोरिया या मसूरिया आज प्रसिद्ध है। इस के बारीक चौखाने मसूर की दाल के आकार के होते हैं। इसलिए भी इसे मसूरिया कहते हैं। यह उद्योग कोटा तथा बूंदी के कई गांवों में बिखरा पड़ा है। अन्ता, कैथून, मण्डाना, केशोराम पाटन सागोद आदि गांव इस के प्रमुख केन्द्र हैं। कैथून इस का गढ़ है। यहीं पर 33 प्रतिशत साड़ियां बन कर तैयार होती हैं। इस उद्योग में हजारों कारीगर लगे हैं। तरह-तरह की साड़ियां वे बनाते हैं और यहीं से कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, मद्रास तथा बड़ौदा यह साड़ियां बना कर भेजी जाती हैं।

ये नजाकत भरी साड़ियां बनाने वाले कारीगर, मुर्गी-झोपड़ियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कठिन परिश्रम के बाद भी बड़ी मुश्किल से 200 या 300 रुपए प्रति माह मिल पाते हैं। इस का कारण यही है कि लूम बहुत पुराने हैं। धीमी गति से चलते हैं तथा समय अधिक लेते हैं।

दूसरा कारण बाजार पर बड़े व्यापारियों का नियन्त्रण है। यही कारीगरों को कच्चा माल देते हैं तथा पक्का माल खरीद लेते हैं। कारीगरों को केवल 40 प्रतिशत भाग मजदूरी के रूप में मिल पाता है।

मान्यवर, मैं उद्योग मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि भारतीय परम्परागत वस्त्र उद्योग की इस लुप्त होती हुई कड़ी को केन्द्रीय सरकारी संरक्षण दे कर बचाया जावे।

कारीगरों को आर्थिक सहायता एवं नये किस्म का लूम जो विद्युत से चलने वाला हो दिया जावे।

विदेशी बाजार में भी यह उद्योग विशिष्ट स्थान प्राप्त कर सकता है यदि इस का विज्ञापन तथा प्रदर्शन हो।

अतः केन्द्रीय सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे कर इस मृत उद्योग को संजीवनी दे कर इस को बचावे।

(सात) उत्तर प्रदेश के किसानों को गेहूं का लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के उपाय

श्री हरीश कुमार गंगवार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नियम 377 के अन्तर्गत यह प्रश्न उठा रहा हूं।

उत्तर प्रदेश में गेहूं का भाव निरन्तर गिर रहा है। कृषकों को 110 प्रति क्विंटल तक दाम लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसके प्रमुख कारणों में से एक तो एक जिले से दूसरे

जिले को राजाज्ञाओं द्वारा गेहूं की निकासी बन्द किया जाना है तथा दूसरे फूड कारपोरेशन आफ इंडिया के बिक्री केन्द्रों पर कृषकों को परेशान करना, उनसे कमीशन लिया जाना, अच्छे गेहूं को भी खराब कह कर लौटा दिया जाना, व बिना पूर्व सूचना के अचानक खरीद बन्द कर देना है । कम दाम पर गेहूं बेचने से कृषकों में तीव्र असंतोष व्याप्त हो रहा है । कृषकों को उचित मूल्य दिलाये जाने के लिए तुरन्त प्रभावी पग उठाये जाने की मैं कृषि मंत्री से मांग करता हूं ।

(आठ) तमिलनाडु में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए कावेरी घाटी प्राधिकरण की स्थापना तथा अन्य उपाय

श्री के० टी० कोसलराम (त्रिचेन्दूर) : तमिलनाडु में कावेरी घाटी प्राधिकरण की स्थापना में हुए असामान्य विलम्ब के कारण कावेरी डेल्टा की उपेक्षा हुई है जो कि तमिलनाडु के खाद्यान्त भण्डार के नाम से जाना जाता है जबकि इसकी घोषणा भारत सरकार ने 1975 में की थी । इसी के साथ-साथ कावेरी-जल विवाद के मामले को 1924 के समझौते के आधार पर हल करने में भी विलम्ब हुआ है । यदि इन दो मामलों को शीघ्र ही हल नहीं किया जाता है तो कावेरी डेल्टा शीघ्र ही एक सूखा एवं अनुपजाऊ क्षेत्र बन जाएगा । यह यहां याद करने योग्य बात है कि तमिलनाडु के कुछ जिलों में, जो इस वर्ष अभूतपूर्व सूखे की चपेट में आए हुए हैं, पीने के पानी की एक बाल्टी 20 से 25 रुपए तक बेची जा रही है । यदि तप्ती हुए धरती और लोगों के सूखे गले यूंही रहने दिए गये तो तमिलनाडु पूर्णतया नष्ट हो जाएगा ।

इसी प्रकार पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के जल के उपयोग में भी, जो कि यूंही बेकार समुद्र में चला जाता है, असामान्य विलम्ब किया जा रहा है । 1976 में सिंचाई विभाग ने तकनीकी समिति का गठन किया था, जिसे केरल और कर्नाटक की पश्चिम की ओर बहने वाला नदियों के फालतू जल को पूर्व की ओर मोड़ने की सम्भावनाओं का पता लगाना था और जिसने अगस्त 1978 में कार्य करना आरम्भ किया । यह बताया गया है । कि इसकी कुछ बैठकें हुई हैं तथा अन्तिम प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है । योजना आयोग ने फरवरी 1978 में, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के जल-स्रोतों का जायजा लेने तथा उनके उपयोग का पता लगाने के लिए एक अन्य समिति का गठन किया था । यह पता नहीं इस समिति ने अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया है या नहीं और योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है । तमिलनाडु के दक्षिणी जिले वर्ष-दर-वर्ष सूखे से प्रभावित होते हैं और फिर भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का 1000 घनमीटर जल बेकार बह जाने दिया जाता है, जिससे अन्यथा लगभग 10,000,00 हेक्टेयर्स भूमि की सिंचाई हो सकती है ।

इसे अभिलिखित करना होगा कि तमिलनाडु में सूखे की स्थिति निरन्तर चलती रहती है और केन्द्रीय दल की सिफारिशों पर जो कुछ भी सहायता: केन्द्र देता है उसे योजना आबंटनों में समायोजित कर दिया जाता है जो स्वभावत: तमिलनाडु की योजना कार्यान्वयन के कार्य को प्रभावित करता है ।

कावेरी घाटी प्राधिकरण गठित करने, 1929 के समझौते के आधार पर कावेरी जल विवाद को सुलझाने और तमिलनाडु की सिंचाई समस्याओं का स्थायी समाधान करने के लिए

पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के पानी के बहाव को बदलने, जिनका पानी व्यर्थ ही समुद्र में जा रहा है, की योजनाओं के क्रियान्वयन के मामले में तत्काल कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(नौ) भूमिगत हुए लोगों द्वारा पैदा की गयी कथित कानून और व्यवस्था की समस्या को ध्यान में रखते हुए नागालैंड में जानमाल की सुरक्षा की आवश्यकता

श्री चिंगवांग कोनयक (नागालैंड) : नागालैंड में कानून और व्यवस्था की स्थिति गम्भीर रूप से बिगड़ी हुई है । हाल के महीनों में विद्रोही गतिविधियां बढ़ गई हैं जिनके कारण सामान्यत: जनता के शान्तिमय जीवन को खतरा पैदा हो गया है । बड़ी संख्या में आक्रमणों तथा हत्याओं से लोगों में बहुत ज्यादा डर पैदा हो गया है । अपनी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों तथा नृशंसता को बढ़ाने के लिए भूमिगत विद्रोहियों द्वारा जवानों को भर्ती किया जाता है । परन्तु नागालैंड सरकार इन सब घटनाओं की मूक दर्शक बनी हुई है । हाल में, 27-4-1981 की सुबह-सुबह बर्मा और नागालैंड के सीमावर्ती जिले तेनसांग में, मुक्याकसु और तोबू के बीच, श्री नोकलू कोनयक, एम० एल० ए० तथा दो अन्यों की घात लगाकर आक्रमण करके निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई थी । ऐसी आशंका है कि भूमिगत शक्तियों का उद्देश्य अधिकाधिक संख्या में आम लोगों की हत्या करना है । जब तक केन्द्र नागालैंड में जीवन और सम्पत्ति की रक्षा की व्यवस्था नहीं करता, तब तक यह डर है कि भूमिगत शक्तियां सामूहिक हत्याएं करती रहेंगी ।

(दस) तमिलनाडु में उच्चतम न्यायालय की पीठ स्थापिता करने की आवश्यकता

श्री ईरा मोहन (कोयम्बटूर) : यह सर्वविदित तथ्य है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में सैकड़ों मामले लम्बित पड़े, हैं । जिनमें से कुछ छठे दशक के हैं । हम सभी को पता है कि न्याय में देर का अर्थ न्याय देने से इंकार करना है । समस्या को सुलझाने का एक उपाय यह है कि उच्चतम न्यायालम के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाए । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उच्चतम न्यायालय के विस्तार के लिए वह तत्काल कदम उठाए । इस संदर्भ में मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाऊंगा कि दक्षिण भारत में उच्चतम न्यायालय की पीठ की स्थापना करने का यह उपयुक्त समय है । दूर-दराज के लोगों के लिए यह कठिन हो जाता है कि वे उच्चतम न्यायलय में याचिका दायर करने के लिए दिल्ली आएं । ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जब वादियों ने उच्चतम न्यायालय में याचिका केवल इस कारण दायर नहीं की कि देश के उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करना और दिल्ली की यात्रा करने का साहस जुटाना उनके लिए असुविधाजनक, खर्चीला तथा कठिन होता है । मद्रास सदा से ही दक्षिण का प्रमुख शहर रहा है । यह भूतपूर्व मद्रास प्रेसीडेंसी की राजधानी थी । मद्रास उच्च न्यायालय भारत के प्राचीन अधिकृत उच्च न्यायलयों में से एक है । इसलिए, उच्चतम न्यायालय की पीठ के लिए यह उपयुक्त तथा आदर्श स्थल होगा । अत: मेरा निवेदन है कि दक्षिण में और अधिमानत: मद्रास में उच्चतम न्यायालय की पीठ की स्थापना की जाए ।

———=

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब·····(व्यवधान)

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : मैं नियम 377 का उल्लेख करना चाहता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : यह अनुरोध कर रहे हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : पहले सरकार ने उक्त विषय पर कुछ टिप्पणियां किया करती थी। अब जरा भी उल्लेख नहीं किया जाता है। उन्होंने नियम 377 के अन्तर्गत आए विषयों पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने यह बात सभा को बता दी है।

विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) संशोधन विधेयक

खण्ड 2 से 4 तथा पास करने का प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) संशोधन विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे। खंड 2 श्री पल्लेकर, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री बापू साहिब पल्लेकर (रत्नगिरी) : जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3

श्री जी० एम० बनात वाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ट, 2 :—

पंक्ति 8 से 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय—

"(क) जहां कोई अधिसूचना, किसी राज्य में किसी क्षेत्र की बाबत, उसमें विनिर्दिष्ट किसी कालावधि के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उपधारा के अधीन जारी की गई है। वहां राज्य सरकार भी उस सम्पूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग की बाबत ऐसी सम्पूर्ण अवधि या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी कर सकेगी, और ऐसी दशा में, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना उस सम्पूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग की बाबत ऐसी सम्पूर्ण अवधि या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में, जैसाकि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रवृत्त न रहेगी, और वह राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना की तारीख से ही प्रवृत्त न रहेंगी; किन्तु राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना की तारीख के पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई विधिपूर्ण, आबद्धकर और विधिमान्य होगी; और (1)

पृष्ठ, 2 :—

पंक्ति 23 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त: स्थापित किए जाए,

'(ग) उपधारा (2) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अन्त : स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी, और यदि इसका अनुमोदन करने वाले संकल्प दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाए, तो पश्चात् वर्ती संकल्प के पारित होने पर, यह प्रवृत्त न रहेगी।" (2)

पृष्ट 2, —

पंकित 21 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाए।

"(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रश्नगत विप्लव होने के एक मास के बाद ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी।" (5)

जब हम मुख्य विधेयक पर विचार कर रहे थे तब कतिपय आशंकाएं व्यक्त की गई थीं कि विधेयक के अन्तर्गत शक्तियों का राजनैतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जाएगा। इसलिए मेरे संशोधन का अभिप्राय इस विधेयक में कुछ सुरक्षा की भावना पैदा करना है। उदाहरणार्थ, मेरे एक संशोधन के अनुसार एक राज्य में किसी क्षेत्र को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, तो अधिसूचना सभा पटल पर रखी जाएगी और सभा किसी भी समय उस अधिसूचना को अस्वीकृत करते हुए एक संकल्प पारित कर सकती है। यह विधेयक के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते समय केन्द्रीय सरकार के महान उत्तरदयित्व का निर्धारण करता है।

मेरे दूसरे संशोधन के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद भी राज्य सरकार उसी प्रकार की अधिसूचना जारी कर सकती है। ऐसी अवस्था में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना लागू नहीं रह पाएगी। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि संघीय सिद्धान्त जिसके विषय में कल काफी बातें हुई थी, को भी यथासंभव आदर दिया जा सके। तथापि मैं नहीं समझता कि इस विधेयक को लाने में वर्तमान सरकार की धारण राज्य सरकारों का विरोध करने की है। ऐसा केवल इसलिए किया गया है कि राज्य सरकारें प्रमुख अधिनियम के अन्तर्गत उन शक्तियों का उपयोग नहीं कर रही हैं, जिन्हें अपने हाथ में लेने के लिए केन्द्रीय सरकार को मजबूर होना पड़ रहा है। अत: संशोधन यहां पर व्यवस्था करता है कि जहां पर प्रमुख अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार शक्तियों का प्रयोग करने का निर्णय लेती है फिर यदि केन्द्रीय सरकार ने कोई अधिसूचना जारी कर दी है तो यह वहां पर वह लागू नहीं होगी।

मैं भली प्रकार समझ सकता हूं कि वर्तमान सरकार ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि उनका इसमें कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है या इन शक्तियों का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए

प्रयोग करना नहीं चाहती, यह राजनीतिक प्रयोजनों के लिए नहीं है। परन्तु फिर हम ऐसे कानून पर विचार कर रहे हैं जो सदा ही सांविधिक पुस्तक में रहेगा। इसलिए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी परवर्ती सरकार इन शक्तियों का राजनीतिक उद्देश्यों से प्रयोग न करे सुरक्षा के ये उपाय इसमें सम्मिलित करने की व्यवस्था की गई है। मुझे आशा है कि संशोधनों को इस सभा की स्वीकृति मिल जाएगी।

उपाध्यक्षमहोदय : अब मैं श्री जी० एम० बनातवाला के संशोधन संख्या 1, 2 और 5 को मतदान के लिये रखता हूँ।

संशोधन संख्या 1, 2 और 5 सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

मत—विभाजन संख्या : 17 **2.58 म०प०**

पक्ष में

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस
अराकल, श्री जे वियर
अरुणाचल, श्री एस०
बेठा, श्री डूमर लाल
बनातवाला, श्री जी० एम०
बन्सी लाल, श्री
बारोत, श्री मगनभाई
भगत, श्री एच० के० एल०
भक्त, श्री मनोरंजन
बीरबल, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चव्हाण, श्री एस० बी०
चौहान, श्री फतेहभान सिंह
दलबीर सिंह, श्री
डामोर, श्री सोमजी भाई
देव, श्री संतोष मोहन
दिग्विजय सिंह, श्री
दुबे, श्री रामनाथ
ईरा मोहन, श्री
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
गाडगिल, श्री वी० एन०
गोमांगो, श्री गिरिधर
जय नारायण रौत, श्री
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जेना, श्री चिंतामणि
कोसलराम, श्री के० टी०
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
मकवाना, श्री नरसिंह
मालन्ना, श्री के०

मल्लिकार्जुन, श्री
मणि, श्री के० बी० एस०
मिश्र, श्री गार्गी शंकर
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री बृजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव
मुखोपध्याय, श्री आनन्द गोपाल
नागरत्नम, श्री टी०
नामग्याल, श्री पी०
पनिका, श्री राम प्यारे
परमार, श्री हीरालाल आर०
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री शंकरराव
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पट्टाभि रामा राव, श्री एस०
पी०बी०
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
प्रधानी, श्री के०
प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
राणे, श्रीमती संयोगिता
रंगा, प्रो० एन० जी०
राव, श्री एम० नागेश्वर
राठौर, श्री उनम
सावन्त, श्री टी० एम०
सेठी, श्री अर्जुन
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शनमुगम, श्री पी०
शुक्ल श्री, विद्या चरण
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिंगारावाडीवेल, श्री एस०
सिंह, डा० बी० एन०
सोरन, श्री हरिहर
स्पैरो, श्री आर० एस०
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी०
सुब्बा, श्री पी० एम०
सुब्बुरमण, श्री ए० जी०
सुन्दरसिंह, श्री
ठाकुर, श्री शिव कुमार सिंह
थोरट, श्री भाऊसाहिब
वैराले, श्री मधुसूदन
वर्मा श्री जय राम
वेंकटसुब्बया, श्री पी०
वीर भद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
जैनुल बशर, श्री

विपक्ष में

अब्दुल्ला, डा० फारूक
अग्रवाल, श्री सतीश
बालन, श्री ए० के०
बालानन्दन, श्री ई०
बसु, श्री चित्त
बसु, श्री ज्योतिर्मय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री मोतीभाई आर०
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
फर्नान्डीस, श्री जार्ज
मंगवार, श्री हरीश कुमार

घोष, श्री निरेन
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा
हन्नान मोल्लाह, श्री
होरो, श्री एन० ई०
जाटिया, श्री सत्यनारायण
कोडियन, श्री पी० के०
महाटा, श्री चित्त
मण्डल, श्री मुकुन्द
मंडल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
मोदक, श्री विजय
मुखर्जी, श्री समर
निहाल सिंह, श्री
पाल, प्रो० रूप चन्द
परूलेकर, श्री बापूसाहिब
पासवान, श्री राम विलास
पाठक, श्री आनन्द
राजन, श्री के० ए०
राजदा, श्री रतनसिंह
रशीद मसूद, श्री
राय, श्री ए० के०
राय, डा० सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री गदाधर
षाडंगी, श्री रुद्र प्रताप
सेन, श्री सुबोध
शास्त्री, श्री रामावतार
तिनकी, श्री पीयूष
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
जायनल अबेदिन, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में	75
विपक्ष में	43

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 4

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 4 में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 4 विधेयक अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में मतदान किया :—

श्री समीनुद्दीन, श्री पी० रामगोपाल नायडू, श्री नवीन रवाणी, श्री जगन्नाथ राव, श्री ए० एम० वेलू और श्री जी०एस० निहालसिंह वाला ।

खण्ड 1. अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकसुब्बय्या) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : 5 सदस्यों को बोलना है। प्रत्येक सदस्य 5 मिनट से अधिक समय नहीं लेगा। अब श्री नीरेन घोष बोलेंगे।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : महोदय, यह एक खतरनाक अप्रगतिशील विधेयक है जिसे किसी भी कीमत पर इससे होने वाले दूरगामी परिणामों पर विचार किए बिना संसद में लाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

महोदय, मेरी समझ में यह विधेयक केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्धों में एक नया मोड़ है और यह फूट डालने की दृष्टि से तथा अप्रगतिशील ढंग से किया जा रहा है।

महोदय, पिछले दिन मेरे मित्र श्री वेंकटसुब्बय्या ने कहा था : "प्रत्येक दल का यह सार्वभौम अधिकार है कि वह एक वैकल्पिक सरकार के लिए तैयार रहे।" आपने कहा था कि प्रत्येक दल सत्ता के लिए काम करता है परन्तु प्रश्न यह है : क्या आप हिंसात्मक तरीकों से सत्ता के लिए काम करते हैं ? आप सभा को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि आपने हिंसा को कम से कम मेरे राज्य में नीति के एक तरीके के रूप में स्वीकार किया है और यदि आप हिंसा के इस तरीके को अपनाते गए तो मेरी समझ में भारत में कोई भी विरोधी राजनीतिक दल सुरक्षित नहीं रह सकेगा और एक राज्य में सत्ता पाने के लिए हिंसात्मक तरीके अपनाने के कारण लोकतंत्र में विश्वास करने वाले कोई भी व्यक्ति आपका समर्थन नहीं करेगा। मेरा ऐसा विचार है।

प्रधान मंत्री ने कहा है और आपने यह दोहराया है कि भविष्य में सत्तारूढ़ दल को गैर-कांग्रेस (आई) सरकारों को नहीं गिराना चाहिए। मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपने यही कहा था। प्रधान मंत्री ने ऐसा कहा है और आपने इसे यहां दोहराया है कि आपकी दिलचस्पी गैर-कांग्रेस (आई) सरकार को गिराने में नहीं है। परन्तु मैं आपको चुनौती देता हूं कि यदि यह सत्य है तो सरकार सभा में स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा करे कि सभी निर्वाचित गैर-कांग्रेस (आई) राज्य सरकारों को उनकी पूरी अवधि तक चलने दिया जाएगा। आप ऐसा कहें। यदि आप ऐसा नहीं कहते हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि आपने यह सब हमें बेवकूफ बनाने के लिए कहा था—'कि आपकी दिलचस्पी भविष्य में गैर-कांग्रेस (आई) सरकार को गिराने में नहीं है।' जहां तक अतीत की बात है भारत के इतिहास में ऐसा अनेक बार हुआ है आपने कितनी ही बार असंवैधानिक तरीकों से, छल आदि से, सरकारें गिराई हैं। परन्तु चूंकि आपने यह कहा कि भविष्य में गैर-कांग्रेस (आई) सरकारें नहीं गिराई जायेंगी, सरकार यह घोषणा करे कि वह सभी गैर-कांग्रेस (आई) सरकारों को उनके पूरे कार्यकाल तक चलने देगी और वह ऐसी किसी भी सरकार को नहीं गिरायेगी। यदि आप ऐसी घोषणा नहीं करेंगे तो आप पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा।

एक कहावत है—जब चोर पकड़ा जाने वाला होता है तो वह लोगों का ध्यान हटाने के लिए "चोर, चोर, चोर" कहता है। इसी तरह से आप कोशिश करके बचकर भागना चाहते हैं। परन्तु आप ऐसा आसानी से नहीं कर सकते। इन वर्षों में यह स्पष्ट हो गया है :

उद्देश्यों और कारणों के कथन में इस बात का उल्लेख है।

"राज्य सरकारों ने आम तौर पर विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976 के उपबंधों का प्रयोग नहीं किया है।"

इस विधेयक पर लम्बी बहस हो चुकी है। मैंने किसी को भी उसके बारे में स्पष्ट करते हुए नहीं सुना है जिसका उद्देश्यों और कारणों के कथन में उल्लेख किया गया है। मुझे यह मालूम नहीं है कि क्या मैंने इसके बारे में नहीं कहा है। न तो ज्ञानी जैलसिंह ने और न श्री वेंकटसुब्बय्या ने सभा में यह बताया है—किस अवसर पर किस राज्य सरकार से इस विधेयक के उपबंधों का प्रयोग करने के लिए कहा गया और उसने उसका पालन नहीं किया। तो यही कहते हैं कि राज्य सरकारें अनिच्छुक हैं। उन्होंने अवज्ञा का एक भी उदाहरण नहीं दिया है। वे अपनी ही कांग्रेस (आई) सरकारों से इसका लाभ उठाने के लिए और अपने क्षेत्र को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करने के लिए कह सकते थे।

अनेक माननीय सदस्यों ने यह कहा है, "बिहार जल रहा है, उत्तर प्रदेश जल रहा है।" यदि उन्होंने इसे इस तरह से महसूस किया था तो देश को, संसद को यह स्पष्ट बता देना चाहिए था। जब यह महसूस किया गया कि अमुक क्षेत्रों को विक्षुब्ध क्षेत्र माना जाए और विशेष न्यायालय स्थापित किए जायें और राज्य सरकारें ऐसा करने के लिए अनिच्छुक हैं तो इसे यह बताना चाहिए था। जब तक आप यह स्पष्ट नहीं बतायेंगे तब तक ऐसी पूरी संभावना है कि विधेयक गैर-कांग्रेस (आई) राज्यों के विरुद्ध होगा। इसका अर्थ यह है कि ऐसे कतिपय राज्यों में, जहां आपका शासन नहीं है, विधेयक उन राज्यों के विरुद्ध होगा। जहां कहीं कोई विक्षुब्ध स्थिति होगी, केन्द्र गैर-कांग्रेस (आई) शासित उस क्षेत्र को 'विक्षुब्ध क्षेत्र' के रूप में घोषित करेगा। वह ऐसा करेगा और यह कहकर बहाना बनाएगा कि राज्यों में शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। इसलिए राष्ट्रपति राज्य सरकार को चलाने का उत्तर-दायित्व स्वयं संभालता है। यही गिराने का तरीका है। मुझे यह नहीं मालूम है कि क्या आप इसे अभी करेंगे या नहीं। आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी आप पर विश्वास नहीं करता है। इस मामले में चूंकि आपने स्पष्ट नहीं किया है, इसलिए हमें आशंका है कि अपने अहितकारी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप ऐसी चाल चल सकते हैं।

उन्होंने एक और बात यह कही थी, "हम अब आपात स्थिति नहीं लायेंगे और न ही इसकी घोषणा करेंगे।" जहां तक मुझे जानकारी है और मैंने सुना है उन्होंने ऐसा ही कहा था। मेरी समझ में भारत में स्थिति ऐसी है कि सरकार ने आपात स्थिति की औपचारिक घोषणा किए बिना ही आपात स्थिति की घोषणा कर दी है, क्योंकि उससे कठिनाई उत्पन्न होती है। इसने स्वयं ही राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और अन्य सभी तरह के कठोर दमनकारी उपाय अनधिकार रूप में अपनाए हैं और अब यह विधेयक लाई है। प्रेस का गला घोंट दिया गया है।

प्रेस को अक्सर फटकार बताई जाती है। इस पर प्रहार किया गया है जिससे वह अपने विचार स्वतन्त्र रूप से व्यक्त न कर सके। जहां कहीं आन्दोलन होते हैं, उनको कठोरता से दबाया जाता है। सरकार यह कार्य कर रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह तो आपात स्थिति की औपचारिक घोषणा किए बिना करीब-करीब आपात स्थिति ही है।

हो सकता है कि आप जो अगला कदम उठायेंगे वह संविधान की उपेक्षा करके राष्ट्रपतीय प्रणाली की सरकार या नग्न तानाशाही की घोषणा करना हो। इस विधेयक द्वारा सरकार की सनक के अनुसार वह विभिन्न राज्यों में भारत के विशाल क्षेत्र को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर सकती है और वस्तुतः उसमें आपात स्थिति लगा सकती है। उसके लिए इस समय आन्तरिक आपात स्थिति की घोषणा करना कठिन है, क्योंकि कतिपय सांविधानिक उपबंधों के अनुसार कार्यवाही पूरी करनी होगी। उनका दोनों सभाओं में संविधान सम्बन्धी संशोधन कराने के लिये अपेक्षित बहुमत नहीं है। उनके लिए ऐसा करने में थोड़ी कठिनाई है। इसीकारण यह चाल चली गई है।

अब मेरा यह कहना है कि यह विधेयक सांविधानिक दृष्टि से अमान्य है। संविधान में केन्द्र की शक्तियों, राज्यों की शक्तियों और समवर्ती शक्तियों का उल्लेख है। विधि और व्यवस्था राज्य का उत्तरदायित्व है। विधि और व्यवस्था उत्तरदायित्व को एक समवर्ती विषय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वे एक सामान्य विधेयक पास कराकर आसानी से नहीं कर सकते। ऐसा तभी हो सकता है जबकि एक संविधान संशोधन पेश किया जाए जो कि वह नहीं कर रही है। अतः सांविधानिक दृष्टि से यह भी अमान्य है। यह केन्द्र और राज्यों के बीच एक नया मोड़ है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि संविधान द्वारा राज्यों को जो एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय दिया गया है वह विधि और व्यवस्था है। इसे समवर्ती सूची में रख करके आप राज्यों की समूची शक्तियों को छीन रहे हैं और इस तरह से उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। संविधान में यह उल्लेख है कि भारत राज्यों का एक संघ है। परन्तु यदि आप ऐसा करते हैं तो वस्तुतः राज्यों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह 1000 या 500 जिलों, जो भी हों केवल एक हस्ती बन जाती है। यह एक एकात्मक संविधान है जिसमें संघीय ढांचे की झलक है। इस विधेयक के पास होने के बाद अब यह करीब-करीब पूर्णरूप से एक एकात्मक संविधान होगा। संविधान के साथ ज्यादती की जा रही है। मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। इसीलिए मैंने यह कहा कि यह अहितकर, अनैतिक जन-विरोधी, भारत विरोधी है और इसका लक्ष्य लोकतंत्रीय व्यवस्था को बिगाड़ना है तथा इसका समूचे भारत में प्रतिरोध किया जाएगा। इससे अनेक प्रश्न उत्पन्न हो जायेंगे जिनका समाधान भविष्य में केन्द्र में कोई सरकार नहीं कर पाएगी। वे खतरनाक रास्ते की ओर जा रहे हैं जिससे एक राज्य के बाद दूसरे राज्य के लोगों में रोष फैलेगा और जिसके ऐसे परिणाम होंगे जिनका वे ठीक से सामना नहीं कर सकेंगे। मैं चेतावनी देता हूं कि जहां आप जबरन जा रहे हैं वहां जाने से तो देवदूत भी घबराते हैं। आपको भविष्य में गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

यह सब कहने के बाद अन्त में मेरा आपसे निवेदन है कि अभी भी आपका संकट नहीं टला है। यह विधेयक वापस ले लेना चाहिए।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय एकता और इस देश में कानून व व्यवस्था कायम रखने के लिये इस विधेयक का लाना बहुत ही आवश्यक था। केन्द्रीय सरकार और गृह-मंत्री ने सराहनीय कदम उठाये हैं और उनकी प्रशंसा करता हूं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि राष्ट्रीय एकता और देश की कानून व वयवस्था को कायम रखने के लिये अगर संघीय ढांचे, फैडरल स्ट्रक्चर को कुछ आघात भी पहुंचे तो भी हम सहन कर सकेंगे क्योंकि हमारी राष्ट्रीय एकता तथा देश में कानून व व्यवस्था कायम रखना ज्यादा आवश्यक है।

देश में साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। 1978 से मैं बराबर देख रहा हूं कि यह साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। 1971 से 1978 तक कोई साम्प्रदायिक दंगे नहीं होते थे, राष्ट्रीय एकता कायम थी। जो भी दंगे शुरू हुये है वह 1978 से शुरू हुये हैं और जिन-जिन प्रान्तों में···

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यदि मैंने सही सुना है तो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वर्ष 1971 से 1978 तक कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ। क्या माननीय सदस्य ने जो कुछ उन्होंने अब कहा है उसकी जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार हैं? अन्यथा मैं कल विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाऊंगा।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि मुझे भी इतिहास की जानकारी है, मैं भी राजनीति में रहा हूं और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि सन् 71 से लेकर 78 तक साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए, अगर हुये तो बहुत ही कम हुये। (व्यवधान)

1978 से लेकर जब जनता पार्टी का राज्य आया, उस समय से साम्प्रदायिक दंगे शुरू हुए हैं और जब दंगे शुरू हो जाते हैं तो एक ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि उसको रोकना बहुत कठिन काम है। हमारी सरकार इस प्रकार के कदम उठा रही है साम्प्रदायिक दंगों पर नियंत्रण पाने के लिये, लेकिन विरोधी पार्टी ऐसे कानून का विरोध कर रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं?

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी दंगे मुरादाबाद, कानपुर, बनारस या कहीं पर भी हुए, हमारी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने कोई भी कदम इस प्रकार के नहीं उठाये, कोई स्पेशल कोर्ट्स कायम नहीं किये, कोई भी मदद लोगों को नहीं दी। जिन-जिन लोगों ने अपराध और जुल्म किये मुरादाबाद में या और शहरों प्रान्तों में उनको सजा न मिलने के कारण, उनके केसेज का सही तरीके से स्पीडी डिस्पोजल न होने के कारण गुंडों और साम्प्रदायिक तत्वों का हौंसला बढ़ गया। जब साम्प्रदायिक तत्वों और गुंडों का हौंसला बढ़ जाता है, तो इस प्रकार का कानून बनाया जाना चाहिये कि जो लोग गुंडागर्दी करते हैं, उनके खिलाफ़ सख्त कदम उठाया जा सके। आज बिहार शरीफ़ में क्या हो रहा है? विरोधी पार्टियां कहती हैं कि वहां पर 48 लोग मारे गए हैं। कोई कहते हैं कि 200 लोग मारे गये हैं। कितने भी लोग मारे गए हों, जिन्होंने ये जुर्म किये हैं, जिन्होंने लोगों को मारा है, यदि हम उनके विरुद्ध कदम न उठायें, स्पेशल कोर्ट बना कर उनको सजा न दिलाएं, तो उनका हौंसला बढ़ता है। इस लिए उनके हौंसले को पस्त करने के लिये इस प्रकार के कानून का होना आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार जो अधिकार ले रही है, वह भी आवश्यक है, क्योंकि बहुत प्रान्तों ने इस कानून का सही तरीके से प्रयोग नहीं किया है। भले ही वह कांग्रेस की सरकार हो या दूसरी सरकारें हों, जब वे अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती है, तो केन्द्रीय सरकार का यह फर्ज है कि राष्ट्रीय एकता को कायम रखने के लिये और माइनारिटिज तथा शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की प्रोटेक्शन के लिये वह हस्तक्षेप करे। इस लिए मैं इस कानून का स्वागत करता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : महोदय, मैं विधेयक का विरोध करता हूं। इस विधेयक को किस प्रकार से लाया गया है। इसकी उत्पत्ति तथा इसकी वर्तमान अवस्था और इस पर पुरःस्थापित किये जाने से अब इस अन्तिम वाचन की अवस्था तक इस सभा में जो वाद-विवाद हुआ है उसमें दो बहुत ही-रोचक मामले अध्ययन के के लिये मिलते हैं। पहला यह है कि किस प्रकार विपक्ष अपने आप फंस जाता है और किस प्रकार विपक्ष प्रायः अपनी वचनबद्धता भूल जाता है और यह प्रक्रिया सरकार के साथ-साथ चलती है जब सरकार लोकतांत्रिक संस्थानों और संविधान को कुचलने का प्रयत्न करती है। इससे एक ऐसी सरकार का रोचक मामला भी अध्ययन के लिये मिलता है जो एक बिल्कुल ही साधारण अथवा अहानिकारक विधान से आरम्भ करती है और फिर इसे एक ऐसी अवस्था में ले जाती है जहां वह अपनी उन कपटपूर्ण योजनाओं और शरारतों को प्रस्तुत करती है जो इस प्रकार के विधान के माध्यम से उसका करने का उद्देश्य है।

इस विधान की उत्पत्ति 1968 के राष्ट्रीय एकता परिषद के संकल्प से हुई। 1968 और 1972 के बीच इस दल को, जिससे माननीय मंत्री सम्बद्ध हैं और जैसा कि वह कल अपनी प्रधान मंत्री के ग्यारह वर्ष के शासन पर बड़ा गर्व कर रहे थे, 1968 से जब यह संकल्प पास किया गया था राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिश पर इस विधान को पुरःस्थापित करने में ठीक चार वर्ष का समय लगा। यदि उन्हें इस कार्यनिष्पत्ति पर बड़ा गर्व है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। चार वर्ष लगे और 1972 में वे विधेयक लाये। उन्होंने इसे संयुक्त समिति को भेजा। संयुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन दिया और तब उन्होंने 1976 तक आपातकालीन स्थिति के समाप्त होने तक प्रतीक्षा की और 1976 में उन्होंने अनन्तः विधेयक पुरःस्थापित किया जिसे वे विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक, 1976 कहते हैं। इस सभा के कई सदस्य, जिनमें से कुछ इस सभा के फिर से सदस्य हैं और कुछ सभा के सदस्य नहीं हैं, उस समय जेल में थे। उन्हें दूसरे अप्रिय कानून अर्थात् आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अधीन हिरासत में लिया गया था। यही बात है जिसमें विपक्ष की असफलता आती है। जब मेरे मित्र साथी नीरेनघोष अभी जोरदार भाषण दे रहे थे तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि क्या वह यह याद करेंगे कि 1976 में इसी सभा इस विधेयक का समर्थन किया गया था। उस समय श्री जोरदार ने जब मंत्री महोदय, श्री माहसिन आपके पूर्व वक्ता ने कहा था कि सभा के सभी वर्ग इसका समर्थन करते हैं और यहां तक कि श्री जोरदार ने भी जिन्हें विधेयक के बारे में कुछ संकोच था, इसका समर्थन किया। तब श्री जोरदार खड़े हुये थे और उन्होंने कहा था—यह आवश्यक भी नहीं था—'मैंने केवल कहा था कि भाषा और क्षेत्र के आधार पर तभेदों को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिये अन्यथा यह परिपूर्ण विधेयक है, मैं इसे

बढ़ा-चढ़ा कर नहीं कह रहा हूं। किसी को इस बारे में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। किन्तु कभी-कभी इस सभा में भी विपक्ष को याद दिलाना आवश्यक हो जाता है कि वे गलती करते जाते है जबकि उन्हें गलती नहीं करनी चाहिये विशेषरूप से इस प्रकार के प्रश्नों में गलती नहीं करनी चाहिये। राजनीतिक गलतियां हो सकती हैं। व्यवहार में, गलतियां हो सकती हैं। ऐसी गलतियां हम सभी करते हैं। किन्तु मूल्य प्रश्नों पर गलती न कीजिये। जहां मानव अधिकारों जहां नागरिक स्वतंत्रता जहां लोकतंत्रात्मिक संस्थानों के भविष्य की बात हो, वे ऐसी गलतियां न करें।

दूसरे सदन में यह विधेयक ठीक दस मिनट में पारित हुआ। उस दिन सभा में जो सदस्य उपस्थित थे मैंने उनकी सूची देखी। सभी विपक्षी दलों के सदस्य उपस्थित थे। उस दिन संविधान संशोधन विधेयक सहित जो विभिन्न मदें आई उन पर मत विभाजन में उन्होंने भाग लिया किन्तु मुझे इस बात का धक्का लगा कि अनन्त: जब यह विधान जो कि अतयंत घृणित विधान है तथा जो पुन: सभी संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थानों की जड़ों पर आघात कर रहा है स्वीकृति के लिये आया तो केवल एक सदस्य त्रिपुरा के श्री देव वर्मन ही खड़े हुये और उन्होंने इसका विरोध किया। उनके ये शब्द 'मैं इसका विरोध कर रहां हूं' कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित हैं और तब सभा ने 10 मिनट से कम समय में ही इस विधेयक को स्वीकृत किया। और किसी भी सदस्य ने इसमें भाग नहीं लिया। यह याद दिलाना बहुत आवश्यक इस कारण है कि जैसा मैंने कहा इस विधेयक में अध्ययन के लिए यह रोचक बात मिलती है कि किस प्रकार विपक्ष गलती करता है चाहे यह किसी भी कारण हो, और किस प्रकार सरकार एक ऐसा विधान पुर: स्थापित करती है जो बिल्कुल सीदा-सादा दिखाई देता है; जो बहुत सरल दिखाई देता है किन्तु जिससे भारी शरारत की जा सकती है।

क्या यह विधेयक बिल्कुल आवश्यक है ? मैंने कल मंत्री महोदय का भाषण बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने इसे उचित ठहराया है। उन्होंने यह भी कहा है कि मेरी सरकार किसी भी सरकार को गिराने नहीं जा रही है। किन्तु उन्होंने जो कुछ किया उसके बारे में उनका कोई बचाव नही था ···(व्यवधान) यह सब यहां रिकार्ड में है। मैं जानता हूं कि उन्होंने क्या कहा। मैं जानता हूं कि पश्चिम बंगाल में उनका दल क्या कर रहा है। आप वहां संयुक्त मोर्चे की सरकार के विरूद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि आप केरल में क्या कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि त्रिपुरा में आपकी कोशिश क्या है।

हमें इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। किन्तु उन्हें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है ? श्री जैल सिंह ने उद्देशों और कारणों के कथन के पैरा 2 में कहा है—आप मुझे उसे पढ़ने की अनुमति दें :

'विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976 के उपबन्धों के अधीन केवल राज्य सरकार ही किसी क्षेत्र को "विक्षुब्ध क्षेत्र' घोषित करने के लिए सक्षम है जब उस क्षेत्र के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया जा सकता है···" अब एक महत्वपूर्ण बात यह उठती है कि सरकार के अनुसार यह विधेयक क्यों आवश्यक है।

"....अनुभव यह बताता है कि यद्यपि साम्प्रदायिक, जातीय और अन्य प्रकार के बलवे हुए हैं, जिनमें से कुछ बात ही गम्भीर और दीर्घकालिक थे, तथापि साधारणतः राज्य सरकार ने विक्षुब्ध क्षेत्र विशेष न्यायालय अधिनियम, 1976 के उपबन्धों का प्रयोग करने का मार्ग नहीं अपनाया है। साम्प्रदायिक उपद्रवों, जातीय संघर्षों और असमाजिक तत्वों के विघटनकारी कार्य-कलाओं के विक्षुब्धकारी रुख को देखते हुए...." इन शब्दों पर ध्यान दीजिये।

"....समाज विरोधी तत्वों की विघटनकारी गतिविधियों;

यह वांछनीय समझा गया है कि राज्य सरकार के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार को भी किसी क्षेत्र को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करने का अधिकार हो।

मैंने कांग्रेस दल के उपनेता के रूप में आपका भाषण सुना है जिसमें आपने कहा है कि समाज विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाना होगा। मैं सत्तारूढ़ के दल के माननीय उप-नेता को केवल यह याद दिलाना चाहता हूं कि 1975 में आपने श्री जयप्रकाश नारायण को समाज-विरोधी तत्व घोषित किया था, आपने श्री मोरारजी देसाई को समाज-विरोधी तत्व घोषित किया था और आपने अन्य अनेक व्यक्तियों को भी समाज-विरोधी तत्व घोषित किया था।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है आपने मुझे पिछले 32 वर्षों से ऐसा घोषित किया हुआ है। उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। आप केवल दोहराते रहेंगे। आपने श्री जय प्रकाश नारायण को अपने श्वेत पत्र में तथा सार्वजनिक भाषणों में फासिस्ट बताया था। किन्तु मुझे प्रसन्नता है कि अचानक अथवा अन्ततः आपको यह पता चल गया कि वह समाज-विरोधी तत्व नहीं थे; वह फासिस्ट नहीं थे। अब जबकि उनकी मृत्यु हो चुकी है और वह इस संसार से विदा ले चुके हैं तब आप प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में उस व्यक्ति के लिए एक स्मारक समिति गठन कर रहे हैं जिसे आप समाज-विरोधी तथा फासिस्ट कहते थे। सनकीपन की भी कोई सीमा तो होनी ही चाहिये। किन्तु वास्तव में वह क्या कहना चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : महोदय, मैं विधेयक के प्रथम वाचन के समय नहीं बोला था।

श्री उपाध्यक्ष महोदय : यह बात नहीं है। श्री जार्ज, आप नियम जानते हैं। आपको यहां आकर प्रथम वाचन की चर्चा में भाग लेना चाहिये था। किन्तु आप यहां नहीं थे।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : महोदय, यह विधेयक लोकतान्त्रिक नहीं है....

उपाध्यक्ष महोदय : सभी बात समाप्त हो गई हैं। कृपया अपना भाषण समाप्त करें। मैं आपको पांच मिनट दे रहा हूं।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं जानता हूं कि यह विधेयक क्यों लाया गया है....

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप विधेयक के बारे में ही बोलें।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक का वास्तविक उद्देश्य यह है कि इसके माध्यम से उन राज्यों में हस्तक्षेप किया जायेगा जहां पर केन्द्र का सीधा नियन्त्रण नहीं है। इसलिए ही मैं यह कह रहा हूं कि इसमें छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या गृह मंत्री एक भी ऐसा उदाहरण बता सकते हैं जहां आपने किसी राज्य को विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए कहा हो अथवा आपने उन्हें इसे सही रूप में लागू करने के लिए कहा हो किन्तु उसने आपकी बात नहीं मानी हो ?

उत्तर प्रदेश में पिछले एक वर्ष में आपने आतंक का शासन फैला रखा है। क्या आपकी सरकार ने मुरादाबाद में कोई कार्यवाही की ? क्या केन्द्र सरकार ने उन क्षेत्रों में जाने को तैयार है जहां पिछले तीन दिनों में हरिजनों का कत्लेआम किया गया है ? आप आन्ध्र प्रदेश से आये हैं जहां पिछले 10 दिनों में लगभग 70 आदिवासियों की हत्या कर दी गई है। यह घटना पिछले महीने की 20 तारीख को हुई थी। आप यह जानते हैं कि वहां आदिवासियों के मुकाबले जमीदारों के अधिकारों के संरक्षण के लिए जो संगठन कार्यरत हैं उसका नेतृत्व उस क्षेत्र के एक अत्याधिक प्रतिष्ठित वकील के हाथ में है जो कांग्रेस (इन्दिरा) से सम्बद्ध है। आप इसे जानते हैं बिहार जल रहा है। क्या आपने बिहार के मुख्य मन्त्री से इस कानून के प्रयोग के लिए कहा है ? वहां आपकी अपनी सरकार है। आप पश्चिम बंगाल तथा केरल तथा तमिलनाडु को भूल जाइये। यहां तो आपकी अपनी सरकार है। आपने अपने प्रतिनिधि वहां मुख्य मंत्री बना रखे हैं। आप जब चाहें उन्हें बुला सकते हैं और अधिकांश समय तो वह दिल्ली में ही रहते हैं। क्या आपने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा है। क्या उन्होंने 'नहीं' कहा है ? अतः जहां भी आपका दल सत्ता में है आप उस राज्य के मुख्य मंत्री को इसे लागू करने के लिए कह सकते हैं। गृह मंत्री महोदय कल आपने एक बात कही थी कि प्रधान मन्त्री आपके दल की अध्यक्ष भी हैं। अतः प्रधान मंत्री होने के नाते उन्हें यह उपाधिकार हैं कि मुख्य मंत्री से कहें कि ऐसा कानून है और उसे लागू करो। दल की अध्यक्षता के रूप में उन्हें मुख्य मन्त्रियों से यह कहने का और भी अधिक अधिकार है। किन्तु हुआ क्या है ? वह इन शक्तियों को क्यों प्राप्त कर रहे हैं ? आपके वक्तव्य स्पष्ट हैं। आपके इरादे साफ हैं। मुझे इस सम्बन्ध में तनिक भी सन्देह नहीं है पहले 1976 में आप इस विधेयक का प्रयोग करना चाहते थे क्योंकि तब एक भी कांग्रेस (आई) सरकार नहीं थी। आज डी०एम० के० के मेरे मित्र इस विधेयक को समर्थन देते हुए नहीं थकते। जनवरी, 1976 में उनकी सरकार को निकाल बाहर फेंका गया था और श्री करूणानिधि को सत्ताच्युत किया गया था। उस व्यक्ति को समाप्त करने के लिये सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। (व्यवधान) मैं उस समय भूमिगत था। हमने उन्हें यथा सम्भव समर्थन दिया था।

मैं जानता हूं कि मैं विधेयक में शिकार व्यक्तियों में एक मैं भी दूंगा। जब समय आएगा तब वे लोग भी जो अब इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, इसका शिकार होंगे। मुझे इस बारे में कतई सन्देह नहीं है। अतः 1976 में जब आपने इस विधेयक को पुरः स्थापित किया था तब सभी सरकारें आपकी सरकारें थी और आपने लोगों में आतंक फैलाने के लिये इस विधेयक का प्रयोग किया था और अब आप उन सरकारों के विरूद्ध इसका उपयोग करना चाहते हैं जो आपका प्रभुत्व मानने के लिये या आपके इशारों पर नाचने के लिए तैयार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : महोदय, एक और बात कह कर मैं अपना भाषण पूरा करूंगा। इस विधेयक से यह धारणा बनती है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार से तथा राज्य सरकार के व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान है अन्य शब्दों में, आप अपने मुख्य मंत्रियों को ही लीजिये। श्री पहाड़िया मन्त्रि परिषद में थे अब वह राजस्थान में हैं। श्री जे० बी० पटनायक मन्त्रि परिषद में थे और अब उड़ीसा में हैं। श्री वी० पी० सिंह इस सदन के स्टाक थे और अब वह उत्तर प्रदेश में है। अतः आपकी एक योजना है जिसके अन्तर्गत आप केन्द्र से लोगों को राज्यों में भेजते हैं और कभी-कभी उन्हें राज्यों से केन्द्र में लाते हैं। आप अन्जैया की बात लें। आपने उन्हें वहां से आन्ध्र प्रदेश भेजा है और आप वह यहां आने के लिए प्रतीक्षा में हैं। में आपकी आन्तरिक समस्याओं से सम्बन्धित नहीं हूं। (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि विधेयक के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि केन्द्र राज्यों से अधिक समझदार है; जब कोई व्यक्ति राज्य से केन्द्र में आता है तो वह अचानक ही ज्ञान का स्रोत बन जाता है किन्तु जब उसे राज्य में वापस भेजा जाता है तो वह मृत विशालकाय पक्षी के समान हो जाता है क्योंकि आप बिल्कुल यही बात विधेयक में कर रहे हैं।

महोदय, अतः इस विधेयक के उद्देश्य बड़े ही खतरनाक हैं किन्तु यह धाराएं गलत हैं तथा जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मेरा विश्वास है कि आप इसके माध्यम से एक बार पुनः संविधान पर प्रहार कर रहे है जैसा कि आपने पहले भी किया था और अब भी कर रहे हैं। अतः मैं इस सदन के माननीय सदस्यों तथा सत्तारूढ़ दल के सदस्यों से, विशेषकर श्री डागा से अनुरोध करता हूं—यद्यपि मैं श्री रंगा से अपील करना चाहता था परन्तु उनके उप-नेता होने के कारण उनकी समस्याओं को मैं समझता हूं—कि उनकी संविधान के प्रति सच्ची वचनबद्धता है। अतः उन्हें पहले की तरह स्वयं को किसी बहाव में नहीं बहने देना चाहिए और इस विधेयक का उन्हें विरोध करना चाहिये।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आरम्भ में ही श्री फर्नाण्डीस को, जिन्होंने इस बात का उल्लेख किया था, यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे दल ने पहले वाले विधेयक को आंशिक रूप से सशर्त समर्थन दिया था। महोदय, उस विधेयक और इस विधेयक के स्वरूप में बहुत अन्तर है। पहले वाले विधेयक में केन्द्रीय सरकार को ऐसा कोई अधिकार नही दिया गया था कि वह किसी क्षेत्र को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर सके और न्यायालयों के सम्बन्ध में भी कोई विशेष प्रक्रिया नहीं थी। हमने साम्प्रदायिकता को छोड़कर अन्य मदों को शामिल किये जाने का भी विरोध किया था।

महोदय, मेरे विचार से यह विधेयक लोकतन्त्र के विघटन का खतरनाक प्रयास है क्योंकि राज्य सरकार अपनी गलतियों के लिये जनता के प्रति उसी प्रकार उत्तरदायी है जैसे केन्द्र सरकार भारत की जनता के प्रति है। संविधान में राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार के अलग-अलग क्षेत्र स्पष्ट रूप से निरूपति किये गये हैं। संविधान ने जो क्षेत्र केन्द्र सरकार को दिये हैं उनके बारे में केन्द्रीय सरकार के गलत कार्यों के लिये जनता इसे उत्तरदायी ठहरायेगी। राज्य के लोग उन

कार्यों के लिए, जो संविधान के अन्तर्गत राज्य सरकारों को सौंपे गए हैं, राज्य सरकारों को उत्तरदायी ठहराएंगे। अब अन्ततः प्रजातन्त्र का सिद्धान्त क्या है ? प्रजातन्त्र में जनता की आवाज ही सर्वोच्च होती है। यह प्रजातन्त्र का मूल सिद्धान्त है। अतः किसी राज्य विशेष के कार्य-निष्पादन पर लोगों को निर्णय देना होता है। प्रजातन्त्र का मूल सिद्धान्त यही है। जनता द्वारा निर्वाचित सरकार पांच वर्षों तक कार्य करती है। पांच वर्षों के पश्चात लोगों का मत जानने के लिए सरकार को अवश्य ही उनके पास जाना चाहिए। इस प्रकार सरकार का भाग्य निर्णय जनता करेगी। महोदय, यहां केन्द्रीय सरकार निर्णय या न्याय करने का प्रयत्न कर रही है जबकि यह निर्णय जनता को करना चाहिए। यहां तक कि प्रधान मंत्री के अधीन सभी केन्द्रीय मंत्री यह सोचते हैं कि वे कोई गलती नहीं कर सकते। महोदय, वे अचूक नहीं हैं। वे सर्वज्ञ नहीं हैं। वे स्वयं निर्णय या न्याय करने का प्रयत्न कर रहे हैं जबकि यह काम जनता का है।...

श्री पी० वेंकटसुब्बया : सर्वशक्तिमान...

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप ऐसा बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु आप बन नहीं सकते। क्या मैं माननीय गृह मन्त्री से एक साधारण सा प्रश्न पूछ सकता हूं ? किसी क्षेत्र विशेष को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करने के लिये आप क्या तरीका अपनाएंगे ? विरोध की मात्रा और तीव्रता के बारे में मतभेद हो सकते हैं। विरोध की प्रकृति के बारे में मतभेद हो सकते हैं। परन्तु यदि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार में मतभेद है तो आप क्या करेंगे ? आप राज्य सरकार पर दबाव डालने का प्रयत्न करेंगे अन्यथा आप कोई काम नहीं करवा पाएंगे। राज्य सरकार के सहयोग के बिना केवल इस अधिनियम की सहायता से आप कुछ नहीं कर सकते। यहां तक कि बड़े दंगों के मामले में भी आप को राज्य पुलिस मशीनरी का प्रयोग करना होगा। क्या आप यह सब राज्य सरकार के सहयोग के बिना कर सकते हैं ? यही मेरा प्रश्न है। क्या यह सच है कि ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए केन्द्र सरकार के पास पर्याप्त शक्तियां नहीं हैं ? महोदय, मेरा उत्तर है कि केन्द्र सरकार के पास पहले ही पर्याप्त शक्तियां हैं। राज्य सरकार को कुछ करने का निदेश देने हेतु आपके पास संविधान के अन्तर्गत पर्याप्त प्रशासनिक अधिकार हैं। संविधान के अन्तर्गत राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है कि वह कुछ मामलों में, जिनका संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है, केन्द्र सरकार के प्रशासनिक निदेशों का पालन करें। आप जानते हैं कि संघीय ढांचे में शक्तियां विभक्त होती हैं। केन्द्र सरकार के पास पर्याप्त शक्तियां हैं। शक्तियों के इस विभाजन को केन्द्र सरकार एक पक्षीय ढंग से पारिवर्तित नहीं कर सकती। क्या मैं आपसे एक साधारण सा प्रश्न पूछ सकता हूं ? आप अधिकाधिक शक्तियां प्राप्त करते जा रहे हैं। फिर भी कांग्रेस (आई) शासित राज्यों में अधिकाधिक साम्प्रदायिक दंगे क्यों हो रहे हैं ? ऐसे मामले उन राज्यों में बढ़ते जा रहे हैं जहां आपके दल की सरकार है। क्या मैं आपसे यह प्रश्न पूछ सकता हूं ? सारे भारत में पृथकतावादी तत्व उभर का सामने क्यों आ रहे हैं ?

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं...

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। प्रो० तिवारी। यदि वे मान जाएं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अन्यथा नहीं।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, मैं उनसे केवल यह पूछता हूं कि पश्चिम बंगाल में राजवंशियों के विद्रोह के बारे में क्या हुआ ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इस प्रकार ये बातें हो रही हैं। और आप यह घोषणा करते हैं कि आप की पार्टी पृथकतावादी शक्तियों के विरुद्ध हैं। परन्तु वास्तव में बात यह है कि आप पृथकतावादी शक्तियों के साथ हैं। आप इन साम्प्रदायिक शक्तियों के साथ हैं। आपकी पार्टी अन्धेरे में काले कारनामे में करती है। दिन के उजाले में आप की पार्टी गंगा की भांति पवित्र है···

श्री पी० वेंकटसुब्बया : हुगली पर।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उपाध्यक्ष महोदय, शिव सेना का समर्थन किसने किया ? मुरादाबाद दंगों के पीछे कौन था ? इन साम्प्रदायिक दंगों के पीछे कौन था ? आप इस विधेयक के द्वारा जो कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं वह यह है कि आप धीरे-धीरे ऐसे कानून बनाकर स्थिति पुनः लागू कर रहे हैं। भारत की जनता ने आपात स्थिति के कारण आप को अस्वीकार कर दिया था। 1977 में आप जनता के पास गए आपने यह कह कर जनता से माफी मांगी कि यदि हम पुनः सत्ता में आ गए तो हम आपात स्थिति लागू नहीं करेंगे। परन्तु अब आप यह करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इस प्रकार के छोटे-छोटे कानूनों के माध्यम से आप एक बार फिर आपात स्थिति को पुनः लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। इस सब का लक्ष्य अधिकारों और शक्तियों को केन्द्रीकृत करना है।

श्रीमानजी, क्या मैं एक बहुत ही विनम्र तथा साधारण प्रश्न पूछ सकता हूं ? इसका क्या कारण है कि जहां गैर-कांग्रेस (ई०) की सरकारें है, वहां साम्प्रदायिक दंगें नहीं होते हैं ?··· (व्यवधान) निसंदेह तब तक जब तक कि आप दिल्ली में बैठे हुए वहां उन साम्प्रदायिक झगड़ों का समर्थन करने का निर्णय न करें तब तक उस क्षेत्र में शांन्ति रहती है। अब क्या मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? क्या आप अपनी घोषणा तथा उद्देश्य के प्रति वास्तव में वफादार हैं। जब त्रिपुरा में मुठभेड़ों की संभावना थी तो वहां के मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय सरकार को एक एस० ओ० एम० भेजा था जिसमें उसने अपने प्रशासन के लिए सहायता की मांग की थी। उस पर आपने कोई कार्यवाही नहीं की थी। आपने स्थिति को बिगड़ने दिया और उसे वैसे ही चलने दिया। आपने अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं किया। अब भी साम्प्रदायिक अहिंसा को रोकने में आपकी वास्तव में कोई रुचि नहीं है। अपितु आप तो शान्तिपूर्ण क्षेत्रों में भी अशान्ति पैदा करने में रुचि रखते हैं। आप यहां स्पष्ट रूप से बताइये कि आप इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से क्या करना चाहते हैं। मैं कांग्रेस (आई) के एक महासचिव के वक्तव्य की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उससे उनके दल का प्रजातान्त्रिक रवैया स्पष्ट हो जायेगा। एक साप्ताहिक-पत्र में कांग्रेस (आई) के एक महासचिव ने जो कुछ कहा है, उसे सुनकर आपको निश्चय ही आश्चर्य होगा। उन्होंने कहा कि विरोधी दलों को श्रीमती गांधी को अपना नेता

स्वीकार कर लेना चाहिए और यदि उन्होंने ऐसा न किया, तो उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। यह किसी भी लोकतांत्रिक सिद्धान्त के विरुद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि विरोधी दल ऐसा नहीं करते तो हमें मालूम है कि किस तरीके से उन्हें इसके लिए बाध्य किया जा सकता है। यह रिकार्ड में है। मैं इसको चुनौती दे सकता हूं। आप जाकर "आनलुकर" पत्रिका देखिए। वहां आपको अपने महासचिव द्वारा दिया गया साक्षात्कार की रिपोर्ट मिलेगी। यह अधिनायकवादी रवैया है। (व्यवधान) श्री तिवारी बहुत जोर से बोल रहे हैं। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि श्री चन्द्रशेखर उस समय कांग्रेस दल के ही सदस्य थे परन्तु फिर भी श्रीमती गांधी ने उन्हें जेल भेजा। वह मार्क्सवादी नहीं है। श्री तिवारी, मैं यह बात जानता हूं कि एक दिन मैं और आप दोनों ही एक जेल में भेज दिये जायेंगे परन्तु शर्त यही है कि आप इसी प्रकार ईमानदार रहे।''' (व्यवधान) मैं केन्द्र सरकार से आशा करता हूं कि वह कम से कम यह घोषणा तो कर दे कि वह लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। वह लोकतंत्रीय प्रणाली में विश्वास नहीं करते। बाहर लोगों को वह यह दिखावा करते हैं जैसे कि उनका लोकतन्त्र में विश्वास हो, परन्तु यहां सदन में वह ऐसे विधान प्रस्तुत करते हैं जो लोकतंत्र-विरोधी हो। (व्यवधान)

उपाध्य महोदय : मैं प्रोफेसर को समझा तो नहीं सकता परन्तु यह प्रोफेसर ठहरे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : श्रीमान जी, आप इस बात की सराहना तो करेंगे कि मैं अब भी गृह मंत्री को बदलने का प्रयत्न कर रहा हूं। यद्यपि मैंने आशा छोड़ दी है, फिर भी मेरा विश्वास है कि एक न एक दिन वह उचित बात को समझने लगेंगे। इन शब्दों के साथ ही मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अल्पसामायिक लाभों को दृष्टिगत रखते हुये संविधान से आधारभूत सिद्धान्तों को नष्ट न करें। अन्ततः संविधान वा संघीय ढांचा राष्ट्रीय मतैक्य के साथ ही स्वीकार किया गया था। किसी भी राजनीतिक दल को संविधान के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में तब तक कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए जब तक कि लोगों के दिलों की दृष्टि से ऐसा करना अति आवश्यक न हो। परन्तु आप तो अल्पकालिक उद्देश्यों से ऐसा कर रहे हैं और इससे देश के समक्ष एक दिन विकट स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का विरोध करता हूं और गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं अभी भी औचित्य को ध्यान में रखते हुए विधेयक को वापिस ले लें और सरकार को लोकतन्त्र को नष्ट करने वाले इस घातक विधेयक को लाने से मना करें।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जब विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा था, उस समय भी मैंने इसका विरोध किया था। उस समय भी मैंने गृह मंत्री से अनुरोध किया था कि वह विधेयक वापिस लेने के बाद में बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करें परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है अभी तक भगवान् ने उन्हें सद्बुद्धि प्रदान नहीं की है और सरकार अभी तक इस विधेयक पर अड़ी हुई है।

श्रीमान् जी, यदि इसे संविधान को नष्ट करने वाला नहीं कहा जा सकता तो इसके बारे में कम से कम इतना तो आवश्यक कहा जा सकता है कि यह संघीय ढांचे के सिद्धान्तों की भावना, संघ सरकार के सिद्धान्तों तथा सभी प्रकार के लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों के विरुद्ध है। सरकार को

निश्चय ही यह महसूस करना चाहिए कि हमारा देश बहुत बड़ा है और गत 33 वर्ष का लम्बा अनुभव हमें यह बताता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारें केन्द्र तथा राज्यों में सत्ता में आती रही है और यह प्रक्रिया चलती रहेगी। हमने अपने देश में एक विशिष्ट प्रकार की लोकतान्त्रिक प्रणाली का विकास किया है तथा अब भी कर रहे हैं और हमें इस पर गर्व है। बहुत से देशों को यह समझ नहीं आता कि भारत जैसे देश में लोकतान्त्रिक दल, साम्यवादी दल तथा गैर-साम्यवादी दल मिल कर पनप रहे हैं। वह सभी सरकार में भी है और यह एक-दूसरे के साथ सहयोग करते हुए कार्य कर रहे हैं। यह विचित्रता केवल भारत में ही है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में यह प्रणाली सुदृढ़ की जाए। मैं समझता हूं कि यह विधेयक इस ढांचे की भावना के प्रतिकूल है और इसलिए मुझे इस विधेयक पर गम्भीर रूप लिया है। केन्द्रीय सरकार को भारी भ्रम है कि इस विधेयक से सरकार को वह शक्ति प्राप्त हो जायेगी जिससे कि वह साम्प्रदायिक दंगों, जातीय तथा भाषायी दंगों को रोकने में समर्थ होगी। जैसा कि श्री जार्ज फर्नाण्डीज ने कहा है, यह केवल उनका भ्रम है। मैंने उस दिन भी इसी बात पर बल दिया था और मंत्री महोदय को इस संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था परन्तु उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया क्योंकि उनके पास इसका कोई उत्तर ही नहीं था। मैंने मंत्री महोदय से यह भी पूछा था कि क्या कभी एक बार भी ऐसा अवसर आया है जबकि केन्द्र सरकार ने किसी मुख्यमंत्री को कोई क्षेत्र विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करने के लिए कहा हो और उसने ऐसा न किया हो। यह दुर्भाग्य की बात है कि श्री जगन्नाथ मिश्र के शासनकाल में ही बिहार में अनेक साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं। क्या इनकी सरकार ने उन्हें कुछ क्षेत्रों को विक्षुब्ध घोषित करने को कहा था और उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया ? क्या इसका कोई प्रमाण है ? क्या सरकार ने श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से मुरादाबाद को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करने के लिए कहा था और उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया ? क्या इस सरकार ने किसी समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु या केरल के मुख्यमंत्री से कुछ विशेष क्षेत्र विक्षुब्ध घोषित करने को कहा था और उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया ? क्या कोई ऐसा अवसर भी था जबकि श्री राम०जी०आर० से केन्द्र ने कोई क्षेत्र विशेष क्षुब्ध क्षेत्र घोषित करने को कहा हो और उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया हो ? फिर इस विधेयक का आधार क्या है, यह पूर्णतया भ्रामक है।

इसीलिए मेरी मान्यता यह है कि यह विधेयक पूर्णतया राजनीति से प्रेरित है। मेरी आपत्ति यही है कि इस विधेयक से देश में लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर कुठाराघात होता है। यदि सरकार यह अनुभव करती है कि केन्द्रीय नेतृत्व के हाथों में अधिक शक्ति आ जाने पर वह स्थिति पर काबू पा लेगी, तो यह उसका भारी भ्रम है। हमारे देश में स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। साम्प्रदायिक दंगे, जातीय तनाव तथा क्षेत्रीय तनाव बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। इसके बारे में किसी प्रकार का सन्देह नहीं है।

एक महत्वपूर्ण बात और है। सरकार ने एक अन्य भारी भूल की है। हमारी व्यवस्था संकट में पड़ी हुई है क्योंकि देश में सच्चे अर्थों में राजनीतिक दल है ही नहीं। आज बहुत से

राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कि बड़े दलों के केवल हिस्से मात्र हैं, वह अच्छे सुसंगठित राजनीतिक दलों के रूप में उभरकर सामने नहीं आये हैं जो कुछ नीतियों तथा कार्यक्रमों पर आधारित हो तथा जिनके पास सवर्ग तथा अन्य ऐसे तत्व उपलब्ध हों जिनके आधार पर वह लोगों के पास जा सके। इसलिए सुसंगठित राजनीतिक दलों के अभाव में हमारी संसदीय प्रणाली असफल हो रही है। यह है कठिनाई। अतः सरकार को गभीरता से सोचना चाहिए कि इस देश में किस प्रकार के ढांचात्मक सुधार किए जा सकते हैं। यह काम सत्तारुढ़ दल अकेले नहीं कर सकता।

मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जो मैं पूछ भी चुका हूं पर उसका जवाब नहीं मिला है।

इस विधेयक को लाने से पहले और इस महत्वपूर्ण विषय को समवर्ती सूची में शामिल करने से पूर्व क्या सरकार ने मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई या विधेयक मुख्य मंत्रियों की सम्मति के लिए भेजा गया था उनकी सम्मति ली गई ? यदि सरकार ने उनकी सम्मति ली है तो मैं जानना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रियों ने क्या कहा। इसे रिकार्ड में लाया जाए। पर मैं जानता हूं कि इस सरकार ने मुख्य मंत्रियों की सलाह नहीं ली है। क्या यह संघीय प्रणाली के काम करने का तरीका है ? यदि आप यह नहीं मानते कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से संघीप सरकार है या अर्ध-सघात्मक सरकार है। किसी विभिन्न राज्यों में काम कर रहे विभिन्न राजनीतिक दलों जो लोकतंत्रात्मक ढंग से चुने गए हैं, को देखते हुए क्या उनकी सम्मति लेना जरूरी नहीं था ? सरकार ने इसकी भी परवाह नहीं की है। एक बड़े प्रश्न के प्रति यह बहुत ही गैर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है। अतः मैं इन कारणों से विधेयक का विरोध करता हूं। फिर भी मैं गृह मंत्री जी से इस विधेयक के बारे में जल्दी न करने का आग्रह करूंगा। आकाश नहीं गिर रहा है। ऐसी बात तो है नहीं कि हम इस विधेयक को आज पास कर देंगे और कल आप विहार को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर देंगे और कार्यवाही आरम्भ कर देंगे। यदि गृह मंत्री यह कहते कि यह अविलम्बनीय महत्व का विषय है, जगन्नाथ मिश्र इनकार कर रहे हैं; उनकी सरकार असफल हो गई है, आप तो विधेयक को पास कर दें; हम विहार शरीफ, पटना और नालन्दा को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करेंगे और प्रभावी कार्यवाही करेंगे, तो बात समझ में आती। पर कारण यह नहीं है। यह राजनीति से प्रेरित है। इसका इस्तेमाल गैर-काग्रेसी संस्कारों के खिलाफ किया जाएगा यही मुझे आशंका है। यह लोकतंत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। अतः मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, मैं इस बिल को काला बिल मानता हूं, इसलिए में इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इसके विरोध में बहुत सारी बातें कही गई। मैं एक-दो बातों का जिक्र करके अपनी बात समाप्त करूंगा। आज हम इस बिल पर यहां पर बहस कर रहे हैं और यह कानून का रूप भी ले लेगा। इसका मुख्य मकसद किसी क्षेत्र विशेष को ठीक करना नहीं है, बल्कि इसका मुख्य मकसद, जहां पर इनकी राजनीतिक समझ में क्लेश होता है, वहां पर अपनी राजनीतिक समझ को लादना है। इनकी मन्शा उन राज्यों को तंग करने की है, जिन राज्यों में भारत सरकार की बात पूरी-पूरी नहीं चल पाती है।

आज आवश्यकता इस बात की थी कि संघ और राज्यों में जो मतभेद हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश की जाती और राज्यों को अधिक सहायता प्रदान की जाती, ताकि वे अपनी समस्याओं का समाधान निकाल पाते । ऐसा न करके इस विधेयक के ज़रिए एक विवादास्पद मसला खड़ा कर दिया गया है । इससे राज्यों का भारत सरकार के प्रति अविश्वास पैदा होगा और जो लोग यह समझते हैं कि यह सरकार धीरे-धीरे, रफ्ता-रफ्ता, शनैं-शनैं : जनतंत्र को छोड़कर अधिनायकवाद की ओर जा रही है, उनके विचार इस तरह के कानून बनाने से पुष्ट होंगे । यह ठीक है कि आप हिन्दुस्तान में इमरजेंसी लागू नहीं करना चाहते । लेकिन इमरजेंसी लागू करने के बहुत सारे तरीके हैं । इस तरह का कानून बनाना उसी तरफ़ इंगित करता है, आप उधर ही जा रहे हैं । कहीं भी आप स्थिति को शांत करने में समर्थ नहीं हैं । जहां आपकी सरकारें हैं, जिसके उदाहरण आपके सामने बहुत हैं, खुद मैं जानता हूं मेरे सूबे बिहार में क्या हो रहा है ? जिसको चाहो मार कर के फेंक दो । सामप्रदायिक दंगे करवा दिये, सामप्रदायिक दंगा करने वालों के खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि उनके साथ आप जगह-जगह दोस्ती करते हैं जिसका सबूत केरल है । एक तरफ आप आर०एस०एस० की आलोचना भी करते हैं और वहां उससे दोस्ती भी करते हैं । और आर० एस एस० क्या करता है आप जानते हैं । तो मेरे कहने का मतलब यह है आप बिहार शरीफ़ में देखिये क्या हो रहा है ? आपकी सरकार कुछ नहीं कर सकती । अगर समय पर कुछ करती तो आप बिहारशरीफ़ में इतने लोग नहीं मारे जाते । हमारे सूबे में राजनीतिक हत्यायें हो रही हैं । अब तक 100 राजनीतिक हत्याओं के शिकार बन चुके हैं विभिन्न दलों के लोग । तो उसको आप रोक सकते थे । उस समय यह विशेष न्यायालय का कानून कहां चला जाता है ? आन्ध्र प्रदेश में आप क्या कर रहे हैं । तमाम सूबों में आप धींगामस्ती कर रहे हैं, जनआन्दोलनों को दबाते हैं, उसके लिए ही यह कानून बन रहा है । और इस कानून का मकसद यही है कि जो आपकी विरोधी सरकारें हैं आप उनको शांति के साथ अपनी जन-समस्याओं का समाधान नहीं निकालने देना चाहते । आपकी मंशा यही है । और मुझे तो संदेह है कि कानून पास हो जाने के बाद किसी भी कांग्रेसी राज्य में विशेष न्यायालय की स्थापना नहीं की जायगी । लेकिन जो आपकी विरोधी सरकारें हैं जैसे बंगाल, केरल, त्रिपुरा, वहां आप जरूर कोई न कोई बहाना बना कर के इस कानून के अधीन विशेष न्यायालय स्थापित करेंगे, और वहाँ जो सही माने में अपने सवालों को ले कर लोग आन्दोलन कर रहे हैं उनको आपको दबायेंगे, इन विशेष न्यायालयों का शिकार बनायेंगे । इसका यही मकसद है ।

एक बात और है धीरे-धीरे आपके पाँव की ज़मीन खिसक रही है । जो स्थिति जनवरी 1980 में थी वह स्थिति आज नही है, और लोग आपसे नाराज़ हो रहे हैं । मज़दूर, किसान वर्ग और गरीब वर्ग आपसे नाराज हो रहा है । केवल बड़े-बड़े धन्नासेठ जो आपके कानून से लाभ उठाते हैं, 75 पूंजीवादी घराने के इजारेदार, वह जरूर आप से खुश हैं, और उनके लिये ही आप पहले से ही इस तरह का कानून बना कर अपनी ताकत को मजबूत कर रहे हैं ताकि सब को आप दबा सकें और देश में आप सही अर्थ में अधिनायदवादी हुकूमत बना सकें, क्योंकि आपके संगठन में तो एक नेता के सिवा और कोई नेता नहीं है । वही बात आपकी सरकार में भी है जो प्रधान

मंत्री कहेंगी वही आप एवमस्तु कहेंगे। हिम्मत नहीं है विरोध करने की तो एक कहावत कह कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। कहावत यह है कि कुछ मूर्ख लोग एक जगह आपस में बात कर रहे थे कि भाई हम लोगों ने बड़ी मूर्खता की, अब तो कुछ अक्लमन्दी की बात करो। बहुत बहस हुई उन मूर्खों में। लेकिन मूर्ख अन्त में बहस करते करते इसी तनीजे पर पहुंचे कि हमको मूर्ख रहने में ही अच्छा है, उसी से फ़ायदा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप की सरकार और आपका कांग्रेस संगठन उसी तरह उन मूर्खों की तरह का आचरण कर रहा है और देश को सत्यानाश के रास्ते पर ले चल रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा आप जो मूर्खों ने किया था उस तरह के रास्ते पर न जाइये और इस बिल को वापस ले लीजिये और तब सही माने में आप जनतंत्र की सेवा कर सकेंगे।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आशा थी इस विक्षुब्ध क्षेत्र संशोधन विधेयक के लाए जाने से सभा विक्षुब्ध है। मैं समझता हूं कि विधेयक के तीसरे वाचन के चरण में सरकार को यह सलाह देना मूल्यवान होगा कि वह इसे वापस ले ले क्योंकि यह अच्छी तरह सिद्ध हो चुका है कि यह सरकार सुधरेगी नहीं। मैं केवल यही टिप्पणी करूंगा कि इससे न केवल हमारे संविधान का संघात्मक स्वरूप ही प्रभावित होगा अपितु हमारी भावात्मक एकता पर भी आंच आयेगी। इससे अविश्वास और सन्देह की भावना का निर्माण होगा। मैं इस बारे में सरकार को सलाह नहीं देना चाहता। उसकी मंशा स्पष्ट है। संवैधानिक, राजनीतिक, सभी प्रकार के प्रभावों की चर्चा हो चुकी है। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है। शायद आप भी उसी दिशा में सोच रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आप कैसे जानते हैं।

श्री ए० के० राय : आप मेरी तरफ घूर रहे हैं। इससे पता चलता है कि आप भी वही सोच रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस लिए घूर रहा था कि आपने कोई नई बात नहीं कही।

श्री ए० के० राय : कम से कम आप घड़ी की तरफ नहीं देख रहे हैं। आश्चर्य है कि किस सरकार का इस सभा में इतना भारी बहुमत है...

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक आश्चर्यजनक सरकार है।

श्री ए० के० राय : आश्चर्य की बात है कि जिस सरकार को इस सभा में इतना बड़ा बहुमत प्राप्त है, जो अधिकांश राज्यों में सत्तारूढ़ है। जिसका वायु, थल और नभ सभी पर अधिकार है, वह अपने को इतना अधिक कमजोर महसूस कर रही है कि आरम्भ से ही अपने हाथ में सत्ता संकेंद्रित करने में जुट गई। इसने कालेबाजारियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक प्रकार के कालाबाजार विरोधी और मुनाफाखोरी विरोधी विधेयक से कार्य आरम्भ किया। फिर वह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाई। उसने दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया। अब वह इस कल्पना पर विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम में संशोधन करने जा रही है कि कोई ऐसा अवसर आ सकता है जब केन्द्र को कोई क्षेत्र विशेष विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करना पड़ेगा। पर राज्यों का मत भिन्न हो सकता

है। इन सब बातों से पता चलता है कि सरकार स्वयं डरी हुई है। इसका पता कौन लगाएगा कि देश में कौन से क्षेत्र विक्षुब्ध क्षेत्र हैं। कांग्रेस के शासन वाले राज्यों में कांग्रेस दल स्वयं विक्षुब्ध है और सबसे अधिक विक्षुब्ध क्षेत्र है मंत्रिमंडल।

सबसे पहले इस अधिनियम को मंत्रिमंडल के विरुद्ध लागू करने की जरूरत है। कुछ ही दिन पहले श्री शुक्ल को बड़े ही अनौपचारिक रूप से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आरने कहा कि मंत्रिमंडल स्वयं एक विक्षुब्ध क्षेत्र है। इसीलिए यह विधेयक लाए हैं।

श्री ए० के० राय : यही तो मैं कह रहा हूं, (व्यवधान)। उपाध्यक्ष महोदय मेरे विचार का समर्थन कर रहे हैं। उत्तर देते समय गृह राज्य मंत्री इसका स्पष्टीकरण दें।

उपाध्यक्ष महोदय : वह आप के अच्छे मित्र हैं। (व्यवधान)

श्री ए० के० राय : जल्दी क्या है। वे कौन से सम्पदित क्षेत्र हैं जहां यह विधेयक लागू किया जाएगा ? कौन से क्षेत्रों में विक्षुब्धता है ? यह महत्वपूर्ण बात है। क्या वह समझते हैं कि मंत्रिण्डल में गड़बड़ी है ? क्या वह श्री शुक्ल की भांति अपने को चिन्तित महसूस करते हैं और इस बात से डरे हुए हैं। उन्हें स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए क्योंकि हमारे विचार में इस विधेयक की किसी क्षेत्र में आवश्यकता नहीं है। अतः मैं उन्हें एक सलाह दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल से आप श्री वेंकटसुब्बय्या के एजेंट नहीं हैं।

श्री ए० के० राय : नहीं, मुझे इसके लिए खेद है। मैं अपने गृह राज्य मन्त्री को एक मामूली सी सलाह देना चाहता हूं। आप संगीन से सब कुछ कर सकते हैं पर उस पर बैठा नहीं सकते। यह सरकार कई संशोधनों के रूप में संगीन पर बैठ रही है और इतिहास में इस प्रकार की सरकारों के अनेक उदाहरण हैं। कृपया याद रखें और तब कार्यवाही करें। धन्यवाद।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : उपाध्यक्ष महोदय, श्री जार्ज फर्नान्डीस ने मेरा काम आसान कर दिया है। अब मैं इस विधेयक को पास करने के बारे में और अधिक आश्वस्त हो गया हूं। उन्होंने कहा कि अधिकांश राजनीतिक दलों ने अधीन कभी किसी न किसी रूप में इस विधेयक का समर्थन किया है और वस्तुतः उन्होंने सी० पी० एम० से कतिपय मामलों में बदला लेना था। मैं उनके रास्ते में नही आऊंगा। जो मुद्दे उठाए गए हैं उन पर विस्तार से विचार किया जा चुका है।

सी० पी० एम० के भीष्माचार्य नीरेन घोष और अभिमन्धु श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ने भी अपनी राय व्यक्त की है। श्री नीरेन घोष चाहते थे कि मैं उन्हें सरकारें गिराने के बारे में कुछ सीख दूं। श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती प्रोफेसर हैं। वह अपने दल में बहुत कनिष्ठ हैं, विद्वता और साख में नहीं। शायद उन्हें मालूम नहीं है कि उनके दल के एक महत्वपूर्ण सदस्य ने, जो उनके दल के संस्थापकों में से एक हैं कांग्रेस (आई) सरकारों को गिराने के लिए एक वक्तव्य जारी करके उन राजनीतिक दलों का सहयोग मांगा है जिन्हें वह कुष्ठरोग से पीड़ित समझते थे। वस्तुतः इस बारे

में दिए गए वक्तव्य के सम्बन्ध में काफी विलम्ब से स्पष्टीकरण जारी किया गया है। मैं बार-बार यह स्पष्ट कर चुका हूं कि हमारी सरकार को किसी भी गैर-कांग्रेसी सरकार को गिराने में दिलचस्पी नहीं है। दो वर्ष पूर्व इसका एक अद्वितीय उदाहरण सामने आया था।

जनता पार्टी सरकार स्वयं अपनी करनी से डूब गई। यदि ऐसा होता है तो हम उसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : वैसा आपके साथ भी किसी भी समय हो सकता है। कम से कम यह तो किसी को भी पता नहीं है कि वे कब तक मन्त्री बने रहेंगे।

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : श्री यादव ने एक अन्य मुद्दा उठाया है। उन्होंने हम से पूछा है कि क्या हमने किसी राज्य सरकार से किसी क्षेत्र विशेष को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करने के लिए कहा है। मूल अधिनियम के अधीन राज्य सरकारों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे किसी क्षेत्र को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर दें। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, इस मामले में समवर्ती शक्तियां प्राप्त करने का यह कारण है कि राज्य सरकारें, जैसा कि हम अनुभव से जानते हैं, शीघ्र न्याय दिलाने के लिए, असामाजिक और जातीय तत्वों को दबाने के लिए, किसी क्षेत्र विशेष को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करने हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिये आगे नहीं आती हैं। केन्द्र सरकार इस संशोधन विधेयक द्वारा कुछ समवर्ती शक्तियां प्राप्त कर रही है। ओर इसमें हमारे द्वारा किसी क्षेत्र को विक्षुब्ध घोषित करने के अधिकार की सीमा को तथा यह बात भी कि विधि और व्यवस्था को बनाये रखने की राज्य सरकार की स्वायत्तता में हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं स्पष्ट कर दिया गया है। हमारा उद्देश्य यह है कि यदि कोई राज्य सरकार आगे नहीं आती है तो हम किसी क्षेत्र को विक्षुब्ध घोषित कर देंगे तथा विशेष न्यायालय गठित कर देंगे और न्यायाधीश की नियुक्ति करना उस राज्य के उच्च न्यायालय का काम है। अन्य बातों के मामले में, अन्य प्रक्रियागत मामलों को हमने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। परन्तु सीमाक्षेत्र के बारे में इसे हमने काफी स्पष्ट कर दिया है और मैं यह भी कह चुका हूं कि कुछ परिस्थितियों के अधीन हमने इसे स्वीकार किया है कि यदि कोई क्षेत्र-विशेष में कुछ दंगे हो जाते हैं तो—उसे हमने अपनी अनुसूची में मिला लिया है—तभी हम उसे विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करेंगे। हम आकस्मिक दंगे से आंख मूद कर किसी क्षेत्र को विक्षुब्ध घोषित नहीं करेंगे। कुछ नियम और सिद्धान्त तो होते ही हैं जो कि मैं पहले ही कह चुका हूं।

मेरे विचार से जो मुद्दे अब उठाए गये हैं उनको तो माननीय सदस्यों ने कई बार पहले भी उठाया था कि हम संसदीय प्रजातन्त्र को संविधान को नष्ट करने पर तुले हुए हैं आदि। श्री रामवतार शास्त्री ने तो कुछ मूर्ख जैसा शब्द कहा था। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि जहां अज्ञानता फल-फूल रही हो वहां बुद्धिमानी जताना बेवकूफी है। श्री शास्त्री तो सबको अपने जैसा ही समझते हैं। हमें तो जनता से स्पष्ट अधिदेश प्राप्त हुआ, विशेषकर कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों से। अपने समाज के प्रत्येक वर्ग के हित की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है। जैसा कि श्री बनातवाला ने बहुत ही ठीक कहा है, हमारी सरकार अपना पवित्र कर्त्तव्य निभाने को कटिबद्ध है।

उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे दल में केवल एक नेता है। हमें इस पर गर्व है सम्भवतः उनके दल में हर कोई नेता है, यह मुझे पता नहीं है। हमें अपने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के नेता पर गर्व है जिसे जनता के कमजोर वर्ग करिश्मा के रूप में पहचानते हैं। हमें ऐसे नेता पर गर्व है और इस किस्म का हमें केवल एक नेता चाहिये, हमें श्री शास्त्री के दल की तरह के नेता नहीं चाहिए जहां हर कोई नेता है। हमारे समक्ष भूतपूर्व सरकार का अनुभव है, जिसमें अनुयायिओं से अधिक नेता थे और इसलिये वे अपने ही भार के तले दबकर ढह गये।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक की स्वीकृति के लिये सिफारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं। प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत—विभाजन संख्या : 18 4.20 म०प०

पक्ष में

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस	चव्हाण, श्री एस० बी०
अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान	चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए०	दाभी, श्री अजीत सिंह
एस०	डागा, श्री मूलचन्द
अराकल, श्री जेवियर	दलबीर सिंह, श्री
अरूणाचलम, श्री एस०	डामोर, श्री सोमजी भाई
बागुन सुम्बरुई, श्री	दास, श्री अनादि चरण
बैठा, श्री डूमरलाल	देसाई, श्री बी० वी०
बनातवाला, श्री जी० एम०	देव, श्री संतोष मोहन
बन्सीलाल, श्री	डोगरा, श्री गिरधारी लाल
भगत, श्री एच० के० एल०	दुबे, श्री रामनाथ
बीरबल, श्री	ईरा अनबारासु, श्री
बूटा सिंह, श्री	ईरा मोहन, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री	फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल	गाडगिल, श्री बी० एन०
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती	गधावी, श्री भेरावदन के०
चौधरी, श्री मनफूलसिंह	गोहिल, श्री जी० बी०

गोमांगो, श्री गिरिधर
गौंडर, श्री ए० सेनापति
हेमब्रम, श्री सेत
जय नारायण रौत, श्री
जैन, श्री भीकूराम
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जेना; श्री चिन्तामणि
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कोसलराम, श्री के० टी०
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
लास्कर, श्री निहार रंजन
महाजन, श्री वाई० एस०
मकवाना, श्री नरसिंह
मालन्ना, श्री के०
मल्लिकार्जुन, श्री
मणि, श्री के० बी० एस०
मिश्र, श्री गार्गी शंकर
मिश्र, श्री हरिनाथ
महन्ती, श्री बृजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव
मोतीलाल सिंह, श्री
नायकर, श्री डी० के०
नामग्याल, श्री पी०
नारायण, श्री के० एस०
निहाल सिंह, श्री
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पनिका, श्री रामप्यारे
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पट्टाभि रामा राव,
श्री एस० वी० पी०
फुलवारिया, श्री विरदा राम
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
प्रधानी, श्री के०
प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०
पुलय्या, श्री दारूर
राजू, श्री पी० वी० जी०
रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई
राणे, श्रीमती संयोगिता
रंगा, प्रो० एन० जी०
राव, श्रीमती वी० राधाबाई आनन्द
राव, श्री जगन्नाथ
राव, श्री एम० नागेश्वर
राठौर, श्री उत्तम
रवाणी, श्री नवीन
रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द
रेड्डी, श्री पी० बेंकट
साही, श्रीमती कृष्णा
समीनुद्दीन, श्री
सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई
सेठी, श्री पी० सी०
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शक्वार, श्री नाथूराम

शनमुगम, श्री पी०
शिवशंकर, श्री पी०
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिंगारावाड़ोवेल, श्री एस०
सिंह, डा० बी० एन०
सिंह देव, श्री के० पी०
सोरन, श्री हरिहर
सुब्बाम, श्री पी० एम०
सुब्बरमण, श्री ए० जी०
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह
तैयब हुसैन, श्री
थोरट, श्री भाउसाहिब
त्रिपाठी, श्री कमलपति
टुडु, श्री मनमोहन
वैराले, श्री मधुसूदन
वर्मा, श्री जयराम
वेंकटसुब्बया, श्री पी०
वीर भद्रसिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारीलाल
याजदानी, डा० गोलम
जैलसिंह, श्री
जैनुल वशर, श्री

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री सतीश
बालन, श्री ए० के०
बसु, श्री चित्त
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री सेफुद्दीन
दास, श्री अनादि चरण
मंगवार, श्री हरीशकुमार
घोष, श्री निरेन
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा
गुलाम मोहम्मद खां, श्री
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द्र
हन्नान मोल्लाप, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
कोडियन, श्री पी० के०
लारेंस, श्री एम० एम०
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मंडल, श्री धनिक लाल
मंडल, श्री मुकुन्द
मंडल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
मोदक, श्री विजय
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
पाल, प्रो० रूपचन्द
परूलेकर, बापूसाहिब
पासवान, श्री राम विलास
पाठक, श्री आनन्द
राजन, श्री के०ए०
राजदा, श्री रतनसिंह
राय, श्री ए० के०
राय, डा० सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री गदाधर
सेन, श्री सुबोध
शमन्ना श्री टी० आर०
शास्त्री, श्री रामावतार
सिंह, श्री बी० डी०
सिंह, श्री धर्मवीर
उन्नीकृष्णन, के० पी०
जायनल अबेदिन, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 110

विपक्ष में : 44

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री निरेन घोष (दमदम) : हम विरोधस्वरूप सदन का त्याग करते है।

(उसके पश्चात श्री निरेन घोष तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से उठ कर बाहर चले गए)

संसद सदस्यों का वेतन, तथाभत्ता पेंशन (संशोधन) विधेयक

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संसद सदस्यों को वेतन, भत्तों और पेन्शन अधिनियम, 1953 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय, अधिनियम की धारा 8क के अधीन तब तक कोई भूतपूर्व सदस्य पेंशन का हकदार नहीं बनता जब तक कि उसका सेवाकाल पूरा पांच वर्ष का न रहा हो। प्रथम तीनों लोक सभाओं की अवधि पांच वर्ष से कुछ कम रही है। अतः चूंकि इन तीनों लोक सभाओं में से किसी एक में किसी भी सदस्य का सेवाकाल पूरे पांच वर्ष का नहीं रहा तो पेंशन के हकदार नहीं बनते हैं। अतः ऐसा प्रस्ताव है कि जिस सदस्य ने उपर्युक्त अवधि पांच वर्ष में अधिक से अधिक 60 दिन कम की अवधि तक सेवा की है वह प्रतिमास 300 की पेंशन का हकदार बने।

कितनी ही सावधानी क्यों न बरत ली जाए, अतिरिक्त व्यय की मात्रा का पता लगाना कठिन है क्योंकि हमें उन भूतपूर्व सांसदों की संख्या का पता नहीं जो इस संशोधन के बाद पेंशन के हकदार बन जायेंगे।

चूंकि विधेयक बहुत ही सरल और गैर-विवाददास्पन है, मैं अनुभव और आशा करता हूं कि इसे सदन में सभी ओर से सर्वसम्मति से समर्थन प्राप्त होगा और इसे बिना अधिक विचार किए ही पारित कर दिया जाए।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

---

*निम्नांकित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :

पक्ष में : श्रीमती केशरबाई क्षीरसागर

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ,

श्री फतेहभान सिंह चौहान

विपक्ष में : श्री रूद्र प्रताप षाडंगी।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि संसद सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित स्वरूप में विचार किया जाए"

श्री बापू साहिब परूलेकर (रत्नगिरी) : मैं पेंशन के सिद्धान्त का विरोध तो नहीं करता परन्तु यह अवसर प्राप्त हुआ है तो मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मैं सभी भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन पाने का खुला अधिकार देने का विरोध करता हूं।

केवल पिछले सप्ताह की हमने पेंशनरों के बारे में गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पर चर्चा की थी और उस समय माननीय सदस्य श्री गाडगिल ने हमें यह बात विस्तार से बताई थी कि किस प्रकार पेंशन देने का यह विचार शुरू हुआ। इस पेंशन के पीछे जो मुख्य सिद्धान्त काम कर रहा है वह यह है कि अधिक आयु होने के कारण व्यक्ति कोई काम में असमर्थ है तथा अपनी जीविका नहीं कमा सकता है। इसलिए वह सम्मानित जीवन नहीं जी सकता है। यह पेंशन स्वतन्त्रता सेनानी को मिलने वाली पेंशन से भिन्नाधार पर दी जा रही है। मंत्री महोदय ने कहा है कि स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन उनके सम्मान में दी जाती है न कि आयु के आधार पर। अब जो पेंशन दी जा रही है उसका अधिकार तो खुला आधारहीन अधिकार है। कोई संसद सदस्य जो अपनी किसी भी आयु के बावजूद, संसद में चार वर्ष और दस मास के लिए आता है, उसे पेंशन पाने का अधिकार मिल जाता है। यदि किसी संसद सदस्य को 2000 रुपये पेंशन मिल रही हो—उदाहरणस्वरूप उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीश जब सेवानिवृत्ति के बाद इस सम्मानित सदन में आते हैं तो उन्हें 2000/- रुपये पेंशन मिल रही होगी—तो क्या इन व्यक्ति विशेषों को पेंशन देने के लिए हमारे राजकोष पर भार डालना उचित होगा ? हमारे कुछ माननीय सदस्य महाराजा, राजा लोग भी होंगे जिनका बैंकों में भारी धन जमा है। उन्हें इससे अधिक तो ब्याज ही मिल रहा होगा जितना कि किसी सदस्य को वेतन मिलता है। तो क्या उन्हें पेंशन की यह राशि मिलनी चाहिए ?

श्री बी०वी० देसाई (रायचूर) : 'ए' श्रेणी के अधिवक्ताओं को भी मिलती है।

श्री बापू साहिब परूलेकर : मैं भी यह कह रहा हूं। सरकार को इन बातों पर पुनर्विचार करना चाहिए। एक भूतपूर्व सदस्य को 500/- रुपये मिलेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारियों को यह राशि पेंशन के रूप में मिलती है और कितने वर्ष की सेवा के पश्चात ? इस पर भी विचार किया जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जनता हमारी आलोचना न करे। एक व्यक्ति जो 26 वर्ष की आयु में चुना जाता है, फिर कभी नहीं चुना जाता है, तो 31 वर्ष की आयु से मृत्यु पर्यन्त वह पेंशन प्राप्त करेगा। 'पेंशन' शब्द के अर्थ के साथ इसका कोई सामन्जस्य नहीं है। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि यह व्यवस्था अन्य देशों के विधान मंडलों के सदस्यों के मामले में अपनाई जा रही पद्धति के अनुरूप नहीं है।

इस सम्बन्ध में मैं सरकार तथा माननीय मंत्री का ध्यान अन्य देशों में पेंशन के सम्बन्ध में चल रही स्थिति की ओर दिलाता हूं। अन्य देश आयु की तुलना में सदस्य को मिलने वाली पेंशन – पूर्व सदस्य द्वारा अंशदान के सिद्धान्त पर विचार करते हैं। उदाहरणार्थ, जापान और आस्ट्रेलिया

में पेंशन योजना सदस्यों के वेतन से अंशदान पर आधारित है। उनके मासिक वेतन से प्रतीक स्वरूप एक निर्धारित प्रतिशत में राशि काटी जाती है। जापान में यह कटौती 7.6% है और आस्ट्रेलिया में 11.5% है। जो सदस्य ये अंशदान करते हैं, वे अवकाश-प्राप्ति के बाद या घर वापस जाने के बाद और दोबारा न चुने जाने पर इस पेंशन के अधिकारी होते हैं। केवल यही नहीं। कुछ पश्चिमी देशों में, जहां से हमने अपना लोकतांत्रिकस्वरूप या लोकतान्त्रिक सिद्धान्त या संविधान अपनाया है, हम देखते हैं कि उन्होंने तीन शर्तें रखी हुई हैं।

1. आनुपातिक अंशदान।

2. संसदीय प्रणाली में कतिपय वर्षों की सदस्यता के आधार पर।

3. एक निश्चित आधार पर पहुंचने पर। ऐसा नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति एक बार चुना जाता है और दोबारा नहीं, तो 34 वर्ष की आयु के तत्काल बाद वह सरकार से पेंशन लेना आरम्भ कर दे। ऐसा केवल 65 वर्ष की आयु के पश्चात ही होता है, जब वह वृद्ध हो जाता है, जब वह जीविकोपार्जन की स्थिति में नहीं होता, तब उसके अंशदान के आधार पर उसे पेंशन दी जाती है।

ब्रिटिश प्रणाली में हम देखते हैं कि हाउस आफ कामन्स का कोई सदस्य चार वर्ष तक सदस्य रहने के बाद पेंशन का अधिकारी बन जाता है। परन्तु यह पेंशन 65 वर्ष की आयु पर आरम्भ होती है, 34 से 65 तक की आयु में नहीं, क्योंकि तब वह अर्थोपार्जन कर रहा होगा। उस हद तक उन्हें यह लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से इस पहलू पर भी विचार करने का अनुरोध करता हूं।

जर्मन जनवादी संघ में मैंने यह पाया है कि लाभ पेंशन से विपरीत अनुपात में हैं: 65 वर्ष की आयु पर सदस्य के रूप में 8 वर्ष की सेवा, 60 वर्ष की आयु पर सदस्य के रूप में 12 वर्ष की सेवा और 55 वर्ष की आयु पर सदस्य के रूप में 16 वर्ष की सेवा। इस विशिष्ट प्रणाली का उद्देश्य यह है कि जनता का धन होने के कारण, इस विशिष्ट धनराशि से राजकोष पर भार नहीं पड़ना चाहिए, जबकि एक भूतपूर्व सदस्य जीविकोपार्जन की स्थिति में है। हमें जनता की आलोचना से बचना चाहिए। अतः मेरा कहना है कि इस विशिष्ट अधिनियम को रद्द कर देना चाहिए और एक व्यापक विधेयक सभा के समक्ष लाया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति के एक बार सस्दय बनने पर, सदस्य के रूप में सेवा के वर्षों पर विचार किए बिना, उसकी आयु पर विचार किए बिना, जो व्यापक अधिकार दिया गया है उसे समाप्त किया जाना चाहिए, ताकि हम कह सकें कि हम ऐसे व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन बिताने के लिए यह पेंशन दे रहे हैं, जिने अपना जीवन देश के हित में अर्पित कर दिया था, जिससे जीवन भर किसी भी व्यवसाय से कोई अर्थोपार्जन नहीं किया और जो वृद्धावस्था के कारण अन्यथा सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने की स्थिति में नहीं है। पेंशन के पीछे यही भावना है। हमें लोगों को यह बताना चाहिए और वे इसका समर्थन करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस सिद्धान्त का तो समर्थन करता हूं, किन्तु व्यापक अधिकार का नहीं। मैं पुनः माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा तथा सरकार से इन बातों पर गहराई से विचार

करने तथा यह देखने का आग्रह करूंगा कि क्या इन तथ्यों के आधार पर सभा के समक्ष कोई विधान लाया जा सकता है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : यह एक तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण रवैया है।

श्री० पी० नामग्याल (लद्दाख) : सभापति जी, मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट के पेन्शन के सिलेसिले में जो बिल सदन के सामने रखा गया है, इसमें एक मामूली सी तरमीम लाई गई है जिसकी रू से किसी भी मेम्बर को जिसकी टर्म 60 दिन कम पड़ती हो, उसको पूरी पेन्शन दी जाएगी। मैं इस उसूल से खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन कुछ बातें आप की नोटिस में लाना चाहता हूँ। हमारे देश में खास तौर से दो कांस्टीचूएन्सीज ऐसी हैं—मंडी और लद्दाख—मन्डी हिमाचल प्रदेश में और लद्दाख जम्मू-काश्मीर में, जहां पेपर तो आम चुनाव के साथ दाखिल होते हैं लेकिन चुनाव 6 महीने तक नहीं हो सकते। बल्कि लद्दाख में तो 7 महीने तक इलैक्शन नहीं हो सकते हैं। जो भी मेम्बर इन कांस्टीचूएन्सीज से आयेगा वह इस कानून के तेहत कभी भी पेन्शन का एलिजिबिल नहीं बन सकता।

मेरा सजेशन यह है कि आप को इस कानून में कुछ इस तरह से तरमीम करनी चाहिए कि इसमें एक एक्सेप्शन-क्लाज जोड़ दीजिये कि लद्दाख और मंडी कांस्टीचूएन्सीज से जो मेम्बर चुन कर आयेगा उसके लिये ऐसी पाबन्दी नहीं होगी। आप देखिये—पिछले चुनाव के वक्त हम ने पेपर्ज 7 दिसम्बर को फाइल किये थे, लेकिन चुनाव 11 जूलाई को हुए यानी 7 महीने और चन्द दिनों के बाद चुनाव हुए। लद्दाख में जब भी चुनाव हुए वे कभी भी 7 महीने से पहले नहीं हुए। मुझे उम्मीद है—हाउस के दोनों साइड्स के मेम्बरान इसकी मुखालिफत नहीं करेंगे।

इसी तरह से मैंने पहले भी इसी ऐवान में कहा है—चाहे सरकारी अफसर हों या कानून का कोई नुकता हो—जब भी पहाड़ के इलाकों के लिये, ट्राइबल एरियाज के लिए जो रूल्ज बनते हैं, वे हमेशा उनके खिलाफ बनते रहे हैं। कुछ ऐसे प्वाइंट्स हैं जिनमें उनका इन्टरेस्ट कभी नहीं देखा गया, यह हो सकता कि इन्टेन्शनली न किया गया हो। लेकिन जो रूल्स बनाने वाले हैं या जो कानून बनाने वाले हैं, उनकी इसकी वाकफियत नहीं रहती है कि वहां पर क्या-क्या मुश्किलात हैं। इस तरह के एक, दो केसेज आपकी नोटिस में ले आना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर रेलवे कन्सेशन्स हैं। मेम्बर आफ पार्लियामेंट को यह सहूलियत मिली हुई है कि वह मुल्क के किसी भी कोने में फ्री-पास से जा सकता है और आ सकता है मगर इस देश में कुछ जगहें ऐसी भी हैं, जहां कोई रेलवे का कनेक्शन नहीं हैं वहां के जो मेम्बर आफ पार्लियामेंट हैं, उनको इस रेलवे कन्सेशन से कोई फायदा नहीं मिलता है। यह भी सहूलियत दी गई है कि सेशन एटेंड करने के लिए और जब सेशन चल रहा होता है, तो एक दफा उनको अपने यहां जाने का फ्री पास मिलता है लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारा जो इलाका है, वह 7 महीने तक आफ रहता है और वहां जाने के लिए हवाई जहाज के अलावा और कोई दूसरा मोड आफ ट्रान्सपोर्ट नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि आप इस मोजू पर क्यों नहीं सोचते कि जो कन्सेशन इन जगहों पर नहीं हैं, किसी दूसरी फोर्म में आप इन जगहों पर दे सकते हैं क्योंकि आपने और जगहों के लिए रेलवे का फ्री पास का कन्सेशन रखा हुआ है। जो विंटर मन्थ्स हैं, उनमें तो कम से कम आप फ्री टिकेट बाई एयर कर सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि यहां पर बहुत सारे आनरेबिल मेम्बर्स हैं, जिनकी कांस्टीटुयेन्सी में रेलवे लाइनें हैं। मैं यह नहीं कहता कि देश के हर कोने में और हर मेम्बर की कांस्टीटुयेन्सी में रेलवे लाइने हैं लेकिन बहुत सारी जगहों पर हैं। इसलिए जिनके यहां रेलवे लाइनें नहीं हैं, वहां के लोगों को बहुत नुकसान है और जहां जहां रेलवे लाइनें हैं, उनको बहुत फायदा है। वे अपनी कांस्टीटुयेन्सी में अपने काम से और वहां के लोगों के काम से फ्री आ-जा सकते हैं लेकिन जिनके यहां रेलवे लाइनें नहीं हैं, उनको अपनी जेब से पैसा खर्च करके जाना पड़ता है। तो यह आपके रूल्स में डिस्क्रिमिनेशन है। इसलिए मेरा सजेशन यह है कि नैक्स्ट टाइम, जब भी आप मुनासिब समझें, आप के जो रूल्स बने हुए है, इनमें तरमीम करने की जरूरत है और आप को इस सारे मौजू पर फिर से सोचने की जरूरत है। आप जम्मू व काश्मीर की मिसाल ले लीजिए। हम जम्मू मे हार्डली रेलवे कन्सेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। श्रीनगर जाइए या वहां के किसी भी कोने में जाइए जैसे पूंछ, डीढा और लद्दाख जाइए, हमको कोई फायदा नहीं हैं और वहां पर जो ट्रान्सपोर्ट है, वह बहुत कोस्टली है। इसलिए उस प्रदेश के मेम्बरों को अपनी कांस्टीटुयेन्सी में घूमने-फिरने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और वे वहां घूम भी नहीं सकते हैं। इसलिए हम वहां के लोगों के साथ इन्साफ नहीं कर पाते हैं। एक्सपेंसिव ट्रान्सपोर्ट होने की वजह से हम अपने यहां के लोगों के साथ इन्साफ नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि यह जो आप का बिल है, इसमें और भी तरमीमें लाने की जरूरत है। इस वक्त तो यह पासीबिल नहीं है कि इसमें कोई चेन्ज लाए जाए।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं इस बिल की स्प्रिट की ताईद करता हूं लेकिन इस उम्मीद पर कि हम ने जो प्वाइन्ट्स रेज किये हैं, किसी और वक्त या नेक्स्ट सेशन में, इन पर तवज्जह देगें और दूसरी तरमीमें लाएगें।

इन अल्फाज के साथ में इस बिल की ताईद करता हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : माननीय सभापति जी, जैसा कि श्री परुलेकर जी ने कहा है कि किसी बेस पर, किसी आधार पर जैसे और दूसरे मुल्कों में पेंशन का हिसाब है, वैसा ही कोई आधार यहां बनाया जाता, तो अच्छा था।

जिस किसी सदस्य ने पार्लियामेंट की मेम्बरी पांच साल कर ली हो, पाँच साल किसी ने पार्लियामेंट की सेवा कर ली हो, तो उसे आप पेंशन देते हैं। यही आप का क्राइटीरियन है लेकिन उन लोगों ने क्या बिगाड़ा है, जो यहां पर पाँच साल के लिए चुन कर आए थे और दो, ढाई साल में ही यहां से चले गये क्योंकि लोक सभा भंग कर दी गई। इसी तरह से विधान सभा भंग कर कर दी जाती है। वे लोग तो यहां पर पांच साल के लिए चुन कर आए थे। और उनको पेंशन नहीं मिले तो इसमें उनका कौन-सा दोष है, यह बात समझ में नहीं आती है। एक पार्टी की वजह से उसके डिक्टेटराना व्यवहार, उसकी निरंकुशता की वजह से जो लोग पांच साल के लिए चुन कर आये, अगर उनका टर्म पहले ही समाप्त हो जाता है तो उनको अपराधी मान कर सजा नहीं दी जानी चाहिए। या फिर जैसा कि परुलेकर जी ने कहा कि इसके लिए वही आधार बनाएं जैसा कि दूसरे देशों में बनाया गया है। पांचवी लोक सभा की कमेटी आन द सेलरीज एण्ड अलाउंसिज आफ मैम्बर आप पार्लियामेंट ने इस विषय में विचार किया था और कहा था।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो बिल आपने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। उसके विरुद्ध मैं नहीं हूं। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। कि कभी भी मेम्बर्स की सुविधाओं के बारे में इस हाउस में जिक्र नहीं हो पाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी का ध्यान उन कमियों की ओर गया है जो कि इस एक्ट हैं। में जो यह छठी लोक सभा ने कमेटी बनायी थी और उसने जो रिकमण्डेशंस दी थीं क्या उनकी तरफ भी आपका ध्यान गया है? हम यहां से अण्डमान निकोबार जाना चाहें तो हमें हावड़ा तक तो रेल मिल जाएगी लेकिन वहां से अण्डमान निकोबार, अगर वह हिन्दुस्तान का भाग है—जाने के लिए स्टीमर में फ्री नहीं जा सकते। वहां के लोग फ्री आ सकते हैं। ऐसी ही स्थिति दूसरी आईलैंड्स के बारे में भी है जो कि हिन्दुस्तान के सन्निकट हैं।

हम अपनी पत्नी को केवल एक बार सेसन में ला सकते हैं और एक बार वापिस ले जा सकते हैं। अगर सेसन चार महीने का होता है तो चार महीने में एक बार ले आ सकते हैं और एक बार ले जा सकते हैं। मंत्री लोग तो ऐसा शायद कई बार कर सकते हों लेकिन हम नहीं कर सकते। अगर आप एक प्रथम श्रेणी के पास की बजाए दो प्रथम श्रेणी के पास कर दें तो बहुत सुविधा हो सकती है। यह ठीक है कि बहुत से लोग यह बात कह नहीं पायेंगे लेकिन उनके मन में यह भावना जरूर है। इसके न होने से दिमागी परेशानी रहती है।

अभी जो नयी कमेटी बनी है और उसने जो रिकमण्डेशन की है उसके बारे में मैं एक बार कहना चाहता हूं। आजकल मंहगाई का जमाना है। जब हम लोग अपनी कांस्टीच्युएंसी में जाते हैं तो वहां अगर हमें जीप की सुविधा हो जाए, उसमें हम डीजल वगैरह डलवालें अपनी तरफ से तो भी हमें बड़ी सुविधा हो सकती है। वहां पर हम पहले से लिख दें कि हम उस दिन जा रहे हैं और वहां हमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जीप मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो सकता है। आजकल एक जीप80 हजार रुपये से कम में नहीं आती है। अगर आप मेम्बर आफ पार्लियामेंट लिए ऐसा व्यवस्था करवा दें तो उन्हें बड़ी सुविधा हो सकती है। मैंने सुना है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी व्यएस्था कर दी जाती है। उसी प्रकार की सुविधा अगर दूसरी स्टेट्स भी मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट को अपनी कांस्टीच्युएंसी में जाने के लिए दे दें तो बड़ा अच्छा हो।

एक बात मैं और नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं। ये जो हमारे साऊथ और नार्थ-एवेन्यू के फ्लेट्स हैं ये धर्मशालाओं से भी बदतर हो गये हैं। क्या मंत्री जी आपने और आपके बड़े मंत्री जी ने कभी उनका दौरा करके देखा है कि आपके एस०पीज० लोग उन फ्लेट्स में किस तरह से रहते हैं? क्या आपने उन्हें फ्लेट दे कर ही अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझ ली है? मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा का मेम्बर था। वहां के मिनिस्टर्स लोग दौरा लगा कर वहां के एम० एल०एज० की तकलीफों को देखा करते थे। यह देखा करते थे कि वे कैसे रह रहे हैं, उनको तकलीफ तो नहीं है। लेकिन यहां पर आकर पता चला कि यहां तो कोई अफसर तक नहीं आता तो मन्त्री कौन आएगा।

मुझे एक साल से ज्यादा हो गया है जब मुझे कमरा नम्बर 36 दिया गया, लेकिन आज तक उसकी पुताई नहीं हुई है। उसकी छत टपक रही है और सारी की सारी दीवारें बुरी तरह से फूल गई हैं, उनका चूना गिर गया है और मैं कहते-कहते परेशान हो गया, लेकिन आज तक उसकी पुताई नहीं हुई है। अभी दस दिन पहले फिर कहा है, जवाब मिला कि आज आएंगे-कल आएंगे, आज-कल करते-करते आज हो गया है, लेकिन पुताई नहीं हुई। फमिली को घर से बुलाकर इसलिए रखा हुआ है कि कोई पोतने आयेगा तो कोई आदमी यहां पर होना चाहिए, लेकिन वह भी बेकार गया, क्योंकि अब 3 दिन में तो पुताई हो नहीं सकती।

यही नहीं 10 दिन हो गये हैं जब मैंने बिजली के बल्ब लगाने के बारे में लिखा था, दो बल्ब फ्यूज हो गये हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं आया। ये छोटी-छोटी बातें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। कभी-कभी आप चक्कर लगा लें कि वहां पर क्या हालत है। आपका पानी तो हमको बहुत मार रहा है, आपको तो जीवन दे रहा है, कहते हैं कि पानी जीवन देता है, लेकिन हमको तो मार रहा है। कहते हैं कि इसमें वाल्व होता है जो आगे सरक जाता है, पीछे सरक जाता है, इसकी तकनीक में तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन हमारा पानी का बिल बहुत आता है। 60-70 रुपये महीना पानी का बिल आता है। पता नहीं यह पानी कहां चला जाता है, हम तो इस्तेमाल नहीं करते।

इसी प्रकार से बिजली की हालत है। बिजली वाले को कहते हैं, वह नहीं आता, पुताई वाले को कहते हैं तो पुताई वाला नहीं आता, फर्नीचर वाले को कहते हैं, वो नहीं आता। एक दिन मैंने पूछा कि क्यों नहीं आते तो जवाब मिला कि 11 बजे आदमी गया था तो आप मिले नहीं। अब आप ही बताईये कि अगर हमको कोई कालिंग अटेंशन मोशन देना है तो सुबह साढ़े 9 बजे ही वहां से आना पड़ता है और कौन-सा पार्लियामेंट का मेम्बर है जो अपनी ड्यूटी समझता है और 11 बजे वहां पर वह मौजूद रहेगा।

उत्तर प्रदेश में सुबह और शाम की अलग-अलग शिफ्टें बनाई गई हैं। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक काम होता है और शाम को फिर काम होता है, जिसमें दोनों समय काम हो सके। क्या आप इस तरह का कोई इन्तजाम नहीं कर सकते ?

एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि जितना भी बढ़िया-बढ़िया माल होता है वह तो असिस्टेंट इन्जीनियर और अन्य अफसरों के यहां ही रह जाता है, ये कहां ले जाते हैं यह पता ही नहीं चलता। कोई नया सामान नहीं दिया जाता। निवाड़ के पलंग कहते हैं तो वे भी नहीं हैं, गद्दे कहें तो कहते हैं नहीं है, दरी मांगे तो नहीं है, सब पुरानी ही मिलेंगी, चेअर्स पुरानी मिलेंगी पर्दे पुराने मिलेंगे, मेज पुरानी मिलेंगी, साउथ एवेन्यू में तो यही इन्तजाम है, नार्थ एवेन्यू में कुछ अच्छा हो तो मैं नहीं कह सकता।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : ठीक यही हालत है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : पानी टंकी ओवर-फ्लो करती रहती है। लिखने से काम नहीं होता, क्या करें, लेकिन बिल हमारे सिर पर आता है। क्या चैकिंग करने वाले तीसरे-चौथे दिन नहीं आ सकते ? हां यह जरूर देखा है कि सी० पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारी शाम को चौराहे पर बैठकर शराब पिया करते हैं, यह मैंने अपनी आंखों से देखा है।

मुझे ज्यादा नहीं कहना है, मंत्री जी बहुत समझदार आदमी हैं, लेकिन एक बार कम से कम सब जगह का जायजा तो ले लिया कीजिए कि आपके जो मेम्बर लोग हैं, साथी हैं, ये किन हालतों में रहते हैं। कभी आप भी रहे होंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन सब बातों को देखें।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो उपर वाले फ्लैट्स हैं, इनमें गर्मी बहुत रहती है। इसमें क्रास-वेंटीलेशन नहीं है। क्या आप ऐसा कोई उपाय कर सकते हैं कि हम लोगों को कुछ राहत मिले। एयर कंडीशनर में तो खर्चा बहुत आएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप भत्ता न बढ़ाएं, सेलरी न बढ़ाएं।

यह हमारे जो फर्निश्ड फ्लैट्स हैं इसको फ्री कर दें, बिजली और पानी फ्री कर दें। उसका कोई पैमाना आप बना लें कि इतना फर्नीचर फ्री होगा। और अगर आपको न आता हो, यहां लोग कम अक्लमंद हों तो यू० पी० सरकार से मंगवा लें वह सब जीज फ्री कर देंगे। फ्लैट, फर्नीचर फ्री। और आपने शायद यह भी समझ रखा है कि हर एम० पी० को दिखाया जाय हाथ से झाड़ू कैसे लगायी जाती है। हमको कोई ऐसा आदमी नहीं दिया जो कमरे में झाड़ू लगाए। अगर आप हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं झाड़ू लगाने की तब तो ठीक है। हमको चाय मंगवाने के लिए आदमी नहीं मिलता है। हम अगर घर से अपनी फैमिली को लाते हैं तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। और यह हो नहीं सकता कि एक फैमिली यहां रखें और दूसरी फैमिली वहां रखें, यानि डबल ऐस्टेबलिशमेंट नहीं कर सकते तनख्वाह आप हमको इतनी देते हैं कि उसमें खाना और टैक्सी का खर्चा ही नहीं चलता, तो दो फैमिली कहां से रखेंगे। इसलिए आप यू० पी० सरकार के स्टेट अफ्सर से आदमी मंगवा लीजिए, वह आपको बता देंगे कि क्या क्या चीज फ्री देते हैं। कैसे मैनेज करते हैं बिजली और पानी फ्री।

सभापति महोदय : जो विधेयक है उसका बहुत सीमित क्षेत्र है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उसी से संबंधित बात कर रहे हैं आप क्यों फिक्र कर रहे हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : यह बिल जो है इसका मुंह छोटा या बड़ा करें यह हमारा काम है।

सभापति महोदय : लेकिन मेरा भी यह काम है कि आपको सही राह पर ले चलूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : आपने जल्दी खत्म करने को कहा, वह मैं कर रहा हूं। जितना यहां एक मेम्बर को मिलता है उतना ही यू० पी० में मिलता है, वह भी 1,500 रु० दे रहे हैं, कोई कटौती नहीं पेंशन भी उतनी ही मिलती है। अलाउन्स में जरूर थोड़ा फर्क है, आप 51 रु० देते हैं, यू० पी० में 41 रु० देते हैं। लखनऊ में 1 रु० में आदमी अमीनाबाद रिक्शा में पहुंच जाता है और ढ़ाई, तीन रु० में भोजन कर सकता है। जब कि यहां दिल्ली में 20, 25 रु० से कम में भोजन नहीं हो सकता। इसलिए आप मंत्री जी अभी साउथ ऐवेन्यू का दौरा कर लें और इन धर्मशालाओं को देख लें जहां हम लोग रहते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, यह पेंशन बिल जो प्रस्तुत है उसमें केवल उन लोगों के लिये कुछ व्यवस्था है जो 60 दिन कम एम०पी० रहते हैं और अब तक

कोई पेंशन नहीं मिलती थी। उनके लिये कुछ प्रावधान किया है। मगर दूसरी व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए उनके बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं है। जो पार्लियामेंट का मेम्बर एक दफा चुन कर दुबारा नहीं आता है उसको किस प्रकार की फैसिलिटीज मिलनी चाहिए? एक तो रेलवे पास उसको मिलना चाहिए। जैसे कि पार्लियामेंट का मेम्बर होता है उसी प्रकार का रेलवे पास उसको बराबर मिले ताकि व्यवस्था बराबर चलती रहे। मेडिकल फेसिलिटी भी आवश्यक है। जब आप सरकारी कर्मचारी को जो रिटायर हो जाता है उसको यह फेसिलिटी देते हो तो पार्लियामेंट का मेम्बर जो रिटायर हो जाय उसके बाद उसको और उसके परिवार के लोगों को मेडिकल फेसिलिटी मिलनी चाहिये। अगर नहीं मिलती है तो निश्चित तरीके से उसके बाद का समय काफी खराब निकलता है। यह एक बहुत आवश्यक चीज है।

तीसरी बात यह कि जो पार्लियामेंट का मेम्बर आज काम कर रहा है उसको वह फेसिलिटीज मिलनी चाहिए जिसकी वजह से वह ऐफिशियेंटली काम कर सके। दूसरे देशों में आप देखिए चाहे अमेरिका हो या इंगलैंड वहां पार्लिामेंट के सदस्य को पी० ए० मिलता है, अन्य प्रकार की और सुविधाएं मिलती हैं जिससे वह अपनी कांस्टीट्यूऐंसी के बारे में या पार्लियामेंट के सम्बन्धों जैसे किसी बिल पर बोलना है या उसके पास जो हिन्दुस्तान भर से डाक आती है उसको किस प्रकार से निपटाये उसके सम्बन्ध में अगर इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है तो निश्चित तौर पर पार्लियामेंट का सदस्य ऐफीशियेंटली काम कर सकता है। यह व्यवस्था नितान्त आवश्यक है और निश्चित तरीके से इसको करना चाहिए।

मेरा निवेदन यह है कि एक कांस्टीटुएन्सी 10 लाख की होती है। एक एम० एल० ए० भी अपनी कांस्टीटुएन्सी में नहीं घूम सकता है, तो पार्लियामेंट का मेम्बर किस तरह से इतनी बड़ी कांस्टीटुएन्सी में घूम सकता है? जितने भी पे और एलाउन्स हमको मिलते हैं, वह सब खर्च करके भी हम अपनी कांस्टीटुएन्सी में घूमें तो उससे भी काम नहीं चल सकता है। इसलिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट लेबल पर जो डिस्ट्रिक्ट पूल की जीपें रहती हैं, वह पार्लियामेंट के खाते में हमको अपनी कास्टीटुएन्सी में घूमने के लिए मिलनी चाहिये ताकि हम अपने क्षेत्र के लोगों को देख सकें और उनकी तकलीफों को दूर करने की कोशिश कर सकें। यह व्यवस्था भी नितान्त आवश्यक है।

परिवार के सदस्यों को लाने के सम्बन्ध में आप तो केवल हमको एक पास दे देते हैं कि आप रेल से अपने स्थान से यहां आ जाओ और यदि सेंशन चलें तो पत्नी को भी ले आओं, उसके लिए पास देते हैं। बाकी बाल बच्चे किस तरीके से लाये जायें, इसके सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। जो मेम्बर अपने बच्चों को यहां लाना चाहते हैं, वह अपने गांठ का पैसा देकर यहां ला सकते हैं। बाकी सदस्य अपने परिवार के सदस्यों को नहीं ला सकते हैं।

जब किसी गवर्नमेंट सर्वेन्ट का ट्रांस्फर होता है तो वह सब बच्चों को ले जाता है, उसके लिये उसको पैसा मिलता है, मगर पार्लियामेंट का मेम्बर चुनकर आता है फिर भी उसके परिवार के लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं हैं। इसके लिए भी कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए तब जाकर यह सारी व्यवस्था ठीक बैठेगी।

फर्नीचर वगैरह की जो सुविधा है, उसमें बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सब जगह कोई विधान-सभा ऐसी नहीं है जिसमें पार्लियामेंट से कम पैसा मिलता हो, चाहे डी० ए० हो या सैलरी हो। कोई भी विधान सभा सदस्य हमसे कम पैसा नहीं पा रहा है, हर जगह हमसे ज्यादा पैसा उन्हें मिलता है। वहां डी० ए० और सैलरी ज्यादा मिलती है मगर पार्लियामेंट के मेम्बरों को जिस प्रकार की व्यवस्था में डाल रखा है, उससे वह एफीशियेन्टली काम नहीं कर सकता है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव तो नहीं है, लेकिन मानवीय दृष्किोण से आपको सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए।

माननीय सदस्य ने हमारी हालत के बारे में बहुत कुछ बतलाया। न तो हमारे रेजीडेंस पर कोई फराश है और न ही कोई दूसरी व्यवस्था है। हमें चाहे कोई कमरा मिले, नार्थ एवेन्यु या साउथ एवेन्यु में या किसी कालोनी में मकान मिले, हमको स्वयं अपने कमरे की सफाई करनी पड़ती है। इस तरह की कोई व्यवस्था हमारे मकानों में नहीं है। ऐसी व्यवस्था भी कराई जानी चाहिए।

एफीशियेंटली काम करने के लिये जिन सुविधाओं का मैंने जिक्र किया है, उस प्रकार की सुविधाएं दिलाई जायें ताकि हम ठीक प्रकार से अपने देश की सेवा कर सकें। धन्यवाद।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, पेंशन देने के सिद्धान्त को बहुत सोच-समझकर निश्चित किया गया था। मैं इस सिद्धान्त को सही समझता हूं। कुछ लोग, जो राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं होते, वे हारने के बाद घर बैठ जाते हैं या कोई और धन्धा करते हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, वे सिद्धान्त की बात को लेकर पेंशन देने का विरोध करते हैं। मैं बहुत छोटी उम्र से एक कार्यकर्ता रहा हूं। इस बीच में मैं तीन साल पार्लियामेंट का मेम्बर नहीं था और पेंशन लेता था। अगर मुझे वह पेंशन न मिलती होती, तो शायद मेरे लिए काम करना मुश्किल होता। मेरी तरह के पार्लियामेंट या एसेम्बलीज के मेम्बर बड़ी संख्या में है।

श्री कमलापति त्रिपाठी (वाराणसी) : क्या माननीय सदस्य को दो पेंशन मिलती हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : अभी तक तो नहीं मिलतीं, लेकिन मिलनी चाहिए। स्वतन्त्रता सेनानी वाली पेंशन अलग है, लेकिन वह नहीं मिलती है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : एक अजीब एनामेली है कि जहां तक स्वतन्त्रता सेनानियों को मिलने वाली पेन्शन का सम्बन्ध है, अगर कोई सदस्य चुनाव हार जाता है, तो उसको एक ही पेन्शन मिलती है, और अगर वह चुनाव जीत जाता है और मन्त्री बन जाता है, जैसे ज्ञानी जैल सिंह है, तो उसको पूरी तनख्वाह और भत्ते भी मिलते हैं और स्वतन्त्रता सेनानी की पेन्शन भी मिलती है।

श्री रामावतार शास्त्री : पेन्शन के प्रश्न को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि कोई यहां काम करता है, या एक राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में बाहर काम करता है, वह जनता का काम करता है। अगर कल हम पार्लियामेंट के मेम्बर न रहें, तो हम अपने विचार के मुताबिक बाहर

जनता की सेवा करेंगे। फर्ज कीजिए कि मेरी हालत बहुत खराब है, तो ऐसी हालत में मुझे राजनैतिक काम छोड़कर किसी दूसरे धंधे में जाना पड़ेगा। यह हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए भूतपूर्व सदस्यों को पेन्शन देने का नियम ठीक है और मैं इसे सही समझता हूं।

ज्यादातर मुल्कों में भूतपूर्व सदस्यों को पेन्शन देने का सिद्धान्त है। काफी अगर-मगर करने के बाद यहां यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया। मैं उन लोगों में से हूं, जिनके बारे में श्री गंगवार ने कहा है। इस संशोधन के फलस्वरूप उन सदस्यों को भी पेन्शन मिल सकेगी, जिनकी सदस्य के रूप में अवधि पांच वर्ष में अधिक से अधिक साठ दिन कम है। इस तरह 1952, 1957 और 1967 तक के उन सदस्यों को पेन्शन मिलेगी, जिनकी अवधि पांच साल से कुछ दिन कम है। मैं जानता हूं कि 1952 और 1957 के बहुत से सदस्यों को पेन्शन नहीं मिलती है, क्योंकि उनकी अवधि पांच साल से कुछ दिन कम है। लेकिन 1967 के बाद के ऐसे भी बहुत से सदस्य हैं, जिनका स्वयं का कोई कुसूर नहीं है। कभी इन्दिरा जी ने लोक सभा को डिजाल्व कर दिया और कभी श्री चरण सिंह ने डिजाल्व कर दिया। जो सदस्य पांच साल तक लोक सभा में रह सकते थे और वर्तमान कानून के अनुसार पेन्शन के अधिकारी होते, इन दोनों नेताओं द्वारा लोक सभा को भंग करने के कारण वे पेन्शन के अधिकारी नहीं हैं। मैं जानता हूं कि उनमें से ज्यादातर विभिन्न दलों के राजनैतिक कार्यकर्ता हैं—यह दल का प्रश्न नहीं है—और राजनैतिक काम कर रहे हैं। मैं उनकी कठिनाइयों को जानता हूं। पार्टियां उनको पैसा नहीं दे सकती हैं और घर वाले भी नहीं दे सकते हैं? घर वाले तो उनसे मांगते हैं।

इस प्रकार संसद और विधान मंडलों के उन भूतपूर्व सदस्यों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इस बारे में कोई शर्त न रख कर एक टर्म को मानना चाहिए। कोई पांच साल सदस्य रहे, या प्रधान मंत्री द्वारा लोक सभा को भंग कर देने से तीन साल सदस्य रहे, उसको पेन्शन देनी चाहिए। सरकार को इस सिद्धान्त पर विचार करना चाहिए।

यह जो संशोधन किया जा रहा है, वह ठीक है। इसका कोई विरोध नहीं कर सकता है। लेकिन इससे भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस प्रश्न को किसी राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखेंगे। 5 बजे का समय श्री आर० के० महालगी के प्रस्ताव के लिए निश्चित किया हुआ है। अब श्री आर०के० महालगी अपना प्रस्ताव पेश करेंगे।

नर्मदा जल योजना संबंधी अधिसूचना में रूपभेद करने के बारे में प्रस्ताव

सभापति महोदय : अभी 5 बजे हैं। अब हम श्री आर० के० महालगी के प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

श्री आर० के महालगी (ठाणे) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 6क की उपधारा (7) के अनुसरण में नर्मदा जल योजना के बारे में

अधिसूचना संख्या सा० आ० 770 (ङ) जो दिनांक 10 सितम्बर, 1980 के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और 18 नवम्बर, 1980 को सभा पटल पर रखी गई थी, मैं निम्नलिखित रूपभेद किये जायें :

(एक) पैरा 16 में उप-पैरा (1) के बाद यह अन्त स्थापित किया जाये,

"(क) सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति की सिफारिशों के बारे में किसी भी संबंधित राज्य सरकार की किसी असहमति को भी समीक्षा समिति को सौंपा जायेगा और इस समीक्षा समिति का निर्णय सभी संबंधित राज्यों के लिये अंतिम और मान्य होगा।"

(दो) पैरा 16 के बाद यह अन्तःस्थापित किया जाये।

"16क. इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई भी बात सभी संबंधित राज्यों के बीच आपसी समझौते द्वारा उपर्युक्त सभी या किसी उपलब्ध में परिवर्तन संशोधन या रूपभेद किऐ जाने को नहीं रोकेगी।"

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।"

***श्री आर के० महालगी** : महोदय, मैं आज की कार्यसूची में सम्मिलित प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

प्रस्ताव की उद्देश्य नर्मदा जल योजना के बारे में सरकार की अधिसूचना में संशोधन करना है। यद्यपि ये संशोधन जो मैं लाना चाहता हूं बड़ें विधिक तथा मामूली है। मुझे पूरी पृष्ठभूमि अवश्य बतानी चाहिए, जो नर्मदा जल के विषय पर और विवादों को प्रश्रय देने वाली कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक हैं। अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया था। इस विवाद में चार राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्यप्रदेश सम्मिलित थे। 1969 में नियुक्त किए गए न्यायाधिकरण ने 7 दिसम्बर, 1979 को अपना प्रति वेदन प्रस्तुत किया। इसके अध्यक्ष श्री रामास्वामी थे तथा सदस्य सर्व श्री सिन्हा और अंसारी थे। उनका प्रतिवेदन 12 दिसम्बर, 1979 के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

मैं 10-9-1980 को जारी की गई सरकार की असिूचना में न्यायाधिकरण के निर्णय की उप-खंड 16 (8) और उप-खंड 17 के अनुसरण में दो संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं। जो मामले, मैं इस संशोधन में चाहता हूं, वे अधिसूचना जारी करते समय सिंचाई विभाग की नजर में नही आए थे। अधिसूचना द्वारा तीन निकायों अर्थात नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, समीक्षा समिति तथा सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति के गठन करने का प्रयास किया गया है। अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम की धारा 6क के अन्तर्गत अधिसूचनायें संसद में रखी जानी थी परन्तु सरकार ने अधिसूचना का दूसरा भाग, जिसमें सरदार सरोवर सलाहकार समिति का उल्लेख किया गया है, संसद में नहीं रखी है। 18 नवम्बर, 1980 को सभा पटल पर केवल योजना ही रखी गई।

*मराठी में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति की प्रथम बैठक 4 और 5 दिसम्बर, 1980 को बड़ौदा में हुई थी। समिति में चार राज्यों से 26 प्रतिनिधि थे । परन्तु अधिसूचना में उस व्यवस्था का कोई जिक्र नहीं किया गया जो समिति में उठने वाले किसी विवाद को हल कर सके। गतिरोध उत्पन्न होने पर नर्मदा नियन्त्रण प्राधिकरण समीक्षा समिति के पास जा सकता है। परन्तु सलाहकार समिति अधिसूचना के अन्तर्गत ऐसा कोई मार्ग नहीं अपना सकती है। समिति की प्रथम बैठक में ही कुछ मतभेद उठ खड़े हुए थे और यदि विवादों के हल निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है तो मामले को न्यायालयों में ले जाया जा सकता है। इससे बांध के निर्माण कार्य में रूकावट आयेगी। मैं चाहता हूं कि बांध का निर्माण कार्य नहीं रुकना चाहिये, क्योंकि इससे राष्ट्रीय क्षति होगी।

न्यायाधिकरण ने जो सिफारिश की थी उसे मैं यहां उद्धृत करता हूं :

"सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा आमतौर पर निर्माण सलाहकर समिति की सिफारिशें स्वीकार की जायेंगी असहमति की स्थिति में मामले को समीक्षा समिति के पास भेजा जायेगा और समीक्षा समिति का निर्णय सभी सम्बन्धित राज्यों के लिए अंतिम और मान्य होगा।

इस उपबन्ध को अधिसूचना में शामिल किया जाना चाहिये। मेरे संशोधन में वे शब्द भी सम्मिलित हैं जो कि मैंने प्रतिवेदन से उद्धृत किए हैं।

सरकार ने अपने राजपत्र में दिनांक 4 सितम्बर, 1980 को एक संकल्प संख्या 22-7-80 प्रकाशित किया है जिसके पैरा 5 में मेरे द्वारा पहले उद्धृत की गई न्यायाधिकरण की सिफारिशें सम्मिलित हैं और यही तथ्य स्वयं सरकार का एकमात्र रूप से बचाव कर सकता है परन्तु संकल्प को सभा पटल पर नहीं रखा गया है। केवल दिनांक 10 सितम्बर, 1980 की ही एक अधिसूचना को सभा पटल पर रखा गया है और उसमें न्यायाधिकरण की उपर्युक्त सिफारिश सम्मिलित नहीं है। कुछ पत्रों को सभापटल पर रखना कोई औपचारिकता नहीं है, अपितु अन्तर्राज्यकीय जल-विवाद अधिनियम की धारा 6-क की उपधारा 7 के अनुसार सरकार पर एक विधिक बन्धन है, चूंकि सरकार ने ऐसा नहीं किया है, इसलिए मामला न्यायालयों में उठाया जा सकता है तथा विधिक कठिनायां खड़ी हो सकती हैं, जिससे बांध के निर्माण कार्य में बाधा पड़ सकती है इसलिए मैं सभापटल पर रखी गई अधिसूचना में संशोधन चाहता हूं।

मेरे दूसरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि न्यायाधिकरण का चाहे कुछ भी निर्णय क्यों न हो यदि इसकी क्रियान्वित के दौरान सम्बन्धित राज्य कुछ मामलों पर कोई समझौता करते हैं तो नर्मदा नियन्त्रण प्राधिकरण को उस समझौते की कार्यान्विति में रोड़ा नहीं बनना चाहिये। इस सिफारिश की भी यही भावना और सार है जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं :

धारा 14 का उप-खण्ड 7।

"इस आदेश में निहित कुछ भी सभी सम्बन्धित राज्यों के बीच हुए समझौते द्वारा पहले दिए गऐ सभी या किसी एक खण्ड को बदलने संशोधित करने या उसमें रूपभेद करने में लागू नहीं होगा।"

यह बात 4 सितम्बर, 1980 के संकल्प में भी सम्मिलित की गई है, परन्तु अधिसूचना में उसका जिक्र भी नहीं है और इसीलिए मैं इसमें संशोधन चाहता हूं मेरा उद्देश्य सरकार के काम में बाधा डालना नहीं है, अपितु भविष्य में उठ खड़े होने वाले विवादों और विधिक कठिनाइयों को पहले से ही रोकना है। मुझे आशा है कि सरकार मेरे संशोधनों को स्वीकार कर लेगी।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी (मेहसाना) : सभापति जी, श्री महालगी जी के सुझाव के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यह एक बहुमूल्य योजना है, इस को पुनः वाद-विवाद में न डालें और जल्द से जल्द इस को कार्यान्वित होने दें। अगर इस में किसी तरह की कोई उप-धारा या धारा की कमी रह गई है, तो उस को फिलहाल वाजू में रख कर, बिना कोई समय गंवाते हुए काम कर देना चाहिए। यह ऐसी योजना है जिस से लाखों एकड़ भूमि को पानी मिलनेवाला है, जिस से देश की बेकारी, गरीबी और भूख दूर हो सकती है। पहले ही 15-20 साल हम इस वाद-विवाद को निपटाने में गंवा चुके हैं, अब हम को किसी भी तरह के वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहिये और जो काम अब बिना किसी अमेण्डमेंट के चल सकता है उस को जल्द से जल्द कार्यान्वित करना चाहिये। फिर यदि कोई ऐसा अमेण्मेन्ट है जिस के किये बिना काम नहीं चल सकता तो उस को अभी सदन में कर लें, लेकिन उसके आधार पर काम नहीं रोका जाना चाहिए। जो भी जरूरी कदम उठाने हों उन को फोरन कर लिया जाय, लेकिन इस योजना को जल्द अमल में लाया जाय।

श्री नरसिंह मकवाना (ढंढका) : माननीय सभापति जी, महालगी जी, ने जो प्रस्ताव इस समय सदन के सामने रखा है, मैं उस का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस प्रस्ताव का विरोध मैं इस लिये कर रहा हूं कि महालगी जी ने रूल्ज का अध्ययन पूरी तरह से नहीं किया है। यदि उन्होंने इस का अध्ययन पूरी तरह से किया होता तो उन को इस तरह की शिकायत नहीं होती। जिस तरह का अनुबन्ध रखने की उन्होंने इस प्रस्ताव में सिफारिश की है, उस तरह की व्यवस्था इस योजना में पहले से है। मैं उन का ध्यान रूल 16(1) की ओर दिलाना चाहता हूं कि जिस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है—

एक पुनर्विलोकन समिति होगी जो स्वप्रेरण से या किसी पक्षाकार राज्य के आवेदन पर प्राधिकरण के किसी विनिश्चय कर पुनर्विलोकन करेगी।

अगर किसी राज्य को कोई आपत्ति है, कोई तकलीफ़ है तो उस पर विचार करने के लिये समिति है जिस में केन्द्र के मंत्री और चार राज्यों के मुख्य मंत्री है। केन्द्र का मंत्री इस समिति का अध्यक्ष है। इस समिति के सामने उस आपत्ति को रखा जा सकता है और यह समिति फैसला कर सकती है, यदि सर्व-सम्मत फैसला न हो सके तो अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह बहुमत से निर्णय कर सकता है। अध्यक्ष को यह अधिकार भी है—जैसा इस में लिखा है—

अत्यावश्यक मामलों में पुनर्विलोकन समिति का अध्यक्ष पक्षकार राज्य के आवेदन पर, पुनर्विलोकन के सम्बन्ध में अन्तिम विनिश्चय होने तक प्राधिकरण के किसी आदेश के निष्पादन को रोक सकता है। ऐसी स्थिति में जो बात महालगी जी चाहते हैं वह पहले से ही इस में मौजूद है।

अभी हमारे माननीय सदस्य मोतीभाई चौधरी ने जैसा कहा है कि यह योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है, हम ने पहले ही इस में 20 साल की देर लगा दी है। उन्होंने जो कहा है और उन के प्रस्ताव में जो व्यवस्था है, उस को अगर मान लिया जाएगा, तो मैं ऐसा समझता हूं कि नर्मदा जल योजना कभी पूरी नहीं होगी। इन का प्रस्ताव है, वह नर्मदा योजना के काम की टप्प करने का है, ऐसी मेरी आशंका है।

श्री आर० के० महालगी : नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री नरसिंह मकवाना : इसलिए में कहना चाहता हूं कि इस तरह का प्रस्ताव लाने की कोई जरूरत नहीं है। यह जो प्रारूप तैयार हुआ है, यह बहुत सोच-विचार करने के बाद हुआ है और मेरा ख्याल है कि कम से कम एक साल तक एक्सपर्ट्स लोग जो थे, उन्होंने इस पर विचार किया और उसके बाद इस को तैयार किया और सभी राज्यों ने इस को मंजूर किया है, सभी राज्यों की मंजूरी होने के बाद यह प्रारूप तैयार हुआ है। इस के अन्दर संशोधन करने के ये हमारे देश के विकास को रोकना चाहते हैं। मैं माननीय महालगी का ध्यान इस बात की तरफ़ खींचना चाहता हूं, जिस से उनके दिमाग में अगर कोई गलतफहमी हो, तो वह निकल जाएगी कि सारी योजना के अन्दर अलग-अलग राज्यों को एक तरह की वीटो की पावर दी गई है। अगर किसी राज्य को नुकसान होता है, तो वह प्राधिकरण के सातने अपनी बात रख सकता है और उसको करा सकता है। सैन्ट्रल गवर्नमेंट भी देखने वाली है और यह जो समिति है, वह भी देखने वाली है। इसलिए कोई डर रखने की जरूरत नहीं है। अधिसूचना में 2(4) में जो दिया हुआ है, उस को मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :—

> "कोई अन्य ऐसा विषय जिसके विनिश्चय की बाबत चार पक्षकार राज्यों में से कोई यह अपेक्षा करे कि वह किसी ऐसे अधिवेशन में किया जाये जिनमें पक्षकार राज्यों के सभी सदस्य उपस्थित हैं।"

आप यह देखें कि इस के अन्दर पूरा प्रावधान है कि कोई भी निर्णय होगा, तो उसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि हाजिर होंगे और जो भी निर्णय होगा, जो भी फ़ैसला होगा, वह सभी को मान्य होगा, मजूर होगा। ऐसा इसमें इन्तजाम है और इस सब को देखते हुये मुझे लगता है कि महालगी जी ने जो प्रस्ताव रखा है, वह गलतफ़हमी में रखा है और पूरा न समझने की वजह से ऐसा हुआ हुआ है। अगर महालगी जी के प्रस्ताव को मान लिया जाएगा, तो नर्मदा योजना को पूरा करने में देर लगेगी और इस से हमारा बहुत नुकसान होगा। नर्मदा योजना का एवार्ड मिलने के बाद एक राष्ट्रीय भावना खड़ी हुई थी, उस राष्ट्रीय भावना कठोर स पहुंचाने की बात महालगी का प्रस्ताव कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि महालगी जी अपने प्रस्ताव को वापस ले लें। इस को वापस ले कर ही राष्ट्रीय शक्तियों को बल दिया जा सकता है, ताकत दी जा सकती है और रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि महालगी जी अपना प्रस्ताव वापस ले लेंगे।

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई मंत्री (राव बीरेन्द्रसिंह) : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों सर्वश्री मोतीभाई चौधरी और नरसिंह मकवाना ने यथास्थिति को ठीक से समझा है। ऐसा लगता है कि कोई गलतफहमी हुई है जिसके कारण श्री महालगी उस तन्त्र की व्यवस्था में संशोधन के इस प्रस्ताव को लेकर आए हैं, जिसे गत वर्ष अन्तर्राज्यिकीय जल विवाद अधिनियम 1956 को संशोधित करके बनाया गया था। 1969 में जब नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी तो उसके बाद इसे अपने प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में लगभग दस वर्ष का समय लगा जिसे एक बार उसके पास वापिस भेजा गया और अन्ततः 1979 में इसे अन्तिम रूप दिया गया। इस प्रतिवेदन के अनुसार एक तन्त्र की निस्तर पर स्थापना करनी थी। एक था नर्मदा नियन्त्रण प्राधिकरण। दूसरी थी सरदार सरोवर के लिए निर्माण सलाहकार समिति। इन दो निकायों द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा करने के लिए एक समीक्षा समिति भी स्थापित की जानी थी।

माननीय सदस्यों को शायद यह आशंका है कि यह समीक्षा समिति-निर्माण समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा करने के लिए सक्षम नहीं होगी और उन्हें यह लगता है कि न ही इसमें यह व्यवस्था की गई है कि यदि सभी राज्य सहमत हों तो न्यायाधिकरण के निर्णय को बदला जा सकता है। परन्तु स्थिति यह है कि जो कुछ माननीय सदस्य सुनिश्चित कराना चाहते हैं वह तो पहले से ही न्यायाधिकरण के निर्णय में दे दिया गया है। न्यायाधिकरण का निर्णय···

(व्यवधान)

श्री आर०के० महालगी : क्या अधिसूचना में यह बात दी हुई है। यही मुख्य मुद्दा है।

राव बीरेन्द्रसिंह : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री आर०के० महालगी : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? इससे तो बहुत भारी फर्क पड़ता है।

राव बीरेन्द्रसिंह : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यायाधिकरण के निर्णय को 12 दिसम्बर, 1979 के राजपत्र में प्रकाशित किया गया और सभी पक्षों के लिए समग्र रूप से यह मान्य है। जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा हैं, इस न्यायाधिकरण के निर्णय में ये दोनों बातें दी हैं।

निर्माण सलाहकार समिति की समीक्षा के बारे में, समीक्षा समिति के कृत्यों के सम्बन्ध में संशोधन की व्यवस्था भी राजपत्र-अधिसूचना के पृष्ठ 1439 पर की गई है और यह ठीक वैसा ही है जैसा कि माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्तुत किया है। न्यायाधिकरण का यह निर्णय अंतिम है और यह एक मान्य है। हमने विधि मंत्रालय की सलाह ली है। यह स्थिति है और सरकार ठीक ही सोचती है कि इससे···नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री आर०के० महालगी : क्या आप स्थिति स्पष्ट करेंगे?

राव बीरेन्द्रसिंह : मेरी बात सुनिए। आपके मन में अभी भी वही बात घुसी हुई है कि इसमें कुछ कमी है। परन्तु सरकार के अनुसार ऐसी बात नहीं है। और यदि आप यह स्वीकार

कर लेते हैं कि यह न्यायाधिकरण के निर्णय में दिया हुआ है तो सब बात हल हो जाती है। आपको इस बात से निश्चिन्त रहना चाहिए कि इन उपबन्धों को अन्य अधिसूचनाओं में सम्मिलित न किए जाने से और सभा पटल पर न रखे जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः संक्षेप में मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि वह इन बातों पर जोर न दें। वे तो पहले से ही न्यायाधिकरण के निर्णय में दी हुई हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वह अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

***श्री आर०के० महालगी :** माननीय सदस्यों, सर्वश्री मोतीभाई और मकवाना ने मेरी दलीलों पर कुछ आपत्तियां उठाई हैं। मैं श्री मोतीभाई की इस बात से सहमत हूं कि चाहे सरकार संशोधन को स्वीकार करती या नहीं परियोजना चालू रहनी चाहिए और काम में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। श्री मकवाना ने मेरे संशोधनों के पीछे राजनीतिक चाल देखी। मैं यह बात नहीं समझ सका कि राजनीतिक लक्ष्यों के बारे में उन्हें सन्देह क्यों करना चाहिए। यह तो एक ऐसा मामला है जो राजनीति से ऊपर है और मैं उसे वैसा ही समझता हूं। मेरी तो केवल यही इच्छा है कि नर्मदा परियोजना बिना किसी अड़चन के पूरी हो जाए।

मैं मंत्री महोदय के इस कथन से सहमत नहीं हो सकता कि मेरे संसोधनों को अधिसूचना में सम्मिलित न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कमी की ओर सरकार का ध्यान दिलाना मैं संसद सदस्य के नाते अपना कर्तव्य समझता था और मैंने वही किया है।

अधिनियम की धारा 6क (7) के उपबन्ध अनिवार्य हैं। यह सरकार को प्रत्येक उस योजना और इसके अंतर्गत बनाए गए प्रत्येक विनियम को सभा पटल पर रखने का आदेश देता है। 4 सितम्बर, 1980 के संकल्प को इसके अनुसार सभा पटल पर नहीं रखा गया है, परन्तु फिर भी लगता है मन्त्री महोदय सोचते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। मन्त्री महोदय की भोली आशाओं के बावजूद, इस उपबन्ध को न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है और बांध के निर्माण कार्य में बाधा पड़ सकती है। इसी आशंका को लेकर मैंने ये संशोधन प्रस्तुत किए हैं। सरकार की गलतियों की मीन-मेख निकालने का मेरा उद्देश्य नहीं था अपितु एक भूल को सुधारने से मेरा मतलब है। सुझाए गए संशोधन के साथ ही अधिसूचना सभा पटल पर रखी जानी चाहिये।

मैं इस परियोजना के उद्देश्य का स्वागत करता हूं और इसीलिए मैं इसके रास्ते में कोई बाधा उपस्थित नहीं करना चाहता। यदि माननीय सदस्य इस मामले पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हैं तो मैं अपने संशोधनों की स्वीकृति के लिए जोर नहीं दूंगा। वरन : मुझे सदन से अनुरोध करना पड़ेगा कि वह इन्हें स्वीकार करें।

यदि आप कह सकते हैं कि "मैं इस सारे मामले पर फिर से विचार करूंगा, तो मैं अपना प्रस्ताव वापस ले लेता हूं।

सभापति महोदय : उन्होंने विधि मंत्रालय से परामर्श किया है और तब उस पर अपनी राय दी है। अब क्या आप अपने प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री आर०के० महालगी : नहीं, मैं सरकार के ऐसे निर्णय का समर्थन नहीं करता हूं।

*मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सभापति महोदय : क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं।

श्री आर०के० महागी : नहीं, मैं इसे वापस नहीं ले रहा हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह नहीं।

"कि यह सभा संकल्प करती है कि अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 6क की उपधारा (7) के अनुसरण में नर्मदा जल योजना के बारे में अधिसूचना संख्या सां० आ० 770 (ङ) जो दिनांक 10 सितम्बर, 1980 के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी 18 नवम्बर, 1980 को सभा पटल पर रखी गई थी, में निम्नलिखित रूपभेद किये जायें :—

(एक) पैरा 16 में उप-पैरा (1) के बाद यह अन्त:स्थापित किया जाऐ,

"(1क) सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति की सिफारिशों के बारे में किसी भी संबंधित राज्य सरकार की किसी असहमति को भी समीक्षा समिति को सौंपा जायेगा और इस समीक्षा समिति का निर्णय सभी संबंधित राज्यों के लिये अंतिम और मान्य होगा।"

(दो) पैरा 16 के बाद यह अन्त:स्थापित किया जाऐ,

"16क. इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई भी बात सभी संबंधित राज्यों के बीच आपसी समझौते द्वारा उपर्युक्त सभी या किसी उपबन्ध में परिवर्तन संशोधन या रूपभेद किए जाने को नहीं रोकेगी।"

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

उत्तर प्रदेश के एटा जिले में डाकुओं द्वारा हरिजनों की हत्या किये जाने के बारे में वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : महोदय, जिला एटा में डाकुओं द्वारा हरिजनों तथा अन्य लोगों की हत्या किए जाने पर सरकार को गहरा खेद है। उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पोथी डाकुओं के गिरोह ने गांव कुंवर पुरा, पुलिस थाना जेथरा, जिला एटा, उत्तर प्रदेश में 2 और 3 मई, 1981 के बीच की रात्रि में धावा बोल दिया। उन्होंने पन्द्रह लोगों को कतार में खड़ा किया और उन्हें गोली मार दी। 10 लोग घटना स्थल पर ही मारे गए और एक व्यक्ति अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में मर गया। चार अन्य व्यक्ति घायल हुए। जो ग्यारह व्यक्ति मारे गए हैं, वे अनुसूचित जाति के हैं। एक दिन पूर्व उसी गिरोह ने अलीगंज थाने के क्षेत्र में 2 अन्य गांवों में 7 व्यक्तियों को हत्या की थी। इनमें अनुसूचित जाति के अलावा अन्य समुदाय के लोग शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़ितों को राहत देने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एटा को एक लाख रुपऐ की राशि दी है।

जब तक जांच-पड़ताल पूरी नहीं हो जाती है इन नृशंस हत्याओं का उद्देश्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। परन्तु अब तक उपलब्ध सूचना और संकेतों के आधार पर राज्य सरकार यह महसूस करती है कि यह डाकुओं के एक गिरोह द्वारा मनमानी हत्या अथवा प्रतिशोध का मामला है। इसके शिकार व्यक्तियों में अनुसूचित जातियों के व्यक्ति तथा अन्य लोग शामिल हैं।

आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक तुरन्त घटनास्थल पर पहुंच गये थे और गिरोह के सदस्यो को पकड़ने के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। अन्य डकैती विरोधी उपाय भी तेज कर दिये गए हैं। पीड़ित व्यक्तियों के परिवारों के साथ मेरी हार्दिक सहानुभूति है।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। स्टेट के जो मिनिस्टर हैं उनके स्टेटमेंट में और इनके स्टेटमेंट में अंतर है।

सभापति महोदय : अब कोई प्रश्न नहीं पूछा जाये और नहीं चर्चा की जायेगी। यह नियम विरुद्ध है। अब हम आधे घन्टे की चर्चा लेंगे।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

श्री राम विलास पासवान (हाजिपुर) : एक आदमी की मौत की कीमत 5,000 रु० और दूसरा मारा जायगा तो उसके लिये 10,000 रु०.....

सभापति महोदय : इस वक्तव्य पर प्रश्नों की अनुमति नहीं है कुछ भी कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)**

श्री जैल सिंह : मैं प्रदेश की सरकार को कह रहा हूं कि यह रकम बहुत कम है।

श्री रामविलास पासवान : यह ठीक है, कहिये।

"ए क्युरेबल डिलीज मेड इन्क्युरेबल बाई बावर्टी" (साधन रोग गरीबी के कारण साधन बन गया)। शीर्षक सम्बन्धी समाचार

श्री बापू साहिब परूलेकर (रत्नगिरी) : सभापति महोदय, यह आधे घन्टे की चर्चा तारांकित प्रश्न संख्या 538 के 26 मार्च 1981 को दिये गये उत्तर से उठी है।

महोदय, प्रश्न यह था कि क्या सरकार का ध्यान 24 फरवरी, 1981 के समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स में ए क्यूरेबल डिजीज मेड इन्क्यूरेबल साध्य रोग गरीबी के कारण असाध्य बन गया शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है जिसमें गरीब रोगियों को राजेन्द्र बाबू टी० बी० अस्पताल में दाखिल होने में आने वाले कठिनाईयों का वर्णन किया गया है यदि हां, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है।

महोदय, कुछ विमेष अनुयूरक प्रश्न पूछे गये थे और माननीय मंत्री महोदय ने उस समय कहा था कि उन्हें कोई सूचना नहीं है। यह विषक अनुपूरक प्रश्नों के रूप में साइक्लोस्टाइल्ड

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

वादविवाद के पृष्ठ संख्या 15544 से ले ली 15549 तक में है । तथा ये अनुपूरक प्रश्न स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी आवश्यक औषधियों की कमी के सम्बन्ध में थे इन औषधियों की 19 मार्च, 1981 से पूर्व 15 दिन से कमी चल रही थी ।

माननीय मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, वह इस प्रकार है :

"मेरे पास वह सूचना विशेष उपलब्ध नहीं हैं । आहार के बारे में भी माननीय सदस्य ने पूछा है उस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि मेरे पास इस समय सूचना उपलब्ध नहीं है।"

इन सभी बातों का लेख में उल्लेख किया गया था और इस प्रकार के उत्तर के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी मन्त्री महोदय से कहा था के वह स्पष्ट उत्तर दें क्यों कि माननीय सदस्य एक अवधि विशेष में औषधि विशेष की कम सप्लाई के बारे में पूछ रहे थे । अतः इसलिये कि मुझे पूरा उत्तर मिले तथा चूंकि मन्त्री महोदय के पास उस समय वह सूचना उपलब्ध नहीं थी इस आधे घन्टे की चर्चा की स्वीकृति दी गई है ।

इस प्रश्न विशेष के तीन पहलु हैं । पहला यह है कि आवश्यक अथवा जीवनदायिनी औषधियों की कमी है । दूसरा दिल्ली के अस्पतालों में दाखिले सम्बन्धी निर्धारित मानदंड के बारे में है तथा तीसरा पहलू यह है कि किसी योजना विशेष के अन्तर्गत रोगियों को आहार और फलों की सप्लाई कैसे की जाती है । इन बातों के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रश्न पूछे गए थे और उनके कोई उत्तर नहीं दिए गए थे और इसलिये मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूं ।

महोदय, समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि राजेन्द्र बाबू टी० बी० अस्पताल में रोगियों की कठिनाइयों स्ट्रेप्टोमाइसिन जोकि क्षय रोग के इलाज के लिए महत्वपूर्ण औषधि है के उपलब्ध न होने के कारण बढ़ गई है । इस समाचार को सत्य सिद्ध करने वाली जो सूचना है वह इस प्रकार है ।

19 मार्च से पूर्व 15 दिनों तक अस्पताल के स्टोर में कोई स्ट्रेप्टोमाइसिन उपलब्ध नहीं थी । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है और मुझे विश्वास है कि माननीय मन्त्री जी ने अब तक सूचना एकत्रित कर ली होगी । यह केवल कमी का प्रश्न नहीं है बल्कि उन गरीब बीमारों का भी प्रश्न है जो इस औषधि को खरीदने की स्थिति में नहीं थे किन्तु उन्हें अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि वे यह औषधि अपने पैसे से खरीद लायें । अगर वह ऐसा नहीं कर सके वो उन्हें अस्पताल छोड़ कर चले जाने के लिए कहागया । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सत्य है और यदि सत्य है तो 19 मार्च से 15 दिनों की अवधि के दौरान वह औषधि की कमी क्यों थी और क्या 19 मार्च से पहले अथवा बाद में कुछ ऐसा समय था जब यह औषधि उपलब्ध नहीं थी और क्या यह औषधि उपलब्ध थी किन्तु उपलब्ध न होने का बहाना बना कर उसकी सप्लाई नहीं की गई । मुझे यह सूचना प्राप्त हुई है कि गरीब लोगों को यह स्ट्रेप्टोमाइसिन उपलब्ध नहीं है जब कि अमीर रोगियों को इसी अवधि के दौरान इस औषधि से इलाज किया गया । इस प्रकार के समाचार मिले हैं । मैं किसी प्रकार के आरोप नहीं लगाना चाहता । यदि यह सत्य है तो मेरा यह निवेदन है कि यह बड़ी गम्भीर बात है और इसकी जांच होनी चाहिए ।

दूसरी बात, जिसकी ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि इस अवधि विशेष के दौरान स्ट्रेप्टोमाइसिन उपलब्ध न होने के कारण कुछ रोगियों को छुट्टी दे दी गई थी। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्रीजी इस महान सदन को यह सूचना दें कि 19 मार्च से पहले 15 दिनों की अवधि के दौरान और उसके बाद 19 मार्च तक कितने रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दी गई? क्या यह सत्य है कि उन्हें इसलिए छुट्टी दी गई क्यों कि स्ट्रेप्टोमाइसिन खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं था—यह टी०बी० अस्पताल में औषधियों के सम्बन्ध में था।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात मैं आहार के बारे में कहना चाहता हूं। सरकार आहार पर पैसा खर्च करती है। यक्ष्मा पीड़ित रोगियों को विशेष आहार और खुराक की आवश्यकता होती है। उन्हें घटिया खूराक दी गई और उनें वह आहार नहीं दिया गया जो उनके लिए निर्धारित किया हुआ है। इस समाचार के बाद मैंने अस्पताल में जा कर स्वंय देखा। मैं वहां रोगियों से मिला और उनसे यह सुन कर मैं सन्न रह गया कि जो आहार उनके लिए स्वीकृत किया जाता है अर्थात मांस और फल उनके लिए स्वीकृत किये जाते हैं उन्हें वह उस अवधि में नहीं दिए गए थे। मैं आपके माध्यम से भन्डार महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सत्य है? मेरा यह स्पष्ट प्रश्न है कि अस्पताल में मांस और फल उन पन्द्रह दिनों में उपलब्ध नहीं किये गये थे किन्तु व्यय दर्शाया गया है जिससे यह संकेत मिलता है कि मांस और फल खरीदे गये थे क्या यह सही है? मुझे इस सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर चाहिए। या आप मुझे बता सकते हैं कि कि आप इसकी जांच करेंगे या यह हुआ है कि मीट खरीदा गया हो, पकाया गया हो और रोगियों को देने की बजाए किसी और को दे दिया गया हो। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता। टी०बी० अस्पतालों के बारे में यह विशेष रूप से नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां रोगियों को विशेष भोजन की आवश्यकता होती है। एक बात और है। आपातकाल के दौरान हम जेल में थे। यह कहा गया कि नजरबन्दियों को फल दिए गए। लोगों ने हमसे इस बारे में पूछा और कहा कि हम लोग प्रसन्न थे। सप्ताह में एक बार 0.75 रुपए के फल दिए जाते थे। रोगियों ने मुझे बताया कि खाने के लिए जो फल दिए गए वे एक स्वास्थ्य व्यक्ति के खाने लायक नहीं थे। उन्होंने इन फलों को अस्पताल के इर्द-गिर्द चक्कर लगाने वाले बन्दरों को दे देते थे। सभापति महोदय, आपको यदि अवसर मिले तो आप लंच के समय किसी भी वक्त वहां जाइये आप कुछ विशेष रोगियों को ऐसा करता पाएंगे। राजन बाबू अस्पताल के टी०बी० रोगियों की यह अवस्था है।

मैं जानना चाहता हूं कि इस अस्पताल विशेष में दाखिल करने का क्या तरीका है। आम-तौर पर लोग जाकर यह कह देते हैं कि उनकी आय 500 रुपये से कम है परन्तु रोगियों ने मुझे बताया कि ऐसे कई रोगियों की मिसालें हैं जिनके पास अपने बंगले हैं, अपनी सम्पति है। और वे दाखिल हैं। इस अस्पताल में दाखिल होने वाले और इलाज कराने वाले 60% से अधिक रोगी ऐसे ही हैं। आप इस अस्पताल में दाखिल होने वालों की एक लम्बी लाइन देखकर हैरान हो जाएंगे। मैंने कुछ लोगों को राजन बाबू अस्पताल के प्लेटफार्म पर सोए हुए पाया और इस अस्पताल में दाखिल होने के लिए पन्द्रह दिनों से प्रतीक्षा करते पाया।

मेरा अगला प्रश्न अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से सम्बन्धित है। कैन्सर के लिए आवश्यक सभी दवाइयों का अभाव है। एडरियामाइसिन, परोक्यूरावेजिन, थियोएपा क्या कुछ

अन्य दवाइयों के बारे में, जिनकी प्रति कैप्सूल कीमत 8 या 9 रुपए है और न्यूनतम खुराक दिन में दो कैप्सूल है, अस्पताल के अधिकारी कहते हैं कि ये दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं या इन दवाइयों की कमी है। परन्तु ये दवाइयां बहिरंग रोगियों को दी जाती हैं। आप समझते होंगे कि बहिरंग रोगियों और अस्पताल में दाखिल रोगियों से मेरा क्या तात्पर्य है। अस्पताल में दाखिल रोगियों को कहा जाता है 'दवाइयों का अभाव है, दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं, हम आपको दवाइयां नहीं देंगे आप स्वयं खरीद लीजिए।" परन्तु उसी दिन अन्य रोगियों को दवाइयां दी गई।

इन परिस्थितियों को देखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से रोगियों, गरीब व्यक्तियों की हालत पर गम्भीरता से विचार करने का अनुरोध करूंगा। जिनके लाभ के लिए उन्होंने अस्पताल खोले हैं। परन्तु उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। इसका लाभ किसी और को मिलता है। अतः मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय हमें यह बताएं कि मैंने जो मुद्दे उठाए हैं उनकी स्थिति क्या हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): सभापति महोदय, आरम्भ में मैं माननीय सदस्य श्री बापू साहिब परुलेकर को टी०बी० का महत्वपूर्ण मामला उठाने के लिए धन्यवाद करता हूं। आप जैसा कि जानते हैं टी०बी० हमारे देश में स्वास्थ सम्बन्धी एक प्रमुख समस्या है। हम सरकारी स्तर पर समस्या का सामना करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं यहां तक कि मौजूदा योजना अवधि में हमने कुछ कदम उठाए हैं ताकि हम समस्या का सामना कर सकें। परन्तु यहां मामला भिन्न है।

मेरे माननीय मित्र ने राजन बाबू अस्पताल, दिल्ली के बारे में कतिपय मुद्दे उठाए हैं। कुछ अनियमितताओं की बातें उठाई हैं और संस्थान के कार्यकरण या गलत ढंग से कार्यकरण के बारे में बातें उठाई हैं। मैंने सभी मुद्दे नोट कर लिए हैं और मैं मुद्देवार उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

ऐसा करने से पूर्व मैं इस संस्थान की कुछ पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं। राजन बाबू टी० बी० अस्पताल, दिल्ली की 1113 बिस्तरों की क्षमता है। इसका संचालन दिल्ली नगर निगम करता है। इस अस्पताल को शैक्षिक संस्थान की मान्यता प्राप्त है और पलमोनेरी टी०बी० तथा अन्य छाती रोगों के लिए इसके पास चिकित्सा और शल्य चिकित्सा की पूर्ण सुविधाएं प्राप्त हैं। मैं कुछ आंकड़े भी दे सकता हूं। वर्ष 1980 में 7,36 (1) अंतरंग और 5,313 बहिरंग रोगियों का इलाज किया गया।

मैं अब उस पहले मुद्दे पर आता हूं जो माननीय सदस्य ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की कमी या अनुलब्धता के बारे में उठाया है। यह कमी या अनुलब्धता 19 मार्च, 1981 से एक दम पहले वाले पखवाड़े में रही। यह तथ्य है कि राजन् बाबू टी०बी० अस्पताल में स्ट्रेप्टोमाइसिन का अभाव था। पर यह एक पखवाड़े तक नहीं रहा। यह अभाव 11 मार्च से 19 मार्च, 1981 तक लगभग एक सप्ताह या नौ दिन रहा। यह कहना ठीक नहीं है कि दवा का अभाव लगभग एक पखवाड़े तक रहा। यह केवल नौ दिन 11 मार्च से 19 मार्च, 1981 तक रहा। इसका कारण यह था कि 20 मार्च, 1981 को आई०डी०पी०एल० को दवा की सप्लाई का जो आदेश दिया गया था उसने सप्लाई नहीं की···।

श्री सतीश अग्रवाल : आदेश कब दिया गया था ?

श्री निहार रंजन लास्कर : पहले जनवरी में एक आदेश दिया गया था परन्तु वे उस तारीख से पूर्व हमें दवा देने में असमर्थ रहे। अत: इस अभाव को पूरा करने के लिए हस्पताल ने दिल्ली नगर निगम के सह संगठनों से स्ट्रेप्टोमाईसन के 20,000 वायल्स उधारे लिए। तत्पश्चात् अस्पताल को स्ट्रेप्टोमाइसिन का स्टाक आई०डी०पी०एल० से प्राप्त हो गया और अब हस्पताल में टी०बी०के० रोगियों को यह औषध दी जा रही है और इसका अब कोई अभाव नहीं है। यह अभाव उस समय केवल 9 दिन तक रहा। परन्तु मैं माननीय सभा को एक बात बताना चाहता हूं जो कि नोट की जाने वाली है और माननीय सदस्य ने भी जिसका उल्लेख किया है कि स्ट्रेप्ट-माईसिन की तरह प्रभावशाली टी०बी० रोधी अन्य औषधियां भी टी० बी० रोगियों के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। यह निश्चयपूर्वक तथा सुनिश्चित तौर पर कहा गया था कि स्ट्रेप्टो-माइसिन के अभाव की अवधि के दौरान रोगियों का इलाज समान प्रभाववाली अन्य टी० बी० रोधी दवाओं से किया गया था और उन्हें परेशानी नहीं होनी दी गई। यह एक मुद्दा है।

अब मैं भोजन के सम्बन्ध में उठाए गए मुद्दे लेता हूं।

श्री बापूसाहिब परूलेकर (रत्नगिरी) : इसके बदले में इस्तेमाल करने योग्य दवाएं क्या हैं।

श्री निहार रंजन लास्कर : टी० बी० के रोगियों के इलाज के लिए सामान्यत: इस्तेमाल की जाने वाली टी० बी० रोधी दवाएं आई० एन० एच०, पी० ए० एस० थिसीटाजोन आदि हैं।

अब राजेन्द्र बाबू टी० बी० अस्पताल के रोगिवों के भोजन के विषय में मुझे यह कहना है कि प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत भोजन की मात्रा के अनुसार उन्हें संतुलित भोजन दिया जा रहा है। भोजन की कैलोरी लगभग 2,750 प्रति रोगी प्रतिदिन है। उनकी एक नियमित व्यंजन-सूची है। मांसाहारियों को सप्ताह में तीन बार मांस दिया जाता है। सप्ताह में दो बार अन्डे दिए जाते हैं उनकी एक निर्धारित व्यंजन सूची है। (व्यवधान)

योग्य आहार-विशेषज्ञों की देख-रेख में प्रति दिन 1.113 रोगियों को भोजन दिया जाता है। जिन रोगियों को अतिरिक्त चपाती/दाल/सब्जी चाहिए उन्हें कह दी जाती है।

हमारी जानकारी यह है कि विनियम हैं जिनका अनुपालन किया जाना है। (व्यवधान)

माननीय सदस्य ने गोश्त की सफाई न किये जाने के बारे में बात उठाई है। ठेकेदार ने कुछ दिन गोश्त उपलब्ध न होने के कारण इसकी सप्लाई नहीं की थी और इसके लिए ज्ञापन जारी किये गए थे और इस दोष के लिए जुर्माना किया गया था तथापि इन दिनों रोगियों को गोश्त की बजाय विशेष सब्जी, और दाल दी गई थी।

नगर-निगम ने इस बात से इन्कार किया है कि गोश्त सहित भोजन पर खर्च को बिना वास्तविक खरीद के नाम डाला गया है। यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। अदायगियां वास्तविक सप्लाई के लिए ही की जाती हैं और बजट के विशेष शीर्षक के अन्तर्गत जो आहार समवंची खर्च होता है उसे दूसरे शीर्षक के अन्तर्गत अन्तरण नहीं किया जा सकता है। आन्तरिक और वाह्य

दोनों को नियमित करके परीक्षा भी की जाती है। इसमें दोहरी लेखा परीक्षा की जाती है। जब ठेकेदार सप्लाई करने में असफल होता है तो उस पर जुर्माना किया जाता है। यह ठेके की शर्तों के अनुसार किया जाता है। संस्थान के रसोईघर में जो भी सूखा सामान आता है वह आहार विशेषज्ञों द्वारा विधिवत स्वीकृत किया जाता है। वे आमतौर से वह सप्लाई करते हैं जो इतने खराब नहीं होते हैं। (व्यवधार) आप इन्हें देख सकते हैं। ये तथा और अन्य वस्तुएं अच्छी हालत में होती हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी मामले को हमारे ध्यान में लाये तो हम निश्चितरूप से इसकी जाँच करेंगे। यह आश्वासन हम दे सकते हैं।

श्री बापूसाहिब परूलेकर (रत्नगिरि) : क्या आपने कोई अचानक जांच की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मैंने ऐसा दो बार किया है।

दूसरी बात रोगियों के बारे में उठाई गई। उन्होंने कहा है कि रोगियों से पैसा लिया जाता है और उन्हें दवाइयां खरीदने के लिए कहा जाता है। हमारी जानकारी के अनुसार संस्थान के सामान्य वार्ड में भर्ती रोगियों का सारा उपचार निशुल्क किया जाता है। दवाइयों और भोजन तथा अन्य सुविधाओं के लिए कोई खर्च नहीं लिया जाता है। किसी भी रोगी को बाहर से अपने खर्च पर कोई दवाई खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया गया। मैं यहअन्तरंग रोगियों के बारे में कह रहा हूं।

श्री बापू सहिब परूलेकर : भर्ती करने का क्या मापदण्ड है।

श्री निहार रंजन लास्कर : यह अन्तिम मुद्दा है। मैं इसी पर आ रहा हूं।

क्षय रोग के इलाज के लिए पेटेन्ट दवाइयों के आने से इस बात पर मुख्यतः जोर दिया जाता क्षय रोगियों का उनके घरों में ही इलाज हो राजेन्द्र बाबू टी. बी. अस्पताल में है कि रोगियों की भर्ती और छुट्टी के सम्बन्ध स्पष्ट भर्ती और छुट्टी नीति है जिसे प्राधिकारियों द्वारा विधिवत स्वीकृत किया गया भर्ती और छुट्टी का निर्णय करने के लिए एक बोर्ड भी है जो यह निर्णयकरता है कि किस को भर्ती किया जाना चाहिए और किस की छुट्टी को जानी चाहिए। अतः इस देख-रेख के लिए एक निकाय है। इस नीति के अनुसार वे रोगी जो वास्तव में बीमार हैं तथा गम्भीर हैं और रक्तस्राव, फेफड़ों में दरारें आदि जैसी गम्भीर स्थिति में पीड़ित हैं और जिनकी तत्काल शल्य चिकित्सा की जाती है तथा जो सामाजिक रूप से अनाथ हैं और जिनका घर में उपचार नहीं हो सकता है उन्हें प्रभारी डाक्टरों द्वारा तत्काल भर्ती किया जाता है। रोगियों की केवल तभी छुट्टी की जाती है जब उनके स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है और खतरा टल जाता है तथा वे अपने ही घर पर आगे इलाज चला सकते हैं। क्षय रोगियों की भर्ती अथवा छुट्टी के मामले में कोई भेद-भाव नहीं होता है और रोगियों के लिए जैसे बिस्तर उपलब्ध होते जाते हैं उन्हें दिये जाते हैं तथा उनके रोग की स्थिति को ध्यान में रखा जाता है।

माननीय सदस्य को एक बात महसूस करनी चाहिए कि जब वहां बहुत से रोगी होते हैं और चूंकि यह प्रमुख टी० बी० अस्पताल है और वहां रोगियों की भीड़ होती है तथा इसमें

उपचार लम्बा चलता है तो स्वाभाविक है कि अधिक विस्मारों की मांग होती है और कभी-कभी उन्हें बिस्तर उपलब्ध करना सम्भव नहीं होता है। किन्तु हम इस समस्या पर विचार कर रहे हैं कि कैसे इसकी पूर्ति की जा सकती है···

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : क्या आपने कभी गैर-सरकारी तौर पर जांच की है ?

सभापति महोदय : उन्हें भाषण करने दीजिए।

श्री निहार रंजन लास्कर ; माननीय सदस्यों ने ये मुद्दे उठाए हैं और मैंने इन सभी का उत्तर देने का प्रयत्न किया है।

सभापति महोदय : श्री रामवतार शास्त्री।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, टी० बी० की बीमारी तो गरीबों को ही होती है, जब तक आप गरीबी रखिएगा, उनको यह बीमारी होती रहेगी।

सभापति महोदय : आप सवाल पूछियेगा।

श्री रामावातार शास्त्री : मैं सवाल ही पूछ रहा हूं।

क्या मंत्रीजी जो इस बात की जानकारी है कि इसी राजेन्द्र बाबू अस्पताल में दवाओं और खाने-पीने की चीजों की चोरबाजारी होती है और अगर इसकी जानकारी आपको है तो इसको रोकने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

अभी मंत्री जी ने कहा कि जितने लोग भर्ती होते हैं सभी को हम मुफत में दवा देते हैं मैं जानना चाहता हूं कि कोई अमीर हो तो क्या उसको भी आप मुफ्त में दवा और भोजन देते हैं ?

मंत्री जी ने यहां पर कहा कि अस्पातल का संचालन दिल्ली नगर निगम करता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार दिल्ली नगर निगम को अस्पताल की व्यवस्था के लिए कुछ वार्षिक अनुदान देती है ? अगर देती है, तो वह रकम क्या है ? क्या यह बात सच है कि बिस्तरों को कमी की वजह से कुछ मरीजों को और खासकर ग़रीब मरीजों को ज़मीन पर रखा जाता है ? आखरी बात, टी० बी० की बीमारी फैले नहीं, क्योंकि यह कुछ जगहों पर बहुत तेजी से फैलती है, जैसे बीड़ी मजदूरों में, जो बहुत ज्यादा ग़रीब है और गन्दी जगहों पर रहते हैं, इसके किए आपने कोई कार्यवाही की है ? यदि की है, तो वह क्या है ?

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति जी, जिस दिन के अखबार के संबंध में यह प्रश्न उठाया गया था, वह 24 फरवरी, 1981 का है। यदि उस दिन के अखबार की इस फोटो को देख लें, तो वह फोटो अपने आप में सारी कहानी कह देती है। जिस तरह से वह बेचारी लॉन गिटाई हुई है, कहीं उसका लोटा है, कहीं उसका और सामान है—वह फोटो अपने आप में सारी बात कह देता है। अखबार वालों को हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि वे इस तरह के मैटर हम लोगों के सामने रखते हैं और हम लोगों को बहस करने का मौका देते हैं।

सभापति महोदय, चूंकि समय नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ प्रश्न ही पूछूंगा। जैसा शास्त्री जी ने कहा कि जब तक ग़रीबी रहेगी, तब तक टी० बी० रहेगी और जब तक टी० बी० रहेगी तब तक अस्पतालों की आवश्यकता पड़ेगी। इनके आंकड़ों के मुताबिक एक करोड़ लोग इस देश में टी० बी० के पेशैन्ट हैं। इन एक करोड़ लोगों के लिए पूरे देश में आपने कितने बैडस की व्यवस्था की है ? मैं इतना ज़रूर कहना चाहूंगा कि मंत्री जी भले ही सदन के फ्लोर पर, क्योंकि मंत्री हैं उनको जबाब देना है और अपने डिपार्टमेंट को बचाना है, वह कह दें, लेकिन जब वे मंत्री नहीं रहेंगे या मंत्री की हैसियत से जब वे इन अस्पतालों में जायेंगे, तब वे भी वही चीज़ कहेंगे जो आज हम लोग कह रहे हैं। मैं साउथ एवेन्यू के अस्पताल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। एक दिन में वहां गया, वहां मैंने किसी से नहीं कहा कि मैं एम०पी० हूं। एक घण्टे तक खड़ा रहा, वहां मैडम एक घण्टे तक बातचीत करती रहीं, जब उनको हमने अपना परिचय दिया, तब उन्होंने देखा। इस संबंध में पत्र भी लिखा, क्वेनन भी किया, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ। यह कहा गया कि ऐसी कोई शिकायत नहीं है। क्या ऐसी शिकायत कोई रजिस्टर में मेन्टेन होती है ?

एक माननीय सदस्य : क्या टेलीफोन पर बात कर रही थीं ?

श्री रामविलास पासवान : यह तो मुझे मालूम नहीं।

1. वर्तमान हाफ-एन-आवर डिस्कशन की बहुत महता है, मैं सरकार से जानना चाहता हूं- क्या आप को जानकारी है देश में अभी कितने लोग टी०बी० से बीमार हैं ? उन की संख्या क्या है ? उन के लिये आपने कितने बैडस की व्यवस्था की है तथा एक रोगी के ऊपर कितना खर्च करते हैं ?

2. क्या यह घपला हमेशा चलता रहेगा ? इस को रोकने के लिये सरकार ने क्या कारगर कदम उठाये हैं ? क्या यह चोरी जो वहां पर होती है, इसी तरह से होती रहेगी, क्योंकि जो रोगी वहां पर इलाज कराने के लिये आते हैं, यदि वे डाक्टर से झगड़ा करेंगे तो दूसरे दिन उन की जान आफ़त में आ जायगी है

3. क्या सरकार पार्लियामेन्ट की कोई स्टेण्डिग कमेटी या स्थायी समिति बनायेगी, चाहे उस को भत्ता न मिले, लेकिन वह कमेठी एज-ए-होल, केवल एक मेम्बर को अधिकार न रहे, चाहे छोटी सी कमेटी रहे, जो कभी भी वहां जाकर चेक कर सके, मेरा तात्पर्य हैं गवर्नमेंग्ट के अस्पतालों को चेक करें और अपनी रिपोर्ट सरकार को दे सके ?

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सभापति जी, मैं संक्षेप में ही अपनी बात कह कर सवाल पूछना चाहता हूं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज हमारे देश में गरीब लोगों को दवा और खाने की चीजें नहीं मिलती हैं। अभी हाल में बिहार में "कालाबाज़ार" से बहुत से लोग मर गये, एक तरफ़ तो वे इस बीमारी से आक्रान्त थे दूसरे ओर उन को भोजन नहीं मिलता था, जिस की वजह से काफ़ी संख्या में लोग मरे। लेकिन यहाँ सूचना दी गई कि केवल 2 आदमी मरे हैं, जब कि वास्तव में 200 से ज्यादा आदमी मरे हैं। इस प्रकार की स्थिति पूरे मुल्क के अन्दर है।

यहां पर डा० राजेन्द्र प्रसाद जी के नाम पर जो टी० बी० अस्पताल है उस के बारे में चर्चा चल रही है और कुछ माननीय सदस्यों ने सवाल पूछे हैं। मैं जानना चाहता हूं।

1. क्या वजह है कि स्ट्रेपटोमाइसीन की कमी हो जाती है ? क्या इस देश में का पर्याप्म मात्रा में में उत्पादन नहीं होता है या कोई और वजह है ? क्या आप इस को विदेशों से मंगाते हैं ? इस की कमी को दूर करने के लिये आप कौन से कदक उठा रहे हैं ? क्या यह सही है कि इस की चोर-बाज़ारी होती है ?

2. मरीज़ों से यह कहा जाता है कि खुद जाकर बाहर से दवा खरीद लो। क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिस से अस्पताल के लोग खुद दवा खरीद कर उन मरीज़ों को जो गरीब परिवारों से जाते हैं, दें ?

3. कुछ अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था होती है कि जो एम०एल० एज़ होते हैं, सोशल वर्कर्ज होते हैं, पोलीटिकल वर्कर्ज होते हैं उन को यह अधिकार दिया जाता है कि वे किचन को चेक कर सकते हैं, स्टोर को चेक कर सकते हैं, वहां की गड़बड़ियों को देख सकते हैं। क्या इस अस्पताल के लिये भी आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो लोकल एम० पीज़ हैं, पोलिटीकल और सोशल वर्कर्ज हैं उन की एक कमेटी बनाई जाय। जो इस अस्पताल को जा कर चेक करें और इस की कमियों को बतायें। इस प्रकार की व्यवस्था न केवल इस अस्पताल के लिये बल्कि दिल्ली के अन्य अस्पतालों के लिए भी की जाय। इस कमेटी को यह अधिकार दिया जाय कि वह दिल्ली के तमाम अस्पतालों में जाकर चेक करें और उनकी कमियां आप को बतायें।

श्री निहार रंजन लास्कर : महोदय, मेरे मित्र शास्त्री-जी ने जो कुछ बातें उठाई हैं मैं उनका उत्तर दूंगा। उन्होंने पूछा है कि क्या धनी रोगियों को सभी दवाइयां निशुल्क दी जाती हैं। मैंने अभी कहा है कि सामान्य वार्ड में दवाइयां और खाना निशुल्क दिया जाता है।

उन्हें खाना और दवाइयां सब कुछ निशुल्क मिलता है। हमारे कुछ 'विशेष वार्ड भी हैं जहां दवाइयों की कीमत ली जाती है। जहां तक इस संस्थान को वार्षिक अनुदान देने का सम्बन्ध है, इसे कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। किन्तु इस सम्बन्ध में हमारी केन्द्रीय नीति है जिसके अन्तर्गत हम क्षय रोग के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत दवाइयां और अन्य उपकरण देते हैं। इस प्रकार उन्हें केन्द्रीय सरकार से अप्रत्यक्ष रूप में अनुदान मिल रहा है।

श्री रामावतार शास्त्री : भोजन और दवाइयों में चोर बाजारी की क्या स्थिति है ?

श्री निहार निरंजन लास्कर : दवाइयों और अन्य चीजों की चोरी के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है। इस बारे में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

श्री पासवान ने दो-तीन बातें उठाई हैं। एक तो बच्चे की फोटो के बारे में है जिस पर कुछ प्रश्न उठाये गये और अब आधे घण्टे की चर्चा हो रही है। मैं माननीय सदस्यों से केवल यही कह सकता हूं कि अखबारों में फोटो छपी है वह 14 वर्षीय पप्पू नाम के एक रोगी की है—वह 14 वर्ष का दिखाई देता है और वह 'न्यूमोथारेक्स' से पीड़ित था और उसे 23-2-1981 को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल से भेजा गया था तथा उसे उसी दिन भर्ती किया गया था। मैं यही कह सकता हूं कि उसमें अब अच्छा सुधार हो रहा है।

हमारे पास कुल 43,354 विस्तर हैं। मैंने पहले ही इस बारे में कहा है। इसका हमारे पास स्थूल आंकड़े हैं और देश में लगभग 20 लाख रोगी हैं।

श्री रामविलास पासवान : यह फीगर सही नहीं है। मैं आपको बतलाता हूं। क्वेश्चन नं० 5296 था, जो 30 मार्च, 1979 का है। इसमें उन्होंने कहा है कि टोटल नम्बर आफ टी० बी० पेशेन्ट्स 82 लाख 20 हजार है।

श्री निहार रंजन लास्कर : ठीक है।

श्री रामविलास पासवान : ये तो वे हैं, जिनके बारे में एक्स-रे से पता लगाया गया है और जिन लोगों के थूक में रोग के लक्षण हैं, उनकी संख्या 21 लाख थी। यह एक क्वेश्चन के जवाब में बताया गया है और मेरे पास डिवेट है, जिसमें यह दिया गया है। तो यह जो 2 मिलियन रोगी इन्होंने बताए हैं, यह सही नहीं है।

श्री निहार रंजन लास्कर : भारत की आबादी के लगभग 1.5 प्रतिशत वे लोग हैं जिनका एक्सरे के बाद पता लगा है कि वे क्षय रोग से पीड़ित हैं इनमें से एक-चौथाई लोगों के थूक में रोग के कीटाणु हैं अर्थात् उनका रोग संक्रामक है। उपर्युक्त तथ्यों से अनुमान लगता है कि देश में लगभग 80 से 90 लाख लोग क्षय रोग से पीड़ित हैं जिनमें लगभग 20 लाख लोगों के थूक में इस रोग के कीटाणु हैं अतः उनका रोग संक्रामक है।

जहां तक समिति की नियुक्ति का सम्बन्ध है हम इसकी जांच कर सकते हैं।

सभापति महोदय : अतः पासवान जी आपके आंकड़े भी सही हैं।

श्री रामविलास पासवान : आप कह रहे हैं कि 2 मिलियन रोगी हैं। 20 लाख रोगी तो मर ही गये हैं।...(व्यवधान) मैं यह भी जानना चाहता हूं कि एक रोगी पर आपका कितना बजट है।

श्री निहार रंजन लास्कर : श्री हरिकेष बहादुर ने दिल्ली के विधान सभा सदस्य और संसद सदस्यों को भी समिति में शामिल करने का सुझाव दिया है। यह अच्छा सुझाव है, यदि व्यावहारिक पाया गया तो हम इसे क्रियान्वित करेंगे।

श्री हरिकेश बहादुर : (गोरखपुर) : महोदय मैंने स्ट्रेप्टोमाइसिन की उपलब्धता के बारे में भी पूछा था। क्या हम देश में ही पर्याप्त मात्रा में इसका उत्पादन करते हैं या इसका आयात किया जाता है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : इसका आई०डी०पी०एल० तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा उत्पादन किया जाता है। केवल दस दिन ही इसकी सप्लाई कम रही अन्यथा यह उपलब्ध है।

सभापति महोदय : सभा कल 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.14 म०प० तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 7 मई, 1981/ 17 बैशाख, 1903 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : एस०पी० सागर, बंगाल प्रिंटिंग प्रेस, ईस्ट पार्क रोड दिल्ली।